

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मई 2023—वैशाख 29, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2023

क्र. एफ 3-3-2022-एक-(4).—राज्य शासन, श्री चित्रगुप्त जी के प्रकट उत्सव दिनांक 27 अप्रैल 2023 गुरुवार को प्रदेश के शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं के लिए ऐच्छिक अवकाश घोषित करता है।

उक्त ऐच्छिक अवकाश को इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 के अनुक्रम में, ऐच्छिक अवकाश की सूची में सम्मिलित किया जाता है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक शासकीय सेवक को वर्ष 2023 में घोषित ऐच्छिक अवकाश में से तीन अवकाश लेने की पात्रता होगी।

क्र. एफ 5-18-2021-एक-(1).—माननीया, न्यायाधिपति श्रीमती सुनीता यादव, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर का ओ. एस. डी.-कम-पी. पी. एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-1725-(दो-1-11-2021), दिनांक 31 मार्च 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 3 मार्च 2023 की शाम से दिनांक 12 मार्च 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-Estt.(ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय, न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

अवकाश नगदीकरण का यह तृतीय अवसर है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रंजना पाटने, उपसचिव।

4233

विधि और विधायी कार्य विभाग

Bhopal, the 11th May 2023

F. No. 1929 (1374-1174) XXI-B (ii).—The State Government hereby makes the following amendments in this department's order number 1758-(1374-1174)-XXI-B (ii), dated 21st May, 2021.

AMENDMENT

In the said order, the distribution of all the work shown before Mr. Gopal Jha, Standing Counsel at serial No. 3 including all pending matters previously handled by Mr. Gopal Jha is hereby allotted to Mr. Yashraj Singh Bundela, Standing Counsel.

This order will come into force immediately and will continue till further order.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
UMESH PANDAV, Secy.

भोपाल, दिनांक 11 मई 2023

पंजी क्र. 1731-2023-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील-पिछोर, जिला शिवपुरी में विभागीय आदेश दिनांक 15 जनवरी

1999 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री रामकिशोर श्रीवास्तव एवं जिला मुख्यालय, शिवपुरी में विभागीय आदेश दिनांक 22 अप्रैल 1999 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री जगदीश प्रसाद शर्मा का निधन होने के कारण उक्त नोटरियों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास भट्टेले, अपर सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मई 2023

क्र. एफ 2-18-2022-तेरह.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री ए. के. दुबे, अधीक्षण अभियंता (विद्युत् सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत् निरीक्षक, इन्दौर को मुख्य अभियंता (विद्युत् सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत् निरीक्षक के पद पर वेतनमान रुपये 129700-214300 (ग्रेड वेतन रुपये 8900/-) में पदोन्नत कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्यालय, भोपाल में पदस्थ किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोमदेव शर्मा, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

सूचना

क्र. यूडीएच-3-0085-2023-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वि. क. अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-5121-टी सी-23-भोपाल-उपां-नग्रानि-2020-2022, भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम/तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में) यातायात (आई. एस. बी. टी. स्थानक)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	भानपुर (भानपुर खंती,	120	1.9430	0.3090	कृषि	यातायात
2	तहसील हुजूर, जिला	121	1.8540	1.4482	कृषि	यातायात
3	भोपाल).	122	0.9060	0.2923	कृषि	यातायात
4		136/1	0.4780	0.2032	कृषि एवं मार्ग	यातायात एवं मार्ग
5		137/1	0.0360	0.0080	कृषि एवं मार्ग	यातायात एवं मार्ग
6		138/1	0.8580	0.6720	कृषि एवं मार्ग	यातायात एवं मार्ग
			योग . . . 6.075	2.9327		

शर्तें: —

1. मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक 1926-825-185-अठारह-5-2021, भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2022 के अनुपालन में, स्थल पर निर्माण / विकास के पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव उपयुक्तता का समुचित परीक्षण किया जाकर पर्यावरणीय संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए समस्त संबंधित विभागों से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा.
2. स्थल के पश्चिम दिशा में स्थित रेल्वे की भूमि सीमा से 30.00 मीटर दूरी तक किसी भी प्रकार के विकास / निर्माण के पूर्व रेल्वे विभाग से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा.
3. स्थल के सम्मुख स्थित मार्ग (दामखेड बायपास मार्ग) की प्रस्तावित चौड़ाई 66.00 मीटर निर्धारित है. अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि सुरक्षित रखना आवश्यक होगा.
4. स्थल के पूर्व एवं दक्षिण दिशा में राजस्व अभिलेख के अनुसार स्थित नाले के किनारे पे दोनों ओर 9.00-9.00 मीटर भूमि वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य होगा.
5. Guideline for Disposal of Legacy Waste (Old Municipal Solid Waste) के पैरा 4.4.4 के अनुरूप उपयोग किया जाना मान्य होगा.
6. उक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

भोपाल, दिनांक 11 मई 2023

अधि. क्र. 3412.—भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 (1) (च) सहपठित नियम, 2002 के नियम 279 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अंतर्गत, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अगस्त 2014 में “मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना (पुनरीक्षित)-2004” अधिसूचित की गई थी. मध्यप्रदेश में आयुष्मान भारत योजना “निरामयम” प्रभावशील होने के दिनांक से “मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना (पुनरीक्षित)-2004” एतद्वारा समाप्त की जाती है.

संजय जैन, सचिव.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2023

क्र. एफ 6-3-2022-चौवन-1.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची के क्रमांक 93 के उपरांत क्रमांक 94 पर ट्रांसजेण्डर समुदाय को मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 की धारा 11(1) के अंतर्गत निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-

पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक	जाति / उपजाति / वर्ग / समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
94	ट्रांसजेण्डर	-	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्र. 306-1236511-2023-चौवन-2.—श्री सैयद शाकिर अली जाफरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड को हज कार्य हेतु सउदी अरब में स्टेट कोऑर्डिनेटर हज के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने हेतु चयन फलस्वरूप दिनांक 8 मई 2023 को कार्यमुक्त किया गया है।

अतः प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से राज्य शासन, एतद्वारा, श्री मोहम्मद अहमद खान, सहायक सचिव, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल को अपने कार्य के साथ-साथ श्री सैयद शाकिर अली जाफरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के हज कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति अवधि (कार्यमुक्त होने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक तक की अवधि) में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी का प्रभार सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एन. पी. नामदेव, उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मई 2023

क्र. 1255-1299400-23-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आगर	आगर	सुश्री चाहना शर्मा, JMFC

No. 1255-1299400-23-L-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Agar	Agar	Sushri Chahana Sharma, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय कटेशरिया, उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 4 मई 2023

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-439-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) रघुराजनगर	(3) करही हरमल्ला	(4) 0.513	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II), पश्चिम मध्य रेलवे सतना, जिला सतना (मध्यप्रदेश).	ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 10 मई 2023

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-466-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) नागौद	(3) सड़वा	(4) 1.556	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II), पश्चिम मध्य रेल सतना, जिला सतना (मध्यप्रदेश).	ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-467-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	बारापत्थर	0.950	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II), पश्चिम मध्य रेलवे सतना, जिला सतना (मध्यप्रदेश).	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-468-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	अतरौरा खुर्द	0.250	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II), पश्चिम मध्य रेलवे सतना, जिला सतना (मध्यप्रदेश).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-469-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1) सतना	(2) नागौद	(3) तिलौरा	(4) 2.350	(5) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II), पश्चिम मध्य रेलवे सतना, जिला सतना (मध्यप्रदेश).	(6) ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-470-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1) सतना	(2) नागौद	(3) गंगवरिया	(4) 2.440	(5) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II), पश्चिम मध्य रेलवे सतना, जिला सतना (मध्यप्रदेश).	(6) ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2022

प्र. क्र. 08-अ-82-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	महाराजपुर	मनकारी (बड़ी पट्टी)	0.009	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/ भू-अर्जन अधिकारी, नौगांव.	मुख्यमंत्री नलजल योजना

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नौगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप जी. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 9 मई 2023

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-451-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	सेमरी	0.821	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत उमरहट वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-460-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	कोडर	19.491	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-461-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	हिलौंधा	6.122	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत उमरहट वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-464-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) अमरपाटन	(3) नांदन टोला	(4) 9.587	(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ. मु. मैहर सतना (मध्यप्रदेश).	(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर. डी. 33+000 कि. मी. से 39+325 कि. मी. के अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-465-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) अमरपाटन	(3) बारी	(4) 13.272	(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ. मु. मैहर सतना (मध्यप्रदेश).	(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर. डी. 33+000 कि. मी. से 39+325 कि. मी. के अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 10 मई 2023

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-471-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) नागौद	(3) सलैया कोठार	(4) 0.134	(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना (मध्यप्रदेश).	(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत उमरहट वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-472-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) नागौद	(3) मौहारी	(4) 9.408	(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना (मध्यप्रदेश).	(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत मौहारी वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ 82-23-24-पत्र क्र.-474-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	फुरताल कला	0.790	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत उमरहट वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ 82-23-24-पत्र क्र.-475-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	नौवस्ता	1.757	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत मौहारी वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ 82-23-24-पत्र क्र.-477-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) नागौद	(3) विरहली	(4) 5.182	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत उमरहट वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ 82-23-24-पत्र क्र.-478-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) नागौद	(3) पतवारा	(4) 8.413	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत उमरहट वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-479-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1) सतना	(2) नागौद	(3) वसुधा	(4) 5.408	(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना (मध्यप्रदेश).	(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत उमरहट वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-480-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1) सतना	(2) नागौद	(3) पड़रिया	(4) 1.826	(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना (मध्यप्रदेश).	(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत मौहरिया वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 धारा 11

जबलपुर, दिनांक 12 मई 2023

क्र. 29-भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-23-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि नागपुर से जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन हेतु गैस परियोजना का कार्य प्रचलित है तथा गैस परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप सेक्शनलाइजिंग वाल्व स्टेशन बनाने हेतु ग्रामी रीमा की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है अतः इस कारण अधिनियम की धारा 3 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				अधिनियम की धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के तहत प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	रीमा प. ह. 54	निजी भूमि खसरा नं. 306 रकबा 0.9000 हे. मे से रकबा 0.3025 हे.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी भू अर्जन जबलपुर.	नागपुर से जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन हेतु गैस परियोजना का कार्य तथा गैस परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप सेक्शनलाइजिंग वाल्व स्टेशन बनाने हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कालम (5) दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (3) अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार होने देगा, अर्थात् क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
- (4) अधिनियम की धारा 11(15) के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो फाईल किये जा सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ के. सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
खरगोन, दिनांक 3 मई 2023

प्रारूप "ख"
[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2167-वा. 1-री-रा.-प्र.-क्र-0050-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-सोलना, प. ह. नं. -39, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	सोलना/39	5/2	0.017
			12/1	0.033
			13/1	0.013
			13/2/1	0.043
			13/2	0.004
			13/1	0.040
			10/2	0.028
			10/1	0.006
			13/3	0.012
			15	0.014
			16	0.025
			20	0.015
			30/1	0.014
			34/1	0.018
			32/5	0.018
			32/3	0.017
			81	0.010
योग . .		17	0.326	

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्रारूप "ख"
[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2071-वा.1-री-रा.-प्र.-क्र-0051-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-जुलवानिया, प. ह. नं. -39, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	जुलवानिया/39	26/1/1	0.019
			26/1/2	0.036
			22/2	0.021
			22/1	0.049
			20/4	0.01
			20/3	0.056
			42/4	0.01
			42/5	0.037
			40	0.047
			61	0.003
			61/199	0.007
			66/7	0.065
			66/13	0.018
			66/5	0.07
			73	0.015
			74/1	0.02
			74/2	0.044
			89/1	0.072
			88/3	0.082
3/1	0.008			
4/1/1	0.006			
4/3	0.017			
4/2/1	0.016			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			5/2/1	0.012
			5/2/2	0.007
			5/2/3	0.021
			5/2/4	0.017
			6	0.005
			8/1	0.021
			9/1	0.023
			43/1	0.02
			43/2	0.003
			42/2	0.015
			42/5	0.015
			42/4	0.016
			40	0.022
			61/199	0.008
			61	0.012
			66/7	0.04
			66/14	0.011
			67/1	0.008
			68	0.075
			69	0.019
			70/3	0.011
			70/4	0.028
			90/3	0.005
			95/1	0.01
			95/2	0.022
			97/4	0.024
			97/5	0.026
			97/6/1	0.016
			97/7	0.002
			99	0.019
		योग . . .	53	1.378

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2175-वा. 1-री-रा.-प्र.-क्र-0052-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-देवलगाँव, प. ह. नं. -49, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	देवलगाँव/49	33/1	0.030
			32	0.086
			28/2	0.005
			30/1	0.020
			30/2	0.021
			30/3	0.019
			30/4/1	0.022
			30/5	0.022
			30/6	0.019
			39/1	0.026
			39/2	0.026
			39/3	0.024
			39/4	0.022
			39/5	0.029
			40	0.016
			19	0.056
			154/1	0.048
			169/1/1	0.025
			167	0.026
			174/1/2	0.013
			174/1/1	0.044
			174/3	0.034
			174/2	0.040
			236/2	0.011
			240/3	0.071
			240/564/1	0.050
			240/564/4	0.029
			165/1	0.027
			166/5	0.055
			240/564/4	0.026
			231/9	0.014
			231/10	0.005
			247	0.073
			249/2	0.027
			249/1	0.002
		योग . .	35	1.063

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्रारूप “ख”
[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2179-वा. 1-री-रा.-प्र.-क्र-0053-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेंट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-रूपखेडा, प. ह. नं. -52, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	रूपखेडा/52	22/6	0.014
			22/5	0.024
			21/3	0.037
			21/4	0.022
			14/1	0.062
			14/2	0.065
			7/5	0.053
			7/6	0.034
			23	0.045
			22/2	0.059
			21/3	0.046
			21/4	0.052
			13/4	0.056
			13/5	0.044
			13/6	0.009
			12/1	0.024
			9/2	0.043
9/3	0.017			
9/3	0.035			
9/3	0.013			
9/2	0.034			
9/1	0.005			
योग			22	0.793

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्रारूप "ख"
[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2183-वा.-1-री-रा.-प्र.-क्र-0054-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-मोघन, प. ह. नं. -37, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्रो, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	मोघन/37	114/1/2	0.033
			114/1/1	0.006
			113/2	0.029
			116/1	0.029
			117/3	0.044
			117/2	0.005
			118	0.008
			123/1	0.006
			119/4	0.010
			93/4	0.047
			93/5	0.003
			92/1	0.016
			105	0.026
			104	0.033
			107	0.017
			112/1	0.068
			112/2	0.016
			111/1	0.009
			119/1	0.017
			119/2	0.012
119/3	0.030			
93/3	0.008			
93/2	0.067			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			93/4	0.028
			90/1	0.025
			90/2	0.024
			58	0.028
			83/3	0.032
			83/4	0.028
			83/2/2	0.008
			83/2/1	0.027
			81/3	0.022
			60/2	0.006
			59/1	0.017
			59/2	0.006
			120	0.029
			80/2	0.053
			80/1	0.023
			78/1	0.073
			78/2	0.030
			77/2	0.060
			71/4	0.047
			71/2	0.038
			183/12/2	0.043
			183/14/2	0.028
			183/13/1	0.012
			183/15/2	0.022
			183/20	0.002
			183/19	0.031
			183/23/2/2	0.046
			80/2	0.042
			82/2	0.041
		योग	52	1.410

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”
[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2187-वा. 1-री-रा.-प्र.-क्र-0055-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-फतेपुर, प. ह. नं.-52, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	फतेपुर/52	35	0.009
			2/2	0.02
			49	0.072
			53/1	0.04
			53/2	0.05
			योग . .	5

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2191-वा. 1-री-रा.-प्र.-क्र-0055-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-जगन्नाथपुरा, प. ह. नं.-2, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	जगन्नाथपुरा/2	54/23/2/1	0.012
			54/23/2/2	0.003
			54/13/2	0.042

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			54/12/1	0.035
			54/11/2	0.013
			54/11/1	0.033
			18/2	0.055
			18/2	0.005
			17/2	0.033
			16/2	0.048
			24/3	0.002
			25/4	0.022
			25/3	0.005
			25/5	0.011
			26/2	0.018
			27/2	0.032
			27/3	0.008
			29/5	0.037
		योग	18	0.414

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2195-वा.-1-री-रा.-प्र.-क्र-0057-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-आवली, प. ह. नं.-34, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	आवली/34	97/3	0.043
			99/1/2	0.02
			99/3	0.023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			101/1	0.008
			79/1	0.032
			84/1	0.020
			79/2	0.047
			79/3	0.002
			77/1	0.031
			77/3	0.013
			76/7	0.014
			76/8	0.017
			75/3	0.006
			71/2	0.012
			71/1	0.024
			70/1	0.025
		योग . .	16	0.337

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2199-वा.-1-री-रा.-प्र.-क्र-0058-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-पेनपुर, प. ह. नं.-33, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	पेनपुर/33	97/1	0.003
			95/2	0.017
			95/4	0.004
			95/3	0.031
			94/3	0.024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			94/3	0.009
			69/9	0.013
			69/7	0.014
			69/8/1	0.008
			69/8/2	0.007
			69/6	0.014
		योग	11	0.144

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2203-वा.-1-री-रा.-प्र.-क्र-0059-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्तान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-घट्टी, प. ह. नं.-36, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	घट्टी/36	15/1	0.009
			15/2	0.017
			16/103/1	0.021
			16/103/2	0.022
			16/1	0.018
			20/1	0.017
			19/1	0.018
			19/5	0.028
			22/4	0.002
			22/3	0.002
			22/2/2	0.023
			23	0.030

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			78/3/1	0.023
			62/3	0.036
			62/2	0.011
			62/1/2	0.066
			33/1/1	0.011
			18/3/1	0.003
			33/1/2	0.049
			33/2	0.048
		योग	20	0.454

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2207-वा. 1-री-रा.-प्र.-क्र-0060-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-मेहरजा, प. ह. नं.-48, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	मेहरजा/48	97/2/1	0.003
			97/2/2	0.022
			100/2/1/1	0.004
			357/1	0.003
			355/4/2	0.025
			355/2	0.025
			355/1	0.012
			354	0.027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			353	0.03
			352	0.012
			368/1	0.03
			370/3	0.013
			378	0.019
			379	0.009
			376	0.008
			269	0.003
			270	0.018
			263/1	0.006
			261	0.023
			253/2	0.031
			253/3	0.008
			276/4	0.014
			180/6/1	0.027
			180/3	0.028
			181/2	0.011
			181/1/1	0.005
			181/1/2	0.008
			184/1/2	0.022
			185/3	0.042
			185/3	0.015
			196/4	0.004
			196/3	0.028
			355/1	0.009
			356/1	0.016
			356/3	0.018
			367/1	0.039
			447/2	0.029
			446/3	0.004
			446/2/2	0.007
			446/1/2	0.014
		योग . .	40	0.671

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2209-वा. 1-री-रा.-प्र.-क्र-0061-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-लालपुरा, प. ह. नं.-21, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	लालपुरा/21	26/1/1	0.018
			4/4	0.018
			4/3	0.018
			4/2	0.024
			4/1	0.021
			5/2/2	0.014
			37/1	0.004
			36/1	0.038
			36/2	0.041
			36/3/2	0.022
			36/3/1	0.003
			35/1	0.042
			13/3	0.036
			18/2	0.021
			18/4/2	0.041
			18/4/1	0.016
			18/2	0.103
			23/2	0.026
			23/1	0.045
			23/3	0.011
			36/1	0.02
			37/2	0.014
			37/3	0.016
			38/1	0.05
			43/2/1	0.009
43/2/2	0.012			
43/2/3	0.014			
43/2/4	0.012			
42/4/2	0.01			
42/5	0.017			
42/2	0.015			
50/4	0.006			
50/5	0.017			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			51/2	0.017
			51/3	0.017
			52	0.006
		योग	36	0.814

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

खरगोन, दिनांक 28 अप्रैल 2023

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2129-वा. 1-री-रा.-प्र.-क्र-0040-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगावा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-नाघट्टी, प. ह. नं.-28, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	नाघट्टी/28	57/3/3	0.020
			57/3/2	0.005
			57/4/2	0.023
			154/3	0.008
			154/1/1	0.005
			154/2	0.024
			60/10/1	0.009
			60/9	0.009
			60/8	0.008
			60/7	0.009
			60/5/2	0.006
60/4/1	0.008			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			60/3	0.006
			60/2	0.008
			60/1	0.023
			48/4/2	0.006
			70/1/1	0.018
			70/5	0.013
			70/4	0.016
			70/3	0.011
			72	0.036
			84	0.008
			81	0.004
			83	0.009
			75	0.017
			76/1/1	0.036
			77/1	0.012
			77/2	0.012
			77/3	0.015
			23	0.047
			18/3	0.047
			18/2	0.036
			177	0.042
			174/21	0.020
		योग . .	34	0.576

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप "ख"
[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2133-वा.-1-री-रा.-प्र.-क्र-0041-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगावा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-बागदरा, प. ह. नं.-26, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	बागदरा/26	114/3	0.017
			114/4	0.020
			114/7	0.013
			114/8	0.028
			121	0.058
			120	0.015
			134	0.013
			137	0.015
			138	0.050
			321/2	0.068
			75/2/2	0.009
			108/1/1/1	0.035
			108/1/1/2	0.006
			108/1/2	0.018
			108/1/3	0.003
योग		15	0.368	

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2141-वा.-1-री-रा.-प्र.-क्र-0043-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगोवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-मोगरगांव, प. ह. नं.-31, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	मोगरगांव/31	8/2	0.056
			7/1	0.003
			5/2	0.038
			5/2	0.035
			1/2	0.013
			19/1	0.015
			23/1	0.03
			23/1	0.018
			26/1	0.002
			49/15	0.011
			23/1	0.012
			23/4	0.014
			23/2	0.013
			23/3	0.017
			153/1	0.01
			153/2	0.025
			151/1	0.009
			151/2	0.009
			143	0.02
			144	0.003
			130/1	0.029
			130/4	0.029
			120	0.054
			24/6	0.011
			24/7	0.011
			24/8	0.011
			24/9	0.011
			27	0.509
			8/2	0.056
			7/1	0.003
			5/2	0.038
			5/2	0.035
			1/2	0.013
			19/1	0.015
			23/1	0.03
			23/1	0.018
			26/1	0.002
			49/15	0.011
			23/1	0.012
			23/4	0.014
			23/2	0.013
			23/3	0.017

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			153/1	0.01
			153/2	0.025
			151/1	0.009
			151/2	0.009
			143	0.02
			144	0.003
			130/1	0.029
			130/4	0.029
			120	0.054
			24/6	0.011
			24/7	0.011
			24/8	0.011
			24/9	0.011
		योग	27	0.509

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2145-वा.-1-री-रा.-प्र.-क्र-0044-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगावा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-रतनपुर, प. ह. नं.-20, तहसील गोगावा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगावा	रतनपुर/20	8/2	0.046
			9	0.031
			13	0.016
			12/3	0.004
			12/1	0.034

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			12/2	0.003
			15	0.033
			16/1	0.017
		योग . .	8	0.184

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2151-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0046-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-फतेहपुर, प. ह. नं.-62, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	फतेहपुर/62	2/2	0.02
			49	0.072
			53/1	0.04
			53/2	0.05
		योग . .	4	0.182

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2155-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0047-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-बलगाँव, प. ह. नं.-35, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	बलगाँव/35	141	0.025
			140/1	0.005
			140/2	0.020
			138/1	0.011
			143/3	0.019
			143/5	0.015
			143/2	0.059
			144/1	0.017
			144/7	0.009
			1	0.005
			3	0.047
			5/2	0.018
			239/2	0.009
			238/3	0.032
			238/4	0.021
			236/7	0.009
			237/2	0.029
237/1	0.042			
193/3	0.020			
239/4	0.011			
योग			20	0.423

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्रारूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2159-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0048-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-माण्डवखेडा, प. ह. नं.-34, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	माण्डवखेडा/34	2/1/2	0.020
			5	0.003
			19/1/2	0.052
			19/2	0.028
			22/1	0.011
			22/4	0.011
			22/5	0.009
			22/6	0.010
			22/2	0.009
			22/3	0.009
			32/1	0.010
			31/1	0.012
			31/2	0.011
			30/2	0.009
			29/2	0.009
			28	0.009
			69/1/1	0.036
			69/2/1	0.011
			69/3	0.019
			71/3/2	0.010
			72/3	0.010
			73/3	0.009
			74/3/5	0.019
			81	0.008
			83/1	0.016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			83/2	0.002
			50/2/1	0.008
			50/3	0.015
			107/1	0.004
			109/4	0.029
			109/5	0.028
			110/2/3	0.022
			110/2/1/4	0.026
			110/2/1/5	0.012
			111/5	0.016
			111/6	0.014
			111/2	0.015
			111/2/[k	0.020
			111/3/2	0.003
			114/5	0.036
			115/4	0.024
			158/2	0.035
			158/3/2	0.049
			158/4/1	0.008
			158/5	0.008
			158/6	0.008
			158/3/1/1	0.007
			158/4/1	0.008
			153/4	0.016
			153/3	0.033
			155/1	0.013
			321/1/1	0.019
			321/1/2	0.004
			322	0.029
			337/1	0.034
			337/2	0.019
			340	0.002
			341	0.022
		योग	58	0.948

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्रि, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप "ख"
[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2163-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0049-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-छटलगाँवखुर्द, प. ह. नं.-62, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	छटलगाँवखुर्द/62	863	0.048
			85/3/1	0.003
			85/3/2	0.021
			85/3/6	0.038
			91/2/1	0.026
			91/2/2	0.039
			92/3	0.011
			93/1	0.008
		योग . .	8	0.194

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

ओम नारायण सिंग, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-495-भू-अर्जन-23

सतना, दिनांक 10 मई 2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	उफरी	3.0635 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका की जरमोहरा सबमाइनर एवं मटिंगवां सब माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-496-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	करतहा	2.7918 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका की करतहा माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-498-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	पहाड़ी	8.5681 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका की पहाड़ी माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-499-भू-अर्जन-23

सतना, दिनांक 11 मई 2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	देवरी	9.913 हे.	कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्रमांक-1 कटनी (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत विजयराघवगढ़ शाखा की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर बदेरा माइनर व भरेवा डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-500-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	जरमोहरा	3.8764 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-501-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	पिपरवाह	0.7634 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका की पिपरवाह माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-502-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	भटिगवां	4.0249 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका की जरमोहरा सबमाइनर एवं भटिगवां सब माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-503-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	मगरौरा	3.5585 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका की मगरौरा सबमाइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-507-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	गोबरी	9.7662 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका की जरमोहरा सबमाइनर एवं पिपरवाह सब माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-508-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	अमिलिया कला	0.9666 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका की देवरा माइनर के अंतर्गत बलरामपुर सब माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-510-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	गडौली	4.6585 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका की गडौली सब माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-511-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	मैनहा	1.3594 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवा वितरिका के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-512-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	मड़ई	30.7259 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कर्मांक-1 नागौद सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-522-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	नेमुआ	13.3507 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-523-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	जमुनिया 159	5.1568 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका एवं जमुनिया कला माइनर 1 के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-524-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	कोनिया धर्मपुरहन	1.2496 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका की खेरिया पैपखार माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-527-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	इटमा कोठार	3.9402 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सोनौरा उपशाखा नहर-2 की भडारी माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-528-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	कोनिया कोठार	4.6926 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका एवं खेरिया पैपखार माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-531-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	ओबरी कोठार	4.5089 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका एवं खेरिया पैपखार माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-533-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	शिवपुरंवा	6.3393 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका एवं दौरी उन्मूलन माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-534-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	लेदरा	9.3280 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका एवं मतरी पतौरा के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-535-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	कर्पवाह कोठार	2.0724 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका की चौरा माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-536-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	खलेसर	5.2338 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका एवं कुडिया माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-537-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	कोनिया पुरानिक	0.8591 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका की खेरिया पैपखार माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-538-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	गुडुहुरु	8.0905 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका एवं गुडुहुरु माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-539-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	कृष्णागढ़	15.3764 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका एवं करही वृत्त के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-540-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	खेरिया पैपखार	1.7732 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-543-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	लिलहा	7.8661 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका एवं गुड्डुहू माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-544-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	कुड़िया	8.6504 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका एवं कुड़िया माइनर-2 के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-545-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	चकेरा	11.4620 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनहा वितरिका एवं चकेरा माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-548-भू-अर्जन-23

सतना, दिनांक 15 मई 2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा और न ही करायेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	खूझा	5.9752	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (M0प्र0)	लगरगवां वितरिका के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-549-भू-अर्जन-23

सतना, दिनांक 15 मई 2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवासन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	बंदरहा	6.4500 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 सतना (M0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-550क-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	सहिजना कोठार	1.0403 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-551-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	बरा	1.2342 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका की जरमोहरा सब माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-552-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	सोनकाचर	1.8149 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (M0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका की जरमोहरा सब माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-554-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा और न ही करायेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	नोनगरा	2.9018	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क० 01 नागौद, जिला सतना (M0प्र0)	नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-556-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	मझटोलवा	2.6323 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका मगरौरा माइनर एवं मझटोलवा सबमाइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-557-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	तनाजा वंशीपुर	3.4078 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका की तनाजा माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-558-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	बलरामपुर	0.9185 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका की बलरामपुर सबमाइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-559-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	तमोरिया	3.7895 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका एवं मगरौरा माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-560-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	करसरा	3.2043 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (मोप्रो)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका की मगरौरा सबमाइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-561-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	तिलौरा	4.6178 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (मोप्रो)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका एवं पहाडी माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-562-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	अतरहरा	1.2375 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (मोप्रो)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-563-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	नरौरा	5.3214 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका की पहाडी माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-564-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	रामपुर बाघेलान	7.4898 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका एवं रामपुर बाघेलान माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-565-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	डुड़हा	8.4975 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनहा वितरिका एवं इटमा माइनर तथा डुड़हा माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-566-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	रामपुर मुड़वाह	2.8303 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनहा वितरिका के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-567-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	देवरी	5.1887 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनहा वितरिका एवं जुडहा माइनर एवं देवरी सबमाइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-568-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	खेरिया कोठार	2.9348 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-569-भू-अर्जन-23

सतना, दिनांक 16 मई 2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	असरार	6.9201 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (MOPRO)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका एवं बैजनहा वितरिका माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-570-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	जमुनिया 158	2.7720 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (MOPRO)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका एवं जमुनिया कला माइनर-2 के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-571-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	भड़ारी	3.9863 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (MOPRO)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनहा वितरिका माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-572-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	बिहरा कमांक-2	8.4744 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (MOPRO)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका, कुडिया माइनर 1 एवं कुडिया सबमाइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-573-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा और न ही करायेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	सहिजना उबारी	0.2464	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म0प्र0)	लगरगवां वितरिका के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-574-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा और न ही करायेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	सोहरिहा	0.4719	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म0प्र0)	लगरगवां वितरिका के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-575-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा और न ही करायेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी.	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	उरदना	1.8249	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क० 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)	लगरगवां वितरिका के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-576-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा और न ही करायेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	पिपरी कला	11.7139	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क० 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)	लगरगवां वितरिका के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-577-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	करुआ	6.1599	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ०मु० मैहर, जिला सतना (म०प्र०)	रीवा शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका की करुआ माइनर, मगरौरा सब माइनर एवं देवरा माइनर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-578-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	आमाटोला	5.1002	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ०मु० मैहर, जिला सतना (म०प्र०)	रीवा शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका की मगरौरा माइनर एवं जरमोहरा सब माइनर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-579-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	भेड़ा	24.4116	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन 40मु0 मैहर, जिला सतना (म0प्र0)	रीवा शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका, देवरा माइनर, तंजा माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-580-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	बरेठी	5.9257	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन 40मु0 मैहर, जिला सतना (म0प्र0)	रीवा शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका की जरमोहरा सब माइनर एवं गड़ौली सब माइनर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-581-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	देवरा	11.2651	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ०मु० मैहर, जिला सतना (म०प्र०)	रीवा शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका की देवरा माइनर एवं बलरामपुर सब माइनर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-582-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवासन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	टिकुरी	8.1147 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र-क्र.-583-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	कोनिया मोहनदास	0.5171 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (MOPRO)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत शीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका की खेरिया पैपखार माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग

क्र.-6-अ-82-2022-23-भू-अर्जन-झिरियाडोह-4500

बैतूल, दिनांक 3 मई 2023

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	चिचोली	झिरियाडोह	29.071	परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)	मोरंड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	गरबसिंग व. सुखराम, जाति कोरकू भूमि स्वामी	12	1.702	1.702
2	श्रीराम व. भूरेलाल, जाति कोरकू, भूमि स्वामी	13	1.619	1.619
		56	0.404	0.032
3	मंगल, फागू, फगना व. बब्बू, जाति कोरकू, भूमि स्वामी	16	0.405	0.195
		17	1.377	1.21
4	किसन, किशोरीलाल व. सम्मू, बिस्सो पुत्री सम्मू, जाति	58	0.909	0.909

	जाति कोरकू, भूमिस्वामी			
5	रामदास, रामविलास, कुडडा व. इमरत, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	57	0.545	0.545
6	देवजी व. समलू, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	4	1.068	1.068
		15	0.583	0.403
7	जुगनी पुत्री धनाराम, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	5	1.801	1.583
		7	0.162	0.162
		27	0.47	0.12
8	बिहारीलाल व. राधेलाल, रूखमा बेवा मोहनसिंग, तुगना, तुगना, दुजिया पुत्री प्यारेलाल	37	0.405	0.079
9	रामसिंह व. बिसना, रायसिंग, रमेश, बिसोरी, कस्तूरी, अंतरा, ना.बा. वली बिसना, बुद्ध व. बिरजलाल, बिरजलाल व. बिरजलाल, संतरी पुत्री बिरजलाल, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	6	0.121	0.121
		9	0.966	0.966
		14	1.437	0.924
		39	0.393	0.151
10	सखाराम व. दमडू, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	10	0.809	0.809
11	बज्जू व. भैयालाल, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	8	2.426	0.925
12	जुगनी पत्नी मंगूलाल, दुजिलय पत्नी सदोजी, बिहारी व. राधेलाल, जाति कोरकू भूमिस्वामी	11	0.902	0.902
13	बिहारीलाल व. राधेलाल, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	19	1.214	0.13
14	बिसराम, बिसनू व. किसना, रमोती बेवा किसना, हजारी हजारी व. कन्हैया, बुद्धो पुत्री कन्हैया, किशोरीलाल व. श्यामलाल, जुगिया बेवा श्यामलाल, दुल्लो, धुडू पुत्री श्यामलाल, कैलाश व. साबू, झबिया बेवा साबू, सुगरती, सुगंति, सुमनतारा पुत्री साबू, अशोक व. सरदार, चंद्रकली पुत्री सरदार, शिवकली पुत्री रामकली, रामकली पुत्री सरदार, रामसिंग, अमरसिंग, सुरेसिंग, पुनेसिंग, सूरतराम व. सागर, मुसिया बेवा सागर, मुन्नी पुत्री सागर, मंगली, कंगली पुत्री समलू, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	18	0.34	0.229
		33	0.85	0.85
		34	0.146	0.146
		32	0.555	0.54
		22	2.08	0.407
		68	0.324	0.301
		69	1.076	1.076
15	शिवप्रसाद व. चौबे, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	35	0.223	0.2
16	भूरी पुत्री रामा, श्यामू पुत्र सूका, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	31	0.117	0.107
17	श्यामलाल व. शिवलाल, रेवालाल, बुद्धो, कन्ना व. भादू, मुशीलाल, सुरतसिंग, रामसिंग व. छोटे, जुगनी, मुगिया पुत्री छोटे, बंसती, संतो, सनतिया, बिसन्या व. दादू, रमोती पुत्री मंगल, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	30	0.251	0.251
18	जगन्नाथ व. सालकराम, हीरालाल व. लिमिया, जाति चम्हार, भूमिस्वामी	28	0.162	0.065

19	घतरसिंग, अनारसिंग, विजेन्द्र, विजय व. छोटे, बैजी पुत्री पुत्री छोटे, छोटे व. रामबकस, समोती पुत्री रामबकस, परसू व. बुद्ध, ओझू, भोजू, मंगल, अमरसिंग व. मोरे, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	26	0.166	0.066
20	सुखलाल बुकलाल बुक्कू वल्द बज्जू, नर्मदा पुत्री रज्जू, मोहनसिंग व. रज्जू, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	38	0.267	0.057
21	कमला बेवा ब्रजलाल, अमरसिंग, सुरेसिंग व. ब्रजलाल, रामप्रसाद उरफ शिवप्रसाद, रामदयाल व. पतिराम, रामरती बेवा चिरोंजीलाल, डोंगरसिंग व. चिरोंजीलाल, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	75	0.283	0.283
22	प्रेमसिंग व. तेजीलाल, फुलवती बेवा रामसिंग, लक्ष्मण व. रामसिंग, वर्षा पुत्री रामसिंग, जाति कोरकू, भूमिस्वामी भूमिस्वामी	99	0.595	0.048
23	प्रेमसिंग व. तेजीलाल, फुलवती बेवा रामसिंग, लक्ष्मण व. रामसिंग, वर्षा पुत्री रामसिंग, जाति कोरकू, भूमिस्वामी भूमिस्वामी	100/1	2.034	0.024
24	अमरसिंग, जयसिंग, सुखराम व. बेजीलाल, मंगा, सुमरती पुत्री बेजीलाल, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	100/2	0.459	
25	कोदूलाल व. जंगली, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	100/3	1.586	
26	देवजी, श्रीराम, रामगोपाल, पिरथीलाल व. समलू, संतिया पुत्री समलू, मंतो संतो पुत्री समलू, जीरो बेवा रमलू, परसू, चम्पू व. रमलू, भगरई मांगो व. रमलू, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	101	3.586	3.586
27	रामलाल, सायबा, सदाराम, सोबू व. श्यामलाल, झर्रो पुत्री श्यामलाल, मुंगई, मुन्नी पुत्री श्यामलाल, रजली बेवा कारमू, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	103/1	3.742	2.382
28	देवजी, श्रीराम, रामगोपाल, पिरथीलाल व. समलू, संतिया, मंतो, संतो पुत्री समलू, जीरो बेवा रमलू, परसू, चम्पू व. रमलू, भगरई, मांगो पुत्री रमलू, जाति कोरकू भूमिस्वामी	103/2	0.155	
29	रामचरण व. भंगी, रमको पुत्री भंगी, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	105	1.781	0.91
		106	2.124	0.503
30	मंगल, मगलू, किसनलाल व. जग्गू, गजरी बेवा जग्गू, बसंती, तिपा, जग्गू, प्रेमसिंग, प्रयागसिंग व. मोतीराम, मुन्नी, चुन्नीलाल, चल्लूसिंग, चुलूमसिंग व. चैतू, बत्रूलला, बंदूलाल, सददलाल, छत्रपाल, पिरथीलाल चेताराम, सुरतराम व. सुक्कू, बतसिया, बिस्तोरी व. सुक्कू, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	166	5.326	1.082
31	ओझू व. मंदू, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	165	1.402	0.741

32	रुनिया बेवा बंतू, संतरी पुत्री बंतू, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	167	0.606	0.364
33	बट्टू पुत्र सुका, जाति कोरकू, भूमिस्वामी	168	2.023	0.298
योग			51.977	29.071

1 - चूंकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि मोरंड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तुत है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

अमनबीर सिंह बैस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी
भीकनगांव, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

क्र.-1910-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0053-ब-121-2022-23

भीकनगांव, दिनांक 2 मई 2023

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 248/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 ग्राम- पिपलाई बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव से ग्राम- बडिया तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 12, 22, 52 व 92 में जल परिवहन हेतु ग्राम- साईखेड़ी प.ह.नं.- 45, रा.नि.मं.-01, भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- साईखेड़ी प.ह.नं.- 45,	51/1	0.042
			51/2	0.050
			51/3	0.043
			52/10	0.016
			52/9	0.014

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- साईखेड़ी प.ह.नं.- 45,	52/8	0.011
			52/7	0.014
			52/6	0.033
			52/5	0.021
			52/4/1	0.014
			52/2	0.028
			52/4/2	0.014
			52/3	0.024
			52/1	0.024
			129/2	0.014
			130/2	
			129/1/1	0.052
			130/1/1	0.073
			129/1/3/2/1	0.063
			128/10	0.006
			128/15	0.006
			128/11	0.008
			128/12	0.007
			128/16	0.008
			128/14	0.007
			127	0.030
			124/1	0.025
			124/3	0.026
			124/4	0.028
			121/6	0.014
			121/5	0.010
121/4/1	0.014			
121/4/2	0.004			
121/3	0.023			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— साईखेड़ी प.ह.नं.— 45,	121/2/1	0.009
			121/2/2	0.008
			121/2/3	0.008
			121/1	0.033
			120	0.026
			119/2	0.020
			119/1	0.004
			118/1	0.036
			118/2	0.012
			117/2/1	0.002
			201	0.004
			110	0.008
			207	0.022
			109/2	0.027
			208	0.039
			109/1	0.025
			107/1/3	0.044
			107/1/2	0.045
			107/4	0.010
			107/3	0.013
			107/2	0.013
			105/2	0.070
			103/1/2	0.135
101/7	0.025			
101/9	0.021			
101/6 102/6	0.034			
101/8	0.020			
349/5	0.065			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- साईखेड़ी प.ह.नं.- 45,	349/4	0.046
			349/3	0.055
			349/2	0.041
			349/11	0.014
			349/10	0.023
			349/9	0.048
			349/3	0.020
			392/1	0.109
			389	0.086
			388/3	0.039
			388/2	0.034
			388/1	0.036
			354/6	0.026
			354/5	0.034
			354/4	0.029
			354/3	0.025
			378/1	0.079
			378/2	0.020
			357/5	0.077
			357/4	0.022
			362/8	0.031
			255/1	0.014
			255/4	0.019
			255/3	0.020
255/2	0.018			
390/1	0.063			
390/3	0.063			
386/10	0.051			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- साईखेड़ी प.ह.नं.- 45,	386/9	0.022
			386/8	0.042
			384/4	0.004
			36/3	0.010
			36/6	0.050
			36/4	0.060
			36/7	0.015
			36/1	0.055
			37/1	0.060
			38/2	0.032
			कुल योग	

क्र.-1912-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0052-ब-121-2022-23

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलाई बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव से ग्राम- बड़िया तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 43 में जल परिवहन हेतु ग्राम- कोदला जागीर प.ह.नं.- 44, रा.नि.मं.-01, भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- कोदला जागीर प.ह.नं.- 44,	85/1	0.100
			85/2	0.025
			84/1	0.065
			90/10	0.022
			91/10	0.022
			90/3/2 91/3/2	0.040

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- कोदला जागीर प.ह.नं.- 44,	90/3/3	0.015
			96/1	0.078
			96/2	0.025
			96/4/1	0.025
			96/4/2	0.006
			96/5	0.040
			103/4	0.040
			103/3/1	0.020
			103/3/2	0.015
			103/2/1/1	0.020
			103/2/1/2	0.015
			103/2/2	0.003
			95/1/3	0.030
			105/2	0.075
कुल योग			13	0.659

क्र.-1914-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-04-अ-82-2022-23

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1772/भू-अर्जन/री-1/2022, भीकनगांव, दिनांक 15.12.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 ग्राम- पिपलाई बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव से ग्राम- बडिया तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- जेतगढ़, प.ह.नं.- 42, रा.नि.मं.-01, भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- जेतगढ़, प.ह.नं.- 42,	6	0.006
			77/1	0.024
			77/2	0.036
कुल योग			03	0.066

क्र.-1916-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0051-ब-121-2022-23

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 290/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम- बडिया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-71, 81 व 98 में जल परिवहन हेतु ग्राम- तेड़, प.ह.नं.- 100, रा.नि.मं.-02, चैनपुर, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्या कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- तेड़, प.ह.नं.- 100	27	0.020	
			28		
			29/1		0.064
			38		
			35		
39	0.072				

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- तेड़, प.ह.नं.- 100	77/4	0.010
			180/5	0.023
			77/3	0.008
			78/2	0.020
			254/4	0.004
			79	0.030
			71	0.034
			83/1	0.019
			77/2	0.008
			1/1	0.078
			1/2	0.038
			1/3	0.026
			170/1	0.032
			174	0.042
			177/2	0.006
			178/1	0.016
			179/1	0.008
			179/3	0.023
			178/2	0.019
			179/2	0.017
			180/4	0.023
			182/4	0.033
			182/5	0.033
259/1	0.110			
256/1	0.067			
254/1	0.018			
254/2	0.018			
254/3	0.012			
कुल योग			32	1.003

क्र.-1918-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0054-ब-121-2022-23

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 254/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-03, 48, 58, 65, 80 एवं 86 में जल परिवहन हेतु ग्राम- नरगांव, प.ह.नं.- 97, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- नरगांव, प.ह.नं.- 97,	17/1/1	0.032
			18/1/1	0.035
			18/1/3	0.100
			14/1/1	0.014
			14/1/2	0.014
			19/2	0.051
			14/2	0.005
			21/1	0.040
			21/2	0.166

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— नरगांव, प.ह.नं.— 97,	23/1/1/1/2	0.044
			23/1/1/1	0.056
			30/1	0.023
			26/1/1/1	0.015
			30/2	0.020
			30/3	0.003
			31/1	0.082
			31/2	0.008
			108/1	0.016
			108/4	0.026
			109/1	0.039
			109/3	0.021
			110/1	0.038
			110/2	0.023
			113	0.030
			107/1	0.049
			114/1	0.032
			125/6/2	0.056
			124/2/1/2	0.052
			124/1	0.043
			124/2/1/1	0.004
			124/3	0.062
			122/2	0.046
			123/3/3	0.005
			123/3/4	0.032
			140/5	0.062
			140/3	0.156
			140/2	0.029
			140/1	0.103
			155/2	0.020
			155/1	0.097
			160/2	0.021
179/1	0.008			
179/2	0.098			
178/2	0.004			
178/4	0.018			
178/3	0.037			
175/3	0.028			
175/2	0.033			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- नरगांव, प.ह.नं.- 97	174/8	0.032
			174/3	0.066
			174/7	0.045
			174/1/2	0.031
			83/2	0.086
			322/1/1	0.002
			323/2	0.048
			323/1	0.024
			330	0.020
			314/1/3	0.002
			336/3	0.051
			314/1/2	0.011
			314/1/1	0.030
			314/2/1	0.036
			314/2/2	0.020
			314/2/3	0.009
			314/2/4	0.011
			314/2/5	0.021
			421	0.120
			114/2	0.019
			124/2/2/2/1	0.034
			124/2/2/2/2	0.027
			119/1	0.044
			119/2	0.037
			120/4	0.032
			120/3	0.034
			143	0.141
			144/5	0.048
			146/1	0.007
			150/1/1	0.065
			154/1	0.052
			154/2	0.040
154/3	0.035			
154/4	0.044			
150/1/3	0.040			
204/3/4	0.010			
25/2	0.004			
24/1	0.005			
21/3/2	0.005			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- नरगांव, प.ह.नं.- 97	23/1/1/1/1	0.041
			23/3	0.012
			23/1/2/3	0.012
			23/1/1/ख	
			23/2/2/1	0.012
			23/1/1/2/क	0.021
			41/2	0.050
			41/4	0.032
			41/3	0.026
			36/1	0.112
			40/2	
			36/2	0.032
			83/3	0.012
कुल योग			91	3.746

मिलिन्द ढोके, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2023

क्रमांक IPI/8/0001/2023-11A-11(IPI) :: बायलर एक्ट 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन, मेसर्स सासन पॉवर लि., सासन, तहसील-बैढन, जिला-सिंगरौली, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4946 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के प्रवर्तन से दिनांक 04/04/2024 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:-

1. संर्दभाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर, मध्यप्रदेश, भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी ।
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर, मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संर्दभाधीन बायलर को किसी प्रकार का संरचानत्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा ।
3. संर्दभाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी ।
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा ।
5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम 1950 के विनियम 385.क के अपेक्षानुसार संर्दभाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी ।
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है।
7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, अपर सचिव.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

क्र. 2329-वि.यो.-644-बालाघाट-नग्रानि-2023

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बालाघाट निवेश क्षेत्र के लिए बालाघाट विकास योजना, 2035 का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा-18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- <https://mptownplan.gov.in/LU-panel/Chhindwara/Balaghat2035D.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं :-

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर, म.प्र.
2. कलेक्टर, जिला बालाघाट, म.प्र.
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद बालाघाट म.प्र.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय बालाघाट, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप बालाघाट विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, बालाघाट या ई-मेल आईडी obj-sugg-balaghat@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

मुकेश चन्द गुप्ता, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक.

No. 2329-D.P.-644-Balaghat-TCP-2023

Bhopal, the 12th May 2023**NOTICE**

Notice is hereby given that the Balaghat Development Plan, 2035 for Balaghat Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub section (2) of section 23 read with sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website:—

<https://mptownplan.gov.in/LU-panel/Chhindwara/Balaghat2035D.pdf> and at following offices during office hours namely -

1. Commissioner, Jabalpur Division, Jabalpur, M.P.
2. Collector, District- Balaghat, M.P.
3. Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Balaghat.
4. Assistant Director, Town and Country Planning, District office, Balaghat.


If there be any objection or suggestion with respect to the said - Balaghat Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Assistant Director, Town and Country Planning, Balaghat or mail on Email-id- **obj-sugg-balaghat@mp.gov.in** before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

MUKESH CHAND GUPTA, OSD-Cum-Commissioner-Cum-Director.



बालाघाट

विकास योजना 2035 (प्रारूप)



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश

बालाघाट

विकास योजना 2035 (प्रारूप)

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973
के प्रावधानान्तर्गत प्रकाशित



संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

प्रस्तावना

बालाघाट जिला मुख्यालय नगर प्रदेश के दक्षिण में एवं महाराष्ट्र की सीमा से लगकर राष्ट्रीय राज्य मार्ग क्रमांक 543 पर स्थित हैं। बालाघाट सतपुड़ा श्रृंखला के मध्य स्थित हैं। तथा चारों ओर वन एवं खनिज संपदा से ओतप्रोत हैं। नगर के समीप रमणीय एवं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रामपायली में भव्य राम भगवान का प्राचीन मंदिर स्थित हैं। एवं ग्राम लामटा में नरसिंहा पहाड़ी के ऊपर मंदिर में नरसिंह भगवान की प्रतिमा स्थापित हैं। बालाघाट नगर रेल मार्ग से जबलपुर कटंगी एवं गोंदिया होते हुए भोपाल एवं दिल्ली से सीधे जुड़े हुए हैं। साथ ही यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं व्यावसायिक नगर है।

बालाघाट विकास योजना, 2021 म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-19(1) के अंतर्गत म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-56-2005-बत्तीस, भोपाल दिनांक 03.05.2006 द्वारा अंगीकृत की जाकर दिनांक 23.05.2006 से प्रभावशील की गई है। वर्तमान में नगर की विकास योजना का पुनर्विलोकन कर बालाघाट विकास योजना, 2035 प्रारूप का प्रकाशन किया जा रहा है।

नगर का बहुआयामी केन्द्र के रूप में विकास करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुये बालाघाट विकास योजना, 2035 (प्रारूप) 3.50 लाख की अनुमानित जनसंख्या हेतु तैयार की गयी है। विकास योजना में आवासीय, वाणिज्यिक, मिश्रित, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, आमोद-प्रमोद, परिवहन एवं नगरीय अधोसंरचना के उन्नयन के प्रस्ताव दिये गये हैं। इस विकास योजना में पारंपरिक भूमि उपयोग निर्धारित करते हुये नगरके अलावा आवश्यकता के अनुरूप मिश्रित उपयोग भी प्रस्तावित किया गया है।

इस योजना को तैयार करने में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया गया है। सर्व साधारण एवं संस्थाओं से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रारूप योजना प्रकाशित की जा रही है। मुझे आशा है कि नागरिक गण अपने व्यवहारिक एवं सृजनशील एवं रचनात्मक सुझावों को प्रस्तुत करेंगे, ताकि उनके सक्रिय योगदान से इस योजना को अंतिम रूप देकर और प्रभावशील किया जा सके।

मुकेश चन्द गुप्ता, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक.

योजना दल

संयुक्त संचालक
आर. के. सिंह
डॉ. अमित कुमार गजभिये

उप संचालक (प्रभारी)
विनोद कुमार परस्ते

सहायक संचालक
इन्दु त्रिपाठी

कर्मचारीगण

आनन्द मालवीय
शैलेन्द्र कुशवाहा
अमित मरावी
संध्या अहाके

अरविंद सक्सेना
अनिल सक्सेना
सर्वेश पिडिहा
सरिता ठाकुर
मानसी गुज्जेवार

म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (LU&USD) का दल

डॉ. विवेक कटारे
प्रमुख भूमि उपयोग एवं शहरी सर्वेक्षण प्रभाग
सुदूर संवेदन केन्द्र एम.पी.सी.एस.टी

सैय्यद अकरम अली
रिसर्च एसोसिएट

डॉ. जगदीश पलसावदिया
रिसर्च एसोसिएट

डॉ. किशोर सोनवणे
रिसर्च एसोसिएट

संतोष कुमार
सीनियर रिसर्च फेलो

ऋषभ सक्सेना
साफ्टवेयर डेवलपर

विषय सूची

प्रस्तावना	
योजना दल	
विषय सूची	
सारणी सूची	
मानचित्र सूची	
अध्याय-1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ	

1.1 नगर परिचय	
1.1.1 स्थिति	
1.1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	
1.1.3 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ	
1.1.4 नगर विकास का क्रम	

1.2 भौतिक स्वरूप	
1.2.1 भू-आकृति	
1.2.2 जलवायु	
1.2.3 खनिज संपदा	

1.3 नियोजन हेतु प्रयास	
1.4 नियोजन के उद्देश्य एवं लक्ष्य	
1.5 निवेश क्षेत्र	
1.5.1 नगर पलिका क्षेत्र	

1.6 नगर के प्रमुख क्रियाकलाप	
1.6.1 उपक्षेत्रीय नगर	
1.6.2 जिला मुख्यालय केन्द्र	
1.6.3 शिक्षा एवं सांस्कृतिक केन्द्र	
1.6.4 वाणिज्यिक तथा औद्योगिक केन्द्र	

अध्याय-2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण.

2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग	
--	--

2.1.1	योजना.....
2.1.2	सुदूर संवेदन.....
2.1.3	भौगोलिक सूचना प्रणाली.....
2.2	विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली.....
2.2.1	उद्देश्य.....
2.2.2	कार्यप्रणाली.....
2.2.3	जनसंख्या आंकलन पद्धति.....
2.3	मानकों की व्याख्या.....
2.3.1	थिमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping).....
2.3.1.1	यातायात संरचना.....
2.3.1.2	भूमि उपयोग/भूमि अच्छादन.....
2.3.1.3	ढलान.....
2.3.1.4	मृदा.....
2.3.1.5	जलाशय.....
2.3.1.6	भूजल स्तर.....
2.3.1.7	भूकम्प आपदा परिक्षेत्र.....
2.3.1.8	भूमि मूल्य.....
2.3.1.9	ग्राम/वार्ड सीमा.....
2.3.1.10	भू-आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड.....
2.3.1.11	जल स्रोत बफर.....
2.3.1.12	भूमि अवक्रमण.....
2.3.1.13	मार्ग संरचना बफर.....
2.4	नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता.....
2.4.1	नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता विकल्प.....
2.5	भूमि उपयोग का आवंटन.....
अध्याय-3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण.....	
3.1	विकास योजना 2011 क्रियान्वयन परिदृश्य.....
3.2	विकास योजना 2011 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन.....
3.2.1	आवासीय.....

- 3.2.2 वाणिज्यिक.....
- 3.2.3 मिश्रित.....
- 3.2.4 औद्योगिक.....
- 3.2.5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक.....
- 3.2.6 सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं.....
- 3.2.7 आमोद-प्रमोद.....
- 3.2.8 यातायात एवं परिवहन.....
- 3.2.9 जलाशय.....
- 3.3 विकास योजना में उपांतरण.....
- 3.4 असंगत एवं आकार्यक्षम भूमि उपयोग.....
- 3.5 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण.....
- 3.5.1 निवेश क्षेत्र की जनसंख्या.....
- 3.5.1.1 वार्ड वार जनसंख्या.....
- 3.5.1.2 जनसंख्या घनत्व.....
- 3.5.2 जनसंख्या लिंगानुपात.....
- 3.5.3 शिशु जनसंख्या.....
- 3.5.4 साक्षरता.....
- 3.5.5 अनुसूचित जाति.....
- 3.5.6 अनुसूचित जनजाति.....
- 3.5.7 कार्यशील जनसंख्या.....
- 3.6 नगरीय विस्तार.....
- 3.7 गंदी बस्तियाँ.....
- 3.8 अनुमानित जनसंख्या.....
- 3.9 आवास आवश्यकता.....
- 3.10 भौतिक अधोसंरचना.....
- 3.10.1 जल प्रदाय.....
- 3.10.1.1 मांग का आकलन एवं जल प्रदाय स्रोत.....
- 3.10.2 नालियां तथा मल उपचार.....
- 3.10.2.1 अपशिष्ट जल प्रवाह.....
- 3.10.2.2 वर्षा जल निकासी.....
- 3.10.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन.....
- 3.10.4 विद्युत प्रदाय.....
- 3.11 सामाजिक अधोसंरचना.....
- 3.11.1 अग्निशमन.....

3.11.2	पुलिस कार्यालय.....
3.11.3	वाचनालय.....
3.11.4	श्मशान घाट / कब्रिस्तान.....
3.11.5	धोबी घाट.....
3.11.6	दूरसंचार.....
3.11.7	सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं.....
3.11.8	गैस वितरण सेवा.....

अध्याय-4 विकास योजना 2035 के प्रस्ताव.....

4.1	विकास योजना 2011 का पुनर्विलोकन.....
4.2	योजना अवधारणा.....
4.3	विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता.....
4.4	विकास योजना 2035 के प्रस्ताव.....
4.4.1	आवासीय.....
4.4.2	वाणिज्यिक.....
4.4.3	मिश्रित.....
4.4.4	औद्योगिक.....
4.4.5	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक.....
4.4.6	सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें.....
4.4.7	आमोद प्रमोद.....
4.4.8	यातायात एवं परिवहन.....
4.5	निवेश इकाईयाँ.....
4.5.1	क्षेत्रफल वितरण.....
4.6	मध्यवर्ती क्षेत्र.....
4.7	अनौपचारिक वर्ग.....
4.8	गंदी बस्ती क्षेत्र.....
4.9	पुनर्विकास नीति.....
4.10	ग्राम आबादी विस्तार.....
4.11	कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान.....
4.12	असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना.....
4.13	कार्यकेन्द्र.....
4.14	व्यापार एवं वाणिज्यिक.....
4.15	नगर स्तरीय वाणिज्यिक केन्द्र.....
4.16	कार्यालय.....

अध्याय-5 प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना.....

- 5.1 यातायात संरचना.....
- 5.2 यातायात की वर्तमान स्थिति.....
- 5.3 प्रस्तावित यातायात प्रणाली.....
 - 5.3.1 क्षेत्रीय/बायपास मार्ग.....
 - 5.3.2 मुख्य नगरीय मार्ग.....
 - 5.3.3 खण्ड स्तरीय मार्ग एवं उपखण्ड स्तरीय मार्ग.....
 - 5.3.4 स्थानीय मार्ग.....
- 5.4 मार्गों की चौड़ाई.....
 - 5.4.1 मार्ग संगम, तिराहा एवं चौराहा सुधार.....
 - 5.4.2 बस स्थानक.....
 - 5.4.3 वाहन विराम केन्द्र.....

अध्याय-6 विकास नियमन.....

- 6.1 प्रवृत्तशीलता.....
- 6.2 क्षेत्राधिकार.....
- 6.3 परिभाषायें.....
- 6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र.....
 - 6.4.1 आवासीय उपयोग परिक्षेत्र.....
 - 6.4.1.1 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन.....
 - 6.4.1.2 वर्तमान आवासीय क्षेत्र.....
 - 6.4.1.3 आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड.....
 - 6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र.....
 - 6.4.2.1 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र.....
 - 6.4.2.2 वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियां.....
 - 6.4.3 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र.....
 - 6.4.4 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र.....
 - 6.4.4.1 मिश्रित उपयोग.....
 - 6.4.4.2 मिश्रित उपयोग नियमन.....
 - 6.4.4.3 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत.....
 - 6.4.4.4 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्तें.....

- 6.4.5 सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक.....
- 6.4.6 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदण्ड.....
- 6.5 अन्य नियमन.....**
- 6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन.....
- 6.5.2 बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण.....
- 6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा.....
- 6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान.....
- 6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र के मानक.....
- 6.5.6 यातायात नगर/मैकेनिक नगर/लॉजिस्टिक हब/निजी बस स्थानक.....
- 6.5.7 शॉपिंग मॉल/खुला मॉल.....
- 6.5.8 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन.....
- 6.5.9 होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लाजिंग/बोर्डिंग.....
- 6.5.10 मैरिज गार्डन.....
- 6.5.11 बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल.....
- 6.5.12 शीतकेन्द्र/वेयर हाउस/गोदाम/अन्य भण्डारण.....
- 6.5.13 छविगृहों के लिए मापदण्ड.....
- 6.5.14 मल्टीप्लेक्स.....
- 6.5.15 उद्यान.....
- 6.5.16 बायपास मार्ग पर स्वीकृत गतिविधियों हेतु मानक.....
- 6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन.....**
- 6.7 उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां.....**
- 6.8 मू- उपयोग में स्वीकृत परिसर के नियमन.....**
- 6.9 अन्य सुविधाएँ.....**
- 6.10 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया.....**
- अध्याय-7 विकास योजना क्रियान्वयन.....**
- 7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन.....**
- 7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति.....**
- 7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम.....**
- 7.3.1 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व.....**
- 7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना.....**
- 7.4.1 नियंत्रित विकास.....**

7.4.2	अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन.....
7.4.3	एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना.....
7.5	विकास नियमन व्यापक दृष्टिकोण.....
7.6	योजना एवं कार्यक्रम
7.6.1	संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व.....
7.7	प्रथम चरण के घटक
7.8	प्रथम चरण कार्यक्रम
7.9	संसाधन गतिशीलता.....
7.10	योजना पर्यवेक्षण तंत्र.....
7.11	योजना की व्याख्या
7.11.1	योजना कालावधि.....
	परिभाषाएँ
	परिशिष्ट 1
	परिशिष्ट 2.....
	परिशिष्ट 3.....
	परिशिष्ट 4.....
	परिशिष्ट 5.....
	परिशिष्ट 6.....
	परिशिष्ट 7.....
	परिशिष्ट 8.....
	परिशिष्ट 9.....
	परिशिष्ट 10.....

सारणी सूची

सारणी 1.1	बालाघाट नगर से प्रमुख नगरों की दूरी.....
सारणी 1.2	खनिज संपदा.....
सारणी 1.3	निवेश क्षेत्र.....
सारणी 1.4	नगर पालिक परिषद्, बालाघाट वार्ड एवं जनसंख्या.....
सारणी 2.1	उपग्रह चित्रों के मानक.....
सारणी 2.2	स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब-क्लासेस.....
सारणी 2.3	भू-स्थानक डाटा.....
सारणी 2.4	बिल्डिंग फुटप्रिंट.....
सारणी 2.5	ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल.....
सारणी 2.6	मृदा विश्लेषण.....
सारणी 2.7	लिथोलॉजी.....
सारणी 2.8	जलाशयों का वर्गीकरण.....
सारणी 2.9	भू-जल विवरण.....
सारणी 2.10	सीमाओं का वर्गीकरण.....
सारणी 2.11	जिओमोरफोलॉजी.....
सारणी 2.12	जल स्रोत बफर क्षेत्रफल.....
सारणी 2.13	भूमि अवक्रमण.....
सारणी 2.14	मार्ग संरचना बफर.....
सारणी 2.15	कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल -1 के लिए वेटेड इंडेक्स.....
सारणी 2.16	कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल -2 के लिए वेटेड इंडेक्स.....
सारणी 2.17	कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल -3 के लिए वेटेड इंडेक्स.....
सारणी 2.18	Land Suitability Area.....
सारणी 3.1	विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन*.....
सारणी 3.2	यातायात एवं परिवहन विकास.....
सारणी 3.3	जलाशय.....
सारणी 3.4	भूमि उपयोग उपांतरण.....
सारणी 3.5	असंगत भूमि उपयोग की पुर्नस्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग.....
सारणी 3.6	निवेश क्षेत्र की जनसंख्या.....
सारणी 3.7	दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत).....
सारणी 3.8	वार्ड वार जनसंख्या घनत्व विवरण.....
सारणी 3.9	वार्ड अनुसार जनसंख्या घनत्व विश्लेषण.....
सारणी 3.10	पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या.....
सारणी 3.11	जनसंख्या लिंगानुपात.....
सारणी 3.12	वार्ड अनुसार लिंगानुपात.....

- सारणी 3.13 शिशु जनसंख्या एवं लिंगानुपात.....
- सारणी 3.14 वार्ड अनुसार शिशु जनसंख्या.....
- सारणी 3.15 वार्ड अनुसार शिशु लिंगानुपात.....
- सारणी 3.16 साक्षर जनसंख्या एवं प्रतिशत.....
- सारणी 3.17 वार्ड अनुसार साक्षरों की जनसंख्या.....
- सारणी 3.18 अनुसूचित जाति महिला-पुरुष की जनसंख्या.....
- सारणी 3.19 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या.....
- सारणी 3.20 वार्ड अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या.....
- सारणी 3.21 कुल श्रमिकों की तुलना में मुख्य श्रमिकों का अनुपात (प्रतिशत).....
- सारणी 3.22 नगरीय विस्तार एवं वार्डों की संख्या.....
- सारणी 3.23 बालाघाट निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या (वर्ष 2035).....
- सारणी 3.24 वर्ष 2020 अनुसार आवास आवश्यकता.....
- सारणी 3.25 जल आपूर्ति आकलन.....
- सारणी 4.1 बालाघाट निवेश क्षेत्र का प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035.....
- सारणी 4.2 निवेश इकाईयों का विवरण.....
- सारणी 4.3 असंगत भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग.....
- सारणी 5.1 वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई.....
- सारणी 5.2 प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई.....
- सारणी 5.3 मार्ग संगमों का सुधार.....
- सारणी 6.1 मुख्य उपयोग परिक्षेत्र.....
- सारणी 6.2 आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड.....
- सारणी 6.3 आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र.....
- सारणी 6.4 वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड.....
- सारणी 6.5 वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक.....
- सारणी 6.6 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों का वर्गीकरण एवं फर्शी क्षेत्रानुपात.....
- सारणी 6.7 सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास मापदण्ड.....
- सारणी 6.8 सामुदायिक सुविधाओं/सेवाओं हेतु नियमन.....
- सारणी 6.9 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान.....
- सारणी 6.10 उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियाँ.....
- सारणी 6.11 उपयोग परिसर के नियोजन मापदण्ड एवं नियंत्रण.....
- सारणी 7.1 योजना क्रियान्वयन की लागत.....
- सारणी 7.2 प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक.....
- सारणी 7.3 प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत.....

मानचित्र सूची

मा. क्र.	शीर्षक
1.1	Regional Setting
1.2	Location Map of Planning Area
1.3	Planning Area
2.1	Digital Elevation Model
2.2	Building Footprint
2.3	Contour
2.4	Slope
2.5	Lithology
2.6	Soil Texture
2.7	Groundwater Prospects
2.8	Earthquakes Zones
2.9	Land Value
2.10	Government Land
2.11	Geomorphology
2.12	Waterbody Buffer
2.13	Land Degradation
2.14	Road Buffer
2.15	Land Suitability (Model-1)
2.16	Land Suitability (Model-2)
2.17	Land Suitability (Model-3)
3.1	Existing Landuse
3.2	Ward Map
3.3	Ward Wise Population Density
3.4	Ward Wise Sex Ratio
3.5	Ward Wise Child Population (0-6)
3.6	Ward Wise Child Sex Ratio
3.7	Ward Wise Literacy
3.8	Ward Wise SC/ST Population
3.9	Ward Wise Work Participation
3.10	Urban Sprawl
3.11	EXISTING OVER HEAD TANK
3.12	BUS STOP
3.13	Existing ATM
3.14	Existing Community Toilet
4.1	DEVELOPMENT PLAN (DRAFT 2035)
4.2	Planning Unit
5.1	Existing Transport Network
5.2	Proposed Transport Network
7.1	First Phase Implementation

अध्याय-1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ

1.1 नगर परिचय

1.1.1 स्थिति

बालाघाट जिला मुख्यालय नगर महाराष्ट्र की सीमा पर मध्यप्रदेश के दक्षिणी भाग में 21° 19' उत्तरी अक्षांश एवं 79° 39' पूर्वी देशांश के बीच राज्यमार्ग पर स्थित है। यह नगर प्रदेश की राजधानी भोपाल से 451 कि०मी०, छिन्दवाड़ा से 160 कि०मी०, सिवनी से 90 कि०मी०, जबलपुर से 240 कि०मी० एवं महाराष्ट्र के नागपुर से 220 कि०मी० की दूरी पर है तथा जबलपुर राजस्व संभाग के अंतर्गत आता है, नगर बड़ी रेल लाईन द्वारा सिवनी-जबलपुर तथा गोंदिया से जुड़ा है।

आज जिसे बालाघाट नगर के नाम से जाना जाता है वह वास्तव में बुठा ग्राम है, जो बुढी ग्राम के साथ मिलकर "बालाघाट नगर" बना। आज भी पुराने दस्तावेज और नजूल में बुढा ही लिखा पाया जाता है। बैनगंगा यहां की प्रमुख नदी है जो निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर से बहती है।

1.1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाये तो बालाघाट से उकवा तक 21 मील लम्बा एशिया का सबसे लम्बा रोपवे था जो 1996 के उपरान्त मायल द्वारा खत्म कर दिया गया। बालाघाट जिले में लांजी नाम स्थल अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसका संबंध कलचुरी राजवंश से बताया जाता है। यहां कोटेश्वर महादेव का एक प्राचीन मंदिर है जो घने जंगल में स्थित है। नगर से 23 कि०मी० दक्षिण में स्थित बुट्टा स्थान पर गोंड राजाओं द्वारा निर्मित बावली है, जिसका गुप्त मार्ग लांजी एवं नागपुर तक जाता है। नगर से 46 कि०मी० दूर ग्राम लामटा है तथा वहां से एक कि०मी० की दूरी पर पश्चिम की ओर नरसिंगा पहाड़ी के ऊपर मंदिर में नरसिंह भगवान की भव्य प्रतिमा है। नगर से 50 कि०मी० पर बसा रामपायली एक ऐतिहासिक स्थल है। यहां चंदन की नदी पर एक भव्य मंदिर है उसमें हनुमान का एक पैर पाताल में है। इस पैर का अंत कहां है, यह ज्ञात करने पर भी पता नहीं चला इसके अतिरिक्त देवडोंगरी में दर्शनीय संग्रहालय है।

1.1.3 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ

मानवीय बसाहट के कार्य में वृद्धि एवं विकास का संबंध उस क्षेत्र में स्थित स्थान के प्रभाव क्षेत्र पर निर्भर करता है। अतः उस क्षेत्र के परस्पर संबंधों के बारे में विचार करना आवश्यक है। इस हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत म०प्र० शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/49/2610/2-49/तैंतीस/73, भोपाल दिनांक 22.10.1973 के द्वारा प्रदेश को आठ रीजन में विभाजित किया गया है।


सारणी 1.1 बालाघाट नगर से प्रमुख नगरों की दूरी

क्रमांक	नगर	छिन्दवाडा से दूरी (कि.मी. में)
1	2	3
1	भोपाल	451
2	जबलपुर	240
3	नागपुर	220
4	सिवनी	90

1.1.4 नगर विकास का क्रम

बालाघाट नगर में सन् 1700 से 1965 के मध्य हुए प्रमुख निर्माण का विवरण निम्नानुसार है :-

1. राम मंदिर — सन् 1867
2. बठा ग्राम — सन् 1873
3. मेन बोर्ड प्राथमिक शाला — सन् 1876
4. नगर पालिका परिषद् — सन् 1877
5. ए0व्ही0एम0एस0 गवर्मेन्ट स्कूल — सन् 1900
6. मेपोडिस्ट चर्च — सन् 1903
7. गोंदिया-नैनपुर नेरोगेज — सन् 1904
8. गुजरी चौक — सन् 1915
9. गांधी चौक — सन् 1920
10. कलेक्टर निवास — सन् 1945
11. जय स्तंभ — सन् 1947
12. जन संपर्क कार्यालय — सन् 1962
13. कामर्स साईंस कालेज — सन् 1965
14. पॉलिटैक्निक कालेज — सन् 1972
15. जिला जनकल्याण धर्मशाला — सन् 1976
16. बालाघाट इंग्लिश हाईस्कूल — सन् 1977
17. महिला छात्रावास — सन् 1984
18. बैनगंगा पुल — सन् 1988
19. जिला न्यायालय भवन — सन् 1989
20. स्वाधीनता संग्राम सेनानी स्मारक पार्क— सन् 2001



1.2.1 मू-आकृति

जिनका निर्धारित मुख्यतः भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से किया गया है तदनुसार बालाघाट वन एवं खदानों वाले "सतपुड़ा प्रदेश" के अन्तर्गत आता है तथा उक्त क्षेत्र में बालाघाट छिन्दवाड़ा, सिवनी तथा बैतूल जिले सम्मिलित है। नगर राज्यमार्ग एवं बड़ी लाईन रेलमार्ग से जुड़ा होने के कारण प्राकृतिक खनिज संपदा, क्षेत्रीय व्यापार एवं परिवहन का मुख्य केन्द्र है।

1.2.2 जलवायु

किसी भी स्थल की जलवायु वहां के निवासियों की गतिविधियों को नियत करती है उसी के आधार पर नगरीय जीवन एवं उसके कार्यकलाप संचालित होते हैं। यहां की जलवायु ग्रीष्म ऋतु में गर्म तथा शीत ऋतु में ठंडी रहती है।

बालाघाट नगर का अधिकतम तापमान 45° सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम 18° सेंटीग्रेड रहता है। वर्षाकाल में अधिकतम औसतन वर्षा 1672 मिलीमीटर एवं न्यूनतम 1602 मिलीमीटर दर्ज की गई है। नगर की जलवायु को अच्छा बनाने के लिए पहाड़ियों, नालों के किनारे आबादी क्षेत्रों में पौधारोपण की आवश्यकता है। नगर में दक्षिण-पश्चिम मानसून के समय हवा दक्षिण-पश्चिम दिशा में बहती है। अक्टूबर से फरवरी में हवा उत्तर से पूर्व बहती है तथा गर्मियों में हवा की दिशा उत्तर एवं उत्तर-पूर्व से रहती है। पिछले कुछ वर्षों से नगर के तापमान में वृद्धि पाई गई तथा वर्षा कम हुई। प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना करते समय वायु प्रवाह की दिशा एवं वायु प्रवाह की गति का ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

1.2.3 खनिज संपदा

बालाघाट मूल्यवान खनिज तथा वन सम्पदा से परिपूर्ण है, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के मूल्यवान खनिज जैसे- मैगनीज, बाक्सआईट, तांबा, चूना पत्थर इत्यादि बहुतायत से मिलते हैं। भवन निर्माण सामग्री जैसे- संगमरमर, लीमेनाईट, ग्रेनाईट, इत्यादि भी यहां पाये जाते हैं।

सारणी 1.2 खनिज संपदा

क्रमांक	खनिज	स्थिति	नगर से दूरी	उपयोग
1	2	3	4	5
1	तांबा	बिरसा ग्राम (मलाजखण्ड)	65.0 कि०मी०	विद्युत उपकरण, मोटर पार्ट्स, भवन, टेलीग्राफ, रेडियों

2	बाक्सार्डिट	उकवा, रूपघाट, समनापुर, सोनपुरी, बैहर	10.0 कि०मी०	रसायन
3	मैंगनीज	उकवा, तिकोडी, लगुर, मानेगांव, खैरी	11.0 कि०मी०	स्टील के उत्पादन भवन
4	चूना पत्थर	गोवरी, मानपुर, जंगला	21.0 कि०मी०	सीमेंट उद्योग, लोहा एवं स्टील उद्योग
5	अभ्रक	बम्हनी, सीताडोंगरी, हराभाट	36.0 कि०मी०	ताप अवरोधक पदार्थ के रूप में
6	संगमरमर	सियावानी एवं फोलानी	52.0 कि०मी०	भवन उद्योग, टाईल्स
7	ग्रेस	सीताडोंगरी, लीलामेटा, टीपागढ़	47.0 कि०मी०	पुताई रंग बनाने में
8	इमारती पत्थर	भम्बरा, देवगांव, अनसेरा	67.0 कि०मी०	डोलोमाईट ग्रेनाईट भवन, उद्योग में
9	लोहा	बैहर तहसील के पास बहरा	67.0 कि०मी०	भवन निर्माण उद्योग में




1.3 नियोजन हेतु प्रयास

बालाघाट नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, वर्ष 2035 की आवश्यकताओं को आधार मानकर सुनियोजित विकास योजना के प्रस्ताव सृजित किए गए हैं। इन योजना प्रस्तावों में नगर के अनुरूप आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवाएँ, आमोद-प्रमोद, यातायात एवं परिवहन के साथ ही नगर की अधोसंरचना के प्रस्ताव दिए गए हैं। यह योजना वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 3.50 लाख को आधार मानकर तैयार की गई है एवं तदनुसार ही यातायात एवं अधोसंरचना के उन्नयन को भी ध्यान में रखा गया है।

1.4 नियोजन के उद्देश्य एवं लक्ष्य

नियोजन की अवधारणा में समयानुसार बदलाव आया है, विकास योजना तैयार करना, अब संतुलित विकास पर केन्द्रित है। बालाघाट विकास योजना 2035 तैयार करते समय योजना की रूपरेखा एवं मानकों के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक आँकड़ों का संकलन

1.2 Balaghat : Location Map



Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal

Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

एवं विश्लेषण कर प्रस्ताव दिये गये हैं। बालाघाट विकास योजना 2035 में निम्न उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है :

1. नगर का प्रकार, आकार एवं माप।
2. सघन विकास।
3. नगरीय प्रबंधन में जन-यातायात व्यवस्था, सरल एवं सामान्य पहुँच के साथ।
4. नगरीय परिवेश का पोषण एवं संरक्षण।
5. नगरीय जीवन स्तर में उत्तरोत्तर गुणात्मक सुधार एवं स्वास्थ्य में वृद्धि।
6. नगर की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विरासत का पोषण एवं परिमार्जन।
7. नगर नियोजन में नागरिकों की अधिकतम सहभागिता को प्रोत्साहन।
8. नगर के भौतिक एवं आर्थिक स्वरूप की गतिशीलता में तीव्रता लाना।
9. मूलभूत जीवन आधार प्रणाली के संसाधनों को अनुरक्षित करना।

1.5 निवेश क्षेत्र

बालाघाट नगर के भावी विकास को सुनियोजित करने हेतु मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) के प्रावधान अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3403/एफ-1-101, भोपाल दिनांक 29 दिसम्बर 1973 के द्वारा बालाघाट निवेश क्षेत्र गठित किया गया एवं बालाघाट वृद्धित निवेश क्षेत्र म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा (2) के प्रावधान के अंतर्गत नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय वल्लभ भोपाल क्रमांक एफ-3-22-2022-अठारह-5 म0प्र0 राजपत्र दिनांक 6 मई 2022 बालाघाट नगर के विकास को दृष्टिगत रखते हुए नगरपालिका क्षेत्र के अलावा अन्य ग्रामों को शामिल किया गया जिसका कुल क्षेत्रफल 11136.29 हे० है। निवेश क्षेत्र का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है:-


बालाघाट निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं निम्नलिखित अनुसूची में परिनिश्चित की गयी है :-

- उत्तर में** : ग्राम कनकी, खैरी, बोदा, कोलवा, टवेझिरी तथा ग्राम हीरापुर की उत्तरी सीमा तक.
- पूर्व में** : ग्राम हीरापुर, अमेडा, बगदरा, परसवाड़ा तथा ग्राम लिंगा की पूर्वी सीमा तक.
- दक्षिण में** : ग्राम लिंगा, नैतरा, गोगलई, जागपुर, रेंगाटोला, एकोडी तथा ग्राम अलेझरी की दक्षिणी सीमा तक.
- पश्चिम में** : ग्राम अलेझरी, रजेगांव, डुंगरिया, मांझापुर तथा ग्राम कनकी की पश्चिमी सीमा तक.

बालाघाट निवेश क्षेत्र में बालाघाट नगर पालिक क्षेत्र एवं 25 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, जिनकी कुल संख्या 30 है। वर्तमान में बालाघाट निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 13323.35 हेक्टेयर है। बालाघाट नगर पालिका परिषद् का कुल क्षेत्रफल 1703.319 हेक्टेयर है, जो कि कुल निवेश क्षेत्र का 12.78 प्रतिशत है, जो की 33 वार्डों में विभक्त है।

सारणी 1.3 निवेश क्षेत्र

क्रमांक 1	ग्रामों का नाम 2	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) राजस्व रिकार्ड 3	जनसंख्या 4
(अ) नगर पालिका क्षेत्र			
1	बालाघाट नगर	815.00	84261
2	सरेखा	272.373	
3	गायखुरी	372.933	
4	बूढी	243.013	
(अ)	नगर पालिका क्षेत्र	1703.319	84261
(ब)	कोसमी	483.741	8970
(ब) ग्रामीण क्षेत्र			
1	कोलवा	106.916	778
2	टवेझिरी	325.027	1208
3	बोदा	226.880	1875
4	आंवलाझिरी	259.057	3049
5	भरवेली	428.906	10357
6	हीरापुर	336.317	6315
7	भटेरा	551.360	2487
8	बघोली	295.249	1799
9	अमेड़ा	416.700	2421
10	बगदरा	468.286	3516
11	नवेगांव	145.957	1450
12	परसवाड़ा	211.095	1115
13	नैतरा	497.228	3867
14	लिंगा	624.007	3930
15	गोगलई	479.714	2893
16	खैरी	374.083	1221
17	एकोड़ी	886.280	2748
18	रेंगाटोला	313.861	1344



19	जगपुर	705.948	2269
20	रजेगांव	207.638	1010
21	अलेझरी	437.845	1907
22	गरा	868.375	5533
23	मांझापुर	544.243	2071
24	कनकी	931.143	4174
25	डुंगरिया	494.176	1573
(ब)	ग्रामीण क्षेत्र	11136.290	70910
योग (अ + ब)		13323.350	164141

स्रोत: राजस्व विभाग, जी.आई.एस सर्वेक्षण एवं नगर पालिक निगम

टीप: बालाघाट निवेश क्षेत्र हेतु प्रभावशील विकास योजना 2021 भौतिक सर्वेक्षण से तैयार की गई थी। जिसमें विकास योजना 2021 हेतु निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का क्षेत्रफलराजस्व अभिलेखों के अनुसार **2187.06** हेक्टेयर अंकित किया गया था। विकास योजना 2035 हेतु निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल राजस्व अभिलेख अनुसार **13323.350** हेक्टेयर है। वर्तमान में विकास योजना 2035 हेतु सेटेलाइट इमेज एवं ग्राम सीमा के डिजिटल मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र के कुल वास्तविक क्षेत्र को प्रगणित किया गया है, जिसके अनुसार निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल **13861.66** हेक्टेयर होता है। यह विकास योजना जी. आई.एस. पद्धति पर स्थल की वास्तविक स्थिति अनुसार तैयार की गई है, इसीलिए विकास योजना तैयार करने के उद्देश्य से **13861.66** हेक्टेयर क्षेत्रफल को मान्य करते हुए विकास योजना के प्रस्ताव दिए गए हैं।

1.5.1 नगर पालिका क्षेत्र

बालाघाट नगरपालिका का गठन 17 जुलाई 1877 को हुआ तथा यह द्वितीय श्रेणी की नगरपालिका है। वर्तमान नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत 1703.319 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित है जिसमें 33 वार्ड है इसमें से कुल 1362.655 हेक्टेयर विकसित क्षेत्र है जो कुल क्षेत्र का 80% है।

सारणी 1.4 नगर पालिका परिषद् बालाघाट के वार्ड एवं जनसंख्या

वार्ड क्र०	वार्डों का नाम	कुल जनसंख्या
1	2	3
1	राय दुर्गा प्रसाद वार्ड	6088
2	शिवाजी वार्ड	4095
3	अंबेडकर वार्ड	2957
4	विवेकानंद वार्ड	3044
5	संजय वार्ड	2513
6	डॉ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड	3123
7	सेठ पुसुमल सेठिया वार्ड	1319

वार्ड क्र0	वार्डों का नाम	कुल जनसंख्या
1	2	3
8	कन्हैयालाल वार्ड	1333
9	अब्दुल जब्बार वार्ड	1482
10	मौलाना अब्दुल कलाम वार्ड	3038
11	नेहरू वार्ड	3330
12	राय शारदा प्रसाद वार्ड	1719
13	महाराणा प्रताप वार्ड	6279
14	दीवान बहादुर मुलना वार्ड	1556
15	इंदिरा गांधी वार्ड	1389
16	केलकर वार्ड	1455
17	सुभाष वार्ड	1452
18	तिलक वार्ड	1371
19	बिलथरे वार्ड	1578
20	महात्मा गांधी वार्ड	1280
21	रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड	1489
22	हनुमान मंदिर वार्ड	1281
23	राय बहादुर जटाशंकर वार्ड	2821
24	भगत वार्ड	3428
25	चंद्रशेखर आजाद वार्ड	1636
26	वल्लभ भाई पटेल वार्ड	2384
27	मदन मोहन मालवीय वार्ड	1701
28	सूरज प्रसाद तिवारी वार्ड	2831
29	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड	1550
30	वीर सावरकर वार्ड	2572
31	रानी दुर्गावती वार्ड	2334
32	जयप्रकाश वार्ड	5380
33	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड	4453
	कुल	84261

स्रोत:- नगर पालिका परिषद एवं जनगणना 2011

1.6 नगर के प्रमुख कार्यकलाप

बालाघाट नगर, जिला मुख्यालय होने के साथ ही सेवा-सह-औद्योगिक, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक नगर है। बालाघाट नगर के विकास क्रम में निम्नलिखित मुख्य कार्यकलापों

की पहचान की गई है जिन्हें नियोजन के स्वरूप निर्धारण में यथोचित स्थान उपलब्ध कराना होगा।

1.6.1 उपक्षेत्रीय नगर

क्षेत्रीय बसाहट तथा महत्वपूर्ण राज्यमार्ग पर स्थित होने एवं क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केन्द्र होने के कारण नगर उप-क्षेत्रीय नगर का स्वरूप धारण किये हुये है। बालाघाट नगर क्षेत्र के विभिन्न उत्पादनों का संग्रहण तथा वितरण केन्द्र भी बनता जा रहा है। गोंदिया और सिवनी रेलवे लाईन से जुड़ा होने के कारण इसके एक व्यापारिक केन्द्र के रूप में उभरने की प्रबल संभावनायें हैं। इसके अतिरिक्त बालाघाट नगर आसपास के ग्रामों हेतु प्रमुख व्यापारिक केन्द्र के रूप में कार्यरत है।

1.6.2 जिला मुख्यालय केन्द्र

जिला मुख्यालय होने के कारण यहां जिला स्तरीय कार्यालयों के साथ ही केन्द्र सरकार के क्षेत्रीय व उपक्षेत्रीय कार्यालय भी कार्यरत है। इसके अतिरिक्त अन्य व्यवसायिक तथा अर्द्ध शासकीय कार्यालय नगर में स्थित है।

1.6.3 शिक्षा एवं सांस्कृतिक केन्द्र

बालाघाट नगर के प्रमुख शिक्षण केन्द्र के रूप में भी कार्यरत रहा है। नगर में व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा भी उपलब्ध है। नगर में दो शासकीय कालेज, एक स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, आई0टी0आई0, बी0टी0आई0, पॉलिटिकनीक एवं वन महाविद्यालय स्थित है।

1.6.4 वाणिज्यिक तथा औद्योगिक केन्द्र

बालाघाट नगर अपने आसपास के क्षेत्र के लिये व्यापारिक एवं औद्योगिक केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। बालाघाट नगर का विभिन्न क्षेत्रों से आर्थिक संबंध होने के कारण औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। नगर में स्थित साँ मिल, खांडसारी, राइस मिल, आईल मिल आदि उद्योग उपक्षेत्र के नगरों तथा ग्रामों से कच्चे माल के लिए निर्भर है।

अध्याय-2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण

2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

नगर विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिससे नगर नियोजन के द्वारा क्षेत्रीय एवं स्थानीय संदर्भ में, नगर के विभिन्न आयामों में विकास के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए नागरिकों के आर्थिक विकास एवं उन्नत जीवन स्तर प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है। विकास हेतु उत्तरदायी शासकीय, अर्द्ध शासकीय, सामाजिक एवं निजी संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि, विकास योजना में दिये गये भू-उपयोगों के प्रस्तावों का पालन करते हुए नियोजित विकास में अपनी सक्रिय सहभागिता निभायें, जिससे नगर अपनी आवश्यकता के अनुरूप कृषि, औद्योगिक एवं अन्य उत्पादन पर आधारित वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास हेतु कार्यक्षम वातावरण के साथ-साथ अन्य आवश्यक गतिविधियों जैसे-आवासीय, अमोद-प्रमोद, व्यावसायिक, प्रशासनिक, सार्वजनिक-अर्द्ध सार्वजनिक विकास को समाहित कर सकें।

नगर की विकास योजना बनाने के लिए यह समझना आवश्यक है कि नगरीय विकास के विभिन्न घटकों में किस प्रकार से संबंध एवं सामंजस्य स्थापित रहे। नगरीय विकास से संबंधित विभिन्न आंकड़े एकत्रित कर उनके अध्ययन के आधार पर भावी आवश्यकताओं का आकलन किया जाना भी एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। विकास योजना तैयार करने के लिए नगरीय विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कर नियोजन किया जाना आवश्यक है। विकास योजना पुनर्विलोकन का लक्ष्य केन्द्र शासन की योजना अंतर्गत निर्धारित मापदंड तथा जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना है।

विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का महत्वपूर्ण योगदान है। इन पद्धतियों से भूमि उपयोग सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार के आँकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में, विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराये जा सकते हैं। इसके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों को प्रस्तावित करने में तथा विकास मापदण्डों को निर्धारित करने में आसानी होती है।

2.1.1 योजना

योजना के मुख्य उद्देश्य है:


1. भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग मानचित्र एवं जियोरिकरेंस आधार पर मानचित्र तैयार करना।
2. योजना के अन्तर्गत शहरों की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना।
3. Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation (URDPFI) गाईडलाईन के मानकों को समाहित करना।

2.1.2 सुदूर संवेदन

सुदूर संवेदन तकनीक के अंतर्गत भारतीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद से प्राप्त वर्ल्ड व्यू II (World View II) के उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों का उपयोग थीमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है। उपग्रह चित्रों का उपयोग योजना के अन्तर्गत 1:4000 पैमाने पर आधार मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है। योजना में उपग्रह चित्रों के मानक, सारणी 2.1 में दर्शाये गये हैं।

सारणी 2.1 उपग्रह चित्रों के मानक

No.	Description	Value	Remarks
1	2	3	4
1	Spatial Resolution	0.5 meters or better	-
2	Spectral Resolution	PAN Sharpened (Bands: Panchromatic, Red, Green, Blue and Near Infrared)	IR band is optional
3	Band to Band registration	Less than 1/4th of pixel size	-
4	Radiometry	10 bit or better	-
5	Image Resampling	Nearest Neighbourhood	-
6	Monoscopic / Stereoscopic	Plain Areas: Monoscopic Highly Hilly areas: Stereoscopic	Need of Stereoscopic to be reviewed case by case. If the city is built on terrain slope more than 15 degrees.



	Monoscopic data view angle	Less than 10 degree from nadir	In specific cases, maximum of up to 15 degrees view angle shall be allowed
	Stereoscopic	One of the stereo image view angle should be less than 10 degrees from nadir	Base to Height (B/H) ratio: $0.6 < B/H < 0.8$
7	Product type	Image data should be associated with corresponding Rational Polynomial Coefficients (RPCs)	Ortho-kit data with RPCs

स्रोत:- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली

भौगोलिक सूचना प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक जानकारियों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है, जिसका वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है। भौगोलिक सूचना प्रणाली, प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण के व्यवस्थापन, एवं क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने में उपयोगी है। योजना में विभिन्न स्पेशियल लेयर्स को क्लासेज एवं सब-क्लासेज में विभाजित किया गया है। इनका उपयोग विकास योजना तैयार करने में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। जो कि सारणी 2.2 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.2 स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब-क्लासेस

No.	Spatial Layers	Source for Spatial data generation	Classification based on Use & Attributes	
			Classes	Sub Classes
1	2	3	4	5
1	Base layers	Very high resolution satellite data	3	16
	1. Road			
	2. Bridges			
	3. Water Bodies			
2	Urban Land use/Land cover	Very high resolution satellite data	22	48
3	Building Footprints	Very High Resolution satellite data	16	46

4	Digital Elevation Model (DEM) Type : Digital Terrain Model (DTM)	CARTO DEM – NRSC, ISRO	1	1
5	Cadastral Layer	State Revenue Department	1	-
6	Boundaries			
	1. Planning Boundaries	Town & Country Planning	1	1
	2. Municipal Boundaries	Urban Local Bodies	1	1

स्रोत:- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली

विकास योजना प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है, स्थायी एवं पूर्व क्षमता युक्त नगरीय उपलब्ध क्षेत्र का विकास करना। तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु, भावी बसाहट, वर्तमान में विद्यमान बसाहट तथा पर्यावरण के सभी घटकों पर विचार आवश्यक है, प्रस्तावित अर्थात् भविष्य के विकास के लिए भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है, जिससे बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके। अतः स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने, नगर एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिये। इसके साथ ही, यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव, भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर हो। एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्न लिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक है।

● धरातल विशेषताएँ

भौतिक स्थिति, कंटूर, सामान्य अथवा अत्याधिक ढलान, भूगर्भ विशेषताएँ, मिट्टी की विशेषताएँ एवं गहराई, भूमिगत जल स्रोत, जल प्लावित क्षेत्र, सघन कृषि भूमि, वन क्षेत्र, जलीय जीवन, तापमान, हवा, बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग।

● भूमि उपयोग वितरण

नगरीय विस्तार, कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि, उत्तम भू-दृश्यीकरण स्थल, नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक, आमोद प्रमोद, यातायात, रिक्त क्षेत्र जो आगामी विकास हेतु उपलब्ध हैं, प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता।

- **जनसंख्या विशेषताएँ**
आयु समूह, लिंगानुपात, आब्रजन वितरण, भावी जनसंख्या, आगामी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, मजदूर एवं गैर मजदूर एवं व्यवसायिक संरचना।
- **आर्थिक गतिविधियाँ**
कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियाँ, आर्थिक समस्याएँ एवं संभावनाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण, व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति, संस्थाएँ एवं आगामी विकास हेतु संभावनाएँ।
- **यातायात विशेषताएँ**
वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमताएँ माल वाहन, निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन, साइकिल पथ, पादचारी पथ, जलाशय, रेलवे, वायु सेवा एवं यातायात संरचना।
- **आवास विशेषताएँ**
उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति एवं भावी आवश्यकता, झुग्गी वासियों की आवश्यकताएँ एवं उसका निराकरण, भूमि तथा वित्तीय स्थिति।
- **सार्वजनिक सेवाएँ**
पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मलवहन प्रणाली, विद्युत प्रदाय तथा संचार सेवाएँ।
- **सार्वजनिक सुविधाएँ**
शैक्षणिक संस्थाएँ, आमोद प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र।

एकत्रित जानकारी एवं एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत, वर्ल्डव्यू-II (World View-II) उपग्रह चित्रों के साथ समन्वित कर विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों पर निर्धारित है, जिसमें Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाईडलाइन के अन्तर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित है।

2.2.1 उद्देश्य

- **भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना**
वर्ल्डव्यू-II (World View-II) उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी जो श्रेणी-II को दर्शाती है, नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, आमोद प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हो।

- **बसाहट के विस्तार का मानचित्र तैयार करना**


विभिन्न स्थितियों पर, उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, नगर का विकास, क्रमशः विभिन्न समयावधि में हुआ है, जिसके मानचित्र तैयार करना।

- संपूर्ण बालाघाट नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना।
- नैसर्गिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूमि कटाव, भूकम्प से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का मानचित्र तैयार करना।
- जल स्रोत, नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय, ढलान, मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना।
- नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना एवं जिस भूमि का संरक्षण करना है, उसका मानचित्र पर अंकन करना।
- प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना।

2.2.2 कार्यप्रणाली

योजना के अन्तर्गत एन.आर.एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त, स्थल मानचित्र, जिसमें उपग्रह चित्र के साथ बिल्डिंग फुटप्रिंट अंकित थे, का स्थल पर सत्यापन कर, मानकों के अनुसार आकड़ें एकत्रित कर, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई.एस. आधारित विकास योजना हेतु, आधार मानचित्र तैयार किया गया। बालाघाट विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन योजना के अनुसार जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करने हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली निम्नानुसार दर्शायी गई है।

कार्यप्रणाली



2.2.3 जनसंख्या आकलन पद्धति

सन् 2035 की भावी जनसंख्या के आकलन करने हेतु वर्ष 1991 से 2021 तक की जनगणना जानकारी एकत्र की गई एवं विभिन्न सांख्यिकी पद्धति के आधार पर अंकगणितीय वृद्धि पद्धति, ज्यामितीय वृद्धि पद्धति, घातांकीय वृद्धि पद्धति एवं इंक्रीमेंटल पद्धति द्वारा प्रगणित की गई है।

2.3 मानकों की व्याख्या

मानकों (Design and Standard) के अनुसार, शहर के विभिन्न विभागों से आंकड़े एकत्रित किये गये हैं। इन आंकड़ों में शहर की भौगोलिक जानकारी, सांख्यिकी आंकड़े, औद्योगिक पहलू, भौतिक अधोसंरचना जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संचार, इत्यादि सम्मिलित है। जल प्रदाय, जल-मल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, परिवहन, पर्यावरण, पुरातत्व, पर्यटन, राजस्व आदि से संबंधित इत्यादि जानकारी सम्मिलित है।

2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping)

विकास योजना तैयार करने हेतु विभिन्न थिमेटिक मानचित्र तैयार कर विश्लेषण किया गया है।

2.3.1.1 यातायात संरचना

योजना के मानकों के आधार पर, वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किये जाने हेतु उपग्रह चित्र आधारित मानचित्रों का उपयोग किया गया है। जिसमें निम्न मानकों को आधार मानकर वर्गीकृत किया गया है। जिसे सारणी क्रमांक 2.3 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.3 मू-स्थानक डाटा

No.	Code	Class	Sub-Class
1	2	3	4
1	01-01	Road	National Highway
	01-02		State Highway
	01-06		Bypass
	01-09		Major City Road
	01-10		Minor City Road
	01-11		Other Public Road
	01-12		Other Private Road
	01-15		Village road

2.3.1.2 भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी.) हैदराबाद से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर, बालाघाट नगर का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया है। भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करते समय योजना में दिए गये वर्गीकरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया। योजना के अंतर्गत नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली, निम्न सारणी में उल्लेखित है:-

सारणी 2.4 बिल्डिंग फुटप्रिंट

No.	Code	Class	Sub-Class
1	2	3	4
1	06-04	Residential	House
	06-05		Group of Houses
	06-06		Apartment
2	07-01	Commercial	Retail
	07-03		General Business
	07-04		Hotel / Lodge / Restaurant
	07-13		Hostel
3	08-01	Industrial	Manufacturing
	08-08		Agro based & Food Processing
	08-09		Obnoxious
	08-10		Cottage & Household
	08-11		Other Industries
4	09-01	Mixed	Residential & Commercial
5	10-01	Educational	School
	10-05		Anganwari
			College
			Polytechnic
6	11-01	Health Services	Govt. Hospital
	11-02		Private Hospital
	11-04		Clinic/Dispensary
7	12-01	Central Govt. Property	Office
	12-02		Quarter
8	13-01	State Govt. Property	Office
9	15-02	Public & Semi-Public	Banks
	15-05		Police Station
	15-06		Cantonment/Battalion
	15-08		Crematorium /Burial Ground /Grave Yard
	15-09		Guesthouse/Resthouse


No.	Code	Class	Sub-Class
1	2	3	4
	15-11		Dharmashala
	15-12		Tourist Facility Centre
	15-15		Museum
	15-16		Public Library
	15-25		Public/Community Toilet
	15-28		Old age Home
	15-30		Fire Station
10	16-01	Religious	Temple
	16-05		Gurudwara
			Mosque
			Chruch
	16-09		Aashram/Math/Bhojanshala
11	17-01	Recreational	Garden
12	18-01-01	Public Utilities	Water Treatment Plant
	18-01-02		Water Pumping Station
	18-03-01		Sewage Treatment Plant
	18-04-02		Electric Sub-Station
13	21-01	Heritage	Monuments
	21-02		Fort
	21-03		Archaeological Site
14	24-01	Transportation	Bus stand /Terminus
15	25-04	Traffic related	Multi-Level Parking
16	26-02	Rural	House
	26-03		Group Of House
17	33-09	Others	Farm house
	33-10		Dairy farm
	33-17		Gaushala


2.3.1.3 ढलान


भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर एवं मेप आई.टी. (Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology) से प्राप्त Carto-DEM (Cartosat-1 derived Digital Elevation Model) के आधार पर ढलान मानचित्र तैयार किया गया। ढलान के निर्धारण हेतु ग्रिड पद्धति एवं निम्नलिखित समीकरण इसका आधार है।

$$\text{ढलान का प्रतिशत} = (\text{ऊँचाई में अंतर} / \text{दूरी में अंतर}) \times 100$$

निवेश क्षेत्र में प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत ढलान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत क्षेत्रफल सारणी 2.5 में दिया गया है।







सारणी 2.5 ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

No.	Class	Area (Ha)	%
1	2	3	4
1	<1	8443.98	60.92
2	1-5	30.42	0.22
3	5-10	15.19	0.11
4	10-20	2.11	0.02
5	20-30	137.12	0.99
6	30-50	4895.95	35.32
7	50<	336.86	2.43
Grand Total		13861.66	100

स्रोत:- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.1.4 मृदा

सम्पूर्ण जिले की मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करने हेतु "भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग" Soil & Land Use Survey of India (SLUSI) जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से जानकारी प्राप्त की गई है। उक्त मानचित्र तैयार करने में, सुदूर संवेदन प्रणाली एवं मृदा प्रोफाइल के विश्लेषण के आधार पर मिट्टी की उपयोगिता निर्धारित की गई है जिसका उपयोग किया है। मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर, भूमि का कटाव मानचित्र, मिट्टी की बनावट का मानचित्र तथा मिट्टी की गहराई का मानचित्र तैयार किया गया। जिसकी जानकारी सारणी क्रमांक 2.6 में दर्शायी गयी है।

सारणी 2.6 मृदा विश्लेषण

क्र.	मिट्टी की संरचना	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	Coarse Loamy	1100.18	7.94
2	Fine	9239.18	66.65
3	Fine Loamy	299.07	2.16
4	Loamy	137.17	0.99
5	Very fine	2307.16	16.64
6	Waterbody	778.90	5.62
Total		13861.66	100

सारणी 2.7 लिथोलॉजी

क्र.	श्रेणी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिश त्)
1	2	3	4
1	Granulite	77.03	0.56
2	Pink and grey gneisses and migmatite, grey stromatic gneiss with enclaves & streaky gneiss	5539.56	39.96
3	Pink granite and Leuco-granite	1860.84	13.42
4	Quartz-muscovite schist, muscovite-biotite schist, quartzo feldspathic gneiss, phyllite and sericite schist with manganese ore	5605.33	40.44
5	Waterbody	778.90	5.62
Total		13861.66	100

2.3.1.5 जलाशय


वर्ल्डव्यू-II (World View-II) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवंयोजना की वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर, बालाघाट शहर में स्थित जलाशयों का मानचित्र तैयार किया गया है। योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली सारणी क्रमांक 2.8 में उल्लेखित है


सारणी 2.8 जलाशयों का वर्गीकरण


NO.	Code	Class	Sub-Class
1	2	3	4
1	05-01	Water Bodies	River
	05-02		Stream
	05-03		Canal
	05-04		Drain
	05-05		Ponds


2.3.1.6 भूजल स्तर


बालाघाट निवेश क्षेत्र में मुख्यतः तालाबो, नाला, नदी सम्मिलित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप निवेश क्षेत्र में भू-जल स्तर मुख्यतः मध्यम है। जिसका विवरण सारणी क्रमांक 2.9 में दर्शाया गया है।











सारणी 2.9 मू-जल विवरण

क्र.	श्रेणी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	Good to very Good	1840.7	13.28
2	Moderate to Good	9837.54	70.98
3	Poor to Moderate	1248.9	9.00
4	Poor	155.62	1.12
5	Waterbody	778.9	5.62
Total		13861.66	100

2.3.1.7 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र

भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्ट्स (Fractures and Faults) तथा मिट्टी की जानकारी, ढलान की जानकारी एवं जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, एन.जी.आर.आई. के आंकड़ों के आधार पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्रिकरण किया गया है। आपदा प्रबंधन योजना अंतर्गत बालाघाट भूकम्प संभावित क्षेत्र है; जो कि Zone III Moderate Damage Risk Zone (MSK VII) के अंतर्गत आता है।

2.3.1.8 भूमि मूल्य

महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा प्रकाशित बाज़ार मूल्य मार्गदर्शिका से निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत कुल वार्ड के अन्तर्गत, भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित की गई एवं बाज़ार मूल्य के संदर्भ में वर्गीकृत जानकारी का मानचित्र तैयार किया है।

2.3.1.9 ग्राम/वार्ड सीमा

राजस्व विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया है। भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर खसरा मानचित्रों का स्पेशियल एडजस्टमेंट किया गया। ग्राम मानचित्रों का स्पेशियल एडजस्टमेंट करने के पश्चात निवेश क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गयी। नगर परिषद से प्राप्त वार्ड मानचित्र के आधार पर नगर का वार्ड मानचित्र तैयार किया गया। अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग की 1:30000 का तथा 1:25000 मापक पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया।

यह मानचित्र एकीकृत वॉर्ड की विभिन्न जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। जनसंख्या के आंकड़ें जो भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त किये गये, उनको ग्राम मानचित्रों से संबद्ध किया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न सीमाओं की वर्गीकरण प्रणाली, निम्नसारणी में उल्लेखित है:-

सारणी 2.10 सीमाओं का वर्गीकरण

No.	Code	Class	Sub-Class
1	2	3	4
1.	37-05	Administrative Boundaries	Village Boundary
	37-06		Forest Boundary
	37-07		Revenue Boundary
2.	38-01	Planning Boundaries	Planning Area Boundary
	38-04		Controlled Area Boundary
3.	37-05	Municipal Boundaries	Municipal Boundary
	37-06		Ward Boundary
	37-07		Zone Boundary


थीमेटिक मानचित्र, भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) वर्गीकरण का उपयोग कर डिजिटाइज कर निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किये गये हैं। निवेश क्षेत्र के सांख्यिकीय आँकड़ें, भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ही ज्ञात किये गये हैं।


2.3.1.10 भू-आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड

बालाघाट निवेश क्षेत्र को भू-आकृति की दृष्टि से 07 भागों में विभाजित किया गया है। क्षेत्र का अधिकांश भाग भू-आकृति की दृष्टि से पेडीप्लेन क्षेत्र में आता है। यह जानकारी सारणी क्रमांक 2.11 में दर्शायी गयी है।

सारणी 2.11 जिओमोरफोलॉजी

क्र.	जिओमॉर्फोलॉजी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	Flood Plain	1785.48	12.88
2	Pediplain	9892.75	71.37
3	Pediment	1211.69	8.74
4	Moderately Dissected Hills and Valleys	37.22	0.26
5	Residual Mound	39.95	0.28
6	Ridge	115.67	0.83
7	Waterbody	778.9	5.61
Total		13861.66	100





2.3.1.11 जल स्रोत बफर

बालाघाट निवेश क्षेत्र में मुख्यतः तालाबो, नाला, नदी सम्मिलित किये गये हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 2922.87 हेक्टेयर है। तालाबों के चारों ओर एवं नालों के किनारे वृक्षारोपण का प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 अनुसार दिया गया है, जिससे पर्यावरण एवं संरक्षण हेतु तटीय क्षेत्र को उसके मूल स्वरूप में यथावत रखा जा सके। जल स्रोत बफर की जानकारी सारणी 2.12 में दर्शायी गई है।

सारणी 2.12 जल स्रोत बफर क्षेत्रफल

क्र.	बफर (मीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1	15	560.55
2	30	540.50
3	45	526.97
4	60	515.95

2.3.1.12 भूमि अवक्रमण

बालाघाट निवेश क्षेत्र अंतर्गत भूमि की अवक्रमण संबंधी जानकारी सारणी 2.13 में दर्शायी गई है।

सारणी 2.13 भूमि अवक्रमण

क्र.	श्रेणी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	Others-Barren rocky / Stony waste	20.73	1.07
2	Water erosion-Sheet - Moderate	1814.86	94.2
3	Water erosion-Sheet - Slight	89.64	4.6
Total		1925.23	100

2.3.1.13 मार्ग संरचना बफर

मार्ग संरचना निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत भावी विकास के क्षेत्रों को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है। बालाघाट से होते हुए राज्यमार्ग सिवनी से गोंदिया की ओर जाता है, जो नगर को सिवनी, नागपुर, गोंदिया नगरों से जोड़ता है एवं वारासिवनी से नागपुर को भी जोड़ता है। नगरीय भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण करने हेतु मार्गों को सम्मिलित किया गया है एवं बफर ज़ोन, मार्ग के दोनों ओर निर्धारित किए गये हैं। ज़ोन के अन्तर्गत बफर मार्ग संरचना की जानकारी उपरोक्त सारणी 2.14 में दर्शायी गयी है।

सारणी 2.14 मार्ग संरचना बफर


क्र.	मार्ग बफर (मीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	100	1124.88
2.	200	1004.33
3.	500	2527.17
4.	>500	4656.38


2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता


नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित करना है कि, कौनसी भूमि का विकास किया जाये एवं किस प्रकार किया जाये। इस कारण भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक, विशेषताएँ, नैसर्गिक अवरोध एवं सामाजिक एवं आर्थिक समानताएँ महत्वपूर्ण हैं। मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अंतर्गत, भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है। भूमि उपयुक्तता का निर्धारण, भूमि की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक क्षमता पर निर्भर है, भूमि का मूल्य प्रमुखतः तीन आधार पर निर्भर होता है :-

1. भूमि का बाजार मूल्य जो पूर्णतः विक्रय के आधार पर होता है।
2. प्राकृतिक संरचना के गुणात्मक मूल्यांकन।
3. संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य।

भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र, के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये जा सकते हैं। निवेश क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है एवं इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं। भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है, अपितु इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। उक्त दोनों मापदण्डों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करना है, एवं भूमि के विस्तृत वर्गीकरण, विभिन्न विकास हेतु करना संभव है। इसके अतिरिक्त भूमि उपयोग उपयुक्तता निर्धारण, वर्तमान स्थिति जैसे भूमि पर दबाव महत्वपूर्ण है। यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा, उस दशा में, उक्त भूमि जो उपयुक्तता के आधार पर, विकास हेतु ग्राह्य नहीं है, का भी विकास होगा। यह स्पष्ट है कि मापदण्डों की श्रेणियाँ अधिक होगी जो बाजार के संदर्भ से प्रभावित होती हैं। अतः उपरोक्त संदर्भ में, उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया जो इस रिपोर्ट में उल्लेखित है, वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारण की दृष्टि से देखा गया है अतः इस अध्ययन में, बहु प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण, स्थल की वास्तविकता, पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन तकनीक से प्राप्त चित्र) किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण संभव हुआ है। बालाघाट नगर के संदर्भ में Composite Land Suitability Analysis







हेतु अपनाई गई। उदाहरण के रूप में, इस प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि विकास/भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है एवं किस भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में अथवा विकास हेतु प्रतिबंधित/संरक्षित रखी जाना है। भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित श्रेणी घटकों का विचार किया है।

1. वर्तमान भूमि उपयोग
2. मिट्टी का प्रकार
3. ढलान का प्रतिशत
4. बाढ़ आपदा
5. जलाशय
6. मार्ग संरचना
7. जियोमार्फोलॉजी
8. भूमि का मूल्य (वार्ड अनुसार)

उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से, नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा निर्धारित होती है। सीमा की अवधारणा, भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है, कि अधिक ढलान वाले क्षेत्र को विकसित करने हेतु व्यापक स्रोत (धन, जनशक्ति, सामग्री) आवश्यक होंगे। अतः उक्त भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी। उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है।

उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दुओं को नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के विश्लेषण तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है। इन घटकों के विश्लेषण की जानकारी का भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर संकेतक प्राप्त किये गये हैं।

2.4.1 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता विकल्प

निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व भूमि/नगरीय भूमि उपयुक्तता के घटकों के विश्लेषण के आधार पर विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं। इन विकल्पों में प्रत्येक घटक का क्रम दूसरे घटक के परस्पर संबंधों पर निर्धारित किया गया है। भूमि उपयुक्तता के विकल्पों का वर्णन सारणी क्रमांक 2.15 में दिया गया है।

सारणी 2.15 कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल -1 के लिए वेटेड इंडेक्स

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	LANDUSE	25	Vacant Land	9
2			Wasteland	8
3			Agriculture	7
4			Builtup	1
5			Waterbody	1
1	GEOMORPHOLOGY	20	Pediplain	9
2			Pediment	7

3			Moderately Dissected Hills and Valleys	2
4			Residual Mound	1
5			Ridge	1
6			Lateral Bar	1
7			Flood Plain	1
8			Waterbody	1
1	GROUNDWATERPROSPECTS	10	Good to very Good	9
2			Moderate to Good	7
3			Poor To Moderate	5
4			Poor	2
5			Waterbodies	1
1	SOIL TEXTURE	05	Very Fine	9
2			Fine	8
3			Fine Loamy	7
4			Coarse Loamy	6
5			Loamy	5
6			Waterbodies	1
1	ROAD BUFFER	10	100 m	9
2			200 m	8
3			500 m	7
4			> 500 m	3
5			Road	1
1	WATER BODIES BUFFER	15	>60 m	9
2			60 m	7
3			45 m	5
4			30 m	3
5			15 m	2
6			Afforestation	1
7			Waterbodies	1
1	SLOPE	10	0-1 %	9
2			1-5 %	7
3			5-10 %	5
4			10-20 %	4
5			20-30 %	3
6			30-50 %	2
7			>50 %	1
1	LAND VALUE	05	<2500	9
2			2500-5000	8
3			5000-10000	7
4			10000-20000	6
5			20000-40000	5
6			>40000	4
7			Forest	1

सारणी 2.16 कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल -2 के लिए वेटेड इंडेक्स

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	LANDUSE	25	Vacant Land	9
2			Wasteland	8
3			Agriculture	7
4			Builtup	1
5			Waterbody	1
1	GEOMORPHOLOGY	10	Pediplain	9
2			Pediment	7
3			Moderately Dissected Hills and Valleys	2
4			Residual Mound	1
5			Ridge	1
6			Lateral Bar	1
7			Flood Plain	1
8			Waterbody	1
1	GROUNDWATERPROSPECTS	10	Good to very Good	9
2			Moderate to Good	7
3			Poor To Moderate	5
4			Poor	2
5			Waterbodies	1
1	SOIL TEXTURE	10	Very Fine	9
2			Fine	8
3			Fine Loamy	7
4			Coarse Loamy	6
5			Loamy	5
6			Waterbodies	1
1	ROAD BUFFER	10	100 m	9
2			200 m	8
3			500 m	7
4			> 500 m	3
5			Road	1
1	WATER BODIES BUFFER	10	>60 m	9
2			60 m	7
3			45 m	5
4			30 m	3
5			15 m	2
6			Afforestation	1
7			Waterbodies	1
1	SLOPE	15	0-1 %	9
2			1-5 %	7
3			5-10 %	5
4			10-20 %	4
5			20-30 %	3
6			30-50 %	2
7			>50 %	1

1	LAND VALUE	10	<2500	9
2			2500-5000	8
3			5000-10000	7
4			10000-20000	6
5			20000-40000	5
6			>40000	4
7			Forest	1

सारणी 2.17 कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल -3 के लिए वेटेड इंडेक्स

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	LANDUSE	14	Vacant Land	9
2			Wasteland	8
3			Agriculture	7
4			Builtup	1
5			Waterbody	1
1	GEOMORPHOLOGY	12	Pediplain	9
2			Pediment	7
3			Moderately Dissected Hills and Valleys	2
4			Residual Mound	1
5			Ridge	1
6			Lateral Bar	1
7			Flood Plain	1
8			Waterbody	1
1	GROUNDWATERPROSPECTS	12	Good to very Good	9
2			Moderate to Good	7
3			Poor To Moderate	5
4			Poor	2
5			Waterbodies	1
1	SOIL TEXTURE	12	Very Fine	9
2			Fine	8
3			Fine Loamy	7
4			Coarse Loamy	6
5			Loamy	5
6			Waterbodies	1
1	ROAD BUFFER	14	100 m	9
2			200 m	8
3			500 m	7
4			> 500 m	3
5			Road	1
1	WATER BODIES BUFFER	12	>60 m	9
2			60 m	7
3			45 m	5
4			30 m	3
5			15 m	2

6			Afforestation	1
7			Waterbodies	1
1	SLOPE	12	0-1 %	9
2			1-5 %	7
3			5-10 %	5
4			10-20 %	4
5			20-30 %	3
6			30-50 %	2
7			>50 %	1
1	LAND VALUE	12	<2500	9
2			2500-5000	8
3			5000-10000	7
4			10000-20000	6
5			20000-40000	5
6			>40000	4
7			Forest	1

स्रोत:- भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण

टीप: भूमि उपयोग, जियोमॉर्फोलॉजी एवं जलाशय बफर को मूल्यांकन वरीयता प्रदान की गई है।

घटकों को नगरीय उपयुक्तता के आधार पर मूल्यांकन के बाद श्रेणी प्रदान की गई, जो 8 मानचित्रों का एकीकरण परिणाम है। इन मानचित्रों के संयुक्त परिणाम के कारण कई स्लिबर पॉलीगॉन निर्मित हुए। उक्त पॉलीगॉन को संस्पर्शी पॉलीगॉन में विसर्जित किया गया, जिसका आधार स्थल संदर्भित स्थिति एवं न्यूनतम मानचित्र खंड (Minimum Mappable Unit) है। एकजाई आकृति में संयुक्त भूमि उपयुक्तता श्रेणी है एवं प्रत्येक श्रेणी में सभी घटकों के चरित्र विद्यमान हैं, जो भूमि उपयुक्तता हेतु आवश्यक हैं। प्रत्येक श्रेणी की मूल्यांकन वरीयता उक्त घटक के महत्व के आधार पर एवं एक दूसरे से तुलना के आधार पर की गई।

संयुक्त उपयोगिता संकेतक (Composite Suitability Index) की गणना 8 घटकों के मूल्यांकन को उनकी श्रेणी से गुणा कर प्राप्त किया गया। सी.एस.आय. को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया। इस प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी इस बात का सूचक है कि सक्षमता की सीमा प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में कितनी है, अर्थात् न्यूनतम, अधिकतम सी.एस.आय. का औसत एवं स्तरीय डेविएशन (Standard Deviation) का उपयोग वर्गीकरण हेतु किया गया है।

सी.एस.आय. मूल्यांकन का अधिक होना नगरीय विकास हेतु उच्च वरीयता का द्योतक होगा। कम सी.एस.आय. मूल्यांकन का संदर्भ नगर विकास हेतु कम मूल्यांकन परंतु संरक्षण हेतु उच्च वरीयता से है।


सारणी 2.18 Land Suitability Area


Land Suitability Area [Model-1]			
S.No	Suitability Class	AREA (ha)	(%)
1	Not Suitable	2231.83	16.09
2	Less Suitable	3184.79	22.97
3	Moderate Suitable	1512.32	10.9
4	High Suitable	6932.72	50.01
	Grand Total	13861.66	100


Land Suitability Area [Model-2]			
S.No	Suitability Class	AREA (ha)	(%)
1	Not Suitable	2270.46	16.37
2	Less Suitable	2252.78	16.25
3	Moderate Suitable	6467.2	46.65
4	High Suitable	2871.22	20.71
	Grand Total	13861.66	100

Land Suitability Area [Model-3]			
S.No	Suitability Class	AREA (ha)	(%)
1	Not Suitable	3029.84	21.85
2	Less Suitable	5822.37	42.00
3	Moderate Suitable	4850.52	34.99
4	High Suitable	158.93	0.01
	Grand Total	13861.66	100

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता हेतु [Model-1], [Model-2] एवं [Model-3] तैयार किए गए, जिन्हें उपरोक्त सारणी में दर्शाया गया है। निवेश क्षेत्रांतर्गत [Model-1] में अधिकतम उपयुक्त भूमि 6932.72 हेक्टेयर (50.01 प्रतिशत) प्राप्त हुई। अतः [Model-1] का चयन अंतिम रूप से बालाघाट विकास योजना तैयार करने हेतु किया गया।







2.5 भूमि उपयोग का आवंटन

नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात् भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा प्रसारित Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाइडलाइन एवं राज्य के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया।

इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं इसमें अंगीकृत कार्यप्रणाली विस्तार से प्रस्तुत है। पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की तुलना में उपरोक्त प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है। इसके अंतर्गत उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात् भूमि उपयोग मानचित्र वस्तुस्थिति के अनुरूप तैयार करना एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है। इसी कार्यप्रणाली के आधार पर बालाघाट निवेश क्षेत्र का विश्लेषण तथा विकास हेतु भूमि चयन के वैकल्पिक प्रस्ताव का चयन कर प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारित की गई, जो विभिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर है।

अध्याय-3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण

3.1 विकास योजना 2035 क्रियान्वयन परिदृश्य

विकास योजना क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु यह वांछनीय है कि विगत वर्षों में हुए विकास में यह आंकलित किया जावे कि नगर में यातायात प्रणाली की कार्यक्षमता कैसी है, तथा वर्तमान यातायात प्रणाली के साथ भविष्य के क्षेत्रों की संबद्धता किस प्रकार होगी। विकसित क्षेत्र में चिन्हित असंगत भूमि उपयोगों की वर्तमान में स्थिति क्या है। इसके साथ ही पूर्व प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन का विभिन्न भूमि उपयोगों के अंतर्गत स्तर क्या है। आर्थिक रूप से कमजोर तथा आवास विहीन परिवारों की स्थिति का भी आकलन आवश्यक है जिससे पुनर्विलोकन के समय उन बिन्दुओं का समावेश किया जा सके, जिससे क्षेत्र का कार्यक्षम विकास हो सके। प्रबंधन के अभाव में योजना के प्रभावित होने के बिन्दु निम्नानुसार है :-

- विकास योजना क्रियान्वयन हेतु विकास प्राधिकरण का गठन नहीं होना।
- संस्थागत संरचना के लिए भूमि आपूर्ति एवं नगरीय भूमि प्रबंधन प्रक्रिया का अभाव।
- क्रियान्वयन से सम्बद्ध संस्थाओं में आवश्यक समन्वय एवं रूचि का अभाव।
- नगरीय अधोसंरचना के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों का समय पर उपलब्ध न होना।
- निजी निवेश के लिए संसाधनों को प्रोत्साहित करने में अपेक्षित प्रणाली का विकास न होना।
- योजना क्रियान्वयन के सतत् पर्यवेक्षण तथा क्रियान्वयन के पूर्व अनुभवों के आधार पर संशोधन प्रणाली का विकास न होना।

अतः क्रियान्वयन संबंधी प्रभावी नियंत्रण के अभाव में अधिकांश क्षेत्रों में अवांछनीय, अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास, गंदी बस्तियों का विकास तथा भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना रहित क्षेत्रों का विकास हुआ है।

3.2 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

बालाघाट विकास योजना 2021.0 में 1.50 लाख अनुमानित जनसंख्या को समाहित करने हेतु विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत 2133 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित किया गया था। वर्ष 2020 के वर्तमान भूमि उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार 2284.0 हेक्टर क्षेत्र विकसित हुआ है। विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन अनुसार विवरण सारणी क्रमांक 3.1 में दिया गया।


सारणी 3.1 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

क्र.	भूमि उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र 2021 (हेक्टेयर में)		विकसित क्षेत्रफल 2022 (हेक्टेयर में)		क्रियान्वयन का प्रतिशत
		क्षेत्र	प्रतिशत	क्षेत्र	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7
1	आवासीय	675	44.80	1002.6	47.00	148.53
2	वाणिज्यिक	75	4.98	51.5	2.41	68.66
3	मिश्रित	-	-	34.57	1.62	34.57
4	औद्योगिक	60	3.98	104.09	4.87	173.48
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	120	7.96	347.03	16.26	289.19
6	सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं	45	3.45	24.84	1.16	55.2
7	आमोद-प्रमोद	150.00	9.95	63.18	2.96	42.12
8	यातायात एवं परिवहन	375.00	24.88	505.19	23.68	134.71
योग		1507	100	2133	100	141.53

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण

3.2.1 आवासीय

बालाघाट विकास योजना 2021 में आवासीय उपयोग के अंतर्गत 675 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 1002.6 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। आवासीय उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 148.53 प्रतिशत रहा है।



Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MP-CST, Bhopal
Source: World View-2, Satellite Data & Ground Verification

3.2.2 वाणिज्यिक

वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत 75 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2035 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 51.5 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। वाणिज्यिक उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 68.66 प्रतिशत रहा है।

3.2.3 मिश्रित

बालाघाट विकास योजना 2021 में मिश्रित भूमि उपयोग प्रस्तावित नहीं किया गया था। वर्तमान में बालाघाट निवेश क्षेत्र में मिश्रित भूमि उपयोग के अंतर्गत कुल 34.57 हेक्टेयर भूमि विकसित हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शहर का विकास अब मिश्रित उपयोग की तरफ बढ़ रहा है।

3.2.4 औद्योगिक

औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत 60 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2035 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 104.10 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। औद्योगिक उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 173.48 प्रतिशत रहा है। जन सामान्य के आर्थिक जीवन में सुधार के लिये नगर के औद्योगिक आधार में सुधार करने की आवश्यकता है।

3.2.5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

सामान्य नागरिकों को सुविधाओं एवं सेवा प्रदान करने के अतिरिक्त सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक भूमि उपयोग के अंतर्गत शिक्षा, अस्पताल, सामाजिक-सांस्कृतिक तथा अन्य सुविधाएं आती हैं। सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत 120 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2021 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 347.03 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 289.19 प्रतिशत रहा है।

3.2.6 सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं

सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं उपयोग के अंतर्गत 45 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2021 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 24.84 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 55.2 प्रतिशत रहा है।

3.2.7 आमोद-प्रमोद

आमोद-प्रमोद उपयोग के अंतर्गत 150.00 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2021 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 63.18 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। आमोद-प्रमोद उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 42.12 प्रतिशत रहा है। इसका मुख्य कारण

पहाड़ों पर एवं राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण एवं कुलबहेरा, बोदरी नदी एवं नालों के किनारे कुछ भाग में पर्यावरण वानिकी का विकास है।

3.2.8 यातायात एवं परिवहन

यातायात एवं परिवहन उपयोग के अंतर्गत 375.00 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2021 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 505.19 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। यातायात एवं परिवहन उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 134.71 प्रतिशत रहा है।

नगर में सभी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियाँ नगर के मध्य संपादित हैं, जिससे यातायात/पार्किंग इत्यादि की समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। नगर का वर्तमान सड़क नेटवर्क अस्त-व्यस्त है और बहुत सी जगहों पर सड़कों की चौड़ाई एक समान नहीं है। इसलिये नगर से गुजरने वाले इस मुख्य मार्ग पर यातायात सुलभ बनाने के लिये प्रयास किया जाना चाहिये।

सारणी 3.2 यातायात एवं परिवहन विकास

क्रमांक	विवरण	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)	क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2020
1	2	3	4
1.	वृत्तीय बायपास मार्ग	36.0	क्रियान्वित नहीं
2.	क्षेत्रीय मार्ग		
अ	गोंदिया मार्ग (नगर पालिका सीमा में)	24-36	क्रियान्वित
ब	बेहर मार्ग (नगर पालिका सीमा में)	24-36	क्रियान्वित
स	कटंगी मार्ग (नगर पालिका सीमा में)	24-36	क्रियान्वित
द	नागपुर मार्ग (नगर पालिका सीमा में)	24-36	क्रियान्वित
इ	भटेरा मार्ग	24	क्रियान्वित
फ	गायखुरी मार्ग	18	क्रियान्वित
3.	मुख्य मार्ग	18	क्रियान्वित नहीं
1	एम.आर.-1 गायखुरी मार्ग से एम.आर.-4	18	क्रियान्वित नहीं
2	एम.आर.-2 गायखुरी मार्ग से एम.आर.-3	18	क्रियान्वित नहीं
3	एम.आर.-3 बायपास मार्ग से मोती नगर	18	क्रियान्वित नहीं

क्रमांक	विवरण	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)	क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2020
1	2	3	4
4	एम.आर.-4 बायपास मार्ग से रेल्वे क्रासिंग	24	क्रियान्वित नहीं
5	एम.आर.-5 गायखुरी मार्ग से एम.आर.-4	18	क्रियान्वित नहीं
6	एम.आर.-6 गोंदिया मार्ग से बायपास मार्ग	24	क्रियान्वित नहीं
7	एम.आर.-7 गोंदिया मार्ग से एम.आर.-10	18	क्रियान्वित नहीं
8	एम.आर.-8 वर्तमान बायपास से प्रस्तावित बायपास	18	क्रियान्वित नहीं
9	एम.आर.-9 बैहर मार्ग से एम. आर.-8	18	क्रियान्वित नहीं
10	एम.आर.-10 वर्तमान बायपास से प्रस्तावित बायपास	18	क्रियान्वित नहीं
11	एम.आर.-11 बायपास मार्ग से एम.आर.-13	24	क्रियान्वित नहीं
12	एम.आर.-12 बायपास मार्ग से एम.आर.-11	18	क्रियान्वित नहीं
13	एम.आर.-13 बायपास मार्ग से एम.आर.-11	18	क्रियान्वित नहीं
14	एम.आर.-14 बायपास मार्ग से बैहर मार्ग	18	क्रियान्वित नहीं
15	एम.आर.-15 बायपास मार्ग से गोंदिया रोड	24	क्रियान्वित नहीं
16	एम.आर.-16 बायपास मार्ग से रेल्वे लाईन तक	18	क्रियान्वित नहीं
17	खण्डस्तरीय मार्ग	18	क्रियान्वित नहीं
18	उप खण्डस्तरीय मार्ग	12	क्रियान्वित नहीं
19	स्थानीय मार्ग	9	क्रियान्वित नहीं
20	साईकिल पथ/पादचारी मार्ग /ग्राम मार्ग	6	क्रियान्वित नहीं

क्रमांक	विवरण	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)	क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2020
1	2	3	4
वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई			
क्र०	मार्गों का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1.	शिवाजी मार्ग	9-12	12
2.	लक्ष्मीबाई	9-12	12
3.	जनपद मार्ग	9-12	12
4.	सरदार वल्लभ भाई मार्ग	9-12	12
5.	देशमुख मार्ग	9-12	12
6.	मोहन मार्ग	9-12	12
7.	छाबड़ा मार्ग	15-18	18
8.	शुक्ला मार्ग	15-18	18
9.	मोती तालाब से पुलिस लाईन	21-24	24
10.	आई0टी0आई0	24	24
11.	आर0टी0ओ0 कार्यालय के सामने	18	18
12.	आकाशवाणी कार्यालय	24	24
13.	गायखुरी मार्ग	15	15
14.	विवेकानंद कॉलोनी	24	24

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेशम

3.2.9 जलाशय

बालाघाट निवेश क्षेत्र में वर्तमान में स्थित तालाब/जलाशय है। जिनके विवरण निम्नानुसार है :-

सारणी 3.3 जलाशय

क्रमांक	तालाब/ जलाशय का नाम	क्षेत्र लगभग (हेक्टेयर)	तालाबों की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	डिपो के पास स्थित तालाब	2.33	तालाब के अधिकांश भाग का भराव हो चुका है।
2.	दरी तालाब	1.00	शासन द्वारा इस स्थल पर कम आय वर्ग के लिये पट्टे वितरित किये गये हैं, जिस पर मकान निर्मित होने से तालाब का स्वरूप समाप्त हो गया है।
3.	मोती तालाब	22.00	इस क्षेत्र में म0प्र0गृ0नि0म0 एवं पुलिस विभाग को 4.0 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है, जिस पर आवासीय कॉलोनी सिटी कोतवाली निर्मित है। 18.0 हेक्टेयर पानी तथा अंश क्षेत्र सूखा है।
4.	धोबी तालाब	2.37	तालाब के पास 38 पट्टे वितरित किये गये हैं, जिस पर आवासीय भवन निर्मित है, तथा शेष भाग सूखा होकर रिक्त है।
5.	आमा तालाब	4.60	वर्तमान में इस तालाब का उपयोग सिंचाई एवं अन्य कार्यों हेतु किया जा रहा है।

3.3 विकास योजना में उपांतरण

बालाघाट विकास योजना 2021 प्रभावशील होने के उपरांत राज्य शासन द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23(क) के विकास योजना में निम्न भूमि

उपयोग उपान्तरित किये हैं, जिनका समावेश बालाघाट विकास योजना 2021 में किया गया है, जिसका विवरण सारणी क्रमांक 3.4 में दर्शाया गया है।

सारणी 3.4 भूमि उपयोग उपांतरण

क्र०	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	विकास योजना 2011 के अनुसार भू-उपयोग	धारा 23 (क) के तहत उपांतरित भू-उपयोग	अधिसूचना विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	बूढी	नजूल शीट क्रमांक 306 प्लॉट नं० 301/2	0.1021 हे० (11000 वर्गफिट)	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा 18.0 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	मिश्रित एवं 18.0 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	क्रमांक 552/टीसी/उपा/नग्रानि/2021 भोपाल दिनांक 28.01.2021
2	बालाघाट नगर	नजूल शीट क्रमांक 306 प्लॉट नं० 21	0.7689 हे० में से 0.044973 हे०	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा मार्ग	मिश्रित एवं मार्ग (पुर्नघनत्वीकरण योजना)	क्रमांक 1381/टीसी/87/छिन्दवाड़ा/बालाघाट/नग्रानि/2022 भोपाल दिनांक 31.03.2022

3.4 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

बालाघाट विकास योजना-2021 में असंगत भूमि उपयोग को वर्तमान स्थल से अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित किया था। रपोम क्रियान्वयन की स्थिति सारणी 3-सा-5 में दर्शायी गई है।

सारणी 3.5 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना एवं क्रियान्वयन की स्थिति

क्रं.	उपयोग वर्णन	वर्तमान स्थल	स्थानांतरण का कारण	क्रियान्वयन की स्थिति
1	2	3	4	5
(अ) असंगत भूमि उपयोग				
1	चीर घर	चिकित्सालय परिसर	पर्यावरण की समस्या	क्रियान्वित
2.	जिला जेल	सिवनी मार्ग पर कालीपुतली चौक	सुरक्षा की दृष्टि से	क्रियान्वित
3.	देशी शराब दुकान	नगर सीमा के बाद	स्वास्थ्य की दृष्टि से	क्रियान्वित
4.	मटन मार्केट	बैहर मार्ग पर	पर्यावरण की समस्या	क्रियान्वित
5.	मछली मार्केट	ग्राम गोगलई (निवेश क्षेत्र के बाहर)	पर्यावरण की समस्या	क्रियान्वित
6.	कृषि उपज मंडी	ग्राम गोगलई (निवेश क्षेत्र के बाहर)	यातायात एवं वाहन विराम	क्रियान्वित
7.	मेसर्स राजेन्द्र कुमार वैध (कवेलू)	प्रस्तावित औद्योगिक	पर्यावरण की समस्या	क्रियान्वित
8.	प्राग इण्डस्ट्रीज	प्रस्तावित औद्योगिक	पर्यावरण की समस्या	क्रियान्वित
9.	भाटिया टाइल्स (बंद)	प्रस्तावित औद्योगिक	पर्यावरण की समस्या	क्रियान्वित नहीं
10.	महावीर टाइल्स	प्रस्तावित औद्योगिक	पर्यावरण की समस्या	क्रियान्वित

11.	भारत टाइल्स	प्रस्तावित औद्योगिक	पर्यावरण की समस्या	क्रियान्वित
12.	कृष्णा टाइल्स	प्रस्तावित औद्योगिक	पर्यावरण की समस्या	क्रियान्वित
13.	बेगड़ एण्ड कं0 इण्डस्ट्रीज	प्रस्तावित औद्योगिक	पर्यावरण की समस्या	क्रियान्वित नहीं
14.	कुन्दनभाई राठौर टाइल्स फैक्ट्री	प्रस्तावित औद्योगिक	पर्यावरण की समस्या	क्रियान्वित
15.	बैल बाजार	ग्राम पंचायत सरेखा	यातायात की समस्या	क्रियान्वित नहीं
16.	स्कूल (नगरपालिका)	गुजरी चौक	यातायात की समस्या	क्रियान्वित
(ब) अकार्यक्षम भूमि उपयोग				
1.	सब्जी बाजार	इतवारी बाजार, गुजरी बाजार	पार्किंग समस्या शहरी क्षेत्र के अंदर	क्रियान्वित
2.	बस डिपो (वर्तमान बस स्टेण्ड नगर पालिका परिसर के पास)	वर्तमान बस स्टेण्ड नगर पालिका परिसर के पास	पार्किंग समस्या शहरी क्षेत्र के अंदर	क्रियान्वित
3.	पेट्रोल पम्प	बस स्टेण्ड परिसर	यातायात की समस्या	क्रियान्वित

स्रोत : नगर तथा ग्राम निवेश

3.5 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण

3.5.1 निवेश क्षेत्र की जनसंख्या

जनगणना 2011 के अनुसार बालाघाट निवेश क्षेत्र की कुल जनसंख्या 164141 है जिसमें 93231 (56%) जनसंख्या नगरीय और 70910 (44%) जनसंख्या ग्रामीण है। जनगणना 2011 में निवेश क्षेत्र में पुरुष एवं महिला की जनसंख्या 77713 एवं 77704 क्रमशः है (सारणी क्रमांक 3.11)।

सारणी 3.6 निवेश क्षेत्र की जनसंख्या

क्र.	क्षेत्र	जनसंख्या			जनसंख्या वृद्धि दर (2001-2011)
		1991	2001	2011	
1	2	3	4	5	6
नगर पालिका क्षेत्र					
1	बालाघाट नगर पालिक परिषद क्षेत्र	67151	75997	93231	22.68
ग्रामीण क्षेत्र					
1	कोलवा	611	680	778	14.41
2	टवेझिरी	1039	1050	1208	15.05
3	बोदा	1492	1726	1875	8.63
4	आँवलाझिरी	2280	2746	3049	11.03
5	भरवेली	7578	9169	10357	12.96
6	हीरापुर	4306	5641	6315	11.95
7	भटेरा	1637	2047	2487	21.49
8	बघोली	1320	1485	1799	21.14
9	अमेड़ा	1917	2145	2421	12.87
10	बगदरा	2786	3155	3516	11.44
11	नवेगांव	1056	1309	1450	10.77
12	परसवाड़ा	857	924	1115	20.67
13	नैतरा	2752	3348	3867	15.50
14	लिंगा	3081	3561	3930	10.36
15	गोगलई	2190	2484	2893	16.47
16	खैरी	970	1130	1221	8.05
17	एकोड़ी	2199	2499	2748	9.96
18	रेंगाटोला	962	1144	1344	17.48
19	जागपुर	1873	2032	2269	11.66
20	रजेगांव	761	969	1010	4.23
21	अलेझरी	1461	1599	1907	19.26
22	गर्रा	2766	4635	5533	19.37
23	मांझापुर	1721	1937	2071	6.92
24	कनकी	3392	3890	4174	7.30
25	डुंगरिया	797	1054	1573	49.24
ग्रामीण क्षेत्र		51804	62359	70910	13.71
बालाघाट निवेश क्षेत्र		118955	138356	164141	18.64

स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

बालाघाट निवेश क्षेत्र में पिछले दशक (2001 से 2011) में हुए 25785 की कुल जनसंख्या वृद्धि में से, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों का योगदान क्रमशः 17234 और 8551 है। बालाघाट निवेश क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 66.84 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या और 33.16 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है। वर्ष 2001-2011 के बीच बालाघाट निवेश क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि दर 18.64 प्रतिशत थी।

सारणी 3.7 दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत)

क्र.	क्षेत्र	दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर	
		1991-2001	2001-2011
1	2	3	4
1	नगर पालिका परिषद क्षेत्र	13.17	22.68
2	ग्रामीण क्षेत्र	20.37	13.71
बालाघाट निवेश क्षेत्र		16.31	18.64

स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

3.5.1.1 वार्ड वार जनसंख्या

जनगणना 2011 अनुसार बालाघाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र 33 वार्डों में विभाजित था, जिसकी जनसंख्या 84261 है। वर्तमान में बालाघाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र 33 वार्डों में विभाजित है, जिसकी जनसंख्या 84261 है। बालाघाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र के वार्ड क्र. 13 की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसकी जनसंख्या 6278 है। नगर के वार्ड क्र. 22 सबसे कम जनसंख्या वाला वार्ड है, इसकी जनसंख्या 1274 है।


जनसंख्या विश्लेषण हेतु जनगणना 2011 (33 वार्ड) के आंकड़ों का उपयोग किया गया है।


3.5.1.2 जनसंख्या घनत्व

बालाघाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र के वार्ड क्र. 05 की जनसंख्या घनत्व 9.30 सबसे कम है। नगर के वार्ड क्र. 19 सबसे अधिक 310.01 जनसंख्या घनत्व वाला वार्ड है।

सारणी 3.8 वार्ड वार जनसंख्या घनत्व विवरण

क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड का कुल क्षेत्र हेक्टेयर में	जनसंख्या	जनसंख्या घनत्व
1	2	3	5	6
1	राय दुर्गा प्रसाद वार्ड	135.42	6088	44.95
2	शिवाजी वार्ड	27.36	4095	149.67
3	अंबेडकर वार्ड	75.18	2957	39.33
4	विवेकानंद वार्ड	254.17	3044	11.97
5	संजय वार्ड	270.17	2513	9.30





क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड का कुल क्षेत्र हेक्टेयर में	जनसंख्या	जनसंख्या घनत्व
1	2	3	5	6
6	डॉ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड	28.9	3123	108.06
7	सेठ पुसुमल सेठिया वार्ड	5.85	1319	225.47
8	कन्हैयालाल वार्ड	5.50	1333	242.36
9	अब्दुल जब्बार वार्ड	8.58	1482	172.72
10	मौलाना अब्दुल कलाम वार्ड	18.3	3038	166.01
11	नेहरू वार्ड	22.62	3330	147.21
12	राय शारदा प्रसाद वार्ड	4.18	1719	411.24
13	महाराणा प्रताप वार्ड	69.36	6279	90.52
14	दीवान बहादुर मुलना वार्ड	63.22	1556	24.61
15	इंदिरा गांधी वार्ड	10.8	1389	128.61
16	केलकर वार्ड	9.08	1455	160.24
17	सुभाष वार्ड	12.37	1452	117.38
18	तिलक वार्ड	4.61	1371	297.39
19	बिलथरे वार्ड	5.09	1578	310.01
20	महात्मा गांधी वार्ड	7.24	1280	176.97
21	रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड	7.09	1489	210.01
22	हनुमान मंदिर वार्ड	32.98	1281	38.84
23	राय बहादुर जटाशंकर वार्ड	139.23	2821	20.26
24	भगत वार्ड	31.41	3428	160.11
25	चंद्रशेखर आजाद वार्ड	14.76	1636	110.84
26	वल्लभ भाई पटेल वार्ड	12.94	2384	184.23
27	मदन मोहन मालवीय वार्ड	13.19	1701	128.96
28	सूरज प्रसाद तिवारी वार्ड	32.75	2831	86.44

क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड का कुल क्षेत्र हेक्टेयर में	जनसंख्या	जनसंख्या घनत्व
1	2	3	5	6
29	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड	20.7	1550	74.87
30	वीर सावरकर वार्ड	24.7	2572	104.12
31	रानी दुर्गावती वार्ड	16.65	2334	140.18
32	जयप्रकाश वार्ड	38.94	5380	138.16
33	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड	449.48	4453	9.90
कुल		1872.82	84261	1872.84

स्रोत: नगर पालिक परिषद एवं जी0आई0एस0 सर्वेक्षण


सारणी 3.9 वार्ड अनुसार जनसंख्या घनत्व विश्लेषण

Ward Wise Population Density (Minimum Value-2.82 Maximum Value-454.17)			
No.	Population Density	Ward Number	Total Ward
1	2	3	4
1	>280	18,19	2
2	210-280	7,8,12,21	4
3	140-210	2,9,10,11,16,20,26	7
4	70-140	6,13,15,17,25,27,28,29,30,31,32	11
5	<70	1,3,4,5,14,22,23,24,33	9
TOTAL			33

स्रोत: नगर पालिक परिषद

सारणी 3.10 पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या

क्र	क्षेत्र	1991		2001		2011	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8
नगर पालिका परिषद क्षेत्र							
1	बालाघाट नगर पालिक परिषद क्षेत्र	32594	29584	38710	36387	42372	41889
ग्रामीण क्षेत्र							
1	केलवा	293	318	330	350	368	410



क्र	क्षेत्र	1991		2001		2011	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8
2	टवेझिरी	544	495	525	525	611	557
3	बोदा	729	753	843	883	907	968
4	ऑवलाझिरी	1157	1123	1361	1385	1485	1564
5	भरवेली	3824	3754	4625	5444	5125	5232
6	हीरापुर	2207	2099	2821	2820	3213	3102
7	भटेरा	821	815	1008	1039	1242	1245
8	बघोली	662	658	734	751	872	927
9	अमेड़ा	951	956	1044	1101	1195	1226
10	बगदरा	1332	1454	1526	2629	1751	1765
11	नवेगांव	541	515	692	617	731	719
12	परसवाड़ा	433	424	450	474	548	567
13	नैतरा	1391	1361	1671	1617	1928	1932
14	लिंगा	1519	1582	1764	1797	1935	1995
15	गोगलई	1095	1085	1271	1213	1422	1771
16	खैरी	469	501	552	578	591	630
17	एकोड़ी	1067	1132	1216	1283	1329	1419
18	रेंगाटोला	490	472	565	1005	690	654
19	जगपुर	906	967	1027	1005	1130	1132
20	श्रजेगांव	384	397	481	488	496	514
21	अलेझरी	717	744	774	825	934	973
22	गर्रा	1396	1370	774	825	2776	2757
23	मांझापुर	865	858	981	956	1042	1029
24	कनकी	1703	1689	1926	1965	2109	2065
25	डुंगरिया	383	414	2331	2304	911	662
ग्रामीण क्षेत्र		25879	25936	31292	33879	35341	35815
बालाघाट निवेश क्षेत्र		98473	55520	70002	70266	77713	77704

स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

3.5.2 जनसंख्या लिंगानुपात

जनगणना 2011 के अनुसार, बालाघाट निवेश क्षेत्र का कुल लिंगानुपात 1000 है। बालाघाट ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 1013 है और बालाघाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र में लिंगानुपात 989 है।

सारणी 3.11 जनसंख्या एवं लिंगानुपात

क्र.	क्षेत्र	पुरुष	महिला	लिंगानुपात
1	2	3	4	5
नगर पालिका परिषद क्षेत्र				
1	बालाघाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र	42372	41889	989
ग्रामीण क्षेत्र				
1	कोलवा	368	410	1114
2	टवेझिरी	611	557	912
3	बोदा	907	968	1067
4	ऑवलाझिरी	1485	1564	1053
5	भरवेली	5125	5232	1021
6	हीरापुर	3213	3102	965
7	भटेरा	1242	1245	1002
8	बघोली	872	927	1063
9	अमेड़ा	1195	1226	1026
10	बगदरा	1751	1765	1008
11	नवेगांव	731	719	984
12	परसवाड़ा	548	567	1035
13	नैतरा	1928	1932	1002
14	लिंगा	1935	1995	1031
15	गोगलई	1422	1771	1245
16	खैरी	591	630	1066
17	एकोड़ी	1329	1419	1068
18	रेंगाटोला	690	654	948
19	जागपुर	1130	1132	1002
20	रजेगांव	496	514	1036
21	अलेझरी	934	973	1042
22	गर्रा	2776	2757	993

क्र.	क्षेत्र	पुरुष	महिला	लिंगानुपात
1	2	3	4	5
23	मांझापुर	1042	1029	988
24	कनकी	2109	2065	979
25	डुंगरिया	911	662	727
ग्रामीण क्षेत्र		35341	35815	1013
बालाघाट निवेश क्षेत्र		77713	77704	1000

स्रोत: भारत की जनगणना 2011

सारणी 3.12 वार्ड अनुसार लिंगानुपात

Ward Wise Sex Ratio (Minimum Value-857.70 Maximum Value-1181.47)			
No.	Sex Ratio (Females per 1000 Male)	Ward Number	Total Ward
1	2	3	4
1	>1050	23	1
2	1000-1050	3,4,5,6,7,8,12,18,24,27,32,	11
3	950-1000	1,2,9,10,11,13,15,17,20,21,22, 25,29, 30,31,33	16
4	900-950	16,19,26,28	4
5	<900	14	1
TOTAL			33

स्रोत: भारत की जनगणना 2011


3.5.3 शिशु जनसंख्या

शिशुओं की जनसंख्या की बात करें तो 0 से 6 साल के आयु वर्ग में शिशुओं की स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें शासन की विभिन्न योजनाओं जैसे की वृहद टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आई.सी.डी.एस. केन्द्रों में बच्चों की टीकाकरण एवं पोषण अभियानों के कारण बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलता है। कुपोषण से बचाव संबंधी अभियान के अंतर्गत सी.एच.सी. स्तर पर एन.आर.सी. सुविधायें उपलब्ध होने के कारण शिशुओं के स्वास्थ्य में दिनों दिन सुधार हो रहा है। यह वर्ग विभिन्न बीमारियों के संपर्क में सबसे अधिक आता है, जिससे कारण मृत्यु दर में वृद्धि होती है, परंतु शासन द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी अभियानों के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है।

जनगणना 2011 के अनुसार, बालाघाट निवेश क्षेत्र का कुल शिशु लिंगानुपात 941 है। बालाघाट ग्रामीण क्षेत्र में शिशु लिंगानुपात 978 है और बालाघाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र में शिशु लिंगानुपात 905 है।

सारणी 3.13 शिशु जनसंख्या एवं लिंगानुपात

क्र.	क्षेत्र	बालक	बलिकाएं	लिंगानुपात
1	2	3	4	5
नगर पालिका परिषद क्षेत्र				
1	बालाघाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र	4343	3931	905
ग्रामीण क्षेत्र				
1	कोलवा	49	45	918
2	टवेझिरी	96	90	938
3	बोदा	69	112	1623
4	ऑवलाझिरी	171	165	965
5	भरवेली	577	530	919
6	हीरापुर	350	336	960
7	भटेरा	151	125	828
8	बघोली	116	122	1052
9	अमेड़ा	154	135	877
10	बगदरा	216	163	755
11	नवेगांव	78	80	1026
12	परसवाड़ा	71	65	915
13	नैतरा	256	238	930
14	लिंगा	213	201	944
15	गोगलई	188	232	1234
16	खैरी	66	82	1242
17	एकोड़ी	143	150	1049
18	रंगाटोला	93	62	667
19	जागपुर	155	148	955
20	रजेगांव	65	75	1154
21	अलेझरी	116	109	940



क्र.	क्षेत्र	बालक	बलिकाएं	लिंगानुपात
1	2	3	4	5
22	गर्रा	382	341	893
23	मांझापुर	123	187	1520
24	कनकी	244	233	955
25	डुंगरिया	75	99	1320
ग्रामीण क्षेत्र		4117	4125	978
बालाघाट निवेश क्षेत्र		8560	8056	941

स्रोत: भारत की जनगणना 2011

सारणी 3.14 वार्ड अनुसार शिशु जनसंख्या

Ward Wise Child Population (0-6) (Minimum Value-0.72 Maximum Value-46.51)			
No.	Density	Ward Number	Total Ward
1	2	3	4
1	>11	3,5,31,	3
2	10-11	1,4, 7,12,17,24,29,	7
3	9-10	2,8,9,10,13,18,22,30,33	9
5	8-9	6,11,15,19,20,25,26,27,28	9
6	7-8	14,16,21,23,32	5
TOTAL			33

स्रोत: जनगणना 2011

सारणी 3.15 वार्ड अनुसार शिशु लिंगानुपात

Ward Wise Child Sex Ratio (Minimum Value-761.72 Maximum Value-1310.34)			
No.	Range	Ward Number	Total Ward
1	2	3	4
1	>1100	4,12,19	3
2	900-1100	1,2,3,8,10,15,16,17,18,22,24,26,30,32,33	15
3	700-900	5,6,7,11,13,20,23,25,27,28,31	11
4	500-700	9,14,21,29,	4
TOTAL			33


स्रोत: भारत की जनगणना 2011

3.5.4 साक्षरता

साक्षरता प्रमुख सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में से एक है जो किसी भी क्षेत्र के विकास पथ की रूपरेखा तैयार करने में सहायक है। जनगणना 2011 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता, बालाघाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र की साक्षरता से कम है। जनगणना 2011 अनुसार निवेश क्षेत्र में सबसे अधिक साक्षरता 85.90 गोगलई में दर्ज की गयी है जनगणना 2011 अनुसार निवेश क्षेत्र में सबसे कम साक्षरता 56.16 प्रतिशत, भरवेली में दर्ज की गयी है (सारणी क्रमांक 3.16)।


सारणी 3.16 साक्षर जनसंख्या एवं प्रतिशत

क्रं.	क्षेत्र	2011			
		साक्षर पुरुष	साक्षर महिला	साक्षरों की संख्या	साक्षरता प्रतिशत
1	2	6	7	8	9
नगर पालिका परिषद क्षेत्र					
1	बालाघाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र	36224	33214	69438	74.48
ग्रामीण क्षेत्र					
1	वेलवा	296	272	568	73.01
2	टवेझिरी	458	366	824	68.21
3	बोदा	713	675	1388	74.03
4	ऑवलाझिरी	1235	1083	2318	76.02
5	भरवेली	2134	3682	5816	56.16
6	ळीरापुर	2629	2123	4752	75.25
7	भटेरा	1013	890	1903	76.52
8	बघोली	676	559	1235	68.65
9	अमेड़ा	891	736	1627	67.20
10	ब्दरा	1399	1215	2614	74.35
11	नवेगांव	612	527	1139	78.55
12	परसवाड़ा	411	366	777	69.69
13	नैतरा	1466	1179	2645	68.40
14	लिंगा	1489	1314	2803	71.32
15	गोगलई	1552	933	2485	85.90
16	खैरी	472	399	871	71.33
17	एकोड़ी	1048	916	1964	71.47
18	रेंगाटोला	644	455	1099	81.77



Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCBT, Bhopal

Source: Census of India, 2011



क्र.	क्षेत्र	2011			
		साक्षर पुरुष	साक्षर महिला	साक्षरों की संख्या	साक्षरता प्रतिशत
1	2	6	7	8	9
19	जगपुर	865	786	1651	72.76
20	श्रजेगांव	369	266	635	62.87
21	अलेझरी	711	619	1330	69.74
22	गरा	2077	1716	3793	68.55
23	मांझापुर	805	653	1458	70.40
24	कनकी	1703	1451	3154	75.56
25	डुंगरिया	780	412	1192	75.78
ग्रामीण क्षेत्र		26448	23593	50041	70.57
बालाघाट निवेश क्षेत्र		62672	56807	119479	72.80

स्रोत: भारत की जनगणना 2011

सारणी 3.17 वार्ड अनुसार साक्षरों की जनसंख्या प्रतिशत

Ward Wise Literacy (Minimum Value-68.58 Maximum Value-87.86)			
No.	Literacy	Ward Number	Total Ward
1	2	3	4
1	85-90	9,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,32	14
2	80-85	2,6,8,10,11,12,13,14,22,30,33	11
3	75-80	1,3,4,7,24,29	6
4	<75	5,31	2
TOTAL			33


स्रोत: भारत की जनगणना 2011

3.5.5 अनुसूचित जाति

जनगणना 2001 अनुसार बालाघाट निवेश क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 12955 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 17047 हो गयी है। वर्ष 2001 में बालाघाट निवेश क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 9.36 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 10.38 प्रतिशत हो गयी है।

सारणी 3.18 अनुसूचित जाति महिला-पुरुष की जनसंख्या

क्र.	क्षेत्र	2001			2011		
		अनुसूचित जाति पुरुष	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति जनसंख्या	अनुसूचित जाति पुरुष	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
नगर पालिका परिषद क्षेत्र							
1	बालाघाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र	3496	3450	6946	4182	4220	8402
ग्रामीण क्षेत्र							
1	कोलवा	00	00	00	9	10	19
2	टवेझिरी	33	36	69	84	90	174
3	बोदा	39	42	81	00	00	0
4	आँवलाझिरी	235	272	507	112	125	237
5	भरवेली	662	618	1280	970	1020	1990
6	हीरापुर	443	434	877	496	515	1010
7	भटेरा	38	47	85	55	53	108
8	बघोली	0	0	00	25	32	57
9	अमेड़ा	76	69	145	135	128	263
10	बगदरा	55	59	114	06	14	20
11	नवेगांव	36	39	75	135	117	252
12	परसवाड़ा	33	41	74	01	0	01
13	नैतरा	79	97	176	224	242	466
14	लिंगा	130	140	270	45	50	95
15	गोगलई	118	91	209	59	46	105
16	खैरी	41	35	76	173	224	397
17	एकोड़ी	139	125	264	420	447	867
18	रेंगाटोला	35	30	65	40	45	85
19	जागपुर	114	95	209	55	58	113



क्र.	क्षेत्र	2001			2011		
		अनुसूचित जाति पुरुष	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति जनसंख्या	अनुसूचित जाति पुरुष	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
20	रजेगांव	86	96	182	60	49	109
21	अलेझरी	136	165	301	100	97	197
22	गरा	190	192	382	399	385	784
23	मांझापुर	49	67	116	258	222	480
24	कनकी	172	177	349	157	202	399
25	डुंगरिया	46	57	103	193	224	417
ग्रामीण क्षेत्र		2985	3024	6009	4211	4395	8645
बालाघाट निवेश क्षेत्र		6481	6474	12955	8393	8615	17047

स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

3.5.6 अनुसूचित जनजाति

जनगणना 2001 अनुसार बालाघाट निवेश क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 15894 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 18002 हो गयी है। वर्ष 2001 में बालाघाट निवेश क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 11.48 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में घटकर 10.96 प्रतिशत हो गयी है।

सारणी 3.19 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

क्र.	क्षेत्र	2001			2011		
		अनुसूचित जनजाति पुरुष	अनुसूचित जनजाति महिला	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति पुरुष	अनुसूचित जनजाति महिला	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
नगर पालिका परिषद क्षेत्र							
1	बालाघाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र	1950	1867	3856	2192	2384	4576
ग्रामीण क्षेत्र							
1	कोलवा	37	19	56	19	09	28
2	टवेझिरी	176	82	258	174	184	358
3	बोदा	00	00	00	00	00	00
4	ऑवलाझिरी	223	107	330	237	112	349

क्र.	क्षेत्र	2001			2011		
		अनुसूचित जनजाति पुरुष	अनुसूचित जनजाति महिला	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति पुरुष	अनुसूचित जनजाति महिला	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
5	भरवेली	1640	833	2473	1990	970	2960
6	हीरापुर	825	407	1232	1010	496	1506
7	भटेरा	93	47	140	108	55	163
8	बघोली	38	18	56	57	25	82
9	अमेड़ा	210	106	316	263	135	398
10	बगदरा	13	06	19	20	06	26
11	नवेगांव	295	117	412	252	135	387
12	परसवाड़ा	8	6	14	1	1	02
13	नैतरा	354	170	524	466	124	1114
14	लिंगा	86	42	128	95	45	140
15	गोगलई	95	49	144	105	59	164
16	खैरी	371	177	548	393	173	566
17	एकोड़ी	757	368	1125	867	420	1287
18	रेंगाटोला	76	37	113	85	40	125
19	जागपुर	117	59	176	113	55	168
20	रजेगांव	98	53	151	109	68	177
21	अलेझरी	142	69	211	199	100	299
22	गर्रा	787	387	1174	784	399	1183
23	मांझापुर	447	833	1288	480	258	738
24	कनकी	394	168	580	399	197	596
25	डुंगरिया	386	184	570	417	193	610
ग्रामीण क्षेत्र		7668	4344	12038	8643	4259	13426
बालाघाट निवेश क्षेत्र		9618	6211	15894	10835	6643	18002

स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

सारणी 3.20 वार्ड अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

Ward Wise SC/ST Population (Minimum Value-0.72 Maximum Value-46.51)			
No.	SC ST Population	Ward Number	Total Ward
1	2	3	4
1	>30	13,14	02
2	20-30	1,23,24,29,30	05
3	10-20	2,3,6,11,12,15,28,32,33	09
4	0-10	4,5,7,8,9,10,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,31	17

स्रोत: भारत की जनगणना 2011

3.5.7 कार्यशील जनसंख्या

रोजगार के विभिन्न संसाधनों के राष्ट्रीय वर्गीकरण के आधार पर नगर में निवासरत कार्यशील जनसंख्या के गुणात्मक प्रभाव की विवेचना की जाती है, जिसके तहत कृषि एवं उस पर आधारित/आश्रित श्रमिक गृह उद्योग एवं उत्पादन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक तथा व्यापार/व्यवसाय एवं सेवा में कार्यरत श्रमिक को समाहित किया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार श्रमिकों को काश्तकार, कृषि श्रमिक, घरेलू उद्योग श्रमिक एवं अन्य श्रमिक की श्रेणियों में बाँटा गया है।

सारणी 3.21 कुल श्रमिकों की तुलना में मुख्य श्रमिकों का अनुपात (प्रतिशत)

क्रं.	क्षेत्र	कुल श्रमिकों में मुख्य श्रमिकों का प्रतिशत		
		कुल श्रमिक	मुख्य श्रमिक	अनुपात
1	2	3	4	5
नगर पालिका परिषद क्षेत्र				
1	बालाघाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र	28420	25618	90.15
ग्रामीण क्षेत्र				
1	कोलवा	399	398	99.74
2	टवेझिरी	668	287	42.96
3	बोदा	982	960	97.75
4	ऑवलाझिरी	1200	955	79.58
5	भरवेली	3606	2384	74.03
6	हीरापुर	2392	1925	80.47
7	भटेरा	1238	1128	91.11
8	बघोली	914	896	98.03
9	अमेड़ा	1365	367	26.88
10	बगदरा	1776	1339	75.39
11	नवेगांव	753	413	54.84
12	परसवाड़ा	596	455	76.34
13	नैतरा	1783	1450	81.32
14	लिंगा	1948	1619	81.60
15	गोगलई	1354	1014	74.88
16	खैरी	713	296	41.56
17	एकोड़ी	1468	1174	79.97
18	रेंगाटोला	701	473	67.47
19	जागपुर	1232	880	75.42
20	रजेगांव	307	23	7.49
21	अलेझरी	1017	508	49.95

क्रं.	क्षेत्र	कुल श्रमिकों में मुख्य श्रमिकों का प्रतिशत		
		कुल श्रमिक	मुख्य श्रमिक	अनुपात
1	2	3	4	5
22	गर्रा	2355	2089	88.70
23	मांझापुर	945	597	63.17
24	कनकी	2039	722	35.40
25	डुंगरिया	715	388	54.26
ग्रामीण क्षेत्र		32466	22740	70.05
बालाघाट निवेश क्षेत्र		60886	48358	79.42

स्रोत: भारत की जनगणना 2011

3.6 नगरीय विस्तार

बालाघाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र का सर्वप्रथम गठन सन् 1877 में नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत किया गया, जिसका क्षेत्रफल 1703.655 हेक्टेयर था। म.प्र. राजपत्र दिनांक 12 अगस्त 1974 को पृष्ठ क्रमांक 877 पर प्रकाशित सूचना क्रमांक 243-अठारह-तीन-94 बालाघाट द्वारा नगर पालिका परिषद क्षेत्र को 33 वार्डों में विभक्त किया गया है।

सारणी 3.22 नगरीय विस्तार एवं वार्डों की संख्या


क्रं.	वर्ष	वार्ड की संख्या
1	2	3
1.	1877	33
2.	1975	33
3.	1984	33
4.	1994	33
5.	2014	33


स्रोत : बालाघाट विकास योजना 2011 एवं नगर पालिका परिषद

वर्ष 2006 के पूर्व नगरीय गतिविधियाँ प्रमुखतः बालाघाट के संस्पर्शी क्षेत्र तक केंद्रित थी, किन्तु वर्ष 2010-2019 की समयावधि में नगर विस्तार गोंदिया, राजेगांव एवं भटेरा मार्ग के आस-पास के क्षेत्र में हुआ है।

3.7 गंदी बस्तियाँ

बालाघाट नगर पालिका परिषद से प्राप्त आंकड़ों अनुसार गंदी बस्तियों में 1610 झुग्गी झोपड़ियाँ हैं (वार्ड नं0 1 गौरीशंकर नगर, वार्ड नं0 3 डों0 खरे की सामने, वार्ड नं0 33 गायखुरी आवास टोली, वार्ड नं0 33 चिमनी टोला, वार्ड नं0 23 पावर रोड) तथा 322 परिवार निवास करते हैं। इस प्रकार गंदी बस्ती में निवास कर रही जनसंख्या नगर की कुल जनसंख्या का लगभग 1.9 प्रतिशत है।





132

3.8 अनुमानित जनसंख्या

बालाघाट निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 1991 में 118955 थी, जो 2001 में 138356 तथा 2011 में बढ़कर 164141 हो गई (सारणी क्रमांक 3.6)। नगर की भावी आवश्यकताओं का निर्धारण मुख्यतः भावी अनुमानित जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। नगर की जनसंख्या अनुमानित करने में विभिन्न घटक जैसे नगर की जनसंख्या वृद्धि दर, आर्थिक रूप रेखा, शासन की औद्योगिक नीति आदि को विशेष महत्व दिया जाना आवश्यक है। बालाघाट नगर की जनसंख्या का अनुमान क्षेत्रीय महत्व आदि को भी दृष्टिगत रखते हुये किया गया है। वर्ष 2035 की भावी जनसंख्या के आकलन करने हेतु, वर्ष 1991 से 2011 तक की जनगणना जानकारी एकत्र की गई, एवं विभिन्न सांख्यिकी पद्धति के आधार पर अंकगणितीय वृद्धि पद्धति, ज्यामितीय वृद्धि पद्धति, इंक्रीमेंटल वृद्धिपद्धति एवं घातांकीय वृद्धि पद्धति द्वारा की गई।

सारणी 3.23 बालाघाट निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या (वर्ष 2035)

क्र.	जनसंख्या अनुमानित पद्धति	2035
1	2	3
1	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method)	310032
2	अंकगणितीय वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progressione Method)	233813
3	ज्यामितीय वृद्धि पद्धति (Geometric Method)	401211
4	घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Method)	462199

स्रोत:- भारत की जनगणना 1991,2001,2011

टीप : - एवरेज जनसंख्या के अनुसार 351813 को ही मान्य करते हुये विकास योजना तैयार किये गये हैं।

अतः अनुमानित जनसंख्या हेतु अधिकतम जनसंख्या 462199 घातांकीय वृद्धि पद्धति का उपयोग करते हुये प्रक्षेपित की गई है, जिसके आधार पर वर्ष 2035 की जनसंख्या 3.50 लाख अनुमानित करते हुये विकास योजना के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं।

3.9 आवास आवश्यकता

नगर पालिका परिषद बालाघाट जानकारी अनुसार 2021 तक आवासों की संख्या 20000 उपलब्ध है। वर्ष 2035 तक कुल 3000 आवासों की आवश्यकता होगी। इस आधार पर परिवार का आकार 05 व्यक्ति आता है।

सारणी 3.24 वर्ष 2020 अनुसार आवास आवश्यकता

क्रं.	विवरण	आवासों की संख्या
1	2	3
1	वर्ष 2020 तक आवासों की संख्या	20000
2	वर्ष 2035 तक आवासों की आवश्यकता	3000

स्रोत: नगर पालिका परिषद, बालाघाट, नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा अनुमानित

3.10 भौतिक अधोसंरचना


वर्ष 2035 तक बालाघाट निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 3.50 लाख तक पहुँचना अनुमानित है। नगर अधोसंरचना के घटकों का विकास जैसे जल प्रदाय, निकासी नालियां तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को इस प्रकार प्रस्तावित किया जाना है, जिससे नगर वासियों को स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराया जा सके। इसके अतिरिक्त नगर विकास योजना, वृहद् पर्यावरणीय प्रबंध योजना तथा नगरीय जल प्रदाय एवं पर्यावरणीय सुधार योजना के प्रस्ताव भी यथा आवश्यक उचित सुधारों के साथ इस विकास योजना में समाविष्ट किया जाना है।

3.10.1 जल प्रदाय

बालाघाट नगर में वर्तमान स्थिति के अनुसार जल प्रदाय का प्रमुख जल स्रोत वैनगंगा नदी है। नगर में जल प्रदाय हेतु 08 जल संग्रहण टंकिया उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से शहर में जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक नल कूपों एवं कुओं से जल प्रदाय किया जाता है। बालाघाट नगर में वर्तमान जल प्रदाय हेतु शहरी क्षेत्र वार्ड नं0 1 (ग्राम-बूढी) में वैनगंगा नदी पर वर्तमान में 3 फिल्टर प्लांट से लगभग 25 एम.एल.डी. के जल शोधन संयंत्र स्थित है। अतः नगर में कुल 25 एम.एल.डी. शोधन क्षमता एवं जल प्रदाय करने हेतु कुल जल संग्रहण क्षमता 62 एम.एल.डी. उपलब्ध है। जिसके अनुसार वर्तमान में शहर में केवल 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की जल प्रदाय क्षमता है। शहर की जनसंख्या के अनुसार 2.0 योजना के अंतर्गत 11 एम.एल.डी. का फिल्टर प्लांट एवं 450 के.एल. क्षमता की पानी की टंकी प्रस्तावित है।

3.10.1.1 मांग का आकलन एवं जल प्रदाय स्रोत (Demand & Gap Analysis)

केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यांत्रिकी संगठन की जल प्रदाय एवं उपचार हेतु जारी निर्देशिका में यह सुझाव दिया गया है कि उन बड़े शहरों में जहां जल प्रदाय रास्ता अस्तित्व में हो या बनाई जाने वाली हो वहां प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन 150 लीटर पानी प्रदाय किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय बिल्डिंग संहिता, जल प्रदाय की आधारभूत आवश्यकता निकासी एवं स्वच्छता प्रबंध संहिता (आई.एस.: 1172-1983) में न्यूनतम 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय ऐसे सभी निवासियों के लिये जहां मल निकासी के लिये पूर्ण तेज बहाव (फलस) व्यवस्था हो, किये जाने का अनुमोदन किया गया है।



अतः 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय पाइप लाइन से किया जाये तो इस दर से शहर में निम्नानुसार जल आपूर्ति की आवश्यकता होगी :-

सारणी 3.25 जल आपूर्ति आकलन

क्रं.	वर्ष	जनसंख्या	जल आपूर्ति मात्रा (लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)	कुल जल आपूर्ति मात्रा (एम.एल.डी. में)
1	2	3	4	5
1	2011	164141	135	22.16
2	2035	350000	135	47.25

वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 3.50 लाख के लिए 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की आवश्यकता अनुसार कुल 47.25 एम.एल.डी. जल की आवश्यकता होगी। भविष्य में बालाघाट निवेश क्षेत्र में जल संग्रहण क्षमता पर्याप्त उपलब्ध है।

यह प्रस्तावित है कि वर्ष 2035 तक पर्याप्त प्रदाय दबाव सहित नगर की 100 प्रतिशत जनसंख्या को पाइप द्वारा जल प्रदाय व्यवस्था में सम्मिलित किया जावे। वर्तमान में नगर लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या को ही पाइप द्वारा जल प्रदाय उपलब्ध है।

पेयजल के दुरुपयोग को रोकने तथा प्रदाय व्यवस्था में उच्चतर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सेवा मीटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त जब तक उन्हें जल के वास्तविक उपयोग पर आधारित न किया जावे। जल दरों की व्यवस्था का निर्माण दक्षताओं हेतु आवश्यक है।

3.10.2 नालियां तथा मल उपचार

घरेलू मल निकासी हेतु सेनेटिरी नालियां तथा वर्षा जल की निकासी हेतु वर्षा जल प्रवाह नालियां, इस प्रकार पृथक-पृथक नालियां उपलब्ध कराई जाएगी। शहर में निकासी व्यवस्था हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण बनाए गए हैं:-

1. 100 प्रतिशत नगर को सम्मिलित करती हुई नाली व्यवस्था।
2. जल निकासी व्यवस्था का निर्धारण तथा सेवाओं पर निगरानी।
3. अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु उपचारण, पुनर्चक्रीकरण व पुनः उपयोग।
4. वाणिज्यिक स्थानों, बगीचों तथा लोक स्थानों पर सुव्यवस्थित सशुल्क शौचालय।
5. पर्यटकों की सुविधा हेतु चलित-शौचालय अथवा स्वच्छ आधुनिक (मॉड्यूलर)/जैविक शौचालय की व्यवस्था।
6. जन सामान्य हेतु उक्त सभी व्यवस्थाएँ आर्थिक रूप से वहन किए जाने योग्य होगी।

3.10.2.1 अपशिष्ट जल प्रवाह

अपशिष्ट जल प्रवाह की दर जनसामान्य को प्रदाय की गई जल की दर तथा भू-जल रिसावों की दर पर निर्भर करती है। सामान्य व्यवहार के अनुसार अनुमानतः जल उपभोग का 80 प्रतिशत अपशिष्ट जल प्रवाह में परिवर्तित होता है। सामान्यतः अधिकांश क्षेत्र में पाईप लाईनों का स्तर भूमि जल स्तर के ऊपर होना प्रस्तावित है और इसलिए भूमि जल रिसाव को अनदेखा कर दिया जाता है। भूमि जल रिसाव के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट वैज्ञानिक तथा तकनीकी अध्ययन अनुसार तैयार किया जाना प्रस्तावित है, जिससे जल संसाधन का अधिकतम संरक्षण किया जा सके।

• फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट

बालाघाट नगर में शौचालय से निकलने वाले अपशिष्ट जल प्रबंधन/उपचार के लिए टैन्चिंग ग्राउण्ड शहर के बाहर 4 कि०मी० की दूरी पर ग्राम रेंगाटोला में 60 के.एल.डी. की क्षमता का फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थित है। वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 3.50 लाख के लिए फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट केवल घरों के शौचालय/सेप्टिक टैंक से निकलने वाले मल एवं अपशिष्ट जल के उपचारण हेतु उपयोगी है। इसके द्वारा सामान्यतः अपशिष्ट जल का उपचारण नहीं किया जाता है।

वर्तमान में शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट उपलब्ध नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप अपशिष्ट जल, अनुपचारित ही नालियों के माध्यम से बड़े नालों में प्रवाहित हो रहा है। अतः नगर के नियोजित विकास के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं सीवरेज प्रणाली का विकास किया जाना प्रस्तावित है। उक्त हेतु विकास योजना में ग्राम गायखुरी में वैनगंगा नदी से लगकर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विकास किया जाना प्रस्तावित है।


शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2035 की प्रस्तावित जनसंख्या 3.50 लाख अनुसार लगभग 13 एम.एल.डी. अपशिष्ट जल उपचार हेतु शोधन संयंत्र की आवश्यकता है।

3.10.2.2 वर्षा जल निकासी

बालाघाट शहर में स्थित पहाड़ियों के कारण पानी का निकास बहुत जल्दी हो जाता है। शहर में स्थित मध्य तथा निचले क्षेत्र में भूमिगत अथवा खुले नालों की व्यवस्था के अभाव में पानी की निकासी नहीं हो पाती है, जिससे इन क्षेत्रों में पानी भर जाता है। नगर के मध्य तथा निचले क्षेत्रों में भूमिगत नालियों एवं खुली नालियों की अत्यंत आवश्यकता है। जिससे जल निकासी सुगमता से हो सके।

3.10.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

नगर में प्रतिदिन लगभग 20 टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। ठोस अपशिष्ट के विसर्जन हेतु नगरपालिका द्वारा श्मशानघाट मार्ग के निकट की भूमि ट्रेचिंग ग्राउंड के रूप



में प्रयुक्त की जाती है। भूमि प्रशासन द्वारा नगर पालिका परिषद बालाघाट को आवंटित की गई है। नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा इस भूमि को लेण्ड फिल साइट के रूप में उपयोग में लायी जाती है। नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा वैज्ञानिक तरीके से बायोडिग्रेडेबल एवं नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे का पृथक्कीकरण करके ठोस अपशिष्ट निष्पादन की कार्यवाही की जा रही है।

बालाघाट शहर से निकलने वाले कचरे को नगर पालिका परिषद की कचरा संग्रहण वाहन (Door To Door Collection) के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है तदोपरांत ट्रेचिंग ग्राउण्ड क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का शोधन किया जाता है, जिसमें वर्तमान में घरों एवं शहर के अन्य हिस्सों से प्राप्त होने वाला गीला एवं सूखा कचरा (ठोस अपशिष्ट पदार्थ), को जैविक एवं अकार्बनिक प्रक्रिया से जैविक खाद के रूप में तैयार किया जाता है।

बालाघाट शहर के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निम्नलिखित योजना प्रस्तावित है—

- तालाबों एवं मार्गों के किनारों पर नागरिकों द्वारा गंदगी फैलने वाले, गंदगी के स्थानों का चिन्हित करने के उपरांत उन जगहों पर कचरा पेटी लगाई जाना चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया का बेहतर प्रबंधन बालाघाट नगर पालिका परिषद द्वारा किया जाना चाहिये।

3.10.4 विद्युत प्रदाय

नगर में विद्युत वितरण म.प्र. विद्युत मण्डल विभाग बालाघाट द्वारा प्रदाय किया जाता है। राष्ट्रीय विद्युत पॉलिसी-2005 के मापदण्ड अनुसार वर्ष 2035 की प्रस्तावित जनसंख्या अनुसार विद्युत प्रदाय की क्षमता पर्याप्त है।

3.11 सामाजिक अधोसंरचना

3.11.1 अग्निशमन

बालाघाट नगर का वर्तमान में अग्निशमन केंद्र नगर पालिका परिषद कार्यालय परिसर में स्थित है, जिसके द्वारा शहर में आगजनी की स्थिति को नियंत्रण किया जाता है। शहर की प्रस्तावित वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर नवीन अग्निशमन केन्द्र बालाघाट नगर पालिका परिषद द्वारा विकसित किया जाना एवं अग्निशमन वाहनों की संख्या में वृद्धि करना प्रस्तावित है।

3.11.2 पुलिस कार्यालय

बालाघाट नगर में एक पुलिस थाना है जो सुभाष मार्ग एवं दूसरा नवेगांव पर स्थित है। इसके अलावा मेन रोड पर पुलिस कन्ट्रोल रूम, सिटी कोतवाली मोतीनगर रोड पर है। जन सामान्य की सुरक्षा की दृष्टि से इनकी संख्या में वृद्धि किया जाना आवश्यक है। बालाघाट में रेल्वे स्टेशन के पास बैहर बायपास के पास नया थाना खोला जाना उचित होगा।

3.11.3 वाचनालय

वर्तमान में बस स्टेण्ड में वाचनालय संचालित है। शहर की प्रस्तावित वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर नवीन वाचनालय पुराना केन्द्रीय विद्यालय के आस पास विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

3.11.4 शमशान घाट /कब्रिस्तान

वर्तमान में निवेश क्षेत्र में बायपास मार्ग के कोरनर में 01 शमशान घाट एवं 01 कब्रिस्तान आकाशवाणी के पास क्रिस्चियन धर्म का स्थित है। साथ ही भविष्य में शमशान घाट/कब्रिस्तान ग्राम बुढ़ी-भटेरा के मध्य में प्रस्तावित किया जाना उचित होगा।

3.11.5 धोबी घाट

नगर में वर्तमान में धोबी घाट मोती तालाब से लगकर स्थित है। जिसके तालाबों का जल प्रदूषित होता है। अतः इस समस्या के निदान हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा धोबी घाट विकास किया जाना चाहिए।

3.11.6 दूरसंचार


बालाघाट नगर में दूरसंचार के साधन में विभिन्न कम्पनियों (बी.एस.एन.एल.,आईडिया, ऐयरटेल, रिलायंस) के मोबाईल टॉवर्स स्थापित हैं। जो शहर में सुचारु रूप से संचार सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य डाक घर एवं मुख्य दूरभाष केंद्र भी स्थित है।


3.11.7 सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं

सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं वर्तमान में ए.टी.एम. एवं वर्तमान सार्वजनिक शौचालयों की जानकारी मानचित्र में दर्शायी गयी है।

3.11.8 सी.एन.जी. गैस वितरण सेवा

वर्तमान में बालाघाट निवेश क्षेत्र में खाना बनाने में एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों के माध्यम से घरों में पहुंचाई जाती है। प्रस्तावित विकास योजना 2035 में सी.एन.जी. गैस पाइप लाइन द्वारा गैस की सप्लाई दी जाना प्रस्तावित है।





अध्याय-4 विकास योजना 2035 के प्रास्तव

भूमि उपयोग योजना को नगरीय और ग्रामीण समुदायों के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक दक्षता, स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भूमि, संसाधनों, सुविधाओं और सेवाओं के वैज्ञानिक, कलात्मक, और व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है।

भूमि उपयोग योजना का लक्ष्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिये सुविधाजनक, न्याय संगत, स्वस्थ, कुशल और आकर्षक वातावरण बनाकर लोगों और उनके समुदायों के कल्याण को आगे बढ़ाना है।

4.1 विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन

बालाघाट विकास योजना 2021 प्रस्तावित जनसंख्या 1.50 लाख हेतु दिनांक 23.05.2006 से प्रभावशील है। बालाघाट विकास योजना 2021 की समयावधि पूर्ण हो चुकी है। अतः नगर के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन किया जाकर वर्ष 2035 के लिए अनुमानित जनसंख्या 3.50 लाख हेतु तैयार की गई है। जिसमें वर्तमान विकसित क्षेत्र को समाहित कर नवीन प्रस्ताव दिये गये हैं, जो नगर के विकास के साथ नगरीय जीवन स्तर के उन्नयन एवं आर्थिक विकास हेतु उपयोगी होंगे।

4.2 योजना अवधारणा

नगर का नैसर्गिक आकार नदी, नाले, पहाड़ एवं नगर के मध्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजमार्ग तथा क्षेत्रीय मार्गों पर निर्भर करता है। नगर का वर्तमान विस्तार मुख्यतः बालाघाट-गोंदिया मार्ग, बालाघाट-बैहर मार्ग, बालाघाट-वारासिवनी मार्ग, बालाघाट-बरघाट मार्ग एवं स्थानीय मार्ग के किनारे-किनारे भी विकसित है। नगर का विकास तथा मुख्य गतिविधियाँ भी इन मार्गों के आस-पास संचालित होती है। नगर का भौतिक विकास प्राकृतिक एवं मानव निर्मित बाधाओं से प्रभावित होता है।

वर्तमान में गुजरी चौक, हनुमान चौक एवं सब्जी बाजार नगर स्तरीय कार्यकलापों के केन्द्र है। मिश्रित भू-उपयोग के वर्तमान स्वरूप को भी विकास योजना में यथावत रखा जाना प्रस्तावित है। क्षेत्रीय यातायात हेतु बाय-पास मार्ग का प्रस्ताव, स्टेडियम, उद्यान हेतु प्रस्ताव विकास योजना के प्रमुख प्रस्तावों में शामिल है।

वर्तमान में हो रहे विकास की दिशा को दृष्टिगत रखते हुये नगर का भावी विकास एवं स्वरूप का निर्धारण किया गया है, फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रों को प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना एवं यातायात के द्वारा समुचित रूप में जोड़े जाने की भी

आवश्यकता है, ताकि इन सभी क्षेत्रों में आपसी सह-संबंध एवं युक्तियुक्त सामंजस्य स्थापित किया जा सके। इस प्रकार नगर का विकास एकीकृत रूप से हो सकेगा।

नगर के मध्य क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं आवासीय दबाव को कम करने की दिशा में प्रस्तावित विभिन्न क्षेत्र में इस हेतु उचित प्रावधान किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये नवीन प्रस्ताव रखे गये हैं, ताकि मध्य क्षेत्र में इन गतिविधियों का केन्द्रीकरण हो सके। नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुये नगरीय सुविधाओं के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर सुविधाओं को प्रस्तावित किया गया है।

4.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता

बालाघाट विकसित क्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक, मिश्रित, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सावर्जनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवाएं, परिवहन एवं आमोद-प्रमोद क्षेत्र में सम्मिलित हैं। रिक्त भूमि, जलाशय, वन क्षेत्र, ग्रामीण निर्मित क्षेत्र एवं कृषि भूमि सम्मिलित नहीं है।

यू.आर.डी.पी.एफ.आई. (URDPFI) मानक में विभिन्न श्रेणियों के नगरों के लिए व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व अनुशासित है। बालाघाट मध्यम श्रेणी का नगर है एवं यहां मुख्यतः कम एवं मध्यम ऊँचाई के भवन निर्मित है। बालाघाट निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित उपयोग हेतु भूमि का चयन करने हेतु समन्वित भूमि उपयोग उपयुक्तता का विश्लेषण किया गया है, जिसका मुख्य आधार भौगोलिक विशेषताएँ एवं पर्यावरणीय घटकों का संयुक्त रूप से "Multicriteria Index" के माध्यम से विश्लेषण है।

4.4 विकास योजना 2035 के प्रस्ताव

अतीत एवं वर्तमान जन सांख्यिकीय संरचना, स्थलाकृति, वनस्पति, जीव, परिवहन तंत्र, भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना और भविष्य की जनसंख्या जैसे कारकों को ध्यान में रखकर बालाघाट निवेश क्षेत्र के लिये प्रस्तावित विकास योजना 2035 का भूमि उपयोग इस प्रकार तैयार किया गया है। बालाघाट निवेश क्षेत्र का प्रस्तावित और मौजूदा भूमि उपयोग का ब्यौरा नीचे उल्लिखित है।

सारणी 4.1 बालाघाट निवेश क्षेत्र का प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

क्रं.	भू-उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र 2021 (हेक्टेयर में)	विकसित क्षेत्र 2022			प्रस्तावित क्षेत्र 2035			
			क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्रियान्वयन का प्रतिशत	उपयोगिता दर	प्रस्तावित क्षेत्र	कुल क्षेत्रफल (हे० में) (4+7)	प्रतिशत	उपयोगिता दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आवासीय	675	1002.6	148.53	6.68	1270.05	2272.65	54.24	6.49
2.	वाणिज्यिक	75	51.5	68.66	0.45	42.98	94.48	2.25	0.27
3.	मिश्रित	-	34.57	34.57	0.23	168.97	202.54	483	0.58
4.	औद्योगिक	60	104.09	173.48	1.15	71.95	176.04	4.20	0.50
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	120.00	347.03	289.19	1.92	64.52	411.55	9.82	1.18
6.	सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ	45.00	24.84	55.2	0.36	16.22	41.06	.98	0.12
7.	आमोद-प्रमोद	150.00	63.18	42.12	0.28	242.41	305.59	7.29	0.87
8.	यातायात एवं परिवहन	375.00	505.19	134.71	0.89	181.10	686.29	16.38	1.96
योग		1507	2133	141.53	14.22	2047.2	4190.20	100	11.97

स्रोत : जी.आई.एस. विश्लेषण एवं जनगणना 2021

टीप:-

- वर्ष 2035 की प्रक्षेपित जनसंख्या 3.50 लाख के अनुसार भूमि उपयोगिता दर की गणना की गई है।

4.4.1 आवासीय

आवासीय उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान आवासीय को समाहित करते हुये नगर के चारों दिशाओं में दिये गये हैं, ताकि नगर का संतुलित विकास हो सके। आवासीय उपयोग के अंतर्गत वर्तमान आवासीय सहित 2272.65 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 54.24 प्रतिशत है।

4.4.2 वाणिज्यिक

वाणिज्यिक उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान वाणिज्यिक को यथावत् रखते हुये मुख्य मार्गों प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के समीप प्रस्तावित किये गये हैं, ताकि विकसित हो रहे आवासीय क्षेत्र को वाणिज्यिक गतिविधियों की सुविधा प्राप्त हो सके। वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान वाणिज्यिक सहित 94.48 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि प्रस्तावित क्षेत्र का 2.25 प्रतिशत है।

4.4.3 मिश्रित

विगत वर्षों में नगरीय विकास के मूल्यांकन से यह परिलक्षित होता है कि मुख्य मार्गों पर आवश्यकता के अनुसार आवासीय, वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास होता है। नियोजन कि दृष्टि से इस प्रकार के उपयोग नगर विकास में गतिशील आयामों के लिए आधार भूत पर्यावरण उत्पन्न करते हैं; जिससे क्षेत्र में गतिशीलता रहती है।

आवासीय परिसरों में बाजार के आर्थिक बल के कारण सामाजिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। बाजार के आर्थिक बल होने के कारण आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग और बढ़ रही है, अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता एवं नागरिकों की सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे। भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 202.54 हेक्टेयर भूमि मिश्रित उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है। मिश्रित उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि का 4.83 प्रतिशत है।


बालाघाट-गोंदिया मार्ग, बालाघाट-बैहर मार्ग, बालाघाट-वारासिवनी-कटंगी मार्ग, बालाघाट-सिवनी, बालाघाट से लांजी एवं बालाघाट से नैनपुर मार्ग चौड़ाई के दो गुना मिश्रित भूमि उपयोग (मानचित्र अनुसार) प्रस्तावित किया गया है।

4.4.4 औद्योगिक

नगर में औद्योगिक विकास, स्थानीय खनिज के आधार पर स्थापित होने वाले प्रदूषण रहित एवं लघु व मध्यम औद्योगिक इकाईयों के रूप में प्रस्तावित है। औद्योगिक इकाईयों के लिए ग्राम भरवेली में विकसित औद्योगिक क्षेत्र के समीप एवं ग्राम खैरी में कुल 176.04 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित भूमि का 4.20 प्रतिशत है। ग्राम लहगडुआ एवं ग्राम अतरवाड़ा के प्रस्तावित औद्योगिक भूमि उपयोग के अंतर्गत 30 मीटर गहराई तक प्रस्तावित वृक्षारोपण सम्मिलित है।

4.4.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक

बालाघाट निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक भूमि उपयोग के अन्तर्गत कुल 411.55 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 9.82 प्रतिशत है।



4.4.6 सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें

बालाघाट निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें भूमि उपयोग के अन्तर्गत कुल 41.06 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 0.98 प्रतिशत है।

4.4.7 आमोद प्रमोद

सार्वजनिक उद्यानों और खुले स्थलों को सामान्य तौर पर किसी नगर के फेफड़ों के रूप में माना जाता है क्योंकि ये सीमान्त क्षेत्र तक लोगों के सामाजिक एवं भौतिक स्वास्थ्य का दिग्दर्शन कराते हैं। प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिये सार्वजनिक उद्यानों, खुले स्थलों, खेल के मैदानों तथा अन्य मनोरंजन सुविधाओं का व्यवस्थित एवं युक्तिसंगत वितरण होना चाहिये। अतः विभिन्न प्रकार की मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु एक युक्तिसंगत योजना विकसित की गयी है। बालाघाट निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित आमोद-प्रमोद भूमि उपयोग के अन्तर्गत कुल 305.59 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 7.29 प्रतिशत है।

4.4.8 यातायात एवं परिवहन

भविष्य की जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने और निवेश क्षेत्र के भीतर निरन्तरता बढ़ाने, नई सड़कों का निर्माण तथा वर्तमान सड़कों को चौड़ा करने का प्रस्ताव है। बालाघाट निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन भूमि उपयोग के अन्तर्गत कुल 686.29 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 16.38 प्रतिशत है।

4.5 निवेश इकाइयाँ

बालाघाट निवेश क्षेत्र को 2 निवेश इकाइयों में विभक्त किया गया है। विकास योजना में इन निवेश इकाइयों को आधार मानकर प्रस्ताव दिये गये हैं। ये निवेश इकाइयाँ वाणिज्यिक, आवासीय, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आमोद-प्रमोद की दृष्टि से आत्मनिर्भर होगी। निवेश इकाई निर्धारण में जनसंख्या एवं मानव निर्मित सीमाओं को आधार माना गया है। प्रत्येक निवेश इकाई को मुख्य कार्यकेन्द्र एवं यातायात संरचना से युक्तियुक्त रूप से जोड़ा गया है, ताकि ये इकाइयाँ सर्व-सुविधाओं के साथ आत्म निर्भर हो सकें।

4.5.1 क्षेत्रफल वितरण

विकास योजना 2035 के प्रस्तावों में बालाघाट निवेश क्षेत्र को 2 स्वसक्षम निवेश इकाइयों में विभक्त किया गया है। जबलपुर मार्ग से गोंदिया मार्ग पश्चिम की ओर निवेश इकाई 1 की सीमा माना गया है। एवं जबलपुर मार्ग से गोदिया मार्ग पूर्व की ओर निवेश इकाई 2 की सीमा माना गया है। निवेश इकाईवार वर्तमान एवं प्रस्तावित उपयोग का वर्गीकरण सारणी 4.2 में दर्शाया गया है।

सारणी 4.2 निवेश इकाईयों का विवरण

क्रं.	निवेश इकाई	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1	निवेश इकाई क्रमांक-1	7727.220
2	निवेश इकाई क्रमांक-2	5595.130
योग		13323.350

4.6 मध्यवर्ती क्षेत्र

अधिकतर नगरों में विभिन्न गतिविधियों का मुख्य केन्द्र सबसे पुराना क्षेत्र होता है। जहां समय के साथ-साथ नगर स्तरीय गतिविधियाँ आ जाती है। ऐसे क्षेत्रों में भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक बदलाव भी सबसे ज्यादा होते हैं। अन्य नगरों की तरह बालाघाट नगर की इस पुरानी बस्ती क्षेत्र की अपनी अलग समस्याएँ एवं आवश्यकताएँ हैं। इस क्षेत्र में ज्यादातर गतिविधियाँ केन्द्रित हैं।


अतः कार्य संपादन लक्षण एवं गतिविधियों की एकात्मकता को ध्यान में रखते हुये बालाघाट नगर की मध्यवर्ती क्षेत्र की सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

1. उत्तर में : जल स्तम्भ से हनुमान चौक मार्ग दिशा तक।
2. पूर्व में : हनुमान चौक से देवी तालाब होते हुये बैहर मार्ग पर रेल्वे क्रासिंग तक।
3. दक्षिण में : अम्बेडकर चौक से रेल्वे क्रासिंग तक।
4. पश्चिम में : अम्बेडकर चौक से जय स्तम्भ तक।

4.7 अनौपचारिक वर्ग

बेरोजगार एवं सीमित रूप से रोजगार से जुड़े कर्मी जो रोजगार की तलाश में हैं अथवा आर्थिक उन्नति के लिये आशान्वित हैं, अनौपचारिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये वर्ग शहर की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा आवासीय क्षेत्र के लिये सेवा जनसंख्या के रूप में भी कार्य करते हैं।

अनौपचारिक गतिविधियाँ मुख्य रूप से कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बाहर, यातायात केन्द्रों एवं बड़े आवासीय समूहों के आस-पास स्थापित हो जाती है। चूंकि आर्थिक गतिविधियों में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिये औपचारिक वर्ग के साथ-साथ अनौपचारिक गतिविधियों के लिये भी विकास योजना में प्रस्ताव रखे गये हैं।



अनौपचारिक गतिविधि क्षेत्रों की योजना, व्यापार एवं विभिन्न प्रकार के उपयोग परिक्षेत्र के नियंत्रित विकास में समाहित एवं सम्मिलित कर निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावित है:—

- सामान्य वाणिज्यिक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने हेतु फुटकर दुकानों का प्रावधान करना जैसे — नगर केन्द्र खण्ड स्तरीय दुकानें व सुविधा दुकान क्षेत्र।
- थोक व्यापार एवं यातायात नगर क्षेत्र में सेवा प्रदान करना।
- संस्थागत क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद, औद्योगिक क्षेत्रों एवं अवसान केन्द्रों पर खाद्य सेवा प्रदान करने वाली सेवा दुकानें उपलब्ध कराना।
- आवासीय क्षेत्रों के निकट सेवा दुकानें।
- निर्माण स्थलों के समीप अस्थाई रहवास की व्यवस्था करना।

अनौपचारिक सेक्टर को नियोजित आवासीय विकास क्षेत्र में निम्नानुसार समाहित किया जाना प्रस्तावित है:—

- परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय अनौपचारिक सेक्टर के लिये प्रस्तावित आवासीय विकास हेतु भूमि सुरक्षित रखना।
- अभिन्यास स्वीकृति के समय अनौपचारिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रावधान भी समय-समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है।
- अनौपचारिक सेक्टर इकाई का विकास क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जावे।

4.8 गंदी बस्ती क्षेत्र

बालाघाट नगरीय क्षेत्र में गंदी बस्तियां हैं। गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार हेतु यह आवश्यक है कि इनकी रोकथाम, विकास, निर्मूलन एवं पुनर्स्थापना हेतु एकीकृत कार्यक्रम चलाया जावे। इस हेतु निम्नानुसार प्रयास किया जाना प्रस्तावित है।

1. भवन निर्माण उपविधियों में संशोधन एवं परिक्षेत्रिक नियमों का निर्धारण एवं उनका पालन।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित भूमि का निश्चित समय सीमा में उसी वर्ग के लिये विकास।
3. गंदी बस्ती क्षेत्र में पर्यावरण सुधार हेतु सार्वजनिक सुविधाओं का विकास।
4. जिन गंदी बस्ती क्षेत्रों को वर्तमान स्थान पर पर्यावरण सुधार कर रखा जाना संभव नहीं हो, उनको स्थानांतरित कर नवीन स्थल पर पुनर्स्थापना करना।

4.9 पुनर्विकास नीति

शहर की विकास प्रक्रिया के कारण कुछ वर्तमान निर्मित क्षेत्र शहरी विकास की दृष्टि से केन्द्रीय स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जिससे इनका भू-मूल्य अधिक हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों को पुनर्विकास क्षेत्र के रूप में चयनित किया जावेगा। ऐसे क्षेत्रों की विकास नीति निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा संचालित की जावेगी :-

1. उच्च मूल्य वाली अकार्यक्षम भू-उपयोग अंतर्गत भूमि/क्षेत्र जिस भूमि का अन्य सक्षम उपयोग हेतु मांग अधिक है, उन्हें पुनर्घनत्वीकरण/पुनर्विकास क्षेत्रों के रूप में चयनित किया जावे।
2. पुनर्विकास परियोजना को विशेष परियोजना के रूप में माना जावेगा। इन परियोजनाओं का रूपांकन, नगरीय रूपांकन के दृष्टिकोण के आधार पर करने के पश्चात निवेश प्रस्ताव तैयार किये जावेंगे।
3. उपयोग एवं गतिविधियों का निर्धारण, निष्पादन स्तर एवं अनुकूलता स्तर जिन्हें आसपास के उपयोग द्वारा प्रभावित किया गया है, निर्धारित होगा जिसकी परियोजना को परिक्षेत्र की योजना के रूप में तैयार किया जाना प्रस्तावित है।
4. स्वीकार्य विकास का घनत्व उपयोगिता एवं अधोसंरचना का यातायात दबाव की वाहन क्षमता और इसका समीकरण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा निर्धारित होगा।

यदि मध्य क्षेत्र में उन्नत पर्यावरण एवं यातायात सुधार की दृष्टि से पुनर्विकास योजना तैयार की जाती है तो उस स्थिति में फर्शी क्षेत्र अनुपात उस क्षेत्र हेतु निर्धारित फर्शी क्षेत्र अनुपात से 0.25 अधिक मान्य किया जा सकेगा।

भू-स्वामी अपने भूखण्ड में से कुछ भूखण्डीय क्षेत्र सार्वजनिक उपयोग जैसे-सड़क, फुटपाथ, पार्किंग इत्यादि हेतु छोड़ता है तो उसे शेष भूखण्ड में सामान्य स्वीकार्य एफ.ए.आर. एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी जाकर स्थानीय संस्था को समर्पित किये गये भूखण्ड क्षेत्र की भूमि को दो गुना तक फर्शी क्षेत्र अनुपात में जोड़ा जा सकेगा।

4.10 ग्राम आबादी विस्तार

बालाघाट निवेश क्षेत्र में स्थित ग्राम आबादी (मानचित्र में दर्शाये अनुसार) जो विकास योजना में कृषि क्षेत्र में स्थित है, उनका विस्तार सामाजिक तथा भौतिक अधोसंरचना का विकास एवं मानचित्र अनुसार दर्शित आबादी क्षेत्र से 200 मीटर तक में आवासीय अभिन्यास एवं मिश्रित उपयोग से संबंधित गतिविधियाँ सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से अनुज्ञेय रहेगी।

4.11 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान

कमजोर आय वर्ग के लिए प्रत्येक आवासीय कालोनी में छोटे भूखण्डों का प्रावधान किया जाता है। यह वर्ग प्रायः रोजगार अस्थायी ठेला, गुमटी आदि की स्थापना के माध्यम

से प्राप्त करता है। अतः कमजोर आय वर्ग के लिए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में उल्लेखित प्रावधान तथा शासन द्वारा समय-समय पर इन वर्गों के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया प्रावधान स्वीकार्य होगा।

4.12 असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना

विभिन्न गतिविधियों की पुनर्स्थापना से रिक्त हुए स्थल के उपयोग के प्रस्ताव निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं।

सारणी 4.3 असंगत भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग

क्रं.	उपयोग वर्णन	वर्तमान स्थल	स्थानांतरण का कारण	रिक्त स्थान का प्रस्तावित उपयोग
1	2	3	4	5
(अ) असंगत भूमि उपयोग				
1	चीर घर	दूरदर्शन के बाजू में	प्रदूषित होने के कारण	मिश्रित
2.	जिला जेल	जिला पंचायत के सामने	यातायात अवरोध	मिश्रित
3.	देशी शराब दुकान	बूढ़ी, मोतीनगर, सरेखा	यातायात अवरोध	पार्किंग
4.	मटन मार्केट	बैहर रोड पर	प्रदूषित होने के कारण	व्यवसायिक
5.	मछली मार्केट	भटेरा रोड पर	गंदगी एवं अव्यवस्था	व्यवसायिक
6.	कृषि उपज मंडी	इतवारी बाजार	स्थान की कमी	मिश्रित
7.	मेसर्स राजेन्द्र कुमार वैध (कवेलू)	वर्तमान में बायपास मार्ग पर	प्रदूषित	मिश्रित
8.	प्राग इन्डस्ट्रीज	वर्तमान में बायपास मार्ग पर	प्रदूषित	मिश्रित
9.	भाटिया टाइल्स (बंद)	बायपास मार्ग पर	प्रदूषित	मिश्रित
10.	महावीर टाइल्स	बायपास मार्ग पर	प्रदूषित	मिश्रित
11.	भारत टाइल्स	बायपास मार्ग पर	प्रदूषित	मिश्रित

12.	कृष्णा टाईल्स	बायपास मार्ग पर	प्रदूषित	मिश्रित
13.	बेगड़ एन्ड कं0 इण्डस्ट्रीज	मयूर टाकीज के पास	प्रदूषित	मिश्रित
14.	कुन्दन भाई राठौर टाईल्स फैक्ट्री	हनुमान चौक के पास	प्रदूषित	मिश्रित
15.	बैल बाजार	इतवारीगंज	स्थान की कमी	व्यवसायिक
16.	स्कूल (नगर पालिका)	गुजरी क्षेत्र	स्थान की कमी	पार्किंग / मिश्रित
17.	पुराना कलेक्टेट भवन	बस स्टैंट के पास	जीर्ण-शीर्ण भवन	पार्किंग / मिश्रित

(ब) अकार्यक्षम भूमि उपयोग

1.	सब्जी बाजार	गुजरी चौक	स्थान का अभाव	पार्किंग / मिश्रित
2.	बस डिपो	जिला चिकित्सालय	स्थान की कमी एवं यातायात अवरोध	पार्किंग / मिश्रित
3.	पेट्रोल पम्प	बस स्टेण्ड	स्थान का अभाव	पार्किंग
4.	देवी तालाब	ग्राम बालाघाट	प्रदूषण	संस्पर्शीय भूउपयोग अनुसार

स्रोत : नगर तथा ग्राम निवेश

4.13 कार्यकेन्द्र

वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा प्रशासनिक गतिविधियाँ, नगर की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को प्रतिबिंबित करती है। यह गतिविधियाँ यातायात के मुख्य उदित केन्द्र होने से इनका नियोजन इस प्रकार किया गया है कि जिससे आवासीय क्षेत्र से इनके मध्य न्यूनतम यात्रा समय द्वारा सुविधाजनक सुरक्षित एवं तीव्र गति द्वारा पहुँच सुनिश्चित हो सके।

4.14 व्यापार एवं वाणिज्यिक

वाणिज्यिक गतिविधि केन्द्रों का वर्गीकरण नगर एवं निवेश इकाई स्तर पर किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रमुख चयनित मार्गों को गतिविधि कोरीडोर के रूप में चिन्हित किया गया है। इनमें आवासीय उपयोग के साथ-साथ स्थल विशेष एवं भविष्य की आवश्यकता अनुसार अन्य व्यवसायिक गतिविधियाँ जैसे-शैक्षणिक, संस्थागत, वाणिज्यिक एवं सेवा उद्योग आदि स्वीकार्य होंगी।

4.15 नगर स्तरीय वाणिज्यिक केन्द्र

नगर स्तर की वाणिज्यिक गतिविधियाँ वर्तमान में मध्य क्षेत्र एवं उससे संलग्न क्षेत्र में केन्द्रित हैं। मध्य क्षेत्र में भीड़-भाड़ के कारण नगर स्तर की गतिविधियाँ नवीन नगरीय/उपनगरीय केन्द्रों एवं सामुदायिक केन्द्रों में प्रस्तावित की गई है।

4.16 कार्यालय

कुछ जिला स्तरीय एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय वर्तमान में सघन बहु आयामी विकसित क्षेत्र में कार्यरत है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में यातायात पार्किंग आदि समस्याएँ पैदा होती हैं। अतः इन कार्यालयों को स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय-5 प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना

5.1 यातायात संरचना

बालाघाट नगर की परिभ्रमण संरचना रेल्वे लाईनों तथा राजमार्ग क्रमांक 26 के रेखांकन एवं स्थिति के परिप्रेक्ष्य में नगर बस्तियों को आपस में जोड़ते हुए नगर को यथासंभव बाधामुक्त, सुगम यातायात उपलब्ध कराने के रूप में की गई है। अतः नगर हेतु उपयुक्त परिभ्रमण संरचना प्रदान कर नगर के मध्य से गुजरने को गतिशील एवं सुरक्षित बनाना है। परिभ्रमण संरचना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :-

राजमार्ग क्रमांक 26 के क्षेत्रीय यातायात प्रवाह का मार्ग बदलकर स्थानीय यातायात सुगम बनाने की दृष्टि से वृत्तीय बायपास मार्ग का प्रावधान।

– कार्य केन्द्रों हेतु सुलभ पहुंच मार्ग का प्रावधान।

– मार्गों की उपयोगिता एवं यातायात प्रवाह अनुकूल रूपांकन एवं युक्तिसंगत विस्तार का प्रावधान।

नगर के बढ़ते हुए आकार के कारण यातायात एवं परिवहन की सक्षम व्यवस्था नितांत आवश्यक है, जो नगर की परिभ्रमण संरचना पर निर्भर करती है। नगर में जनित यातायात, नगर के प्रमुख कार्य केन्द्र एवं भूमि उपयोग पर निर्भर करता है। इस प्रकार दोनों एक-दूसरे पर आधारित हैं नगर की परिभ्रमण संरचना, यातायात स्वरूप, यातायात मात्रा, मार्ग क्षमता, आदि सभी नगर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में लगने वाले समय, दूरी आदि को निर्धारित करती है।

- दक्ष एवं बहु आयामी परिवहन प्रणाली की व्यवस्था।
- मंदगति वाहनों के सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं विकास।
- मुख्य गतिविधि केन्द्रों एवं आबादी क्षेत्र के बीच सुविधाजनक एवं सुरक्षित पहुंच मार्ग का प्रावधान।
- मुख्य गतिविधि केन्द्रों जैसे—यातायात, वाणिज्यिक, शैक्षणिक एवं मुख्य कार्य केन्द्रों में पादचारी मार्गों का प्रावधान।
- समस्या ग्रस्त क्षेत्रों के यातायात तंत्र में सुधार।
- मुख्य मार्गों पर सीधे पहुंच को नियोजित करना जो मुख्य मार्ग गतिविधि क्षेत्र से होकर जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों को पृथक से मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु अतिरिक्त पहुंच मार्गों का प्रावधान।
- मिश्रित यातायात के अनुरूप सुसंगठित मार्ग संरचना।
- क्षेत्रीय एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण।

- वर्तमान नगर तथा प्रस्तावित क्षेत्र के मध्य सुगम मार्ग संरचना।
- आवश्यकता अनुसार चौराहों एवं तिराहों का विकास।
- सुगम यातायात हेतु ओवर ब्रिज एवं समतल पारण का प्रावधान।

5.2 यातायात की वर्तमान स्थिति

वर्तमान परिवहन व्यवस्था के अध्ययन से ज्ञात होता है कि, नगर में वाहनों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। नगर में मोटर साईकल, स्कूटर, साईकल, कार, ऑटोरिक्षा आदि यातायात के प्रमुख साधन हैं। तीव्र गति एवं मंदगति वाहनों द्वारा नगरीय मार्गों का मिश्रित उपयोग करना सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात के लिये समस्या है। अतः यातायात प्रबंधन के लिये नीति तैयार करने की आवश्यकता है। नगर में जनसामान्य द्वारा यातायात के साधन के रूप में साईकल, स्कूटर, मोटर साईकल आदि का उपयोग किया जाता है।

5.3 प्रस्तावित यातायात प्रणाली

कार्यान्वयन मार्गानुक्रम के अनुसार मार्गों का वर्गीकरण किया गया है। ऐसा करते समय निर्धारित विविध गतिविधियों का आपस में तथा आवासीय क्षेत्रों से सहसंबंध का ध्यान रखा गया है। नगर में विभिन्न प्रकार के मार्गों का अनुक्रम निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

1. क्षेत्रीय मार्ग
2. वृत्तीय मार्ग
3. बायपास मार्ग
4. मुख्य मार्ग
5. खण्ड स्तरीय मार्ग
6. उपखण्ड स्तरीय मार्ग
7. स्थानीय मार्ग
8. पादचारी मार्ग

वर्तमान में गोंदिया मार्ग, बैहर मार्ग, वारासिवनी मार्ग, बरघाट मार्ग आदि शहरों हेतु मार्ग नगर के बाहर से रिंगरोड द्वारा परिवर्तित किए गये हैं जिसका विकास हो चुका है। विकास योजना 2035 के प्रस्तावों को तैयार करते समय विकास योजना 2021 में प्रस्तावित यातायात संरचना को ध्यान में रखा जाकर, नगर के विभिन्न मार्गों एवं कार्यस्थलों को जोड़ने हेतु मार्ग प्रस्तावित किये गये हैं।

5.3.1 क्षेत्रीय/बायपास मार्ग

नगर के मध्य से सिवनी-गोंदिया राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 543 तथा वारासिवनी-नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347 एवं भंडारा-नागपुर राज्य राजमार्ग क्रमांक 19 गुजरते हैं। बालाघाट से बैहर-मलाजखंड राज्य राजमार्ग क्रमांक 26 एवं बालाघाट से नैनपुर-मंडला-डिंडोरी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 543 है। सिवनी से बालाघाट-गोंदिया राज्य

राजमार्ग 26 यह मार्ग नगर के मध्य से गुजरने के कारण यातायात का अधिक दबाव रहता है। इन मार्गों का यातायात कम करने के लिये वर्तमान बायपास (रिंगरोड) मार्ग उपलब्ध है जिससे इन मार्गों से आने वाला यातायात का आवागमन, नगर के बाहर से सुगम हो जाता है।

5.3.2 मुख्य नगरीय मार्ग

यह मार्ग मुख्यतः नगर के सम्पूर्ण यातायात प्रवाह को वहन करने के साथ नगर के विभिन्न कार्य केन्द्रों, गतिविधि केन्द्रों तथा आमोद-प्रमोद के स्थानों को जोड़ते हैं। संभावित यातायात बाहुल्य को ध्यान में रखते हुए 18, 24, 30 एवं 36 मीटर चौड़ाई की मार्ग संरचना प्रस्तावित की गई है। विकास योजना 2021 में कुल 06 मुख्य मार्ग प्रस्तावित किये गये थे, इनमें से एक भी मार्ग का विकास नहीं हुआ है। इन मार्गों को युक्ति-युक्त रूप से पुनः प्रस्तावित करते हुए, विकास योजना 2035 के लिये नये मार्गों का समावेश करते हुए प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी चौड़ाई 18, 24, 36 मीटर प्रस्तावित है।

5.3.3 खण्ड स्तरीय मार्ग एवं उपखण्ड स्तरीय मार्ग

यह मार्ग वृत्त खण्ड स्तर के यातायात हेतु तथा मुख्य मार्ग से दूसरे मुख्य मार्ग को जोड़ने हेतु प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी चौड़ाई 18.00 मीटर प्रस्तावित की गई है तथा उपखण्ड मार्ग खण्ड मार्ग को जोड़ने हेतु प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी चौड़ाई 12.00 मीटर प्रस्तावित है।

5.3.4 स्थानीय मार्ग

समीपस्थ आवासीय क्षेत्र में आवागमन हेतु स्थानीय मार्ग श्रृंखला प्रस्तावित है, इसकी संरचना के मानक विकास नियमन में निर्धारित है। आवासीय क्षेत्रों में इन मार्गों की चौड़ाई 7.50, 9.00 एवं 12.00 मीटर तक, स्थल पर उपलब्धता अनुसार प्रस्तावित की जावेगी।

5.4 मार्गों की चौड़ाई

विकास योजना में वर्तमान मार्गों की चौड़ाई को प्रस्तावित किया गया है। जिसे सारणी 5.1 में दर्शाया गया है।


सारणी 5.1 वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई


क्रं.	मार्ग का नाम	विकास योजना 2035 प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में
1	2	3
(अ)	क्षेत्रीय यातायात	
1	बालाघाट-बारासिवनी (नगरपालिका सीमा में)	24-36

क्रं.	मार्ग का नाम	विकास योजना 2035 प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में
1	2	3
(अ)	क्षेत्रीय यातायात	
2	बालाघाट-सिवनी (नगरपालिका सीमा में)	24-36
3	बालाघाट-गोंदिया (नगरपालिका सीमा में)	24-36
4	बालाघाट-जबलपुर (नगरपालिका सीमा में)	24-36
5	बालाघाट-बहैर (नगरपालिका सीमा में)	24-36

क्रं.	मार्ग का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
ब	अन्य वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई		
1	शिवाजी मार्ग	9-12	12.00
2	लक्ष्मीबाई मार्ग	9-12	12.00
3	जनपद मार्ग	9-12	12.00
4	सरदार वल्लभाई मार्ग	9-12	12.00
5	देशमुख मार्ग	9-12	12.00
6	मोहन मार्ग	9-12	12.00
7	छाबड़ा मार्ग	15-18	18.0
8	शुक्ला मार्ग	15-18	18.0
9	मोती तालाब से पुलिस लाइन	21-24	24.0
10	आई0टी0आई0	24	24.0
11	आर0टी0ओ0 कार्यालय के सामने	18	18.0
12	आकाशवाणी कार्यालय	24	24.0
13	गायखुरी मार्ग	15	15.0
14	विवेकानंद कालोनी	24	24.0

स्रोत: नगर तथा ग्राम निवेश सर्वेक्षण





नगरीय मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई निम्न सारणी क्रमांक 5.2 में दर्शायी गयी है:-

सारणी 5.2 प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई

क्रं.	मार्ग का नाम	एम.आर./एस. आर.	प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई मीटर में
1	2	3	4
1	वृत्तीय मार्ग/बायपास मार्ग	वृत्तीय मार्ग	45 मीटर
2	गर्रा मार्ग से डुगारिया मार्ग तक	एम.आर-1	24 मीटर
3	हीरापुर मार्ग से निवेश क्षेत्र सीमा तक तक	एम.आर-2	24 मीटर
4	खैरी ग्राम से गोंदिया मार्ग	एस.आर-1	18 मीटर
5	बायपास मार्ग से बोदा मार्ग तक	एस.आर-2	18 मीटर
6	जबलपुर मार्ग से बैनगांग ब्रिज तक	एस.आर-3	18 मीटर
7	गायखुरी मार्ग से एस.आर 1 तक	एस.आर-4	18 मीटर
8	गोगलाई मार्ग से गायखुरी तक	एस.आर-5	18 मीटर
9	वर्तमान बायपास मार्ग से एम.आर 3 तक	एस.आर-6	18 मीटर
10	एस.आर 1 मार्ग से एस.आर 6 तक	एस.आर-7	18 मीटर
11	बायपास मार्ग से एस.एस आर 1 तक	एस.आर -8	18 मीटर
12	बायपास मार्ग से कनकी ग्राम तक	एस.आर -9	18 मीटर
13	एकोडी मार्ग से गर्रा आरक्षित वन तक	एस.आर -10	18 मीटर
14	गायखुरी मार्ग से कोसमी तक	एस.आर -11	18 मीटर
15	बैहर मार्ग से एस.आर. 2 तक	एस.आर -12	18 मीटर
16	बैहर मार्ग से बायपास तक	एस.आर -13	18 मीटर
17	एस.आर 2 से एस.आर 19 तक	एस.आर -14	18 मीटर
18	बसपास मार्ग से बोदा ग्राम तक	एस.एस.आर 1	12 मीटर
19	बसपास मार्ग से नेत्रा मार्ग ग्राम तक	एस.एस.आर 2	12 मीटर
20	बसपास मार्ग से एस.एस.आर 2 तक	एस.एस.आर 3	12 मीटर
21	बसपास मार्ग से गोगलाई ग्राम तक	एस.एस.आर 4	12 मीटर
22	बसपास मार्ग से एस.आर 4 तक	एस.एस.आर 5	12 मीटर
23	एस.एस.आर 5 से गायखुरी तक	एस.एस.आर 6	12 मीटर
24	गोदिय मार्ग से एस.आर 1	एस.एस.आर 7	12 मीटर

क्रं.	मार्ग का नाम	एम.आर./एस. आर.	प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई मीटर में
1	2	3	4
25	एस.एस.आर 1 से एस.आर 2 तक	एस.एस.आर 8	12 मीटर
26	बसपास मार्ग से एस.आर. 2 तक	एस.एस.आर 9	12 मीटर
27	एस.आर 2 से बोदा ग्राम तक	एस.एस.आर 10	12 मीटर
28	एस.एस.आर 10 से एस.आर 10 तक	एस.एस.आर 11	12 मीटर
29	बायपास मार्ग से एस.आर 3 तक	एस.एस.आर 12	12 मीटर
30	जबलपुर मार्ग से एस.एस आर 12 तक	एस.एस.आर 13	12 मीटर
31	एस.आर 3 से बुढी ग्राम तक	एस.एस.आर 14	12 मीटर
32	खैरी मार्ग से निवेश क्षेत्र सीमा तक	एस.एस.आर 14	12 मीटर
33	नहर से एस.आर 2 तक	एस.एस.आर 16	12 मीटर
34	एस.आर 13 से एस.एस.आर 1 तक	एस.एस.आर 17	12 मीटर
35	जबलपुर मार्ग से एस.आर. 1 तक	एस.एस. आर 18	12 मीटर
36	एस.एस.आर. से रेल्वे ट्रेक तक	एस.एस. आर 18	12 मीटर

जहां मार्गों की चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक उपलब्ध है वहां वर्तमान चौड़ाई यथावत रखी जावेगी। बालाघाट विकास योजना में दिये गये प्रस्ताव एवं निवेश क्षेत्र के निहित ग्रामों को परस्पर जोड़ने वाले ग्राम मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई न्यूनतम 12.00 मीटर निर्धारित की जाकर उससे संलग्न क्षेत्रों पर विकास की अनुमति दी जावेगी।

5.4.1 मार्ग संगम, तिराहा एवं चौराहा सुधार

नगर में यातायात यांत्रिकी में सुधार की बहुत संभावना है, जिससे वर्तमान मार्गों की यातायात संवहन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। यह क्षमता बढ़ाने हेतु मार्ग को चौड़ा करना तथा संबंधित प्रस्ताव निम्नानुसार है :-

सारणी 5.3 मार्ग संगमों का सुधार

1. अम्बेडकर चौक	2. हनुमान चौक
3. जय स्तम्भ	4. शिवाजी चौक
5. इतवारी बाजार चौक	6. महारानी लक्ष्मीबाई चौक
7. बायपास कब्रिस्तान के पास वाला चौक	8. बस स्टेण्ड चौक
9. विश्वेशरैया चौक	

5.4.2 बस स्थानक

वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य परिवहन क्षेत्रीय बसों का बस स्थानक लगभग नगर के मध्य में जेल के सामने लगभग 1.00 हेक्टेयर भूमि पर स्थित है जो आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता है। निजी बसों के लिये पॉलीटेक्निक कॉलेज के सामने प्रस्तावित बस स्थानक को यथावत रखा गया है। उक्त बस स्थानक के निकट टैक्सियाँ अवसान करती है। उक्त बस स्थान को पिकअप बस स्टेण्ड के लिये उपयोग किया जावेगा जो स्थानीय सिटी बस के लिये उपयोग में लाया जा सकेगा, अतः वर्तमान एवं भावी अनुमानित आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना के सभी उपयोगों में स्थानीय निकाय एवं स्थानीय प्रशासन की सहमति से बस स्टेण्ड एवं बस स्थानक मान्य किये जा सकेंगे। ग्राम गायखुरी में 20.0 एकड़ भूमि सिटी बस टर्मिनल हेतु आरक्षित किया जाना उचित होगा लेकिन फारेस्ट विभाग की होने के कारण फारेस्ट विभाग से अनुमति/आवंटन के बाद ही निर्माण किया जावेगा।

5.4.3 वाहन विराम केन्द्र

नगर के भिन्न-भिन्न स्थानों पर विशेष कर सघन गतिविधि वाले क्षेत्र के समीप, मार्गों के किनारे, वाहन विराम हेतु स्थल नियत करना, मार्गों के प्रभावी यातायात वहन क्षमता को बनाये रखने के लिए बहुत आवश्यक है। अतः सभी मुख्य कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, औद्योगिक केन्द्रों एवं अवसान केन्द्रों के निकट वाहन विराम हेतु स्थान निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

1. चिकित्सालय के समीप	2. बस स्टेण्ड क्षेत्र
3. रेल्वे स्टेशन	4. हनुमान चौक
5. बस स्टैंड के सामने	6. तहसील कार्यालय के पास
7. गोंदिया मार्ग पर	8. जिला जेल की आंशिक भूमि पर
9. सभी मुख्य मार्गों पर (हल्के वाहनों हेतु)	10. रेंगाटोल रोड वैनगंगा नदी के पास

इसके अतिरिक्त जीर्ण-शीर्ण आवासीय स्थल, नजूल एवं स्थानीय निकाय की भूमि पर, मार्ग चौड़ीकरण के प्रस्ताव के साथ-साथ वाहन विराम स्थल हेतु स्थान उपलब्ध कराये जा सकते हैं। स्थानीय निकायों को इस संबंध में पहल करना प्रस्तावित है।

अध्याय-6 विकास नियमन

6.1 प्रवृत्तशीलता

इन नियमनों का उद्देश्य निवेश क्षेत्र के नगर वासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। यह नियमन निम्न गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे :-

- निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास।
- भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उप विभाजन, संयुक्तिकरण, संविलियन, उपांतरण एवं भूमि का उपयोग सम्मिलित है।
- समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास।
- किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊँचाई सम्मिलित हो।
- ऐसे क्षेत्र में, जो निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर है, भूमि का विकास, भवनों का निर्माण/परिवर्तन एवं तोड़ना।

6.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे, तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं हैं, वे म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों एवं शासन द्वारा नियमों में किए जाने वाले संशोधन के अनुरूप लागू होंगे।
2. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत स्वीकार्य गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने में सक्षम हैं।
3. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है। यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी, प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी आवश्यकता एवं यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधन करना पड़े। ऐसे संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। यदि कोई विवाद/विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है तो उस दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा जो कि योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग माना जायेगा।
4. विकास योजना पुस्तक के मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं, तथा उक्त प्रस्ताव नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किए गए हैं। उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र

- में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल, तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित हैं। इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाए गए हैं।
5. भूमि उपयोग को अंगीकृत विकास योजना में दर्शाये अनुसार खसरा मानचित्र पर वास्तविक उपयोग अनुसार हस्तांतरित किया जाएगा।
 6. आस-पास विद्यमान/निर्मित एवं धारा-30 में स्वीकृत मार्गों का समन्वय कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम 1973 की धारा-27, 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग, जो मौके पर विद्यमान हैं, परन्तु जिनके प्रस्ताव विकास योजना में उप-दर्शित नहीं है अथवा उप-दर्शित है, परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है, ऐसे मार्गों की उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जावेगी।
 7. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदाय विकास अनुज्ञा, स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान अधिभोग हेतु क्रियान्वित होने पर यथावत रहेंगे।
 8. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होगी।
 9. जिन अभिन्यासों सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गयी अर्थात् म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत या म.प्र. भू-राजस्व संहिता के नियमों के अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृति दी गयी है उस दशा में यह माना जावेगा कि वह अभिन्यास विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुरूप है।
 10. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में, राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य अथवा नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है भले ही वह विकास योजना में उल्लेखित न हो।
 11. ऐसे क्षेत्र जहाँ जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो, उसके लिये आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगी।
 12. विकास अनुज्ञा के लिये प्रस्तुत मानचित्र में अगर कोई सुधार आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा मानचित्र सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जायेगा।

13. विभिन्न उपयोग परिसरों की पार्किंग की आवश्यकताएं, उसी उपयोग परिसर के अन्दर ही आवश्यक रूप से करना होगी। उक्त पार्किंग की व्यवस्था यदि समस्त भूखण्डों को प्रगणित करते हुये एकीकृत अथवा समूह में अभिन्यास स्तर पर की गई हो तो परिसर के अंदर पृथक से पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी।
14. नगर में निर्मित होने वाले फ्लाय ओवर/स्काय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग एवं अन्य जनहित उपयोगी गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये दी जायेगी, परंतु ऐसी गतिविधि हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
15. विकास योजना में नदी, नालों एवं तालाबों के दोनों ओर दर्शाया गया वृक्षारोपण सांकेतिक स्वरूप का है। नदी के दोनों किनारों पर उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम 30 मीटर तक एवं नालों की स्थिति में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम 50(ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा। इस भूमि पर मार्ग तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा का निर्माण स्वीकार्य होगा।
16. झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं। यदि झुग्गी-झोपड़ी का किसी स्थान पर विस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में जल स्रोतों, आमोद-प्रमोद तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी का विस्थापन ग्राह्य होगा।
17. विकास योजना मानचित्र जो पुस्तक के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा/बड़ा किया गया मानचित्र है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई-चौड़ाई नापी जाये, न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाये। लंबाई-चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने तथा भू-उपयोग की जानकारी की कार्यवाही हेतु सर्वे मानचित्र जो 1:4000 की माप पर तैयार किया गया है, उसके आधार पर किया जाए। विकास योजना में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोग, स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही खसरा मानचित्र पर अंकित किए जाए तथा इस संबंध में स्थल निरीक्षण/अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।
18. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है। विकास के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विकास नियमन, परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जाएगी।

19. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमाएँ, स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जायेगा।
20. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होंगे। उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग अधिमान्य होंगे।
21. विकास योजना में विभिन्न भूमि उपयोगों के विकास हेतु नियमन दिये गये हैं। नियमनों में यदि किसी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है, अथवा किसी व्याख्या की आवश्यकता होती है तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
22. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर खसरो के आधार पर ही किया जायेगा।
23. नियमन में वर्णित गतिविधि के समानार्थी गतिविधि जिसका उल्लेख नियमनों में नहीं है, समानता के आधार पर मान्य किये जा सकेंगे।
24. विकास योजना मानचित्र में निर्दिष्ट भू उपयोग व पुस्तक में वर्णित किसी लेख में विरोधाभास की स्थिति पर पुस्तक में वर्णित लेख मान्य होंगे।

6.3 परिभाषायें

उपयोग परिक्षेत्र	:- मुख्य भू-उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र।
उपयोग परिसर	:- उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो एवं जिसे कि अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो।
अभिन्यास	:- अभिन्यास से तात्पर्य उप विभाजित योजना से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हो।
भूमि उपयोग मानचित्र	:- सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र।
परिक्षेत्रिक योजना	:- निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार, सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान,

		खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधानित हो।
नगरीय ग्राम	:-	भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण आबादी, नगरीय ग्राम कहलायेंगे।
नगरीय विरासत का क्षेत्र	:-	ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो।
विकसित क्षेत्र	:-	विकास योजना के रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान उपयोग।
एकल/संयुक्त परिवार हेतु भूखण्डीय विकास	:-	अपने सभी समानान्तर एवं ज्यामितीय बदलाव के साथ भूखण्डीय विकास से तात्पर्य, परिवार हेतु भूखण्डीय विकास (अभिन्यास) का भूखंडों में उप-विभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार, संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो।
मिश्रित उपयोग	:-	इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनमें स्वीकार्य गतिविधियाँ मान्य होंगी।
ऊँचे भवनों का विकास	:-	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 के उपनियम (38) सहपठित नियम 42 के अनुसार नियंत्रित होगा।
फर्शी क्षेत्र अनुपात	:-	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (30) के अनुसार।
भवन की ऊँचाई	:-	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (9) के अनुसार।
संवेदनशील क्षेत्र	:-	परिस्थितिजन्य पर्यावरणीय, ईकोलॉजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र। इसके अंतर्गत नदी, तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे।

अन्य परिभाषायें व नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे।

6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

निवेश क्षेत्र को निम्नलिखित तालिका में दर्शाये अनुसार उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित किये गये हैं। प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग, गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी। ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, का नियंत्रण विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना के भू-उपयोग/प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा।

निर्धारित मुख्य भू-उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, आमोद-प्रमोद, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, विशेष प्रयोजन, यातायात एवं परिवहन, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएं, जलाशय एवं कृषि। उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 6.1 में दिया गया है।

सारणी 6.1 मुख्य उपयोग परिक्षेत्र

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उप-परिक्षेत्र	नाम पद्धति
1	2	3	4
1	आवासीय	आवासीय	(आर 1)
		भू-तल पर दुकानों की कतारों सहित आवासीय	(आर 2)
		मध्यम घनत्व	(आर 3)
		निम्न घनत्व	(आर 4)
2	वाणिज्यिक	शहर केन्द्र	(सी 1)
		उपनगर केन्द्र	(सी 2)
		सामुदायिक केन्द्र	(सी 3)
		स्थानीय व्यावसायिक केन्द्र	(सी 4)
		सुविधा व्यावसायिक केन्द्र	(सी 5)
		मण्डी	(सी 6)
		वर्गीकृत बाजार	(सी 7)
3	मिश्रित	आवासीय, वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र	(एम)
4	औद्योगिक	सेवा उद्योग	(आई 1)
		सामान्य उद्योग	(आई 2)
		विशेष उद्योग	(आई 3)
5	मनोरंजन	उद्यान	(जी 1)
		हरित क्षेत्र या उपरोक्त वर्णित क्षेत्र	(जी 2)
		क्षेत्रीय उद्यान (प्राणि शास्त्र या वनस्पति शास्त्र उद्यान)	(जी 3)
		प्राकृतिक क्षेत्रों या भू-दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण	(जी 4)
		खेल मैदान	(जी 5)
		स्टेडियम	(जी 6)

क्रं.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उप-परिक्षेत्र	नाम पद्धति
1	2	3	4
		झील के सामने का विकास	(जी 7)
		प्रदर्शनी मैदान	(जी 8)
6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों/शिक्षा और अनुसंधान/स्वास्थ्य/सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियाँ	(पी)
7	विशेष प्रयोजन	पर्यटन प्रबंधन परिक्षेत्र	(एस पी 1)
		संरक्षित परिक्षेत्र	(एस पी 2)
		शुष्क पत्तन या कंटेनर डिपो	(एस पी 3)
		तेल डिपो या ज्वलनशील पदार्थ डिपो	(एस पी 4)
		भवन निर्माण सामग्री यार्ड	(एस पी 5)
		प्रदूषणकारी उद्योग	(एस पी 6)
		सेज (एस.ई.जेड)	(एस पी 7)
		खनन क्षेत्र	(एस पी 8)
		आरक्षित वन या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य	(एस पी 9)
		अन्य	(एस पी 10)
8	परिवहन	बस स्टैण्ड या टर्मिनस	(टी 1)
		बस पिकअप स्टेशन	(टी 2)
		सड़कें	(टी 3)
		रेल्वे स्टेशन	(टी 4)
		रेल्वे लाइन	(टी 5)
		बस डिपो	(टी 6)
		ट्रांसपोर्ट नगर/लॉजिस्टिक हब	(टी 7)
		हैलीपेड/हवाई अड्डा	(टी 8)
		मेट्रो रेल स्टेशन	(टी 9)
9	सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं	जल शोधन संयंत्र	(पीयूएफ 1)
		मल शोधन संयंत्र/आक्सीकरण ताल	(पीयूएफ 2)
		विद्युत सब स्टेशन	(पीयूएफ 3)
		ट्रेडिंग ग्राउण्ड	(पीयूएफ 4)

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उप-परिक्षेत्र	नाम पद्धति
1	2	3	4
		ट्रंकलाइन कॉरीडोर, जल/मल/अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत लाइनें/ गैस या तेल पाइप लाइनें और संबंधित संरचनाएं	(पीयूएफ 5)
		रेडियो/टी.वी. स्टेशन	(पीयूएफ 6)
		दूरसंचार केन्द्र	(पीयूएफ 7)
		अग्नि नियंत्रण स्टेशन	(पीयूएफ 8)
		ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र/अपघटन संयंत्र	(पीयूएफ 9)
		कब्रिस्तान/शमशान घाट	(पीयूएफ 10)
10	जल निकाय	नदियाँ	(डब्ल्यू 1)
		झील/तालाब/जलाशय	(डब्ल्यू 2)
		नाला/नहर	(डब्ल्यू 3)
		बाढ़ प्रभावित क्षेत्र	(डब्ल्यू 4)
11	कृषि	कृषि भूमि	(ए 1)
		ग्राम आबादी विस्तार	(ए 2)

टीप :- बालाघाट निवेश क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त उपयोग परिक्षेत्रों को निर्धारित उपपरिक्षेत्रों में विभक्त कर प्रस्ताव दिए गए हैं। प्रत्येक उपयोग उपपरिक्षेत्रों में विशिष्ट उपयोग, गतिविधियाँ शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी। ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, उसका नियंत्रण विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना के भू-उपयोग/प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा।

6.4.1 आवासीय उपयोग परिक्षेत्र

6.4.1.1 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के मापदण्डों के अनुसार नियंत्रित होंगे। आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारणी 6.2 में दिए गए हैं।

- इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है। इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित है। ऐसे

- अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनायें, जल प्रदाय, जल-मल निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरूप होंगे।
2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1:1.5 से 1:3.0 होना चाहिए, किन्तु स्थल की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का निर्णय लिया जायेगा।
 3. भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भू-तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है। नीचे दी गई सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित है एवं सारणी में दर्शाये भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है।
 4. म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन एवं शर्तें) नियम, 1998 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप निम्न आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु प्रावधान किये जाएँगे।
 5. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट-अ) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः निम्न आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये।
 6. मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर या 12 मीटर से अधिक होने पर उससे लगी भूमि पर मार्ग चौड़ाई से दोगुनी गहराई तक नियमानुसार आर 2 उपपरिक्षेत्र हेतु अनुमति दी जा सकेगी। ऐसे मिश्रित उपयोग भवनों के निर्मित/पुननिर्माण या नवनिर्मित में भी अनुज्ञात किए जा सकेंगे।
 7. मिश्रित भू-उपयोग अंतर्गत 12 मीटर से अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार फर्शी क्षेत्र अनुपात देय होगा।

● 12 मीटर या अधिक	1.50
● 18 मीटर या अधिक	1.75
● 24 मीटर या उससे से अधिक	2.00
● 36 मीटर या उससे से अधिक	2.25

सारणी 6.2 आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

क्र.	भूखण्ड का आकार (मी. में)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) न्यूनतम	विकास का प्रकार	भू-आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत में	अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात	एम.ओ.एस. (मी.) में				भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मी. में)	अधिकतम रैचाई (मी. में)	एक भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य इकाइयां
						अग्र	पार्श्व	आजू	बाजू			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4.0X8.0	32	पंक्ति	60	1.50	3.00	0.0	0.0	0.0	7.5	9.0	2
2	4.0X12.0	48	पंक्ति	60	1.50	3.00	1.5	0.0	0.0	7.5	9.0	2
3	5.0X15.0	75	पंक्ति	60	1.50	3.00	1.5	0.0	0.0	7.5	9.0	2
4	7.0X15.0	105	पंक्ति	50	1.50	3.00	1.5	0.0	0.0	7.5	9.0	2
5	9.0X15.0	135	अर्धपृथक्कृत	50	1.50	3.00	1.5	2.5	0.0	7.5	12.5	3
6	11.10X18.0	200	अर्धपृथक्कृत	50	1.25	3.00	2.5	2.5	0.0	9.0	12.5	4
7	12.0X18.0	216	अर्धपृथक्कृत	42	1.25	3.5	2.5	3.0	0.0	9.0	12.5	4
8	12.0X24.0	288	पृथक्कृत	40	1.25	4.5	2.5	3.5	1.5	9.0	12.5	4
9	15.0X27.0	405	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	3.0	3.5	3.0	12.0	12.5	5
10	18.0X30.0	540	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.0	3.0	12.0	12.5	7
11	20.0X30.0	600	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.5	3.0	12.0	12.5	7
12	25.0X30.0	750	पृथक्कृत	30	1.00	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7
13	30.0X33.0	990	पृथक्कृत	30	1.00	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7

नोट :-

- उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरूप की है जिसे मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।
- सारणी 6सा1 के उप परिक्षेत्रों के अंतर्गत ऐसे भूखण्ड जिसमें न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल की अर्हता पूर्ण होती है, उनमें भी उपरोक्त मापदण्ड लागू होंगे (आवासीय इकाई छोड़कर)
- सारणी के अनुक्रमांक 9 से 13 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है।
- ऐसे भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शायी श्रेणियों के मध्य के आकार के हों, को इसके पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस., आच्छादन, फर्शी क्षेत्र अनुपात के अनुसार अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए। ऐसे आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में निर्धारित करते समय यदि कतिपय भिन्नता आती है तो आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जायेगी। किन्तु ऐसे प्रकरणों में भवन रेखा निर्धारित कर ही स्वीकृति दी जायेगी।
- घनत्विय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में 4.5 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में 2.5 व्यक्ति का रहवास माना जावेगा।
- वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जाएगी।

7. झुगियों की पुनर्स्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे।
8. अनुक्रमांक 9 से 13 के भूखण्डों के समक्ष 12 मीटर से कम चौड़ा मार्ग होने पर केवल 4 आवासीय इकाईयां मान्य होंगी।
9. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है, तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी। स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार/क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा।

6.4.1.2 वर्तमान आवासीय क्षेत्र

वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास सारणी 6.3 में दर्शित मापदण्डों से नियंत्रित होगा:
सारणी 6.3 आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

भूखण्ड का क्षेत्र	आच्छादित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रनुपात
1	2	3
90 वर्गमीटर से कम	75%	1.25
90 से 180 वर्गमीटर तक	66%	1.25
180 वर्गमीटर से अधिक	60%	1.00

टीप: मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर से अधिक होने की दशा में 180 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र वाले वर्तमान आवासीय भूखण्डों के लिए फर्शी क्षेत्रानुपात 1.25 तक अनुज्ञेय होगा साथ ही वे भूखंड जो म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 की श्रेणी अंतर्गत होंगे उन भूखंडों पर नियम 42 के प्रावधान लागू होंगे।

6.4.1.3 आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड

जिन कॉलोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गए हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जाएगा। ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाए गए मापदण्ड लागू होंगे, जबकि कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास/निर्माण के लिए नवीन आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र

सारणी 6.4 वाणिज्यिक भू-खण्ड के विकास मापदण्ड

क्र.	भूखण्ड का आकार (मी. में)	क्षेत्र (वर्ग मी. में)	मार्ग की चौड़ाई (मी. में)	फर्शी क्षेत्रानुपात	सीमांत खुला क्षेत्र (मीटर में)			
					अग्र	पार्श्व	आजू	बाजू
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	6.0x9.0	54	12 या अधिक	1.5	4.5	0.0	0.0	0.0
2.	9.0x15.0	135	12 या अधिक	1.5	4.5	1.5	2.5	0.0
3.	12.0x18.0	216	12 या अधिक	1.5	4.5	1.5	2.5	2.5
4.	15.0x24.0	360	12 या अधिक	1.5	4.5	3.0	3.6	3.6

टीप :-

- 500.0 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 1000.0 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्डों के लिए न्यूनतम खुला क्षेत्र अग्र भाग में 6 मीटर एवं तीनों ओर 4.5 मीटर होगा।
- 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल एवं 12.5 मीटर तक के भवनों के लिए न्यूनतम खुला क्षेत्र चारों ओर 6 मीटर से कम नहीं होगा।
- 18 मीटर से अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार फर्शी क्षेत्र अनुपात देय होगा।
 - 18 मीटर या अधिक 1.75
 - 24 मीटर या उससे से अधिक 2.00
- यह मापदण्ड सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों में लागू होंगे। सारणी में दर्शाये गये क्षेत्रफल से कम होने की स्थिति में उसके पूर्व सरल क्रमांको के मानक लागू होंगे।
- वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जायेगी।
- अग्र कॉरिडोर की भूमि का किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग निषेध होगा।
- वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक सारणी 6.5 में वर्णित हैं।

सारणी 6.5 वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

क्र.	वर्ग	कुल क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3
1.	भूखण्डों का क्षेत्र	अधिकतम 50 प्रतिशत
2.	परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र	अधिकतम 40 प्रतिशत
3.	खुले स्थानों को सम्मिलित कर सुविधाओं का क्षेत्र	न्यूनतम 10 प्रतिशत (8 : 2)
4.	मार्गों की चौड़ाई	
	– बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई	12 मीटर
	– दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े एवं मुड़ने के लिये न्यूनतम चौड़ाई	18 मीटर
	– दुकानों के सामने पदचारी की न्यूनतम चौड़ाई	6 मीटर
5.	दुकानों के आकार	मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के आधार पर
6.	विराम स्थल	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

6.4.2.1 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक क्षेत्रों में पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी :-

1. मार्गों की चौड़ाई, विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप होगी।
2. मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार अधिकतम एफ.ए.आर. देय होगा।
 - 12 मीटर या अधिक – 1:1.50
 - 18 मीटर या अधिक – 1:1.75
 - 24 मीटर या अधिक – 1:2.25
3. 100 वर्गमीटर तक के भू-खण्डों में न्यूनतम 4.5 मीटर अग्र खुला क्षेत्र ऑफ स्ट्रीट वाहन विराम हेतु खुला छोड़ना होगा।
4. 100 वर्गमीटर से बड़े भू-खण्डों पर वाहन विराम म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार रखना आवश्यक होगा।

5. वाणिज्यिक विकास की गहराई, भवन जिस मार्ग पर हो, उस मार्ग की चौड़ाई के दो गुना या 30 मीटर, जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगी।
6. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू-खण्डों में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भू-खण्ड का निर्माण किए जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गई भूमि का म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 61 के अनुसार दुगना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार होगा। इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।
7. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जायेगी।
8. वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक परिसरों के लिए अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा :-

➤ 25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्ड	100 प्रतिशत
➤ 25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड	80 प्रतिशत
➤ फर्शी क्षेत्र अनुपात	1.50

6.4.2.2 वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ

वर्तमान विकसित क्षेत्र में अधिकतर वाणिज्यिक गतिविधियाँ मार्गों पर संचालित हैं। अतः इन मार्गों को उनके उपयोग के अनुसार निम्न दो श्रेणियों में रखा गया है :-

- (1) वाणिज्यिक मार्ग (सी)
- (2) आवासीय-सह-वाणिज्यिक मार्ग (आर.सी)

इन उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत मार्ग चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात सारणी 6.6 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 6.6 वर्तमान मिश्रित क्षेत्र में मार्गों का वर्गीकरण एवं फर्शी क्षेत्रानुपात

क्र.	मार्ग का नाम	वर्गीकरण	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)	अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3	4	5	6
1	कटंगी मार्ग	मिश्रित	24.0	36.0	1.75
2	भटेरा मार्ग	मिश्रित	24.0	36.0	1.75
3	जबलपुर मार्ग	मिश्रित	24.0	36.0	1.75
4	बैहर मार्ग	मिश्रित	24.0	36.0	1.75
5	गोंदिया मार्ग	मिश्रित	24.0	36.0	1.75

टीप:-

1. बस स्टैण्ड से प्रारंभ होकर क्रमशः कटंगी, भटेरा, जबलपुर, बैहर, गोंदिया, वारासिवनी, सिवनी मार्ग पर मार्ग चौड़ाई से दो गुना गहराई तक, विकास योजना मानचित्र में अंकित प्रस्ताव अनुसार मिश्रित उपयोग मान्य होंगे।
2. उपरोक्त मार्ग खण्डों के वर्तमान उपयोग के आधार पर कॉलम 3 अनुसार मार्गों का वर्गीकरण किया गया है। अतः निर्धारित मापदण्ड अनुसार मिश्रित उपयोग अन्तर्गत वर्तमान मार्ग खण्ड के लिये ही लागू होंगे, जो विकास योजना में अंकित प्रस्ताव तक ही मान्य होंगे।
3. भू-खण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर या उससे अधिक होने पर कम से कम 4.50 मीटर अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम हेतु खुला छोड़ना होगा।
4. मिश्रित उपयोग प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई से दो गुना स्वीकार होगा।

निर्मित क्षेत्र :-वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू-तल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र की गणना निम्नानुसार की जायेगी।

क्र.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	भू-तल पर निर्मित क्षेत्र अधिकतम
1	2	3
1.	अधिकतम 200 वर्ग मीटर तक	66 प्रतिशत
2.	200 वर्ग मीटर से अधिक 400 वर्गमीटर तक	60 प्रतिशत
3.	400 वर्गमीटर से अधिक	50 प्रतिशत

6.4.3 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र

औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होंगे।

6.4.4 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र

6.4.4.1 मिश्रित उपयोग

आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र में क्रमशः गैर आवासीय/गैर वाणिज्यिक/गैर सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियाँ।

6.4.4.2 मिश्रित उपयोग नियमन

मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है। बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। इसी प्रकार वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियों का विकास हुआ है। आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग बढ़ने के कारण वास्तविकता को नियोजन की दृष्टि से अनदेखा नहीं किया जा सकता। अतः अब ऐसी नीति

बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता, सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे।

6.4.4.3 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

1. मिश्रित उपयोग का आशय आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र में क्रमशः गैर आवासीय, गैर वाणिज्यिक एवं गैर सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधि किये जाने से है।
2. ऐसे कार्यकलापों की सामाजिक, आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाये रखना आवश्यक है।
3. मिश्रित उपयोग से, अलग-अलग मोहल्लों में निकटतम क्षेत्र में व्यावसायिक सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कमी आयेगी किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में भीड़-भाड़ बढ़ने, पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी पड़ना संभावित है। प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा।

6.4.4.4 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्तें

1. मिश्रित उपयोग हेतु विकास नियंत्रण के उपयोग परिक्षेत्र में लागू मापदण्ड (फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं भूतल निर्मित क्षेत्र इत्यादि) मिश्रित उपयोग के लिये भी लागू रहेंगे।
2. मिश्रित उपयोग के यह नियमन पूर्व से विकसित क्षेत्र एवं नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगे तथा पार्किंग हेतु परिसर उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे। विकसित क्षेत्र में पुनर्विकास की दशा में भी मिश्रित उपयोग स्वीकार्य किए जा सकेंगे।
3. 12.0 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्ग पर ही गैर-आवासीय गतिविधियाँ जैसे वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियाँ मान्य की जा सकेंगी।

6.4.5 सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन सारणी 6.7 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 6.7 सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास मापदण्ड

क्र.	विवरण	अधिकतम अच्छादन	फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3	4
1	महाविद्यालय	40 प्रतिशत	1.5
2	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	40 प्रतिशत	1.5
3	प्राथमिक शाला	50 प्रतिशत	1.5
4	पूर्व प्राथमिक शाला	50 प्रतिशत	1.5

क्र.	विवरण	अधिकतम अच्छादन	फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3	4
5	चिकित्सालय	40 प्रतिशत	1.5
6	स्वास्थ्य केन्द्र	50 प्रतिशत	1.5
7	पुलिस थाना	50 प्रतिशत	1.5
8	अग्निशमन भवन	50 प्रतिशत	1.5
9	सामुदायिक भवन	40 प्रतिशत	1.0
10	शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय कार्यालय	40 प्रतिशत	1.5

टीप:- 5 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन, गैरेज तथा साइकल स्टैण्ड के लिये स्वीकार्य एवं अनिवार्य होगा।

6.4.6 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड

1. शैक्षणिक स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकतायें म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 के परिशिष्ट-अ में दिए गए अनुसार होगी।
3. विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित घनत्व को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारण किया गया है। अतः घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्यास स्तर पर न किया जावे।
4. उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 49 की परिशिष्ट-छः में दिए अनुसार विहित प्रारूप में कोई आवेदन किया जा सकता है।

सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड सारणी 6.8 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 6.8 सामुदायिक सुविधाओं/सेवाओं हेतु नियमन

क्र.	श्रेणी	अधिकतम निर्मित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्र अनुपात	न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)	अग्र सीमान्त खुला क्षेत्र (मी. में)	अन्य तीन ओर (मी. में)
1	2	3	4	5	6	7
1	शैक्षणिक भवन					
	नर्सरी/पूर्व प्राथमिक शाला	40 प्रतिशत	1.25	12.00	6.00	3.00
	प्राथमिक विद्यालय	33 प्रतिशत	1.25	12.00	7.50	3.50
	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाविद्यालय	40 प्रतिशत 40 प्रतिशत	1.50 1.50	18.00 24.00	12.0 15.0	5.00 6.00
2	स्वास्थ्य					
	हास्पिटल - 100 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.25	24.00	15.00	06.00
	हास्पिटल - 30 से 100 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.25	24.00	15.00	06.00
	हास्पिटल - 0 से 30 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	नेचुरोपैथी सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	हेल्थ सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	नर्सिंग होम	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	पालीक्लीनिक	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	पेट क्लीनिक	30 प्रतिशत	1.25	12.00	12.00	04.50
	ब्लड बैंक/पैथालाजी सेन्टर इत्यादि	30 प्रतिशत	1.25	12.00	12.00	04.50
फिजियोथेरेपी सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	12.00	12.00	04.50	
3	जनउपयोगिता एवं सेवायें					
	पुलिस चौकी	35 प्रतिशत	1.00	-		
	पुलिस स्टेशन आवास गृह सहित	25 प्रतिशत	1.00	12.00	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार
	सामुदायिक भवन	35 प्रतिशत	1.00	12.00	नियम, 2012 के अनुसार	नियम, 2012 के अनुसार
	उप अग्निशमन केन्द्र	35 प्रतिशत	1.00	12.00	नियम 42 के अनुसार	नियम 42 के अनुसार
	अग्निशमन केन्द्र	35 प्रतिशत	1.00	12.00	नियम 42 के अनुसार	नियम 42 के अनुसार
डाक एवं तार	35 प्रतिशत	1.00	12.00			
विद्युत सब स्टेशन	-	-	-			
4	धार्मिक भवन	30 प्रतिशत	1.00	12.00	मान्य होंगे।	मान्य होंगे।
5	शासकीय/अर्द्ध-शासकीय कार्यालय	35 प्रतिशत	1.00	18.00		

नोट -उपरोक्त सारणी में जो सुविधाएं सम्मिलित नहीं हैं उनके भू-आच्छादित क्षेत्र 30 प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.00 से अधिक नहीं होंगे। जो सीमांत खुले क्षेत्र उपरोक्त सारणी में उल्लेखित नहीं हैं, वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार

रहेगी, किंतु ऐसी सुविधाएं जिनका पुनर्विकास किया गया है। उनके लिये यहां मापदण्ड लागू न होकर केवल आच्छादित क्षेत्र (कॉलम 3) के अनुसार रहेगी, जिसे आवश्यकतानुसार 10 प्रतिशत की सीमा तक बढ़ाया जा सकता है।

6.5 अन्य नियमन

6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे।

6.5.2 बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे।

6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधायें हेतु मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होंगे।

6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए निम्न सारणी में दिए गए मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

सारणी 6.9 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

क्र.	विवरण	मानक
1	2	3
1.	फुटपाथ व्यापार वृत्त खण्ड केन्द्र उपवृत्त खण्ड केन्द्र सुलभ शॉपिंग	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
2.	शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय	1 से 2 इकाई प्रति 100 कर्मकार
3.	थोक व्यापार एवं मालभाड़ा कॉम्प्लेक्स	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
4.	चिकित्सालय	3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तर
5.	विद्यालय प्राथमिक माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक	3 से 4 इकाई 5 से 6 इकाई
6.	उद्यान	

क्र.	विवरण	मानक
1	2	3
	नगर उद्यान स्थानीय उद्यान	8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार 2 से 3 इकाई
7.	आवासीय	1 इकाई प्रति 500 जनसंख्या
8.	बस स्थानक/रेलवे स्टेशन	परियोजना तैयार करते समय किये गये सर्वेक्षण पर निर्भर होगा।

टीप:- प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी।

6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र के मानक

ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र 18.00 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्वीकार्य होंगे तथा शेष मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3)(चार) के अनुरूप होंगे। ई-वाहन/बैटरी चार्जिंग स्टेशन के मानक शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होंगे।

6.5.6 यातायात नगर/मैकेनिक नगर/लॉजिस्टिक हब/निजी बस स्थानक

इस उपयोग के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी- ट्रक टर्मिनल, मोटर गैरेज, वर्कशॉप, स्पेयर पार्ट्स एवं सुधार की दुकानें रात्रि विश्राम गृह बोर्डिंग/लाजिंग, बैंक, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, बुकिंग ऑफिस, वेयर हाउस एवं अनुषांगिक गतिविधियाँ।

यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर परिक्षेत्र हेतु नियमन निम्नानुसार हैं:-

1. मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 18.00 मीटर से कम नहीं होगी।
2. सामुदायिक खुले क्षेत्र का उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सकेगा।
3. यातायात नगर के विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल वर्णित नहीं किया गया है। स्थल के आधार के अनुसार एक से अधिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी।

6.5.7 शॉपिंग मॉल/खुला मॉल

शॉपिंग मॉल हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे। उक्त गतिविधि विकास योजना में दर्शित वाणिज्यिक, मिश्रित एवं आवासीय भू-उपयोग में मान्य होगी। खुला मॉल, कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य होंगे।

6.5.8 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन

1. वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन की ऊँचाई, भू-आच्छादन, फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड, नगरीय निकाय द्वारा जोनल प्लान तैयार कर निर्धारित मापदण्डों एवं भवन रेखा के निर्धारण अनुसार लागू होंगे। जब तक जोनल प्लान लागू नहीं होगा तब तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे।

2. विकसित क्षेत्रों में पुनर्विकास की अनुमति सीधे स्थानीय निकाय द्वारा दी जावेगी।
3. भवन की ऊँचाई, अहाते की दीवार की ऊँचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेंगे।

6.5.9 होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लाजिंग/बोर्डिंग

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	500 वर्गमीटर
अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात	1 : 1.00
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)	33 प्रतिशत
अधिकतम ऊँचाई	12.00 मीटर
सीमांत खुला क्षेत्र –	
(अ) सम्मुख	6.00 मीटर
(ब) अन्य तीन ओर	4.50 मीटर
अन्य नियंत्रण –	
भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई	12.00 मीटर
पार्किंग म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 प्रावधान अनुसार।	

6.5.10 मैरिज गार्डन

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

6.5.11 बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल

मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि उपयोग में स्वीकार्य होंगे। विकास के नियमन निम्नानुसार होंगे :-

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	500 वर्गमीटर
अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात	1 : 0.50
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)	15 प्रतिशत
न्यूनतम भूखण्ड का अग्रभाग	25.00 मीटर
सीमांत खुला क्षेत्र –	
सम्मुख	6.00 मीटर
अन्य तीन ओर	4.50 मीटर

अन्य नियंत्रण :-

- भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.00 मीटर।
- भूखण्ड के सम्मुख 40 प्रतिशत खुला क्षेत्र सार्वजनिक पार्किंग हेतु आरक्षित रहेगा।

- इस गतिविधि से जनित होने वाली पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था परिसर के अंदर ही सुनिश्चित की जाएगी।

टीप- शासकीय भूमि अथवा मार्ग पर एवं परिसर के बाहर पार्किंग गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी।

6.5.12 शीतकेन्द्र / वेयर हाउस / गोदाम / अन्य भण्डारण

उपरोक्त गतिविधियों के लिए निम्न नियमन लागू रहेंगे।

1. अधिकतम तल क्षेत्र का अनुपात — 1:0.40
2. अधिकतम आच्छादन — 40 प्रतिशत
3. भू-खण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई — 12.00 मीटर
4. अग्र सीमांत खुला क्षेत्र — 06.00 मीटर
5. अन्य तीन ओर सीमांत खुला क्षेत्र — 4.50 मीटर (12.50 मीटर ऊँचाई तक)

टीप: 12.50 मीटर से अधिक ऊँचाई होने पर म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के अनुसार सीमांत खुला क्षेत्र रहेगा एवं शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

6.5.13 छविगृहों के लिए मापदण्ड

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53(3) के प्रावधान लागू होंगे।

6.5.14 मल्टीप्लेक्स

मल्टीप्लेक्स हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 95 के प्रावधान लागू होंगे। जो आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं मिश्रित भूमि उपयोग में मान्य होंगे एवं फर्शी क्षेत्रानुपात उस भू-उपयोग के अनुरूप होगा जिसमें उक्त गतिविधि मान्य की गई हो।

6.5.15 उद्यान

1. समस्त प्रकार के आमोद-प्रमोद क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान में 05 प्रतिशत आनुषांगिक स्वीकार्य होगी।
2. स्टेडियम के निर्माण हेतु मापदण्ड खेल विभाग के अनुसार होंगे।

6.5.16 बायपास मार्ग पर स्वीकृत गतिविधियों हेतु मानक

बायपास मार्ग पर स्वीकृत गतिविधियों हेतु मानक

1.	अधिकतम एफ0ए0आर0	1:0.75
2.	अधिकतम भूतल कवरेज	25 प्रतिशत
3.	अधिकतम ऊँचाई	9.00 मीटर

4.	सीमांत खुला क्षेत्र सम्मुख अन्य तीनों ओर	12.00 मीटर 6.00 मीटर
----	--	-------------------------

टीपः

1. मल्टीप्लेक्स हेतु अधिकतम एफ0ए0आर0 1:0.30 तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं साफ्टवेयर इकाईयों हेतु अधिकतम एफ0ए0आर0 1:1.50 स्वीकार्य होगा।
2. 5000 वर्गमीटर से बड़े भूखण्डों पर एफ0ए0आर0 एवं भूतल कव्हेरेज की गणना कुल भूमि क्षेत्रफल के 50 प्रतिशत भाग पर ही की जावेगी।
3. बायपास मार्ग पर विकास के पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत विकास कार्य मान्य होगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग बायपास (रिंग रोड) मार्ग के दोनों ओर केवल कृषि उपयोग में 200-200 मीटर तक स्वीकार्य गतिविधियाँ

1. ईंधन भराव केन्द्र/सर्विस स्टेशन
2. मोटल
3. रिसोर्ट
4. होटल/टूरिस्ट लॉज/रेस्ट हाउस
5. बस स्टैण्ड/पिकअप स्टेशन/टेक्सी स्टैण्ड
6. ढाबा/रेस्टोरेन्ट
7. पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकी
8. नाका/धर्मकांटा/वेइंग ब्रिज
9. भवन सामग्री स्थल
10. कोयला भण्डारन
11. दूर संचार केन्द्र/एस0टी0डी0/पी0सी0ओ0/सायबर कैफे
12. मल्टीप्लेक्स/सिनेमा
13. स्वास्थ्य केन्द्र/क्लीनिक
14. यात्रियों के लिये अधोसंरचना सुविधा/एम्प्लूजमेन्ट पार्क

15. शासकीय अर्द्धशासकीय कार्यालय
16. भौतिक अधोसंरचना सुविधा जैसे:- जल-मल निकास, जल प्रदाय विद्युत व्यवस्था मार्ग इत्यादि
17. बैंक/ए0टी0एम0/पोस्ट ऑफिस
18. वाणिज्यिक माल
19. ट्रक टर्मिनल/कन्टेनर डिपो
20. प्रेस काम्पलेक्स/सुलभ शौचालय
21. धर्मशाला
22. पार्किंग
23. अग्निशमन केन्द्र
24. सूचना एवं प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर इकाईयाँ

6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियाँ निम्नानुसार प्रावधानित हैं :-

1. नदी के दोनों ओर 30.00 मीटर तथा नाले के दोनों ओर 9.00 मीटर क्षेत्र खुला रखा जावेगा एवं उसमें सामाजिक वानिकी एवं वृक्षारोपण किया जावेगा।
2. तालाबों के किनारे न्यूनतम 30.00 मीटर दूरी तक का क्षेत्र खुला रख जावेगा। इस सीमा के अंतर्गत आने वाली संरचना में किसी प्रकार का बदलाव या नव निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जावेगी।
3. नाले, शाखा नहर एवं अन्य जल स्रोतों के किनारे छोड़ा जाने वाला कम-से-कम क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियमों के अनुसार होगा।
4. नहर की स्थिति सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई भूमियों में कम से कम 3.00-3.00 मीटर दोनों ओर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा।
5. बालाघाट निवेश क्षेत्र में स्थित खदानों में जल भराव होने के कारण जन सुरक्षा की दृष्टि से खदानों के आस-पास न्यूनतम 9.00 मीटर तक का क्षेत्र खुला रखा जावेगा।
6. प्रदूषित जल/मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जावेगा।
7. जलाशय/जल स्रोतों के किनारे के क्षेत्रों में भवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक को सीवेज लाईन, जब उसका निर्माण हो जाए से जोड़ना होगा।
8. निवेश क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों के आच्छादित क्षेत्र में या एफ0ए0आर0 में पूर्व की स्वीकृति के अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
9. नदियों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के सुधार एवं संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे।

10. नियंत्रित क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं बैठक की व्यवस्था स्वीकार्य की जा सकती है।
11. प्रतिबंधित क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं विरासत महत्व के स्मारकों को सुरक्षित रखा जायेगा। इन स्मारकों के रख-रखाव को प्रोत्साहित किया जावेगा।
12. नगरीय विरासत वाले क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विरासत महत्व के स्मारकों के संरक्षण एवं सुधार को दृष्टिगत रखते हुये एवं स्थल का अध्ययन कर विकास अनुमतियाँ दी जा सकेंगी।
13. नियंत्रित क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से पर्यटकों के परोक्ष मनोरंजन, आमोद-प्रमोद को प्रोत्साहन या दर्शनीय स्थलों के विस्तार एवं अन्य कार्य स्वीकार्य होंगे।
14. नियंत्रित क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों में आच्छादित क्षेत्र या फर्शी क्षेत्रानुपात में वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
15. संवदेनशील क्षेत्रों में निम्न श्रेणी के रख-रखाव के विस्तार संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे।

1. ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र :-

- नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन।
 - प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी अधिपत्य में हो, तो भी।
 - समय-समय पर उत्खनित/खोजे गए विरासतीय भवन।
2. नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन
 3. प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी अधिपत्य में हो तो भी समय-समय पर उत्खनित/खोजे गये विरासतीय भवन।
16. नगर के पुराने आबादी क्षेत्र में अनेक छोटी बड़ी चूने की खदानें हैं, जो वर्तमान में बंद हैं। इन खदानों के चारों आरे 9.00 मीटर की परिधि में किसी प्रकार की विकास अनुज्ञा दिया जाना पुर्णतः प्रतिबंधित है। साथ ही खदानों की स्थिति को राजस्व अभिलेख अनुसार निर्धारित किया जावेगा।

6.7 उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियाँ

सारणी 6.10 उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियाँ

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
1.	आवासीय	आवासीय भूखण्डीय विकास, अपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हॉल, मैरिज गार्डन, बाल सुधार गृह/कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, खेल का मैदान/ नेवरहुड पार्क, झूलाघर/डे-केयर सेंटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हाल, मल्टीफ्लेक्स मॉल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, शैक्षणिक महाविद्यालय/संस्थान, समस्त विद्यालय, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र,संगीत/ नृत्य/ नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्द्धशासकीय/ शासकीय कार्यालय/सुविधायें, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, पिकअप स्टेशन, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र गृह, मनोरंजन क्लब, खेल मैदान/स्टेडियम, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट, तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर।
2.	वाणिज्यिक	
	(अ) सामान्य वाणिज्यिक	आवासीय में स्वीकार्य समस्त गतिविधियाँ, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, प्रिंटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, सूचना प्रौद्योगिकी, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन,

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		पुलिस पोस्ट, माल, मल्टीप्लेक्स, ओपन मॉल, फिटनेस क्लब, मिश्रित उपयोग।
	(ब) वर्गीकृत वाणिज्यिक	आवासीय एवं सामान्य वाणिज्यिक में स्वीकार्य गतिविधियाँ तथा थोक व्यापार एवं लॉजिस्टिक हब।
3.	मिश्रित	आवासीय उपयोग परिक्षेत्र, वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक अंतर्गत उल्लेखित सभी गतिविधियाँ स्वीकृत होंगी।
4.	औद्योगिक	औद्योगिक भूखण्डीय विकास, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल मैदान, बालगृह, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, प्रिंटिंग प्रेस, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डेरी प्लांट, स्लाटर हाउस, फेलेटेड फैक्टरी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्द्धशासकीय/ शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, दूर संचार, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, बस स्टैण्ड, यातायात नगर।
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	अतिथि गृह/ रेस्ट हाउस, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, झूला घर/डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग-ध्यान-अध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, निजी व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी,

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील), सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, विश्व विद्यालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्नीक, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता, ब-शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र, मिश्रित उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग”
6.	सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं	अग्निशमन स्टेशन, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर / स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, रख रखाव कार्यालय, यातायात सुविधाएं, संचार सुविधाएं, अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी कार्य।
7.	यातायात एवं परिवहन	रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे लाईन/ रेल्वे साइडिंग/ यार्ड/ आपरेशनल एरिया, बस स्टेण्ड, बस डिपो, ट्रक टर्मिनल-नगर, हवाई पट्टी, माल गोदाम, शीतगृह, सर्विस स्टेशन, रिपेयर वर्कशॉप, अनुषांगिक दुकानें, रेस्टोरेन्ट, मोटल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र।
8.	आमोद-प्रमोद	
	(अ) क्षेत्रीय/ नगर	खेल का मैदान, पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, मनोरंजन साईट, क्लब रिसोर्ट, घुड़सवारी, जिम्नेजियम मय वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट,

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
	उद्यान/ मनोरंजन	फलाईंग क्लब, फिटनेस क्लब, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, वाटर पार्क मय राइडर कियोस्क, रिसोर्ट, पर्यटक/कुटीर, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, संग्रहालय, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, पम्प हाउस, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
	(ब) स्टेडियम/ खेल मैदान	स्टेडियम/खेल मैदान, नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, क्लब/रिसोर्ट, घुड़सवारी प्रशिक्षण, जिम्नेजियम, बोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फलाईंग, फिटनेस क्लब, मेला स्थल, नर्सरी, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, पम्प हाउस, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
	(स) मेला मैदान	मेला मैदान, खेल का मैदान, पार्क, एम्युजमेंट पार्क, क्लब, घुड़सवारी, जिम्मेजियम, बोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम-अस्थाई प्रकृति के, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फलाईंग, फिटनेस क्लब, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, रिसोर्ट, पर्यटक/कुटीर-अस्थाई प्रकृति के, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
	(द) हरित क्षेत्र	खेल का मैदान, नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी प्रशिक्षण, बोट क्लब, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फलाईंग, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, खेल उद्यान, पम्प हाउस, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान।
	(इ) वृक्षारोपण	पर्यावरण वानिकी, खेल का मैदान नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी, बोट क्लब, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट-अस्थाई प्रकृति की, वाटर पार्क, पर्यटक/कुटीर-अस्थाई प्रकृति की, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
9.	कृषि	
	(अ) कृषि भूमि	<p>ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "कृषि" शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में वर्णित है। शमशान घाट/कब्रिस्तान, जल-मल शोधन केन्द्र, ईट भट्टे दुग्ध डेयरी, तेल डिपो, फार्म हाउस, वेयर हाउस, गोडाउन, विस्फोटक सामग्री संग्रहण, शासकीय/ अर्द्ध-शासकीय/ पंजीकृत संस्थाओं का कार्यालय एवं उनके द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य/शैक्षणिक/संचार गतिविधियाँ, ग्राम विकास संबंधी गतिविधियाँ (क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हाल, मैरिज गार्डन, बिग बाज़ार, बालगृह, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता ब-शारीरिक विकलांगता), पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, नर्सरी, लाइब्रेरी, सेवाओं/सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट, ओपन मॉल ग्राम आबादी विस्तार, भवन सामग्री यार्ड, टिम्बर यार्ड, मैरिज गार्डन, वॉटर पार्क, शीत संग्रहागार, दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, डेरी प्लांट स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, समस्त खेल गतिविधियाँ/लॉजिस्टिक हब, बस स्टैण्ड, यातायात नगर, हाट/साप्ताहिक बाज़ार, जेल, फाइरिंग रेंज, शूटिंग रेंज, शासकीय</p>

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारों का पुर्नवास, सौर ऊर्जा संयंत्र, ढाबा, सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा***ए समस्त प्रकार के भण्डारण।
	(ब) ग्राम आबादी विस्तार	ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "कृषि" शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में वर्णित है। ईट भट्टे, दुग्ध डेयरी, फार्म हाउस, समस्त स्वास्थ्य सुविधाएँ (संक्रामक रोगों के अतिरिक्त), रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, मैरिज गार्डन, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, वाहन भोरूम, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, सामाजिक कल्याण केन्द्र, नर्सरी, सेवाओं/सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट, शैक्षणिक संस्थान, होटल, समस्त खेल गतिविधियाँ, सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधाएँ में स्वीकृत सभी गतिविधियाँ, कम्यूनिटी हाल, बालगृह, सुविधाजनक दुकानें, आवासीय अभिन्यास, बस/पिकअप स्टेशन, 'सूचना प्रौद्योगिकी' एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग', कृषि पर्यटन सुविधा''' एवं समस्त प्रकार के भण्डारण।

नोट :-

- (1) *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।
- (2) **गैर-प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।
- (3) ***कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 (क) के अनुसार मान्य होगा।

6.8 सू उपयोग में स्वीकृत परिसर के नियमन
सारणी 6.11 उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में		न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में	
							सामने	पीछे साईड स्			
शैक्षणिक गतिविधियां											
1.	वोकेशनल संस्थान (व्यवसाय संबंधी)	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 20 मी.
2.	विश्वविद्यालय	यू.जी.सी. मानक अनुसार	18.00	-	-	-	-	-	-	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 100 मी.
	अ-प्रशासकीय	भूमि का 45 प्रतिशत	-	30	1:1.25	12.50	30.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज एम.ओ.एस. केवल फ्रण्ट साईड में
	ब-आवासीय	भूमि का 25 प्रतिशत	-	30	1:1.25	12.50	30.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज एम.ओ.एस. केवल फ्रण्ट साईड में

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या मूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड		
	स-खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधि	भूमि का 15 प्रतिशत	-	10	1:0.15	12.50	30.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्ट एम.ओ.एस. केवल फ्रण्ट साईड में
	द-पार्क एवं लेण्ड स्केप (प्राकृतिक भू दृश्यीकरण)	भूमि का 15 प्रतिशत	-	5	1:0.05	आवश्यकता अनुसार	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	एम.ओ.एस. छोड़कर ही निर्माण कार्य हेतु
3.	शैक्षणिक महाविद्यालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 60 मी.
4.	शिक्षिता/ इंजीनियरिंग महाविद्यालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	30.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 75 मी.
5.	अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 75 मी.
6.	पैलीटेक्नीक	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	15.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 60 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड स्		
7.	साध्यमिक/सेकण्डरी विद्यालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	15.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 45 मी.
8.	प्राथमिक विद्यालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	15.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 30 मी.
9.	नर्सरी स्कूल	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 25 मी.
10.	प्ले स्कूल	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.
11.	समन्वित आवासीय विद्यालय	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 35 मी.
12.	विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 24 मी.
13.	व्यवसायिक प्रबंधन संस्थान	0.50	12.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 35 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कठोरज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड स्		
14.	व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 24 मी.
15.	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	0.50	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	7.50	7.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 30 मी.
16.	संगीत/नृत्य/नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 24 मी.
17.	कोचिंग इन्स्टीट्यूट (शिक्षण संस्थान)	0.10	12.00	30	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 20 मी.
18.	कोचिंग सेंटर	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	7.50	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.
19.	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
20.	शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	कंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड स		
21.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 30 मी.
22.	नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 24 मी.
23.	होटल मैनेजमेंट संस्थान	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 30 मी.
24.	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 30 मी.
25.	अन्य शैक्षणिक संस्थान	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 30 मी.
26.	आई.टी.आई.	तकनीकी शिक्षा विभाग अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	18.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 30 मी.
27.	किंडर गार्डन स्कूल	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साइड्स		
28.	झाड़विंग स्कूल	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	7.50	7.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 30 मी.
29.	प्रयोगशाला	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
स्वास्थ्य गतिविधियाँ											
30.	सामान्य चिकित्सालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.50	12.50	15.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 30.00 मी.
31.	विशेष/सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.50	12.50	15.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 30.00 मी.
32.	क्लिनिक/डिस्पेंसरी	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
33.	प्रसूति गृह	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या मुखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम ककरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड स्		
34.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
35.	नर्सिंग होम	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
36.	पोलिक्लिनिक	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
37.	क्लिनिकल प्रयोगशाला	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
38.	पेथोलॉजी लेब	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
39.	पालतू पशु क्लिनिक	0.05	12.00	35	1:0.50	7.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.
40.	पालतू पशु औषधालय	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
41.	डायनोस्टिक सेन्टर	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
42.	ब्लड बैंक	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
43.	रेड क्रॉस केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	6.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
44.	फिजियोथेरेपी केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
45.	एक्सरे/रेडियोलॉजी	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
रहवासी गतिविधियाँ											
46.	कामकाजी महिला छात्रावास	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साइड्स		
47.	बालगृह	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
48.	बाल सुधार गृह	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
49.	झूलाघर/डे-केयर सेंटर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
50.	अनाथालय	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
51.	वृद्धाश्रम	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
52.	धर्मशाला	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
53.	लॉजिंग	0.05	12.00	35	1:1.50	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	भू-तल अधिकतम कक्षरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
						सामने	पीछे	साईड्स		
54.	लॉजिंग एवं बोर्डिंग	0.05	35	1:1.50	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
55.	होस्टल	0.05	35	1:1.50	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
56.	बोर्डिंग	0.05	35	1:1.50	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
57.	रेस्ट हाउस/ अतिथि गृह	0.20	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 24 मी.
58.	रात्रि विश्राम गृह	0.05	35	1:1.50	7.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 24 मी.
59.	सर्किट हाउस	0.40	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 24 मी.
60.	भूखण्डीय विकास	-	-	-	12.50	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	(1) फ्रण्टेज = ले-आउट अनुसार.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साइड्स		
61.	ग्रूप हाउसिंग	0.20	12.0	30	1:1.50	12.50	7.50	6.00	6.00	म.प्र. भूवि.नि. अनुसार	(1) खुला क्षेत्र = 10 प्रतिशत, (2) सेवा क्षेत्र = 1.0 प्रतिशत
62.	आवासीय सह व्यवसायिक/स्थानीय दुकान	0.01	12.00	40	1:1.50	12.50	4.50	1.50	-	म.प्र. भूवि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 6.0 मी.
63.	अपार्टमेन्ट हाउसिंग	0.05	12.00	30	1:1.50	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भूवि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
वाणिज्यिक गतिविधियाँ											

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
64.	शापिंग माल	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
65.	मल्टीप्लेक्स	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
66.	सुपर मार्केट / डिपार्टमेंटल स्टोर्स	0.10	12.00	33	1:1.75	12.50	15.00	7.50	7.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 24 मी.
67.	कैफेटेरिया	0.10	12.00	33	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 24 मी.
68.	कन्वेंशन सेंटर	0.10	12.00	30	1:1.50	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 24 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड स्		
69.	सुविधाजनक दुकानें	0.002	12.00	35	1:1.50	9.00	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	(1) फ्रण्टेज = 9 मी. (2) भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल भूमि के 5% पार्किंग सहित
70.	स्थानीय दुकाने	0.002	12.00	35	1:1.50	12.50	9.00	6.00	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	(1) फ्रण्टेज = 9 मी. (2) भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल भूमि के 5% पार्किंग सहित
71.	साप्ताहिक हाट बाजार	0.20	12.00	35	—	4.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या मूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साइड्स		
72.	व्यवसायिक कॉर्पोरेट कार्यालय	0.20	12.00	35	1:1.75	12.50	9.00	6.0	6.0	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
73.	सिनेमा हॉल	भूमि विकास नियम अनुसार	भूमि विकास नियम अनुसार	भूमि विकास नियम अनुसार	भूमि विकास नियम अनुसार	भूमि विकास नियम अनुसार	भूमि विकास नियम अनुसार	भूमि विकास नियम अनुसार	भूमि विकास नियम अनुसार	भूमि विकास नियम अनुसार	भूमि विकास नियम अनुसार
74.	होटल	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
75.	मोटल	0.20	12.00	30	1:0.75	12.50	9.00	6.0	6.0	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	(1) राष्ट्रीय राजमार्गों/स राजमार्गों/स मस्त क्षेत्रीय मार्गों/ बायपास मार्गों पर (2) फ्रण्टेज = 18 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
76.	रेस्टोरेंट	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
77.	ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केंद्र	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	-
78.	व्यवसाय/कार्यालय	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	7.50	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 9 मी.
79.	ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशाप	0.05	12.00	30	1:1.25	12.50	7.50	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 9 मी.
80.	स्टोरेज/गोदाम अज्वलनशील पदार्थ	0.08	12.00	30	1:0.75	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
81.	स्टोरेज अज्वलनशील पदार्थ डीजल आदि	संबंधित मानक अनुसार	18.00	25	1:0.50	12.50	30.00	20.00	20.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	(1) फ्रण्टेज = 30 मी. (2) निर्मित क्षेत्र के चारों

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
82.	जंकराई	0.10	12.00	25	1:0.25	12.50	9.00	6.00	6.00	स.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
83.	बेयर हाउस / स्टोरेज / एफ. एम.सी.जी. गोदाम	0.08	12.00	30	1:0.75	12.50	9.00	6.00	6.00	स.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
84.	कॉल सेन्टर	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	6.00	4.50	4.50	स.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.
85.	ए.टी.एम.	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	3.00 मीटर X 3.00 मीटर का निर्माण एम. ओ.एस. स्पेस को छोड़कर, निर्मित किये जा सकने

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कच्चेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड स्		
91.	कार्गो मय बुकिंग मरम्मत एवं फाएवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के	0.20	12.00	25	1:0.50	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
92.	ऑटो मोबाईल शोरूम मय सर्विस स्टेशन/वाहन विक्रय केन्द्र के या बिना इन सुविधाओं के	0.10	12.00	30	1:1.0	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
93.	प्रिंटिंग प्रेस	0.10	12.00	30	1:1.25	12.50	9.00	6.0	6.0	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
94.	पेट्रोलियम उत्पाद डिपो	1.00	12.00	30	1:1.00	12.50	24.00	20.00	20.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 30 मी.
95.	गैस गोडाउन	0.10	12.00	30	1:1.00	12.50	-	-	-	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	(1) फ्रण्टेज = 18 मी. (2) निर्मित क्षेत्र के चारों ओर 12.00 मी. स्थान

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड स		
96.	अनाज मण्डी	1.00	18.00	35	1:1.25	12.50	18.00	12.00	12.00	म.प्र. भूवि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 45 मी.
97.	सब्जी/फल मण्डी	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भूवि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
98.	लोहा मण्डी	1.00	18.00	35	1:1.25	12.50	18.00	12.00	12.00	म.प्र. भूवि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 45 मी.
99.	मवन सामग्री यार्ड	1.00	18.00	35	1:1.25	12.50	18.00	12.00	12.00	म.प्र. भूवि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 45 मी.
100.	सी.एन.जी. केन्द्र	0.10	18.00	10	1:0.15	7.50	7.50	4.50	4.50	म.प्र. भूवि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 20 मी.
101.	सर्विस स्टेशन	0.05	12.00	30	1:1.25	12.50	7.50	6.00	6.00	म.प्र. भूवि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कक्षरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड स्		
102.	बूटी पार्कर	0.01	12.00	35	1:1.25	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 9 मी.
103.	तौल कांटा	0.05	12.00	30	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 9 मी.
104.	थोक मार्केट	0.60	18.00	35	1:1.25	12.50	18.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
105.	दवाई मार्केट	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
106.	स्टेशनरी मार्केट	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
107.	ऑटोमोबाइल मार्केट	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
108.	फायर वर्क्स मार्केट	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कक्षरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
109.	सर्राफा मार्केट	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
110.	क्राकरी मार्केट	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
111	कपड़ा मार्केट	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
112.	बर्तन बाजार	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
113.	सरसत बाजार	0.20	12.00	30	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
114.	टिम्बर मार्केट	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
115.	कैमिकल बाजार	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	कंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
116.	ई-चौपाल	0.20	12.00	30	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
117.	कम्प्यूटर सेंटर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.25	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
118.	इन्फार्मल शॉपिंग	0.10	12.00	35	1:1.25	12.25	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
119.	बैकवेट हॉल	0.10	12.00	30	1:1.00	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.
120.	एफ.एम.सी.जी. गोडारन	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	7.50	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
121.	वेयर हाउस	0.08	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
122.	कोल यार्ड	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 24 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	मू-तल अधिकतम कक्षरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड स्		
123.	मीट मार्केट	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भूवि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
124.	सायबर कॅफे	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भूवि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
125.	ढाबा	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भूवि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.
126.	रेल/एयर टिकिट घर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भूवि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.
सांस्कृतिक गतिविधियाँ											
127.	खुला रंगमंच	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	1:0.10	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भूवि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.
128.	योग केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भूवि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम ककरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड स्		
129.	अध्यात्मिक केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.
130.	सांस्कृतिक/सूचना केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.
131.	सामाजिक कल्याण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.
132.	लइररी	0.10	12.00	35	1:1.00	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.
133.	धार्मिक परिसर	0.10	12.00	35	1:1.00	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.
134.	कॉन्फेन्स हॉल/प्रदर्शनी केन्द्र	0.20	12.00	30	1:1.50	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कठोरण प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	कंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड च		
135.	नादय गृह	0.20	12.00	30	1:1.50	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.
136	कम्प्यूनिटी हॉल	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.
137.	स्वयं सेवी संस्थान	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	7.50	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.
138.	क्रेच/झुलाघर	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	7.50	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.
139	आर्ट/गैलेरी संग्रहालय	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	7.50	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम ककरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/न्यूनतम फ़ण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड		
खेल/मनोरंजन गतिविधियां											
140	खेल का मैदान/नेबरहूड पार्क	खेल/पार्क की आवश्यकतानुसार	खेल/पार्क की आवश्यकतानुसार	.	.	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ़ण्टेज 24 मी.
141	गोल्फ कोर्स	भारतीय खेल प्राधि. के मानक अनुसार	18.00	10	1:0.10	आवश्यकता अनुसार	15.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	(1) एम.ओ.एस. केवल निर्माण कार्य के संदर्भ में। (2) फ़ण्टेज = 75 मी.
142	एन्सूजमेंट पार्क/मय राईड्स, कियोस्क, संभारण कार्यालय, खास फ्लोर सहित या बिना इन सुविधाओं के	2.0	18.00	20	1:0.10	आवश्यकता अनुसार	15.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	(1)एम.ओ.एस. केवल निर्माण कार्य के संदर्भ में (2)फ़ण्टेज = 30 मी.
143	क्लब/रिसोर्ट	0.20	12.00	20	1:1.00	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ़ण्टेज=18 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड स		
144	छुड़सवारी प्रशिक्षण स्कूल	2.00	18.00	20	1:0.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	(1) भारतीय खेल प्राधि. की निर्धारित शर्तों अनुरूप। (2) फ्रण्टेज = 50 मी. फ्रण्टेज=18 मी.
145	जिम्नोजियम मय पूल नेम, स्नेक्स एवं जूस शॉप, योग केंद्र या इन सुविधाओं बिना	0.20	12.00	30	1:0.00	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	
146	बोट क्लब	भारतीय खेल प्राधि. के मानक अनुसार	18.00	15	1:0.10	आवश्यकतानुसार	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	(1) एम.ओ.एस. केवल निर्माण कार्य के संदर्भ में। बोट क्लब का निर्माण जल तट से लग कर आवश्यकतानुसार किया

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या मूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड स		
147	आंतरिक स्टेडियम	खेल की आवश्यकतानुसार	12.00	25	1:0.75	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 30 मी. (2) फ्रण्टेज = 18 मी.
148	स्टेडियम	खेल की आवश्यकतानुसार	18.00	30	1:0.00	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
149	सपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स	खेल की आवश्यकतानुसार	18.00	35	1:0.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
150	आरबर्ड	0.10	12.00	20	1:0.25	7.00	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	-
151	तरणताल	0.20	12.00	25	1:0.00	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कक्षरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एम. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
152	पिकनिक हट	0.10	12.00	25	1:0.25	7.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	-
153	प्लाइंग क्लब	0.20	12.00	30	1:0.00	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
154	फिटनेस क्लब	0.10	12.00	35	1:1.25	7.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
155	मैला मैदान	आवश्यकतानुसार	18.00	20	1:0.75	7.50	15.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 24 मी.
156	मस्सी	0.10	12.00	30	1:0.75	9.00	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	-
157	पक्षी अभयारण्य	1.00	12.00	20	1:0.25	12.50	18.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 30 मी.
158	वनस्पति उद्यान	1.00	12.00	20	1:0.25	12.50	30.00	12.00	12.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 30 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साइड्स		
159	प्राणी उद्यान	1.00	12.00	20	1:0.25	12.50	18.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 30 मी.
160	मत्स्यालय	1.00	12.00	20	1:0.25	12.50	18.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 30 मी.
161	केम्पिंग साइट	1.00	12.00	20	1:0.25	12.50	18.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 30 मी.
162	वाटर पार्क मय राईड्स, कियोस्क, संधारण कार्यालय, डॉस प्लोर सहित या बिना इन सुविधाओं के	1.00	12.00	20	1:0.25	आवश्यकता अनुसार	18.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	(1)एम.ओ.एस. केवल निर्माण कार्य के संदर्भ में। (2) फ्रण्टेज = 30 मी.
163	रिसार्ट पर्यटक/कुटीर	1.00	12.00	20	1:0.25	आवश्यकता अनुसार	18.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	(1)एम.ओ.एस. केवल निर्माण कार्य के संदर्भ में।

अनु. क्र.	सपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कक्षरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/न्यूनतम फ़ण्टेज मीटर में (2) फ़ण्टेज = 30 मी.
							सामने	पीछे	साईड्स		
शासकीय गतिविधियां											
164	शासकीय/अर्द्ध शासकीय कार्यालय/उपक्रम, अत्यावश्यक स्टाफ़ क्वार्टर सहित,	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	10.00	5.00	5.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	(1)फ़ण्टेज = 12 मी. (2) स्टाफ़ क्वार्टर का अधिकतम क्षेत्र निर्माण हेतु स्वीकार्य क्षेत्र का 20 प्रतिशत
165	न्यायालय	आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ़ण्टेज = 30 मी.
166	जेल	आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ़ण्टेज = 30 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या मूखण्डे का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड स्		
167	स्थानीय निकाय कार्यालय	आवश्यकता अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 30 मी.
168	पुलिस स्टेशन	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 24 मी.
169	पुलिस पोस्ट	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 24 मी.
170	बैंक	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	7.50	7.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.।
सार्वजनिक सेवाएँ सुविधाएँ											
171	शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय/उपक्रम, अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर सहित,	आवश्यकता अनुरूप	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/न्यूनतम फ़ण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
172	पोस्ट ऑफिस	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ़ण्टेज = 18 मी.
173	दूरसंचार टावर/स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ़ण्टेज = 18 मी.
174	जल शोधन संयंत्र	आवश्यकता अनुसार	12.00	25	1:0.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ़ण्टेज = 18 मी.
175	कम्पाईन्ड ट्रिगैट प्लांट	आवश्यकता अनुसार	12.00	25	1:0.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ़ण्टेज = 18 मी.
176	वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र	आवश्यकता अनुसार	12.00	25	1:0.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ़ण्टेज = 18 मी.
177	दूर संचार केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	आवश्यकता अनुसार	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ़ण्टेज = 18 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या मूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कक्षरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड स्		
178	ट्रांसमिशन टावर/वायर लेस स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकत I अनुसार	आवश्यकत I अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
179	रेडियो स्टेशन	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.।
180	वैद्यशाला	आवश्यकता अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
181	अग्निशमन केन्द्र	आवश्यकता अनुसार	18.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
182	टेलीविजन स्टेशन	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.।
183	मौसम कार्यालय	आवश्यकता अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
184	विद्युत सब स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	आवश्यकता अनुसार
185	रामशान/कब्रस्तान / सिमीट्री	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	आवश्यकता अनुसार
186	दूर संचार टावर	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	आवश्यकता अनुसार
187	गौशाला	0.20	12.00	35	1:0.50	9.00	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
188	उपग्रह ट्रेकिंग स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:0.25	12.50	24.00	12.00	12.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 24 मी.
189	दूरभाष केंद्र	आवश्यकता अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कक्षरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड स्		
190	विन्ड मिल्स/फार्म	आवश्यकता अनुसार	12.00	20	1:0.25	आवश्यकता अनुसार	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 24 मी.
191	सार्वजनिक मुन्नालय	आवश्यकता अनुसार	7.50	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	4.50	3.00	3.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 7.50 मी.
192	विद्युत शवदाह गृह	आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 24 मी.
193	ओवर हेड पानी की टंकी	आवश्यकता अनुसार	7.50	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	9.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.
194	भूमिगत पानी की टंकी	आवश्यकता अनुसार	7.50	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.।
195	ऑक्सीडेशन पौंड	आवश्यकता अनुसार	9.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	9.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	मू-तल अधिकतम कक्षरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	कंवाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
196	सेप्टिक टैंक	आवश्यकता अनुसार	7.50	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	7.50	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.।
197	सार्वजनिक शौचालय	आवश्यकता अनुसार	7.50	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	7.50	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.।
198	घूरा एवं कक्षराघार	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
199	घोबी घाट	आवश्यकता अनुसार	7.50	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
200	औद्योगिक सुविधायें एमो स्तर उद्योग	0.20	12.00	40	1:1.00	12.50	12	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	(1) भूखण्ड के चारों ओर 3.0 मीटर चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण करना होगा। (2) फ्रण्टेज = 18 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
201	डेयरी प्लांट	0.20	12.00	35	1:1.00	12.50	12	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	(1) भूखण्ड के चारों ओर 3.0 मीटर चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण करना होगा। (2) फ्रण्टेज = 12 मी.।
202	औद्योगिक भूखण्डीय विकास	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	
203	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.।
204	डेरी प्लांट	0.20	12.00	35	1:1.00	12.50	12	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	(1) भूखण्ड के चारों ओर 3.0 मीटर चौड़ी पट्टी

अनु क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
205	स्ताटर हाउस	0.20	12.00	35	1:1.00	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 24 मी.।
206	फेलेटेड फैक्ट्री	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	-
207	एक्सटेंसिव/विशिष्ट एक्सटेंसिव उद्योग		12.00	-	-	-	-	-	-	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	खनिज विभाग के नियम अनुसार
208	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	10.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 25 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम ककरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
209	फूड पार्क	1.00	18.00	40	1:1.00	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 30 मी.।
210	साफ्टवेयर पार्क	1.00	18.00	40	1:1.00	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 30 मी.।
211	दुग्ध केंद्र	0.40	12.00	40	1:1.00	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 30 मी.।
यातायात सुविधायें											
212	बस स्टेण्ड	1.00	18.00	30	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 30 मी.।
213	बस टर्मिनल	1.50	18.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 50 मी.।
214	पिकअप स्टेशन	0.10	12.00	30	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कटरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
215	बस स्टॉप	आवश्यकतानुसार	12.00	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	-	-	-	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	मार्ग की भूमि को छोड़कर, बाई लेन में।
216	यातायात नगर	4.00	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 75 मी.।
217	मेकेनिक नगर	1.00	18.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 50 मी.।
218	ऑटो स्टेण्ड/ टैक्सी स्टेण्ड	0.10	12.00	15	1:0.30	07.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.।
219	मल्टी लेवल पार्किंग	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	18.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 30 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या मूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साइड्स		
220	बस डिपो/कर्मशाला	0.80	18.00	35	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 30 मी.।
221	कार्गो	1.00	18.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 30 मी.।
222	पार्किंग	आवश्यकतानुसार	9.00	-	-	-	6.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.।
223	कन्टेनर डिपो	2.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 50 मी.।
224	ड्राई पोर्ट/कन्टेनर डिपो मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के	2.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 50 मी.।
225	हेलीपैड	आवश्यकतानुसार	18.00	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 150 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/न्यूनतम फ़्लटेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
226	रेल्वे स्टेशन	आवश्यकताअनुसार	18.00	आवश्यकत I अनुसार	आवश्यकत I अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार ₹	आवश्यकता अनुसार ₹	आवश्यकता अनुसार ₹	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ़्लटेज = 50 मी.।
227	धर्म कांटा/वेविंग ब्रिज	0.05	12.00	15	1:0.25	7.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ़्लटेज = 18 मी.।
ग्रामीण क्षेत्र गतिविधियां											
228	मुर्गी पालन केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ़्लटेज = 18 मी.।
229	फॉर्म हाउस	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार ₹	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार ₹	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार ₹	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
230	डेयरी युनिट	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ़्लटेज = 18 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कठरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
231	पशु पालन केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.।
232	पशु शोध केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.।
233	कृषि पर्यटन सुविधा	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.।
234	अनाज गोदाम	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.।
235	षवण सामग्री योर्ड	0.20	12.00	10	1:0.15	7.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 24 मी.।
236										म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊँचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड स्		
237	ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.।
238	कृषक परामर्श/सहायता केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.।
239	आंगनवाड़ी	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.।
240	औषधालय	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.।
241	कृषि उपकरण कर्मशाला	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.।
242	चौपाल	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
243	उत्सव स्थल	0.20	12.00	10	1:0.15	7.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भूवि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.।

— भूतल अधिकतम कवरेज हेतु मापदंड यदि 10प्र0 भूमि विकास नियम से भिन्न हो तो उसे 10प्र0 भूमि विकास नियम के अनुसार मान्य किया जावेगा।

— 12.50 से ऊंचे भवनों हेतु सभी मापदंड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम के अनुसार मान्य होंगे।

नोट :- 1. सक्षम अधिकारी, उपरोक्त सारणी क्र 6.11 में उल्लेखित गतिविधियों के समतुल्य अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकेगा।

2. उपरोक्त कॉलम (3) में वर्णित विभिन्न परिसरों के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि केवल निर्देशित है। भूखंड का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किये गये अनुसार होगा। सारणी तदनुसार परिवर्तित मान्य होगी।

6.9 अन्य सुविधाएँ

बालाघाट निवेश क्षेत्र में भूमि के विकास तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49(1) अनुसार मान्य होंगी।

6.10 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होगी।

अध्याय-7 विकास योजना क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव औचित्यहीन है, यदि इसके क्रियान्वयन एवं प्रभावशील करने हेतु सम्यक प्रयास पूर्ण रूप से नहीं किये जाते हैं। यह अपेक्षित है कि, इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण, पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि विकास करके योगदान करना होगा। इसलिए यह आवश्यक होगा कि, ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन, तकनीकी सलाह देकर किया जावे, जिससे कि विकास एवं निर्माण, विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना के उपबंधों के अनुरूप हो सके। विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा, जब म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी विकास कार्य चाहे वह शासकीय, अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो, उसकी अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त कर किया जावे।

विकास योजना के प्रस्तावों के क्रियान्वयन का दायित्व मुख्यतः बालाघाट नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के गठन तक नगर पालिक परिषद बालाघाट द्वारा किया जावेगा। इसके अतिरिक्त म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, नगर पालिका द्वारा भी अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाता है, इससे विकास योजना के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। इसलिए यह अपेक्षित होगा कि, सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु शासकीय, अर्द्धशासकीय निकाय, विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें।

7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में रूपये 192920.00 लाख का व्यय अनुमानित है, इसमें विभिन्न भूमि उपयोग हेतु 890.00 हेक्टेयर भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं भूमि के विकास पर व्यय शामिल है।

भूमि अर्जन की औसत दर रूपये 50.00 लाख प्रति हेक्टेयर मानी गई है। इस पर विकास संबंधी व्यय भूमि का दस गुना अनुमानित है। विकास व्यय का जहां तक प्रश्न है, वह भूमि उपयोग के प्रकार अनुसार अलग-अलग माना गया है। संपूर्ण विकास योजना 2035 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 7.1 में दर्शाया गया है।

सारणी 7.1 योजना क्रियान्वयन की लागत

क्र.	भूमि उपयोग विवरण	क्षेत्र (हेक्टर में)		भूमि अर्जन लागत (रु 50 लाख प्रति हे. की दर से)	उपलब्ध भूमि का 60 प्रतिशत विकास			कुल लागत (रु लाख में)
		विकास हेतु उपलब्ध भूमि	भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र		क्षेत्र हे. में	विकास दर प्रति हे. (रु लाख में)	लागत (रु. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आवासीय	1270.05	400	20000	762.03	100	76203	96203
2	वाणिज्यिक	46.98	100	5000	281.18	100	28118	33118
3	मिश्रित	168.04	120	6000	100.82	100	10082	16082
4	औद्योगिक	71.95	50	2000	43.17	100	4317	6317
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	64.52	40	2000	38.71	100	3817	5817
6	सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ	16.22	10	500	9.73	100	973	1473
7	आमोद-प्रमोद	242.41	40	2000	145.44	50	17544	19544
8	यातायात एवं परिवहन	181.1	70	3500	108.66	100	10866	14366
योग		2057.2	890	41000	1489.74		151920	192920

टीप:- भू-अर्जन की दरें सांकेतिक स्वरूप की है, जिसका वास्तविक निर्धारण क्रियान्वयन के समय किया जावेगा।

7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

बालाघाट विकास योजना 2035 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने से यह स्पष्ट होता है, कि विकास योजना के अधिकांश प्रस्तावों का वास्तविक क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। उपयुक्त प्रबंधन की कमी के कारण जिन क्षेत्रों की योजना प्रभावित हुई है, उनका उल्लेख अध्याय 3 में किया गया है। जिस पर पुनर्विचार करते हुए योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु नीति निर्धारण अनिवार्य है। अतएव निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारण की नितांत आवश्यकता है :-

1. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू-स्वरूप
2. सांस्कृतिक धरोहरों के क्षेत्र का संरक्षण
3. भूमि का कुशलतम उपयोग
4. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/संधारण

5. भूमि प्रदाय तथा अधोसंरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव
6. समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना विकास योजना क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है —
(अ) पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम
(ब) नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम
7. मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू-उपयोग के क्रियान्वयन के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जावेगा कि, मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय प्राधिकारी को विकास हेतु उपलब्ध हो सके।

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है, जो प्रमुख रूप से तालाबों के संरक्षण इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्ट भू-स्वरूप तथा जल स्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्रों से संबंधित कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित है। अन्य पर्यावरण समस्याएं जैसे नगरीय अपशिष्ट के उपचार, निराकरण इनके पुनर्चक्रीकरण एवं नगर विस्तार के परिपेक्ष्य में जनसंख्या के व्यवस्थापन से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है।

7.3.1 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व

उपरोक्त संवेदनशील बिन्दु के परिपेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय है

1. नदी एवं अन्य जल स्रोतों में जल-मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम।
2. तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू-उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना।
3. जल फैलाव क्षेत्रों में "स्टाप डेम" द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक का उपयोग निषेध।
4. नदी, नालों, तालाबों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण मापदण्डों को प्रभावीकरण।
5. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण।
6. सभी जल स्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था।

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा :-

1. संस्था का गठन।
2. विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन।

3. भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग।
4. नगरवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिपेक्ष्य में आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान।

7.4.1 नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भूमि स्वामी/विकासकर्ता/सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जाए। यहां समन्वयक संस्था की भूमि प्रदाय कर्ता की होगी। सार्वजनिक संस्थाएँ, प्रमुख सेवाएँ, तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी।

7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभागिता करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से अनुपातिक एवं समन्वय के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है। नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है।

7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढांचे के अनुरूप तैयार कर क्रियान्वित किया जा सकेगा। वार्षिक योजना/वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए, जिससे पांच वर्षीय नगर विकास कार्यक्रम सामने आ सकेगा। मूलतः यह कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम होगा। यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण, लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्तखण्ड तथा उपवृत्तखण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शायेगा। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किये जाने वाले नगरीय मार्ग तंत्र तथा प्रमुख सेवा सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा। इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि का समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा।

योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका "सुविधादायक" के रूप में होना चाहिए। इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्रोतों से एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा। एकीकृत नगर विकास योजना

कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढांचे के अंतर्गत किया जाकर लक्ष्य की पूर्ति की जाना प्रस्तावित है:-

1. एकीकृत नगर विकास योजना के तत्वों की पहचान,
2. एकीकृत नगर विकास योजना तैयार करना,
3. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान,
4. विकास परियोजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण,
5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना, जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास में समन्वित विकास का दृष्टिकोण रखते हैं,
6. समन्वय अधिकारियों और अन्य खण्डीय एजेन्सियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना।

7.5 विकास नियमन व्यापक दृष्टिकोण

नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम उपयोग के साथ-साथ आधुनिक भूमि उपयोग की प्रबंधन नीतियों को अंगीकृत करने की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि, विकास नियमों को पुनर्भाषित किया जावे। भारतीय जीवन शैली के अनुरूप विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्देश्य से अध्याय-6 में नियमन वर्णित किये गये हैं।

7.6 योजना एवं कार्यक्रम

- (अ) क्षेत्रों के विकास हेतु क्रियान्वयन तीन चरणों में करने का प्रावधान है। प्रथम चरण में सन् 2025 तक की आवश्यकताओं तथा द्वितीय चरण में 2026 से 2030 तथा तृतीय चरण में वर्ष 2035 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा।
 - (ब) योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि-स्वामियों, विकास कर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकास कर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से संसाधन गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है।
 - (स) योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिये नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास क्रियान्वित किया जावेगा :-
1. भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना।
 2. मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारित करना, जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी कार्यरूप दे सके।

3. भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी भूमि विकास कार्यक्रम की नीतियों को तैयार करना।
4. परिसीमन अधोसंरचना के प्रावधान के साथ-साथ लगभग पांच से दस हेक्टेयर आकार के अर्द्धविकसित भूखण्डों को सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने हेतु विकास कार्यक्रम को मूर्तरूप देना।
5. योजना के तीनों चरणों की आवश्यकता, जलपूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्रोत का विकास।

7.6.1 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धांत निम्नानुसार है

- यह सुनिश्चित करना कि, भूमि उपलब्धता में कमी तथा उपयुक्त अधोसंरचना के कारण विकास अवरुद्ध न हो।
- उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना।
- बिखरे हुए नगरीय विकास के लिये पहुंच मार्ग उपलब्ध कराना।
- अर्द्ध विकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन।
- भू-स्वामियों, सार्वजनिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना।

7.7 प्रथम चरण के घटक

प्रथम चरण कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों को शामिल करते हुए आलोच्य क्षेत्र के उपयोगों को निम्न सारणी में वर्णित अनुसार चिन्हित किया गया है।

सारणी 7.2 प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक

क्र.	विकास के घटक	क्षेत्रफल हेक्टेयर	प्रस्तावित स्थल	प्रस्तावित स्थल (निवेश इकाई)
1	2	3	4	5
1	आवासीय	400	गेदिया मार्ग, बैहर मार्ग , जबलपुर मार्ग	1 एवं 2
2	वाणिज्यिक	100	गेदिया मार्ग , वारासिवनी मार्ग	1 एवं 2
3	मिश्रित	120	सिवनी मार्ग , वारासिवनी मार्ग, बैहर मार्ग	1 एवं 2
4	औद्योगिक	100	बैहर मार्ग, ग्राम गर्गा	1 एवं 2

5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	50	ग्राम गोगलाई	1 एवं 2
6	सार्वजनिक सेवाएँ-सुविधाएँ	10	भटेरा ,कोसमी	1 एवं 2
7	आमोद-प्रमोद	40	वैनगंगानदी के किनारे	1 एवं 2
8	यातायात एवं परिवहन	70	गोदिय मार्ग (बस स्टेण्ड) एम. आर 09 एवं एस. एस. आर. 5,6	1 एवं 2
योग		890		1 एवं 2

टीप: प्रथम चरण विकास के अंतर्गत निर्धारित प्रस्ताव का एक तिहाई क्षेत्रफल विकास हेतु निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत समस्त भू-उपयोगों को समायोजित किया गया है।

प्रथम चरण के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए कार्यक्रम उनकी लागत प्राप्त होने के आधार पर रखे गए हैं। तथापि नगर की त्वरित आवश्यकताओं को भी प्रथम चरण विकास में लिया गया है। नगर में कार्यरत विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं को विकास योजना के कार्यों में जोड़ना आवश्यक है तथा इससे इन विभागों के वार्षिक बजट तथा अन्य संसाधनों को भी उपयोग में लाया जा सकेगा।

7.8 प्रथम चरण कार्यक्रम

विकास योजना के क्रियान्वयन में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास मुख्यतः निजी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है इस हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता नहीं होगी।


विकास योजना के प्रथम चरण में चयनीत घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत 890.00 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 96700.00 लाख होगी। विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण निम्न सारणी में दिया गया है :

सारणी 7.3 प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत

क्र.	भूमि उपयोग विवरण	भू-अर्जन की भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)	भू-अर्जन की लागत (रु. 50.0 प्रति हेक्टेयर) (रु. लाख में)	विकसित की जाने वाली भूमि का 60 प्रतिशत विकास व्यय			कुल लागत (रु. लाख में) (4+7)
				भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)	विकास दर प्रति हेक्टेयर (रु. लाख में)	लागत (रु. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	400	20000	2400	100	24000	44000
2	वाणिज्यिक	100	5000	60	100	6000	11000
3	मिश्रित	120	6000	72	100	7200	13200
4	औद्योगिक	100	5000	60	100	6000	11000
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	50	2500	30	100	3000	5500
6	सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें	10	500	6	100	600	1100
7	आमोद- प्रमोद	40	2000	24	50	1200	3200
8	यातायात एवं परिवहन	70	3500	42	100	4200	7700
योग		890	44500	2694	750	52200	96700

7.9 संसाधन गतिशीलता

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है। वर्तमान में नगर विकास एवं निवेश हेतु अलग-अलग प्रयास नहीं किये गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का अपव्यय होता है। नियोजन में निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती हैं। नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्तमान में भूमि का उपयोग कर नगर विकास में निवेश के प्रयास तदर्थ एवं पृथक्-पृथक् रहे हैं, जिसमें उपलब्धता बहुत अधिक अवसर एवं क्षमता को बालाघाट जैसे नगर के लिए नगरीय वृद्धि एवं नगरीयकरण के परिपेक्ष्य में कार्यरत भूमि बाजार को



रोकते हुए गतिशीलता दी जा सकती है। स्थानीय राजस्व को सृजित करने के लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है, जो कि नगर में कार्यरत नगर भूमि बाजार को रोकने में मदद कर सकती है।

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिह्नित किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगा।

7.10 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

1. विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रम के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संसाधनों की गतिशीलता पर निर्भर करते हैं। यह योजना क्रियान्वयन एवं पुनर्विलोकन के साथ-साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरांत तदनुसार पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करता है।
2. योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्नानुसार तैयार करना प्रस्तावित है :-
 - पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना।
 - आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकताओं वाली कार्य योजना का निर्धारण
 - प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत नगर विकास हेतु चिह्नित कार्यक्रमों में संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना।
 - वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं आलोच्य अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश का निर्धारण।
 - आलोच्य क्षेत्रों के सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका का निर्धारण।
 - समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना।
 - वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण।
 - सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमि को परिभाषित करते हुए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम को परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना।
3. नियोजन पर्यवेक्षण तंत्र :- योजना पर्यवेक्षण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है :-
 - स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति।
 - नगर विकास प्राधिकरण अथवा नगर पालिका द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना।
 - नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास कार्यक्रम/क्रियान्वयन का मूल्यांकन।

- समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
 - वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन।
4. नियोजन पर्यवेक्षण समिति का गठन :- विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूलतः दायित्व बालाघाट विकास प्राधिकरण का होगा। विकास प्राधिकरण के गठन होने तक बालाघाट नगर पालिका परिषद द्वारा उक्त दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। अपितु इसके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएं एवं विभाग भी सहभागी होंगे। अतः संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3/130/32/97, दिनांक 20-1-1998 द्वारा जिलाध्यक्ष बालाघाट की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के ज्ञापन क्रमांक 2876 दिनांक 15/05/1998 में उल्लेखित कार्यपद्धति को अपनाते हुए नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी।
5. वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण : बालाघाट विकास नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा उक्त प्रतिवेदन को अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

7.11 योजना की व्याख्या

बालाघाट विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है। विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं। अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं :

1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना रिपोर्ट में उल्लेखित विषय वस्तु के साथ-साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है।
2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग, सारणी एवं विकास नियमन के अध्याय-6 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार होगी। नेबरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित है। अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है।
3. ऐसे भूमि उपयोग/गतिविधियाँ जो प्रमुख भू-उपयोग वर्ग (मेजर लैण्ड यूज जोन) में परिभाषित नहीं हैं, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी, किन्तु जो स्वीकृत भूमि उपयोग सूची में सम्बद्ध तालिका में शामिल हैं, वे भू-उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आवेंगे।

4. विकास योजना प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक बदलाव अपरिहार्य होता है, स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकी आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा। इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जावेगा।
5. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्रों में प्रस्ताव सांकेतिक स्वरूप के हैं। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा की गई व्याख्या अन्तिम मानी जायेगी।
6. यह कि नीतिगत दस्तावेज है, विभिन्न उपयोग परिक्षेत्र में भूमि से आवश्यकता से संबंधित व्याख्या निकाय योजना/परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय स्थिति अनुसार वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पुनः समायोजित की जा सकती है।

7.11.1 योजना कालावधि

नगरीय विकास एक सतत् प्रक्रिया है, इसमें अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सभी घटकों के कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है। इसलिये नियोजन प्रक्रिया में कालावधि के आधार का निर्धारण किया जाता है। कालावधि के आधार पर ही नगर की भावी जनसंख्या, आवश्यकताओं आदि को अनुमानित मानकर भावी नगर का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। बालाघाट नगर के वर्तमान एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना हेतु वर्ष 2035 तक की कालावधि नियत की गई है। अतः नगर की भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण उपरोक्त कालावधि हेतु किया गया है। इसके अलावा दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव केवल विकास योजना कालावधि तक सीमित नहीं रखे जा सकते, क्योंकि नगर का विकास एक सतत् प्रक्रिया है एवं यह विकास योजना कालावधि के बाद के नगरीय विकास के लिये भी आधारभूत संरचना के रूप में उपयोगी सिद्ध होगी। अतः बालाघाट विकास योजना के प्रस्ताव योजना कालावधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी विकास योजना पुनर्विलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा प्रस्तुत विकास योजना प्रस्तावों के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे।

परिभाषाएँ

- 001 आवासीय भू-खण्ड भू-खण्डीय आवास**
एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज/गैरेजेस, सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो।
- 002 आवासीय भू-खण्ड समूह आवास**
न्यूनतम 5000 वर्गमीटर का परिसर, जिसमें मूलभूत सेवा सुविधायें जैसे वाहन विराम स्थल, उद्यान, सुविधाजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधायें आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हों
- 003 आवासीय प्लेट**
एक परिवार के लिए आवासीय इकाई जो कि समूह आवास का भाग या स्वतंत्र हो।
- 004 आवासीय-सह-कार्य भू-खण्ड**
एक परिवार में एक परिवार के लिए उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो, ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय परियोजनाओं में मान्य होंगे।
- 005 आवासीय परिसर – विशेष क्षेत्र**
विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या सहित विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान।
- 006 छात्रावास (होस्टल)**
दीर्घावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर।
- 007 अतिथिगृह बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह**
अतिथिगृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर। बोर्डिंग हाउस वह परिसर जिसमें कमरों की छात्रावासों की अपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हों।
- 008 धर्मशाला एवं इसके समकक्ष**
वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थाई रहवासी जगह उपलब्ध हो।
- 009 बारात घर**
सार्वजनिक संस्था द्वारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों के उपयोग हेतु स्थान।

010 रैन-बसेरा (नाइट शोल्डर)

ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाता हो, जो कि स्थानीय संस्था या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हों।

011 फुटकर दुकानें

आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विक्रय परिसर।

012 मरम्मत दुकान

गृहसामग्री, इलेक्ट्रानिक सामान, आटोमोबाईल, सायकल आदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर।

013 व्यक्तिगत सेवा दुकान

फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी, नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हों।

014 बेडिंग बूथ

यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो।

015 सुविधाजनक दुकान केन्द्र

लगभग 5000 जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 50 दुकानों का समूह।

016 स्थानीय दुकान केन्द्र

लगभग 15 हजार जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में 75 दुकानों का समूह।

017 साप्ताहिक बाजार/अनौपचारिक समूह इकाई

बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र। यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो।

018 थोक व्यापार

ऐसा परिसर जहां से वस्तुयें एवं सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हों।

019 स्टोरेज गोदाम एवं भण्डारण

ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता हो।

020 कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)

आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी बंद जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो।

021 गैस गोदाम

ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों का भंडारण किया जाता हो।

022 तेल डिपो

संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर।

023 कबाड़खाना

अतिशेष वस्तुयें एवं सामग्री के कय-विकय के साथ बंद, अर्द्धबंद एवं खुला भण्डारण परिसर।

024 वाणिज्यिक कार्यालय

लाम अर्जित करने वाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर।

025 बंक

ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों।

026 मोटर गैरेज एवं कार्यशाला

वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर।

027 छविगृह

दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो, ऐसा परिसर।

028 पेट्रोल पंप

ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हो, साथ ही वाहन सर्विसिंग व्यवस्था हो।

029 रेस्टोरेंट/उपहार गृह

ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले, या बंद दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो।

030 होटल

ऐसा परिसर, जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्क रहवास की व्यवस्था हो।

031 मोटल

ऐसा परिसर, जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो।

032 फ्लेटेड समूह उद्योग

ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक लघु उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो, यह इकाईयां बहुमंजिला भवन में हो सकती हैं।

033 सेवा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत, विद्युतीय उपकरण मरम्मत, भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हों, ताकि पड़ोसी आवासीय क्षेत्रों को आवश्यक सेवा प्रदाय हो सकें।

034 औद्योगिक भूखण्ड – हल्के उद्योग

अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग इकाईयों का परिसर।

035 औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग

ऐसी औद्योगिक इकाईयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रानिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन इकाईयों का समूह सम्मिलित हो।

036 उद्यान (पार्क)

आमोद-प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भू-दृश्यीकरण, वाहन विराम, सार्वजनिक शौचालय, फैंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हों, इसमें लॉन, खुले, हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित होंगे।

037 क्रीडांगन

बाह्य खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर, इसमें भूदृश्यीकरण, वाहन विराम सुविधा, सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हों।

038 बाह्य खेल स्टेडियम

बाह्य खेलों के लिए ऐसा स्टेडियम जिसमें पवेलियन के साथ दर्शकदीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों।

039 आंतरिक खेल स्टेडियम

अहानिकारक खेलों के लिए ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र, दर्शक दीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों।

040 आंतरिक खेल हाल

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलों तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हों।

041 शूटिंग रेंज

ऐसा परिसर जिसमें निशानेबाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हों।

042 तरण पुष्कर

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार, मानक एवं उद्देश्य के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो।

043 आमोद-प्रमोद क्लब

संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो।

044 ऐतिहासिक स्मारक

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हों।

045 प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय

संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान, पार्क या मत्स्यालय के रूप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध हों।

046 पक्षी अभ्यारण्य

पक्षियों के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तृत उद्यान के रूप में संबंधित सर्वसुविधायुक्त परिसर।

047 वनस्पति उद्यान

अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिए उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर।

048 पिकनिक हट/कैम्पिंग साइट

ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद-प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो।

049 फ्लाईंग क्लब

ऐसा परिसर जहां ग्लाइडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो, साथ ही इसमें मनोरंजन एवं आंतरिक खेल गतिविधियां शामिल हों।

050 माल एवं टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयरलाईन द्वारा टिकट घर एवं माल के भण्डारण के लिए किया जाता हो।

051 रेल माल गोदाम

ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेलवे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया जाता हो।

052 रेल टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु रेलवे टिकट घर के रूप में किया जाता हो।

053 सड़क परिवहन टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रूप में किया जाता हो जिसमें गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हो।

054 वाहन विराम

सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो।

055 टेक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग अंतवर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों, जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हों, द्वारा विराम हेतु किया जाता है। वाहन विराम स्थल व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक हो।

056 बस अवसान केन्द्र

ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय के विराम हेतु किया जाता हो। इसमें यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती हैं।

057 बस स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रख-रखाव, मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो, इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी।

058 सार्वजनिक उपयोगिता परिसर

1. पानी की टंकी – ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
2. भूमिगत टंकी – ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
3. आक्सीकरण पौंड – ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो।
4. सेप्टिक टैंक – ऐसा परिसर जिसमें जल निकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु भूमिगत टैंक स्थित हो।
5. जल-मल पंपिंग स्टेशन – ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल-मल को ऊंचाई पर भेजने हेतु पंपिंग स्टेशन हेतु किया जाता हो।
6. सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय – ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय स्थित हो, इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी।
7. विद्युत उपकेन्द्र – ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण स्थित हो।
8. घूरा एवं कचराघर – ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण एवं आगे गड्डों को भरने हेतु लदान किया जाता हो।
9. धोबीघाट – ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़े धोने, सुखाने इत्यादि के लिए किया जाता हो।

059 केन्द्र शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

060 स्थानीय शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया जाता हो।

061 सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

062 न्यायालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

063 शासकीय भूमि (अनिर्धारित उपयोग)

शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो।

064 चिकित्सालय

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषीकृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो।

065 स्वास्थ्य केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों (30 बिस्तर तक) की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर-व्यवसायिक आधार पर किया जाता है। इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है।

066 उपचार केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा हो। जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है।

067 औषधालय

ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाइयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो।

068 क्लीनिक/चिकित्सा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा बाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो। पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा।

069 उपचार प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण की सुविधा हो।

070 स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा

ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो। यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

071 झूलाघर एवं दिवस देख-रेख केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देखरेख की सुविधा हो। यह केन्द्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है।

072 पूर्व माध्यमिक एवं किंडरगार्डन स्कूल

ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एवं प्रशिक्षण की सेवायें उपलब्ध हों।

073 माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा पाँचवीं तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हो।

074 प्राथमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा छँटवीं से दसवीं तक के छात्रों के पढ़ने खेलने की सुविधा हो। इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा आठवीं तक की माध्यमिक शालायें सम्मिलित हैं।

075 उच्चतर माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा दसवीं से बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की व्यवस्था हो।

076 एकीकृत शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो।

077 एकीकृत आवासीय शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो तथा छात्रों के लिए बोर्डिंग सुविधा हो। इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते हैं।

078 महाविद्यालय

ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो। इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल हैं।

079 व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय व व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो। ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये। इसमें प्रशिक्षण-सह-कार्य केन्द्र शामिल हैं।

080 सामाजिक कल्याण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो। यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है।

081 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो।

082 पुस्तकालय

ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढ़ने एवं संदर्भ के लिए वृहद संख्या में पुस्तकों का संकलन हो।

083 तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तकनीकी प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें तकनीकी शाला, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल हैं।

084 वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण

ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण, पत्राचार, रिकार्ड रखने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा हो।

085 संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो।

086 खेल प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें शारीरिक शिक्षा केन्द्र भी शामिल है।

087 वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें ऑटो/वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो।

088 बाल यातायात उद्यान

ऐसा परिसर जिसमें बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा-सह-उद्यान की सुविधा हो

089 संग्रहालय

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो।

090 कला दीर्घा एवं प्रदर्शनीस्थल

ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग, छाया चित्रों, मूर्तियों, भित्ती क्षेत्र, मिट्टी से बनी कलाकृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो।

091 सभागृह (ऑडीटोरियम)

ऐसा परिसर जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो।

092 खुला रंगमंच

ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिए दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो।

093 सामुदायिक भवन

ऐसा परिसर जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधा हो।

094 मेला मैदान

ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिए प्रदर्शनी, प्रदर्शन एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हों।

095 सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संस्था, राज्य तथा देश के लिए सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हों।

- 096 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था**
ऐसा परिसर जिसमें गैर-वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक, स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधायें हों।
- 097 सुधार गृह**
ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो।
- 098 अनाथालय**
ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो। यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है।
- 100 योग, ध्यान, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र**
ऐसा परिसर जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हों।
- 101 पुलिस चौकी**
पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थायी स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर।
- 102 पुलिस स्टेशन**
ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो।
- 103 जिला पुलिस कार्यालय**
अर्द्ध सैनिक बलों के कार्यालय हेतु सुविधायुक्त परिसर।
- 104 नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक**
आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्यकलापों वाला परिसर।
- 105 न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला**
ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा हो।
- 106 जेल**
ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत कारावास/बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो।
- 107 अग्निशमन पोस्ट**
ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था हो। अग्नि प्रवृत्त गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है।

- 108 अग्निशमन पोस्ट**
एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर।
- 109 डाकघर**
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक सुविधायुक्त परिसर।
- 110 डाक एवं तार घर**
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।
- 111 मुख्य डाकघर**
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।
- 112 टेलीफोन एक्सचेंज**
परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो।
- 113 रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन**
समाचार एवं अन्य कार्यक्रमों का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार, प्रसार, रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर। जिसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिए टावर जैसे सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती हैं।
- 114 ट्रांसमिशन टावर एवं वायरलेस स्टेशन**
ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिए टावर निर्माण हेतु किया जाता हो।
- 115 उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र**
ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध हो।
- 116 वैधशाला एवं मौसम कार्यालय**
ऐसा परिसर जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सुविधा उपलब्ध हो।
- 117 बाग (ओरचर्ड)**
सघन फल वृक्षों का परिसर, जिसमें फल वृक्षों के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता है।

118 डेरी फार्म

ऐसा परिसर जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो। जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

119 कुक्कुट फार्म

कुक्कुट उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

120 सुअर पालन

सुअर प्रजनन एवं उत्पाद उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें सुअरों के लिए अस्थायी स्वरूप के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

121 ग्रामीण केन्द्र

एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सुविधायुक्त परिसर।

122 मल्टीप्लेक्स

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 95 के अनुसार दो या उससे अधिक सिनेमा के साथ दुकानों, आमोद-प्रमोद की गतिविधियों, कार्यालय, शोरूम, होटल, रेस्टोरेन्ट, शापिंग मॉल संबंधी परिसर।

परिशिष्ट 1

नियम 17 (1)

किसी भवन के विकास, निर्माण, पुर्ननिर्माण अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन करने के लिये प्रथम आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

.....
.....

महोदय,

मैं एतद् द्वारा यह सूचना देता हूँ कि मैं नगर मोहल्ला-बाजार सड़क बस्ती/मार्ग में भवन क्रमांक अथवा प्लॉट क्रमांक में/पर तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 के के अनुसार विकास निर्माण पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन करना चाहता हूँ, मैं इसके साथ मेरे तथा वास्तुविद, इंजीनियर, पर्यवेक्षक, नगर निवेशक अनुज्ञप्ति क्रमांक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) जो उस निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करेगा, द्वारा समुचित रूप से हस्ताक्षरित निम्नलिखित रेखांक और विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अंग्रेषित करता हूँ ।

1. मुख्य रेखांक
2. स्थल रेखांक
3. उप विभाग-अभिन्यास योजना
4. भवन मानचित्र
5. सेवा आयोजन
6. विशिष्टियां सामान्य तथा विस्तृत
7. स्वामित्व संबंधी

मैं निवेदन करता हूँ कि विकास निर्माण को अनुमोदित किया जाये और मुझे कार्य निषादित करने की अनुमति प्रदान की जाये ।

स्वामी के हस्ताक्षर

स्वामी के नाम

(स्पष्ट अक्षरों में)

स्वामी का पता

तारीख

प्राधिकारी द्वारा सीधे उपयोग के लिये रूपरेखा तैयार की जा सकती है ।

परिशिष्ट 2

विशेष विवरण पत्रक प्रस्तावित भवन का विशेष विवरण

1. भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल वर्गफुट/मीटर
2. कुल निर्मित क्षेत्र
विद्यमान भू-तल वर्गफुट/मीटर/प्रस्तावित..... वर्गफुट/मीटर
विद्यमान प्रथम मंजिल..... वर्गफुट/मीटर/प्रस्तावित..... वर्गफुट/मीटर
विद्यमान द्वितीय मंजिल..... वर्गफुट/मीटर/प्रस्तावित..... वर्गफुट/मीटर
3. उद्देश्य कार्य जिसके लिये भवन का उपयोग प्रस्तावित है ।
4. विशेष विवरण जो निम्नलिखित के निर्माण में उपयोग में लाया जाएगा ।
(एक) नींव
(दो) दीवारें
(तीन) फर्श
(चार) छत ।
5. भवन में अन्तर्विष्ट होने वाली मंजिलों की संख्या
6. ऐसे व्यक्तियों की लगभग संख्या, जिन्हें कि वास स्थान दिया जाना प्रस्तावित है ।
7. उन शौचालयों की संख्या जिनकी कि व्यवस्था की जाएगी ।
8. क्या स्थल पर पूर्व में ही निर्माण हुआ है, यदि हो तो पूर्ववर्ती भवन रहने के लिये कब से उपयुक्त नहीं रहा
9. भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले जल का प्रयोग ।

आवेदक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 3

(नियम 49) (3) देखिये

विकास योजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने का प्रारूप

प्रति,

प्राधिकारी

.....

.....

मध्यप्रदेश।

महोदय,

मैं एतद् द्वारा नगरमोहल्ला/बाजार

बस्ती/कालोनी/गली भूखंड क्रमांकखसरा क्रमांक

.....की भूमि के विकास/ पुनर्विकास करने का इच्छुक हूँ। क्षेत्र से संबंधित विकास योजना/परिक्षेत्रिक विकास योजना से संबंधित प्रस्ताव ऊपर उल्लिखित भूमि के लिए उपखण्ड आयोजना तैयार करने के लिए उपलब्ध किए जा सकेंगे। विकास योजना/परिक्षेत्रिक विकास योजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक भुगतान किया जा चुका है तथा रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

भूस्वामी के हस्ताक्षर

भूस्वामी का नाम

(स्पष्ट अक्षरों में)

.....

भूस्वामी का पता

.....

.....

स्थान

दिनांक

परिशिष्ट 4

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी, 1998

क्रमांक एफ - 3/130/32/97, राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश के जिन विभिन्न नगरों की विकास योजनाएं अनुमोदित हैं, की विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए निम्नानुसार नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति का गठन करता है :-

- | | | |
|--------|---|------------|
| 1. | संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागयुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर | अध्यक्ष |
| 2. | नगर तथा ग्राम निवेश का संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय अधिकारी | सदस्य |
| 3. | म.प्र.गृह निर्माण मंडल का उपायुक्त/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 4. | संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/मुख्य कार्यपालन अधिकारी | सदस्य |
| 5. | लोक निर्माण विभाग का अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 6. | लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 7. | म.प्र.विद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 8. (अ) | संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित है) | सदस्य सचिव |
| (ब) | संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित नहीं है) | सदस्य सचिव |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता./-

(जी.व्ही. उपाध्याय)

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट 5

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय

संशोधन

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त, 1998

क्रमांक एफ - 3/130/32/98, राज्य शासन एतद् द्वारा नगरों की अनुमोदित 'विकास' योजनाओं के क्रियान्वयन एवं क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ - 3/130/32/97, दिनांक 20.01.98 द्वारा संभागायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित 'नियोजन एवं पर्यवेक्षण' समिति में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है -

(1) समिति में निम्नलिखित भी सदस्य के रूप में शामिल किए जाते हैं :-

1. सांसद, संबंधित क्षेत्र
2. अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण
3. अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत
4. महापौर, संबंधित नगर पालिक निगम
5. अध्यक्ष, नगर पालिका
6. अध्यक्ष, नगर पंचायत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता./-

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट 6

संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक एफ-3/130/32/98

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 1998

- प्रति, 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
2. आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर निगम/नगर पालिका

विषय :- विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति की कार्यवाही हेतु रूपरेखा ।

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 3/130/32/97, दिनांक 20 जनवरी, 1998 द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी गठित की गई "नियोजन एवं पर्यवेक्षण" समिति की कार्य पद्धति की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानुसार है :-

1. पर्यवेक्षण समिति निम्न क्षेत्रों में क्रियान्वयन स्थिति का पर्यवेक्षण करेगी -
 - (अ) नगरीय अधोसंरचना का विकास
 - (ब) आवासीय एवं आश्रय योजनाओं का विकास
 - (स) सार्वजनिक सुविधाओं एवं नगरीय केन्द्रों/उप केन्द्रों का विकास
 - (द) आमोद-प्रमोद क्षेत्रों का विकास
2. समिति निम्नलिखित कार्यों के प्रगति की समीक्षा हेतु 3 माह में एक बार बैठक करेगी -
 - (अ) कार्यक्रम का चयन
 - (ब) परियोजना तैयारीकरण
 - (स) परियोजना क्रियान्वयन एवं वित्तीय व्यवस्था
 - (द) कार्यक्रम क्रियान्वयन के मूल्यांकन के फलस्वरूप वांछित सुधार
3. समिति निम्नलिखित व्यवस्था अनुसार वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।
विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे । समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा प्रतिवेदन का अनुमोदन कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा ।

हस्ता./-

(के. के. सिंह)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल, मध्यप्रदेश

परिशिष्ट 7

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24-8-1979

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 1973

क्रमांक-3403/एफ-1-101/तैंतीस/73 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13(1) के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2858-1-85-33-73, दिनांक 14 नवम्बर 1973 द्वारा बालाघाट निवेश क्षेत्र का गठन किया गया था निवेश क्षेत्र की सीमाओं को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13(2), के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना क्र० 3403/एफ-1-101/33/73, दिनांक 29.12.1973 द्वारा पुनरीक्षित किया गया था.

उक्त निवेश क्षेत्र की सीमाओं को अधिनियम की धारा 13(2) (क) के अन्तर्गत निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाता है. वृद्धित निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दर्शाई गई हैं:-

अनुसूची

बालाघाट निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएँ

उत्तर में	ग्राम कनकी, खैरी, बोदा, कोलवा, टवेझरी तथा हीरापुर की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	ग्राम हीरापुर, अमेडा, बगदरा, परसवाड़ा तथा ग्राम लिंगा की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	ग्राम लिंगा, नैतरा, गोगलई, जागपुर, रेंगाटोला, एकोड़ी तथा ग्राम अलेझरी की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	ग्राम अलेझरी, रजेगांव, डुंगरिया, मांझापुर तथा ग्राम कनकी की पश्चिमी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

परिशिष्ट 8

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अक्टूबर 2022 (भाग-2)

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट
छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 सितम्बर 2022

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्रों के प्रकाशन की सूचना

क्र. 108-नग्रानि-2022, -एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि बालाघाट निवेश क्षेत्र के लिये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्रों का मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छिन्दवाड़ा द्वारा निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति नगर पालिका परिषद बालाघाट, कलेक्टर जिला बालाघाट एवं उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय एवं दिवसों में निरीक्षण के लिये दिनांक 7 अक्टूबर 2022 से उपलब्ध है:-

निवेश क्षेत्र की अनुसूची

बालाघाट निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

उत्तर में	ग्राम कनकी, खैरी, बोदा, कोलवा, टवेझरी तथा हीरापुर की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	ग्राम हीरापुर, अमेडा, बगदरा, परसवाड़ा तथा ग्राम लिंगा की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	ग्राम लिंगा, नैतरा, गोगलई, जागपुर, रेंगाटोला, एकोड़ी तथा ग्राम अलेझरी की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	ग्राम अलेझरी, रजेगांव, डुंगरिया, मांझापुर तथा ग्राम कनकी की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उन्हें आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, छिन्दवाड़ा को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अथवा प्रकाशन स्थल पर प्रस्तुत करें.

वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति से ऊपर निर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त होगी उन पर उप संचालक द्वारा विचार किया जावेगा।

स्थान: उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश

छिन्दवाड़ा

दिनांक: 7 अक्टूबर 2022

व्ही0 के0 परस्ते, प्र. उप संचालक

परिशिष्ट 9

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2022 भाग-2

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला बालाघाट, सिवनी, बालाघाट
टॉउन हॉल परिसर, टॉउन हॉल बालाघाट (मध्यप्रदेश)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 दिसम्बर 2022

क्र. 148-नग्रानि-वि०यो० बालाघाट-2022 भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के
अंतिम प्रकाशन की सूचना

बालाघाट वृद्धित निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र दिनांक 7 अक्टूबर 2022 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित किये गये समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने आपत्ति या सुझाव, उपांतरण प्रस्तुत किए हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है।

अब, उपरोक्त योजना क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन एतद्द्वारा अंगीकृत किया जाता है और उसकी प्रति दिनांक 23 दिसम्बर से दिनांक 30 दिसम्बर 2022 तक (07 दिवस) कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्न कार्यालयों में भी उपलब्ध रहेगी:-

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा।

1. आयुक्त, जबलपुर, संभाग जबलपुर
2. कलेक्टर, कार्यालय, बालाघाट
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, बालाघाट
4. उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय, छिन्दवाड़ा

स्थान: बालाघाट

तारीख: 19 दिसम्बर 2022

व्ही.के. परस्ते, प्र. उप संचालक

परिशिष्ट 10

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल दिनांक

क्रमांक.....राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17-क(1) के अंतर्गत बालाघाट विकास योजना, हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-25/99/बत्तीस, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 को निरस्त करते हुये बालाघाट विकास योजना पुर्नविलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुर्नगठन किया जाता है। यह समिति, अधिनियम की धारा 17-क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी।

अधिनियम की धारा 17 (क) (1) की उपधारा	पदनाम	संस्था/पता	समिति में पद
1	2	3	4
(ग)	सांसद सदस्य	लोक सभा क्षेत्र, बालाघाट	सदस्य
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र बालाघाट	सदस्य
(क)	अध्यक्ष	नगर पालिका परिषद्, बालाघाट	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, बालाघाट	सदस्य
(ड)	अध्यक्ष	नगर विकास प्राधिकरण/साडा	कोई नहीं
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, बालाघाट	सदस्य
(छ)	(1) सरपंच	सरपंच गाम पंचायत कोसमी	सदस्य
	(2) सरपंच	सरपंच गाम पंचायत कोलवा	सदस्य
	(3) सरपंच	सरपंच गाम पंचायत टवेझिरी	सदस्य
	(4) सरपंच	सरपंच गाम पंचायत बोदा	सदस्य
	(5) सरपंच	सरपंच गाम पंचायत आंबलाझिरी	सदस्य

	(6) सरपंच	सरपंच गाम पंचायत भरवेली	सदस्य
	(7) सरपंच	सरपंच गाम पंचायत हीरापुर	सदस्य
	(8) सरपंच	सरपंच गाम पंचायत भटेरा	सदस्य
	(9) सरपंच	सरपंच गाम पंचायत बघोली	सदस्य
	(10) सरपंच	सरपंच गाम पंचायत अमेड़ा	सदस्य
	(11) सरपंच	सरपंच गाम पंचायत बगदरा	सदस्य
	(12) सरपंच	सरपंच गाम पंचायत नवेगांव	सदस्य
	(13) सरपंच	सरपंच गाम पंचायत लिंगा (लिंगा एवं परसवाड़ा)	सदस्य
	(14) सरपंच	सरपंच गाम पंचायत नैतरा	सदस्य
	(15) सरपंच	सरपंच गाम पंचायत गोगलई	सदस्य
	(16) सरपंच	सरपंच गाम पंचायत खैरी	सदस्य
	(17) सरपंच	सरपंच गाम पंचायत एकोड़ी	सदस्य
	(18) सरपंच	सरपंच गाम पंचायत रेंगाटोला	सदस्य
	(19) सरपंच	सरपंच गाम पंचायत जागपुर	सदस्य
	(20) सरपंच	सरपंच गाम पंचायत रजेगांव	सदस्य
	(21) सरपंच	सरपंच गाम पंचायत अलेझरी	सदस्य
	(22) सरपंच	सरपंच गाम पंचायत गर्रा	सदस्य
	(23) सरपंच	सरपंच गाम पंचायत मांझापुर	सदस्य
	(24) सरपंच	सरपंच गाम पंचायत कनकी	सदस्य
	(25) सरपंच	सरपंच गाम पंचायत डुंगरिया	सदस्य
(ज)	(1) प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला बालाघाट	सदस्य
	(2) प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, बालाघाट	सदस्य
	(3) प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, बालाघाट	सदस्य

	(4) प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, बालाघाट	सदस्य
	(5) प्रतिनिधि	इंस्टिट्यूट आफ टाउन प्लानर्स इंडिया, नई दिल्ली	सदस्य
	(6) प्रतिनिधि	इंस्टिट्यूट आफ इंजीनियर्स इंडिया, कोलकाता	सदस्य
	(7) प्रतिनिधि	कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली	सदस्य
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर (म.प्र.)	संयोजक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

क्र. 2395-वि.यो.-654-अलीराजपुर-नग्रानि-2023

भोपाल, दिनांक 17 मई 2023

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि अलीराजपुर निवेश क्षेत्र के लिए अलीराजपुर विकास योजना, 2035 का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा-18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट—<https://mptownplan.gov.in/LU-panel/Jhabua/Alrjpr2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं :-

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर, म.प्र.
2. कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, म.प्र.
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद अलीराजपुर म.प्र.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय झाबुआ, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप अलीराजपुर विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, झाबुआ या ई-मेल आईडी obj-sugg-devplan@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

मुकेश चन्द गुप्ता, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक.

No. 2395-D.P.-654-Alirajpur-TCP-2023

Bhopal, the 17th May 2023**NOTICE**

Notice is hereby given that the Alirajpur Development Plan, 2035 for Alirajpur Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub section (2) of section 23 read with sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website:—

<https://mptownplan.gov.in/LU-panel/Jhabua/Alrjpr2035.pdf> and at following offices during office hours namely -

1. Commissioner, Indore Division, Indore, M.P.
2. Collector, District- Alirajpur, M.P.
3. Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Alirajpur.
4. Assistant Director, Town and Country Planning, District office, Jhabua.


If there be any objection or suggestion with respect to the said - Alirajpur Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Assistant Director, Town and Country Planning, Jhabua or mail on Email-id- obj-sugg-devplan@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .


MUKESH CHAND GUPTA, OSD-Cum-Commissioner-Cum-Director.



अलीराजपुर

विकास योजना 2035 (प्रारूप)



 Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश

प्रस्तावना

प्रदेश के सुदूर आदिवासी अंचल में स्थित नवीन अलीराजपुर, जिला 17 मई 2008 को नवीन जिला मुख्यालय बनाया गया, जो समुद्र सतह से 317 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। आजादी के पूर्व अलीराजपुर एक स्वतंत्र रियासत थी, जिसे जोधपुर के राठौर दशीय राजा आनंददेव द्वारा सन् 1437 में वर्तमान अलीराजपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर आनंदावली (गढ़ी) का निर्माण कर रियासत की राजधानी बनाया गया था।

जिला मुख्यालय नगर अलीराजपुर प्रशासकीय महत्व के साथ-साथ कृषि आधारित उत्पादों, खनिज उत्पादों एवं हेण्डलूम वस्त्र तैयार करने के लिए स्थानीय स्तर पर जाना जाता है। जिला मुख्यालय के भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि निवेश क्षेत्र के नियोजित विकास हेतु योजना बनाई जावे, जिससे नगर के भावी विकास की नई दिशा सुनिश्चित की जा सके एवं साथ ही निवासियों को स्वस्थ पर्यावरण एवं अनुकूल नगरीय सेवायें एवं सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकें।

इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु अलीराजपुर नगर की विकास योजना प्रारूप तैयार किया गया है, जिसमें भूमि के युक्ति युक्त उपयोग यातायात एवं परिवहन तंत्र में सुधार के साथ-साथ अधोसंरचना विकास के प्रस्ताव भी दिए गए हैं। विकास योजना प्रस्ताव निवेश क्षेत्र की वर्ष 2035 की अपेक्षित जनसंख्या 1.00 लाख को आधार मानकर प्रावधानित किए गए हैं।

अलीराजपुर नगर की प्रारूप विकास योजना जन सामान्य से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है। आशा है कि नगरवासी अपने सृजनशील एवं रचनात्मक सुझावों द्वारा सक्रिय सहयोग प्रदान कर इस प्रारूप को जनअपेक्षा अनुरूप मूर्त रूप देने में संचालनालय को सहयोग प्रदान करेंगे ताकि इसका प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।

मुकेश चन्द गुप्ता, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक.

योजना दल

संयुक्त संचालक

एस.के.मुगदल

डॉ. अमित कुमार गजभिये

सहायक संचालक

सुनील जॉन मिंज

इंदु त्रिपाठी

गोरेलाल वर्मा

कर्मचारीगण

लोकेन्द्र सिंह चौहान

अरविन्द सक्सेना

जॉन मचार

अनिल सक्सेना

नीना बघेल

सर्वेश पिड़िहा

सरिता ठाकुर

मानसी गुज्जेवार

राज्य नगर नियोजन संस्थान का दल

संचालक सभन्वय

राजेश नागल

संजय मिश्रा

तकनीकी सहयोग

एस.पी.द्विवेदी

डॉ. कमलेश प्रसाद

योगेश पाठक

शैलेन्द्र सिकरवार

आर.के.सोनी

शिमिलेश कुमार सिंह

बी.एल.सहगल

संतोष कहार

विषय सूची

- प्रस्तावना
 योजना दल
 विषय सूची
 सारणी सूची
 मानचित्र सूची
- अध्याय-1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ
- 1.1 नगर परिचय
- 1.1 स्थिति
- 1.1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- 1.1.3 क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय संदर्भ
- 1.2 भौतिक स्वरूप
- 1.2.1 भू-आकृति
- 1.2.2 जलवायु
- 1.3 नियोजन हेतु प्रयास
- 1.4 नियोजन प्रस्ताव
- 1.5 निवेश क्षेत्र
- 1.5.1 अलीराजपुर निवेश क्षेत्र
- 1.5.2 नगर पालिका परिषद् अलीराजपुर
- अध्याय-2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण
- 2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग
- 2.1.1 सुदूर संवेदन
- 2.1.2 भौगोलिक सूचना प्रणाली
- 2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली
- 2.2.1 उद्देश्य
- 2.2.2 कार्यप्रणाली
- 2.3 मानकों की व्याख्या
- 2.3.1 थीमेटिक मानचित्रिकरण (Thematic Mapping)
- 2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता
- 2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प
- 2.5 भूमि उपयोग का आवंटन
- अध्याय-3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण
- 3.1 विकास योजना 2011 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन
- 3.1.1 आवासीय
- 3.1.2 वाणिज्यिक
- 3.1.3 औद्योगिक
- 3.1.4 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक
- 3.1.5 सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें
- 3.1.6 आमोद-प्रमोद
- 3.1.7 यातायात एवं परिवहन
- 3.2 विकास योजना में उपान्तरण
- 3.3 असंगत भूमि उपयोग का क्रियान्वयन
- 3.4 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण
- 3.4.1 जनसंख्या विश्लेषण
- 3.4.2 जनसंख्या लिंगानुपात
- 3.4.3 शिशु मृत्यु दर

- 3.4.5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
- 3.4.6 साक्षरता
- 3.4.7 कार्यशील जनसंख्या
- 3.4.8 जनसंख्या घनत्व
- 3.4.9 जनसंख्या परिवर्तन
- 3.5 नगर के मुख्य कार्यकलाप
- 3.6 अनुमानित जनसंख्या
- 3.6.1 नगर पालिका क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या
- 3.7 गंदी बस्तियाँ
- 3.8 आवास आवश्यकता
- 3.9 भौतिक अधोसंरचना
- 3.10 जल प्रदाय
- 3.10.1 नालियाँ तथा मल उपचार
- 3.10.2 अपशिष्ट जल प्रवाह
- 3.10.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- 3.10.4 विद्युत प्रदाय
- 3.11 सामाजिक अधोसंरचना
- 3.11.1 शैक्षणिक
- 3.11.2 स्वास्थ्य
- 3.11.3 अग्निशमन केन्द्र
- 3.11.4 पुलिस कार्यालय
- 3.11.5 इलेक्ट्रिक चार्जिंग/बैटरी चार्जिंग स्टेशन
- 3.11.6 श्मशान घाट/कब्रिस्तान
- 3.11.7 सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं
- 3.11.8 सामाजिक एवं सांस्कृतिक
- अध्याय-4 विकास योजना 2035 के प्रस्ताव
- 4.1 विकास योजना 2011 का पुनर्विलोकन
- 4.2 योजना अवधारणा
- 4.3 भूमि उपयोग 2035
- 4.3.1 आवासीय
- 4.3.2 वाणिज्यिक
- 4.3.2.1 मण्डी
- 4.3.3 मिश्रित
- 4.3.4 औद्योगिक
- 4.3.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक
- 4.3.5.1 शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य परिसर
- 4.3.5.2 प्रशासकीय परिसर
- 4.3.6 सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं
- 4.3.7 आमोद-प्रमोद
- 4.3.7.1 नगर उद्यान
- 4.3.7.2 खेल मैदान
- 4.3.7.3 मेला मैदान
- 4.3.7.4 पर्यावरण वानिकी
- 4.3.7.5 खुला स्थल प्रणाली
- 4.3.8 यातायात एवं परिवहन
- 4.4 निवेश इकाईयाँ
- 4.5 मध्य क्षेत्र
- 4.6 अनौपचारिक सेक्टर

- 4.7 पुनर्विकास क्षेत्र
- 4.8 ग्राम आबादी विस्तार
- 4.9 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान
- 4.10 कार्यकेन्द्र
- 4.10.1 व्यापार एवं वाणिज्यिक
- 4.10.2 नगर स्तरीय वाणिज्यिक केन्द्र
- अध्याय-5 प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना
- 5.1 यातायात की वर्तमान स्थिति
- 5.2 प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना
- 5.3 परिभ्रमण संरचना की अवधारणा
- 5.4 क्षेत्रीय परिभ्रमण संरचना
- 5.5 नगरीय परिभ्रमण संरचना
- 5.6 अर्तनगरीय यातायात
- 5.6.1 रेल यातायात
- 5.6.2 सड़क मार्ग
- 5.6.3 हवाई पट्टी
- 5.7 प्रस्तावित यातायात प्रणाली
- 5.8 मार्गों की चौड़ाई
- 5.9 यातायात पद्धति में सुधार
- 5.9.1 मार्ग संगमों में सुधार
- 5.9.2 ओव्हर ब्रिज
- 5.9.3 मार्गों तथा फुटपाथ का विकास
- 5.9.4 नगरीय क्षेत्र में वृक्षारोपण
- 5.10 यातायात अवसान केन्द्र
- 5.10.1 वाहन विराम स्थल
- 5.10.2 बस स्टेण्ड एवं पिकअप स्टेशन
- 5.10.3 यातायात नगर
- अध्याय-6 विकास नियमन
- 6.1 प्रवृत्तशीलता
- 6.2 क्षेत्राधिकार
- 6.3 परिभाषायें
- 6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र
- 6.4.1 आवासीय
- 6.4.1.1 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन
- 6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र
- 6.4.3 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र
- 6.4.4 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र
- 6.5 अन्य नियमन
- 6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन
- 6.5.2 बहुविधि बहुमंजिला इकाई निर्माण
- 6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा
- 6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान
- 6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र के मानक
- 6.5.6 शॉपिंग मॉल/खुला मॉल
- 6.5.7 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन
- 6.5.8 होस्टल, चर्किंग पूमन होस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लॉजिंग/
- 6.5.9 मैरिज गार्डन
- 6.5.10 बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल

- 6.5.11 शीतकेन्द्र/वेयर हाउस/गोदाम/अन्य भण्डारण
- 6.5.12 छविगृहों के लिए मापदण्ड
- 6.5.13 मल्टीप्लेक्स
- 6.5.14 उद्यान
- 6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन
- 6.7 उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां
- 6.8 विकास अनुज्ञा की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया
- 6.9 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया
- अध्याय-7 विकास योजना क्रियान्वयन
 - 7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन
 - 7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति
 - 7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम
 - 7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना
 - 7.4.1 नियंत्रित विकास
 - 7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन
 - 7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना
 - 7.5 योजना एवं कार्यक्रम
 - 7.6 प्रथम चरण कार्यक्रम
 - 7.6.2 संसाधन गतिशीलता
 - 7.7 योजना पर्यवेक्षण तंत्र
 - 7.8 नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति का गठन
 - 7.8.1 वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण
 - 7.9 योजना की व्याख्या
 - 7.10 योजना कालावधि

परिभाषाएं

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट-2

परिशिष्ट-3

परिशिष्ट-4

परिशिष्ट-5

परिशिष्ट-6

परिशिष्ट-7

परिशिष्ट-8

सारणी सूची

सारणी क्रमांक	विवरण
सारणी 1-सा-1	अलीराजपुर से अन्य नगरों की दूरी
सारणी 1-सा-2	अलीराजपुर निवेश क्षेत्र
सारणी 2-सा-1	उपग्रह चित्रों के मानक
सारणी 2-सा-2	स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब-क्लासेस
सारणी 2-सा-3	जियो स्पेशियल डाटा (मार्ग)
सारणी 2-सा-4	जियो स्पेशियल डाटा(बिल्डिंग फुटप्रिंट)
सारणी 2-सा-5	सीमाओं का वर्गीकरण
सारणी 2-सा-6	ढलान की विभिन्न श्रेणी के अन्तर्गत क्षेत्रफल
सारणी 2-सा-7	मृदा विश्लेषण
सारणी 2-सा-8	जलाशयों का वर्गीकरण
सारणी 2-सा-9	भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल
सारणी 2-सा-10	जल स्रोत बफर क्षेत्रफल
सारणी 2-सा-11	भूमि अवक्रमण
सारणी 2-सा-12	मार्ग संरचना बफर
सारणी 2-सा-13	Weighted Index for Composite Land Suitability
सारणी 2-सा-14	Land Suitability Area
सारणी 3-सा-1	विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन
सारणी 3-सा-2	विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार)
सारणी 3-सा-3	भूमि उपयोग उपांतरण
सारणी 3-सा-4	असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना एवं क्रियान्वयन स्थिति
सारणी 3-सा-5	राज्य में जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात
सारणी 3-सा-6	वार्ड वार कुल जनसंख्या विश्लेषण
सारणी 3-सा-7	वार्ड वार जनसंख्या लिंगानुपात
सारणी 3-सा-8	शिशु जनसंख्या प्रतिशत
सारणी 3-सा-9	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
सारणी 3-सा-10	साक्षरता प्रतिशत
सारणी 3-सा-11	कार्यशील जनसंख्या (सहभागिता) प्रतिशत
सारणी 3-सा-12	वार्ड वार जनसंख्या घनत्व
सारणी 3-सा-13	जनसंख्या घनत्व
सारणी 3-सा-14	अलीराजपुर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर
सारणी 3-सा-15	अलीराजपुर नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में जनसंख्या का आकलन
सारणी 3-सा-16	गंदी बरती का विवरण
सारणी 3-सा-17	आवासीय इकाइयों की कमी वर्ष 2011
सारणी 4-सा-1	प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035
सारणी 4-सा-2	निवेश इकाइयाँ
सारणी 5-सा-1	मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई
सारणी 6-सा-1	भू-उपयोग परिक्षेत्र
सारणी 6-सा-2	आवासीय भूखण्ड विकास मापदण्ड
सारणी 6-सा-3	आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र
सारणी 6-सा-4	वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड
सारणी 6-सा-5	वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक
सारणी 6-सा-6	वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र का वर्गीकरण एवं फर्शी क्षेत्रानुपात
सारणी 6-सा-7	सामुदायिक सुविधाओं/सेवाओं हेतु नियमन
सारणी 6-सा-8	अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान
सारणी 6-सा-9	उपयोग परिस्तर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियाँ
सारणी 7-सा-1	अलीराजपुर - योजना क्रियान्वयन की लागत
सारणी 7-सा-2	अलीराजपुर प्रथम चरण लागत

मानचित्र सूची

मा. क्र.	शीर्षक
1.1	Regional Setting
1.2	Location Map of Planning Area
1.3	Planning Area
2.1	Digital Elevation Model
2.2	Building Footprint
2.3	Contour
2.4	Slope
2.5	Lithology
2.6	Soil Texture
2.7	Groundwater Prospects
2.8	Earthquakes Zones
2.9	Land Value
2.10	Government Land
2.11	Geomorphology
2.12	Waterbody Buffer
2.13	Land Degradation
2.14	Road Buffer
2.15	Land Suitability (Model-1)
2.16	Land Suitability (Model-2)
2.17	Land Suitability (Model-3)
3.1	Existing Landuse
3.2	Ward Map
3.3	Ward Wise Sex Ratio
3.4	Ward Wise Child Population (0-6)
3.5	Ward Wise Child Sex Ratio (0-6)
3.6	Ward Wise SC/ST Population
3.7	Ward Wise Literacy
3.8	Ward Wise Work Participation
3.9	Ward Wise Population Density
3.11	Urban Sprawl
3.12	Existing ATM
3.13	Existing Community Toilet
4.1	Proposed Landuse
4.2	Proposed Landuse
4.3	Planning Unit
4.4	Central Area
5.1	Existing Transport Network
5.2	Proposed Transport Network
7.1	First Phase Implementation

अध्याय-1

नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ

1.1 नगर परिचय

1.1.1 स्थिति

अलीराजपुर पूर्व मध्य भारत के सुदूर आदिवासी अंचल का मुख्य नगर तथा जिला मुख्यालय है, यह नगर इन्दौर राजस्व संभाग के जिला झाबुआ के अंतर्गत सम्मिलित है। अलीराजपुर नगर 22° 19' उत्तरी अक्षांश तथा 74° 22' पूर्वी देशांतर रेखा पर समुद्र सतह से औसतन 317 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।

नगर में रेलमार्ग सुविधा उपलब्ध है। इस कारण देश के प्रमुख नगरों से इसका सीधा सम्पर्क है। यहाँ से 73 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुजरात राज्य के दाहोद नगर से पश्चिम रेलवे के दिल्ली बड़ोदा - मुंबई - अहमदाबाद रेल मार्ग से यह देश के प्रमुख नगरों से अपरोक्ष रूप से जुड़ा है।

यह नगर सड़क मार्ग से प्रदेश की राजधानी भोपाल, इन्दौर, तथा देवास से सीधा जुड़ा है इसके अतिरिक्त राज्य के अन्य नगरों खरगोन, बड़वानी, खंडवा, धार एवं गुजरात राज्य के बड़ोदा, राजकोट, दाहोद, अहमदाबाद, आणंद तथा हिममतनगर एवं केवडिया (स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी) से सीधा जुड़ा है।

1.1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अलीराजपुर एक प्राचीन एवं स्वतंत्र रियासत थी जिसकी स्थापना जोधपुर के राठौड़ वंशीय राजा आनन्ददेव द्वारा सन 1437 में वर्तमान "अलीराजपुर" से 10 कि.मी. की दूरी पर आनंदावली (गढी) की निर्माण कर, रियासत की राजधानी बनाया गया था। जिसे बाद में आलि के नाम से जाना गया। यही से स्टेट के प्रशासन का संचालन होता था।

उपर्युक्त रियासत के तहत वर्तमान "अलीराजपुर" जो कि पूर्व में राजपुर के नाम से जाना जाता था, की स्थापना राजसिंह द्वारा की गई थी। नगर में स्थित वर्तमान राजपुर तत्कालीन शाही बसाहट तथा वर्तमान असाढपुरा मौहल्ला जो कि इस ग्राम की मूल बसाहट होती थी, तक ही सीमित था। परन्तु वरिष्ठजनों से लिए गए साक्षात्कार से पता चला है कि उस समय यहाँ की जनसंख्या लगभग 2000 रही होगी।

राजा आनंददेव के देहांत के पश्चात उनके पौत्र श्री गोपालदेव द्वारा रियासत की राजधानी आनंदावली (अली) को सन् 1800 ईस्वी में तत्कालीन राजपुर नगर में स्थानांतरित किया गया। तब ही से इस नगर का नाम "अलीराजपुर" पड़ा। अंतिम शासक राजा प्रताप सिंह जी द्वारा अलीराजपुर नगर में वर्ष 1909-10 में नगरपालिका का गठन किया गया। सर प्रताप सिंह जी के समय में सर्वप्रथम 20 वीं सदी के प्रथम दशक में राज निवास पैलेस का

निर्माण किया गया। उसके बाद वर्ष 1910 में अन्य भवन जैसे यूरोपियन गेस्ट हाउस(वर्तमान में कमल निवास) प्रताप भवन, तहसील तथा जेल का निर्माण किया गया। वर्ष 1940 में सिविल अस्पताल, सर प्रताप सिंह हाईस्कूल, कन्या शाला, रेस्ट हाउस भवन तथा महल के पास शाही हनुमान मंदिर निर्मित किए गए। वर्ष 1940 के पश्चात नगरवासियों के मनोरंजन के लिए रॉक गार्डन, सूरेंद्र गार्डन तथा फतेह क्लब तथा जोबट मार्ग पर पोलोग्राउन्ड (वर्तमान में कृषि फार्म) का विकास किया गया।

सर प्रताप सिंह जी के कालखंड में ही यहाँ पर पंचेश्वर मार्ग पर पावर हाउस की स्थापना की गई जहाँ पर दो बड़े डीजल इंजनों द्वारा बिजली तैयार की जाकर नगर में विधुत आपूर्ति की जाती थी। साथ ही राजमहल पैलेस से नगर, तथा नगर के बाहर नानपुर, भाभरा, आम्बुआ, सेजावाडा तथा आमखूट को दूरभाष सुविधा से जोडा गया था। स्वतंत्रता के पश्चात यहाँ पर न्यायालय भवन, जिला जेल क्रमांक 2 रोडवेज डिपो, बी.टी.आई., स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंडी परिसर तथा अन्य कार्यालय स्थापित हुए।

1.1.3 क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय संदर्भ


नगर के बढ़ते हुए आकार एवं स्वरूप के कारण यातायात एवं परिवहन की सक्षम प्रणाली की आवश्यकता के साथ-साथ नगरीय जनसंख्या की मूलभूत सेवा-सुविधाओं की पूर्ति हेतु सक्षम नगरीय अधोसंरचना तंत्र की प्रथम आवश्यकता है। अतः नगर के सुनियोजित विकास के लिए यह एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। नगर की परिभ्रमण संरचना यातायात का स्वरूप, यातायात की मात्रा, मार्ग क्षमता, समय गति एवं दूरी आदि को निर्धारित करती है।


नगर में यातायात के प्रमुख साधनों के रूप में सड़क मार्ग उपलब्ध है। राज्य मार्ग क्र. 26 बड़ौदा - खण्डवा मार्ग नगर के मध्य से गुजरता है। इसके अतिरिक्त राजमार्ग अलीराजपुर झाबुआ, अलीराजपुर- इन्दौर व्हाया राजगढ़ (धार), अलीराजपुर-इन्दौर व्हाया (बडवानी), अलीराजपुर.-दाहोद आदि द्वारा नगरों से जुड़ा हुआ है।

अलीराजपुर से अन्य नगरों की दूरी

सारणी 1-सा-1

क्रमांक	निकटतम नगर	दूरी (कि.मी.)
1	1	2
2	बडवानी	74 कि.मी.
3	झाबुआ	90 कि.मी.
4	धार	144 कि.मी.
5	खरगोन	167 कि.मी.
6	रतलाम	200 कि.मी.
7	इन्दौर	204 कि.मी.





1.2 भौतिक स्वरूप

1.2.1 भू-आकृति

अलीराजपुर नगर ट्रेपरॉक एवं विन्ध्य पहाड़ी श्रृंखला पर निर्मित पठार पर समुद्र तल से 317 मी. की उंचाई पर स्थित है यह नगर असमतल भूमि पर स्थित है। पंचेश्वर नाला नगर के मध्य से गुजरता है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होकर नगर को दो भागों में विभाजित करता है। अलीराजपुर निवेश क्षेत्र में भू-गर्भिक बनावट के अंतर्गत बेंडिड गेनेसिक चट्टानें पाई जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर सिल खड़ी भी मिलती है। यहां के भौतिक स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए नगर के विकास की संभावनाएं छोटा उदयपुर, जोबट, कुक्षी, तथा उमराली मार्ग पर अधिक है।

1.2.2 जलवायु

यहाँ की जलवायु संतुलित है। यह नगर प्रदेश के कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गर्मी का मौसम जिसका कि स्थानीय भाषा में "उन्हाला" कहते हैं, मार्च से जून तक रहता है। इसके बाद बरसात का मौसम आता है जो कि अरब सागर से आने वाले मानसून के आगमन पर निर्भर है यह कभी-कभी जून के द्वितीय पक्ष से प्रारंभ होता है। इस अवधि में मौसम ठंडा एवं आर्द्र रहता है। नवम्बर से फरवरी तक सर्दी का मौसम रहता है, माह मई में अधिकतम 45 सेन्टीग्रेड तापमान तथा दिसम्बर में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अलीराजपुर में औसत वर्षा 712.91 मि.मी रहती है।

सामान्यतः वायु का वेग 7.9 कि.मी. प्रति घंटा रहता है। जबकि अधिकतम वेग मई व जून तथा न्यूनतम वेग दिसम्बर एवं जनवरी माह में रहता है। नगर में ऋतु अनुसार वायु प्रवाह की दिशा निम्नानुसार रहती है।

1. ग्रीष्म ऋतु – पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम की ओर
2. वर्षा ऋतु – दक्षिण पश्चिम को तथा उत्तर पश्चिम की ओर
3. शीत ऋतु – उत्तर तथा पूर्व की ओर

1.3 नियोजन हेतु प्रयास


अलीराजपुर नगर हेतु सर्वप्रथम निवेश क्षेत्र का गठन प्रथम बार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13(1) के अंतर्गत म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4463-5667-32-76 के द्वारा किया गया था। वर्ष 2005 में अलीराजपुर निवेश क्षेत्र की अधिसूचना सीमाओं में अधिनियम की धारा 13(2)(क) के तहत संशोधन कर 4 नवीन ग्रामों को सम्मिलित कर निवेश क्षेत्र का पुनर्गठन किया गया है। इस संबन्ध में म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3-60-2005 दिनांक 05.11.2005 का म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 11.11.05 को हुआ है।

वर्ष 2035 की आवश्यकताओं को आधार मानकर सुनियोजित विकास योजना के प्रस्ताव सृजित किए गए हैं। इन योजना प्रस्तावों में नगर के अनुरूप आवासीय, वाणिज्यिक, मिश्रित, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ, आमोद-प्रमोद, यातायात एवं परिवहन के साथ ही नगर की अधोसंरचना के प्रस्ताव दिए गए हैं। नवीन अलीराजपुर जिला, 17 मई 2008 को झाबुआ जिले से अलग होकर नया जिला बना है। चूकिं प्रथम अलीराजपुर विकास योजना 2021 की अनुमानित जनसंख्या 1.00 लाख को आधार मानकर तैयार की गई थी लेकिन नवीन जिला बनने के कारण भावी जनसंख्या का अनुमान लगा संभव नहीं था। वर्तमान में अलीराजपुर नगर से रेल्वे लाईन गुजर रही है जिसके चलते नगर में होने वाले भावी विकास को देखते हुए यह योजना वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 1.00 लाख को ही आधार मानकर तैयार की गई है।

1.4 नियोजन प्रस्ताव

नियोजन की अवधारणा में समयानुसार बदलाव आया है, विकास योजना तैयार करना, अब संतुलित विकास पर केन्द्रित है। अलीराजपुर विकास योजना 2035 तैयार करते समय सामाजिक एवं आर्थिक आँकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कर प्रस्ताव दिये गये हैं। अलीराजपुर विकास योजना 2035 में निम्न उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है:-

1. नगर का प्रकार, आकार एवं माप।
2. सघन विकास।
3. नगरीय प्रबंधन में जन-यातायात व्यवस्था, सरल एवं सामान्य पहुँच के साथ।
4. नगरीय परिवेश का पोषण एवं संरक्षण।
5. नगरीय जीवन स्तर में उत्तरोत्तर गुणात्मक सुधार एवं स्वास्थ्य में वृद्धि।
6. नगर की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विरासत का पोषण एवं परिमार्जन।
7. नगर के भौतिक एवं आर्थिक स्वरूप की गतिशीलता में तीव्रता लाना।
8. मूलभूत जीवन आधार प्रणाली के संसाधनों को अनुरक्षित करना।



1.5 निवेश क्षेत्र

नगर के भावी एवं सुनियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए अलीराजपुर निवेश क्षेत्र का गठन प्रथम बार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13 (1) के अंतर्गत म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4463-5667-32-76 के द्वारा किया गया था। वर्ष 2005 में अलीराजपुर निवेश क्षेत्र की अधिसूचना सीमाओं में अधिनियम की धारा 13(2)(क) के तहत संशोधन कर 4 नवीन ग्रामों को सम्मिलित कर निवेश क्षेत्र का पुनर्गठन किया गया है। इस संबंध में म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3-60-2005 दिनांक 05.11.2005 का म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 11.11.05 को हुआ है।

उक्त पुर्नगठित निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्र 4363.03 हैक्टेयर तथा वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 29679 जनसंख्या है। निवेश क्षेत्र में सम्मिलित नगर पालिका क्षेत्र एवं ग्रामों की जानकारी तालिका 2-सा-2 में दर्शाई गई है।

अलीराजपुर : निवेश क्षेत्र

1-सा-2

क्रमांक	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	जनसंख्या - 2011
1	2	3	4
अ	ग्रामीण क्षेत्र		
1.	लखनकोट	364.04 (भाग)	681
2.	भूरिया कुआ	188.58(भाग)	302
3.	बोरखड	नगरपालिका सीमा में विलीन	
4.	राक्सा	नगरपालिका सीमा में विलीन	
5.	रामसिंह की चौकी	645.96(भाग)	1010
6.	चिचलगु	466.64(भाग)	1477
7.	गडात	880.02(भाग)	1163
8.	दीपा की चौकी	448.78(भाग)	940
	योग (ग्रामीण क्षेत्र)	2994.03	5573
ब	नगर पालिका क्षेत्र	1369.00	29332
	योग (अ+ब)	4363.03	34905

स्रोत: जनगणना 2011

नोट: तालिका में सम्मिलित ग्राम क्रमांक 1,2,5,6,7,8 अंशतः नगर पालिका सीमा में सम्मिलित है , एवं क्रमांक 3 व 4 नगर पालिका की सीमा में सम्मिलित है।

1.5.2 नगर पालिका परिषद् अलीराजपुर

अलीराजपुर नगर पूर्व अलीराजपुर स्टेट की राजधानी रहा है इस स्टेट का स्वतंत्र अस्तित्व था। यहाँ पर नगर पालिका का स्थापना स्टेट काल में ही सन 1942 में हुई थी परन्तु अलीराजपुर को नगर का दर्जा वर्ष 1931 में प्राप्त हुआ था। झाबुआ जिले से अलग होकर 17 मई 2008 को नया अलीराजपुर जिला बनाया गया, इस नगर को शासन द्वारा नगर पालिका परिषद् घोषित किया गया था। साठ के दशक में नगर पालिका का पुर्नगठन कर नगर पालिका क्षेत्र को सात वार्डों में विभाजित किया गया था। वर्तमान में नगर पालिका का कुल क्षेत्रफल 1369.0 हैक्टेयर होकर यह 18 वार्डों में विभक्त है।

अध्याय-2

विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण

2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

भूमि, सम्पूर्ण पर्यावरण का एक घटक है एवं मानव बस्तियां बसाने हेतु भूमि की आवश्यकता होती है। जिस भूमि पर नगर की बसाहट है, उसका संलग्न भूमि पर हुआ प्रभाव, जो भूमि उपयोग परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, इस बात का प्रमाण है कि पर्यावरण के इस महत्वपूर्ण घटक, अर्थात् भूमि का उपयोग मानव सभ्यता द्वारा नियोजित दृष्टिकोण से किया गया है अथवा नहीं।

अलीराजपुर नगर का विकास दक्षिण दिशा में स्थित उमराली मार्ग पर हो रहा है। दक्षिण दिशा में विकास तीव्रगति से होने की संभावना है। अतः नगर का विकास इसी दिशा में होना प्रस्तावित है।

निवेश क्षेत्र के अंतर्गत जो भूमि नगरीय उपयोग में लाई जाती हो वह भूमि विकसित भूमि मानी गई है। विकसित क्षेत्र के अध्ययन से प्राप्त जानकारी का उपयोग विकास योजना तैयार करने के लिए वर्तमान में उपलब्ध सेवा सुविधाओं, नगरीय कार्यकलापों तथा भावी विकास हेतु आंकलन करने में सहायक होता है। इसके तुलनात्मक अध्ययन से भी नगर के भावी विकास हेतु आंकलन कर विभिन्न भूमि उपयोग हेतु आवश्यक प्रस्ताव दिये जाते हैं। नगर की बढ़ती जनसंख्या के परिणामस्वरूप नगरपालिका क्षेत्र में वृद्धि हुई है। जिला मुख्यालय इन्हीं कारणों से नगर विकास की गत वर्षों में संभावनायें बढ़ी हैं, फलस्वरूप नगर की विकास योजना के पुनर्विलोकन की आवश्यकता है।

पर्यावरण की दृष्टि से नगर नियोजन, भूमि का उपयोग सुसंगत आधार पर किया जाना चाहिए। उपरोक्त संदर्भ में अलीराजपुर नगर की विकास योजना के पुनरीक्षण के समय आवश्यकता अनुसार संशोधन, जनसंख्या वृद्धि तथा नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया है।

नगर का विकास, उसके भौतिक स्वरूप एवं मानवीय प्रयासों पर निर्धारित होता है। अलीराजपुर नगर की वर्तमान आकृति एवं आकार निर्धारित करने में नगर में स्थित तालाबों, पहाड़ी तथा वन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। विकास योजना में विद्यमान पहाड़ियों पर सघन वृक्षारोपण, भू-दृश्यीकरण, पर्यावरण संरक्षण तथा तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास, यातायात स्वरूप का उन्नयन एवं अधोसंरचना विकास के प्रभाव भी विकास योजना में दिये गए हैं, जिससे कि वर्तमान जनसंख्या के साथ-साथ भावी पीढ़ी को भी स्वच्छ वातावरण तथा सामंजस्य स्थापित करने वाली अधोसंरचना उपलब्ध हो सके।

विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का महत्वपूर्ण योगदान है। इन पद्धतियों से भूमि

उपयोग सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार के आँकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में, विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराये जा सकते हैं। इसके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों को प्रस्तावित करने में तथा विकास मापदण्डों को निर्धारित करने में आसानी होती है।

2.1.1 सुदूर संवेदन

सुदूर संवेदन तकनीक के अंतर्गत भारतीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद से प्राप्त वर्ल्ड व्यू II (World View II) के उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों का उपयोग थीमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है। उपग्रह चित्रों का उपयोग 1:4000 पैमाने पर आधार मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है। उपग्रह चित्रों के मानक, सारणी 2-सा-1 में दर्शाये गये हैं।

उपग्रह चित्रों के मानक

सारणी 2-सा-1

S.No.	Description	Value	Remarks
1	2	3	4
1	Spatial Resolution	0.5 meters or better	
2	Spectral Resolution	PAN Sharpened (Bands: Panchromatic, Red, Green, Blue and Near Infrared)	IR band is optional
3	Band to Band registration	Less than 1/4th of pixel size	
4	Radiometry	10 bit or better	
5	Image Resampling	Nearest Neighbourhood	
6	Monoscopic / Stereoscopic	Plain Areas: Monoscopic Highly Hilly areas: Stereoscopic	Need of Stereoscopic to be reviewed case by case. If the city is built on terrain slope more than 15 degrees.
	Monoscopic data view angle	Less than 10 degree from nadir	In specific cases, maximum of up to 15 degrees view angle shall be allowed
	Stereoscopic	One of the stereo image view angle should be less than 10 degrees from nadir	Base to Height (B/H) ratio: 0.6 < B/H < 0.8
7	Product type	Image data should be associated with corresponding Rational Polynomial Coefficients (RPCs)	Ortho-kit data with RPCs

स्रोत:- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.1.2 भौगोलिक सूचना प्रणाली


भौगोलिक प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक जानकारियों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है, जिसका वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है। भौगोलिक सूचना प्रणाली, प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण के व्यवस्थापन, क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने में उपयोगी है। विभिन्न स्पेशियल लेयर्स (spatial layers) को क्लास तथा सब-क्लास (classes and sub classes) में विभाजित किया गया है। इनका उपयोग विकास योजना तैयार करने में किया गया है, जो कि सारणी 2-सा-2 में दर्शाया गया है।

स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब-क्लासेस

सारणी 2-सा-2

S. No.	Spatial Layers	Source for Spatial data generation	Classification based on Use & Attributes	
			Classes	Sub Classes
1	2	3	4	5
1	Base layers	Very high resolution satellite data	3	16
	1. Road			
	2. Bridges			
	3. Water Bodies			
2	Urban Land use/Land cover	Very high resolution satellite data	22	48
3	Building Footprints	Very High Resolution satellite data	16	46
4	Digital Elevation Model (DEM) Type : Digital Terrain Model (DTM)	CARTO DEM – NRSC, ISRO	1	1
5	Cadastral Layer	State Revenue Department	1	
6	Boundaries			
	1. Planning Boundaries	Town & Country Planning	1	1
	2. Municipal Boundaries	Urban Local Bodies	1	1

स्रोत:- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद



2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली

अलीराजपुर विकास योजना 2035 के प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है— संतुलित एवं सुनियोजित विकास तथा स्थायी एवं पूर्ण क्षमतायुक्त नगरीय उपलब्ध क्षेत्र का विकास करना। तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु, पर्यावरण के सभी घटकों पर विचार किया गया है जो आज विद्यमान है, अर्थात् नैसर्गिक पर्यावरण एवं भविष्य में होने वाली बसाहट जो अत्यावश्यक है। भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है, जिससे बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके। अतः स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने, नगर एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिये। इसके साथ ही, यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव, भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर हो। एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक है—

- **धरातल विशेषताएँ**

भौतिक स्थिति, कंटूर, सामान्य अथवा अत्याधिक ढलान, भूगर्भ विशेषताएँ, मिट्टी की विशेषताएँ एवं गहराई, भूमिगत जल स्रोत, जलप्लवित क्षेत्र, सघन कृषि भूमि, वन क्षेत्र, जलीय जीवन, तापमान, हवा, बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग।

- **भूमि उपयोग वितरण**

नगरीय विस्तार, कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि, उत्तम भू-दृश्यीकरण स्थल, नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय, मिश्रित, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, आमोद प्रमोद, यातायात, रिक्त क्षेत्र जो आगामी विकास हेतु उपलब्ध हैं, प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता।

- **जनसंख्या विशेषताएँ**

आयु समूह, लिंगानुपात, आब्रजन वितरण, भावी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, मजदूर एवं गैर मजदूर तथा व्यवसायिक संरचना।

- **आर्थिक गतिविधियाँ**

कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियाँ, आर्थिक धरातल समस्याएँ एवं संभावनाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण, व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति, संस्थाएँ एवं आगामी विकास हेतु संभावनाएँ।

- **यातायात विशेषताएँ**

वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमताएँ, माल वाहन, निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन, सायकल पथ, पदचारी पथ, जलाशय, रेलवे, वायु सेवा, केन्द्रीय सुविधायें एवं यातायात संरचना।

- **आवास विशेषताएँ**
उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति, सक्रिय आवश्यकता, झुग्गीवासियों की आवश्यकताएँ एवं उसका निराकरण, भूमि तथा वित्तीय स्थिति।
- **सार्वजनिक सेवाएँ**
पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मलवहन प्रणाली, विद्युत प्रदाय, संचार सेवाएँ।
- **सार्वजनिक सुविधाएँ**
शैक्षणिक संस्थाएँ, आमोद-प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र।
अतः एकत्रित की गयी जानकारी व एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत वर्ल्ड व्यू II (World View II) उपग्रह चित्रों के आधार पर, निम्नलिखित उद्देश्य पर निर्धारित है, जिसमें Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाईडलाईन के अन्तर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित हैं।

2.2.1 उद्देश्य

- **भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना**

वर्ल्ड व्यू-II (World View-II) उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी जो श्रेणी-II को दर्शाती है, नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना, जिसमें आवासीय, मिश्रित, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिता आमोद प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हो।

- **बसाहट के विस्तार का मानचित्र तैयार करना**

विभिन्न स्थितियों पर, उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, नगर का विकास, क्रमशः विभिन्न समयावधि में हुआ है, का मानचित्र तैयार करना।

1. संपूर्ण अलीराजपुर नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना।
2. नैसर्गिक आपदाओं का, जैसे बाढ़, भूमि कटाव, भूकम्प से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का मानचित्र तैयार करना।
3. जल स्रोत, नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय, ढलान, मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना।
4. नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना एवं जिस भूमि का संरक्षण करना है, उसको मानचित्र पर अंकन करना।
5. प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना।


- **जनगणना के आँकड़े**

अनुमानित जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु, जनगणना वर्ष 1971, 1981, 1991, 2001 एवं 2011 के आँकड़ों को विकास योजना में उपयोग किया गया है।

2.2.2 कार्यप्रणाली

अलीराजपुर नगर की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करने हेतु अंगीकृत कार्य प्रणाली प्रस्तुत है। एन.आर.एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त स्थल मानचित्र, जिसमें उपग्रह चित्र के साथ बिल्डिंग फुटप्रिंट अंकित है, का स्थल पर सत्यापन कर, आँकड़े एकत्रित कर, सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई.एस. आधारित विकास योजना हेतु आधार मानचित्र तैयार किया गया। विकास योजना तैयार करने हेतु कार्यप्रणाली विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली



2.3 मानकों की व्याख्या

अलीराजपुर जिले के विभिन्न विभागों से आंकड़े एकत्रित किये गये हैं। इन आंकड़ों में नगर की भौगोलिक जानकारी, जनसांख्यिकी आंकड़े, औद्योगिक पहलू, अधोसंरचना जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संचार, इत्यादि सम्मिलित हैं। जल प्रदाय, जल-मल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, परिवहन, पर्यावरण, पर्यटन एवं राजस्व से संबंधित इत्यादि जानकारी सम्मिलित है।

2.3.1 थीमेटिक मानचित्रिकरण (Thematic Mapping)

विकास योजना तैयार करने हेतु किए जाने वाले विश्लेषण में उपयोग किए जाने हेतु विभिन्न थीमेटिक मानचित्र तैयार किए गये हैं, जिनकी कार्यप्रणाली बिन्दु क्रमांक 2.2.2 में स्पष्ट की गई है।

• 2.3.1.1 यातायात संरचना

उपग्रह चित्र के आधार पर वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किया गया, जिसमें निम्न मानकों को आधार मानकर वर्गीकृत किया गया है, जिसे सारणी 2-सा-3 में दर्शाया गया है।

जियो-स्पेशियल डाटा (मार्ग)

सारणी 2-सा-3

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1	01-01	Road	National Highway
	01-02		State Highway
	01-06		Bypass
	01-09		Major City Road
	01-10		Minor City Road
	01-11		Other Public Road
	01-12		Other Private Road
	01-15		Village road

• 2.3.1.2 भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी.) हैदराबाद से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर, अलीराजपुर निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया। भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करते समय विशेष वर्गीकरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया। नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2-सा-4 में दर्शायी गई है।

जियो-स्पेशियल डाटा (बिल्डिंग फुटप्रिंट)


सारणी 2-सा- 4

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1	06-04	Residential	House
	06-05		Group of Houses
	06-06		Apartment
2	07-01	Commercial	Retail
	07-02		Wholesale
	07-03		General Business
	07-04		Hotel / Lodge / Restaurant
	07-05		Shopping Centre / Mall
	07-06		Cinema
	07-07		Function Hall / Marriage Garden
	07-08		Warehouse
	07-09		Storage Godown
	07-11		Petrol Pump
	07-13		Hostel
	07-14		Market (Daily & Weekly) / Mandi
3	08-01	Industries	Manufacturing
	08-08		Agro Based & Food Processing
	08-11		Other Industries
4	09-01	Mixed	Residential & Commercial
	09-02		Residential & Household Industry
	09-03		Residential & Educational
	09-04		Residential & Health Services
	09-06		Commercial & Health Services
	09-07		Commercial & Educational

	09-10		Residential & Commercial & Health Services
5	10-01	Educational	School
	10-02		College
	10-03		University
	10-04		Vocational Institute
	10-05		Anganwari
	10-06		Training Institute
6	11-01	Health Services	Government Hospital
	11-02		Private Hospital
	11-03		Diagnostic Centre
	11-04		Clinic/Dispensary
	11-05		Nursing Home
	11-06		Primary/Community Health Centre
7	12-01	Central Govt. Property	Central Government Office
	12-02		Central Government Quarter
8	13-01	State Govt. Property	State Government Office
	13-02		State Government Quarter
9	14-01	Railway	Railway Property
10	15-01	Public & Semi-public	Private Office
	15-02		Banks
	15-05		Police Station
	15-06		Cantonment/Battalion
	15-07		Jail
	15-08		Crematorium Burial Ground /Grave Yard
	15-10		Community Hall
	15-11		Dharmashala

	15-18		LPG/CNG Gas Booking Office
	15-25		Public/Community Toilet
	15-26		Social Welfare Centre
	15-28		Old Age Home
	15-31		ATM
11	16-01	Religious	Temple
	16-02		Mosque
	16-03		Idgah
	16-04		Church
	16-05		Gurudwara
	16-09		Aashram/Math/Bhojanshala
12	17-01	Recreational	Garden
	17-02		Park
	17-03		Play Ground
	17-06		Gymnasium
	17-08		Stadium
	17-15		Amusement/Theme Park
13	18-01-01	Public Utilities	Water Treatment Plant
	18-01-02		Water Pumping Station
	18-04-01		Electric Power Plant
	18-04-02		Electric Sub-Station
14	20-04	Communication	Satellite & Telecommunication Centre
15	24-01	Transportation	Bus Stand /Terminus
	24-02		Railway Station
	24-03		Railway Yard


	24-10		Truck Terminus
16	25-04	Traffic related	Multi-level Parking
17	26-02	Rural	House
18	2102	Heritage	Fort
19	33-09	Others	Farm house
	33-10		Dairy farm
	33-11		Poultry farm
	33-13		Slaughter House
	33-14		Dairy booth




- **2.3.1.3 ग्राम/वार्ड सीमा**

भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रदेश के भू-अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया गया। भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर ग्राम मानचित्रों से निवेश क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई। नगरपालिका से प्राप्त वार्ड मानचित्रों के आधार पर नगरपालिका परिषद् सीमा का वार्ड मानचित्र तैयार किया गया। अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1:30000 तथा 1:25000 मापमान पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया। उक्त मानचित्र का उपयोग एकीकृत वार्ड आधारित विभिन्न जानकारी तैयार करने में किया गया है। जनसंख्या के आँकड़े जो भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त किए गए, उनका ग्राम मानचित्रों से संबंध स्थापित किया गया।

थीमेटिक मानचित्र भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) का उपयोग कर डिजीटाईज कर अलीराजपुर निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किए गए हैं। क्षेत्र के सांख्यिकी आँकड़े भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ही ज्ञात किये गए हैं। विभिन्न सीमाओं की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2-सा-5 में दर्शायी गई है।





सीमाओं का वर्गीकरण

सारणी 2-सा-5

S.No.	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1.	37-05	Administrative Boundaries	Village Boundary
2.	38-01	Planning Boundaries	Planning Area Boundary
	37-05	Municipal Boundaries	Alirajpur Municipal Boundary
	37-06		Alirajpur Ward Boundary

• 2.3.1.4 ढलान

भारतीय सर्वेक्षण संस्था से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर एवं मेप आई.टी. (Madhya Pradesh Agency For Promotion Of Information Technology) से प्राप्त Carto-DEM के आधार पर ढलान मानचित्र तैयार किया है। इसका आधार ग्रिड पद्धति से निम्नलिखित समीकरण है :-

$$\{\text{ढलान का प्रतिशत} = (\text{ऊँचाई में अंतर} / \text{दूरी में अंतर}) \times 100\}$$

निवेश क्षेत्र में प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत ढलान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत क्षेत्रफल सारणी 2-सा-6 में दिया गया है।

ढलान

सारणी 2-सा-6

क्र.	ढलान (प्रतिशत)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1-	<1	25543.78	85.21
2-	1-2	3133.84	10.45
3-	3-4	1130.66	3.77
4-	4-7	169.77	0.57
		29978.05	100.00

स्रोत:- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

• 2.3.1.5 मृदा

सम्पूर्ण जिले के मृदा के प्रकार का मानचित्र, भारत की मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग, जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से जानकारी प्राप्त कर तैयार किया गया है। उक्त मानचित्र तैयार करने में सुदूर संवेदन तकनीकी एवं मृदा प्रोफाईल के विश्लेषण के आधार पर मृदा की उपयोगिता का निर्धारण किया गया। मृदा के विभिन्न घटकों

के आधार पर भूमि का कटाव मानचित्र, मृदा की बनावट का मानचित्र तथा मृदा की गहराई का मानचित्र तैयार किया गया है।

मृदा विश्लेषण

सारणी 2-सा-7

क्र.	मिट्टी की संरचना	क्षेत्रफल (हे.मै)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1-	Fine	7050.33	23.52
2-	Fine Loamy	1144.77	3.82
3-	Fine Silty	274.34	0.92
4-	Loamy	18062.85	60.25
5-	Loamy Skeletal	3445.75	11.49
	Total	29978.05	100.00

स्रोत:- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

• 2.3.1.6 बाढ़ आपदा

उक्त जानकारी हेतु ढलान की जानकारी, जलाशय मानचित्र से प्राप्त आकड़ों तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर संभावित बाढ़ क्षेत्र का मानचित्र तैयार किया गया है।

• 2.3.1.7 जलाशय


वर्ड व्यू -II (World View-II) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर अलीराजपुर शहर में स्थित जल स्रोत का मानचित्र तैयार किया गया है। अलीराजपुर विकास योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली सारणी क्रमांक 2-सा-8 में उल्लेखित है :-


Water Bodies : Geo-Spatial Data Content


2-सा-8


S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
5	05-01	Water Body	River
	05-02		Stream
	05-03		Canal
	05-04		Drain
	05-05		Ponds
	05-09		Reservoir


स्रोत:- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण














• **2.3.1.8 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र**

भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्ट्स (Fractures and Faults), मिट्टी की जानकारी, ढलान की जानकारी एवं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान (National Geophysical Research Institute) के आँकड़ों के आधार पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया गया।

• **2.3.1.9 भूमि मूल्य**

महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा प्रकाशित बाजार मूल्य मार्गदर्शिका से, निवेश क्षेत्र अंतर्गत कुल 18 वार्ड के भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित की गई एवं बाजार मूल्य के संदर्भ में वर्गीकृत जानकारी का मानचित्र तैयार किया गया है।

• **2.3.1.10 भू-आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड**

अलीराजपुर निवेश क्षेत्र को भू-आकृति की दृष्टि से छः भागों में विभाजित किया गया है। क्षेत्र का अधिकांश भाग भू-आकृति की दृष्टि से होमोक्लिन क्षेत्र में आता है। यह जानकारी सारणी 2-सा-9 में दर्शायी गयी है।

भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

सारणी 2-सा-9

क्र.	जिओमॉर्फोलॉजी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1.	Hill	102.71	0.34
2.	Homocline	20197.15	67.37
3.	Pediment	1697.26	5.66
4.	Pediplain	7165.11	23.90
5.	Residual Hill	158.52	0.53
6.	Scarp	657.30	2.19
	Total	29978.05	100.00

स्रोत:- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

• **2.3.1.11 जल स्रोत बफर**

अलीराजपुर निवेश क्षेत्र में जलाशय के रूप में मुख्यतः तालाब एवं नाला सम्मिलित किये गये हैं। पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए भूरिया कुआ तालाब एवं गडात तालाब के चारों ओर 60.00 मीटर वृक्षारोपण एवं सुक्कड नदी से 30.00 मीटर साथ ही अन्य नालों के किनारे पर न्यूनतम 9.00 मीटर एवं तालाबों की शाखाओं से 15.00 मीटर वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है, ताकि पर्यावरण एवं संरक्षण हेतु तटीय क्षेत्र को उसके मूल स्वरूप में यथावत रखा जा सके। जल स्रोत बफर की जानकारी सारणी 2-सा-10 में दर्शायी गई है।

जल स्रोत बफर क्षेत्रफल

सारणी 2-सा-10


क्र.	बफर (मीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	15	490.84
2.	30	149.81
3.	45	148.93
4.	60	148.73
ज्वजंस		938.31


स्रोत:- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण


टीप:- प्रतिशत कुल निवेश क्षेत्र के क्षेत्रफल के आधार पर लिया गया है।


• **2.3.1.12 भूमि अवक्रमण**

अलीराजपुर निवेश क्षेत्र अंतर्गत भूमि की अवक्रमण संबंधी जानकारी सारणी 2-सा-11 में दर्शायी गई है।









भूमि अवक्रमण

सारणी 2-सा-11

S. No.	Land Degradation Class	Area (Ha.)
1	2	3
1.	Water erosion - Sheet - Moderate	2549.87
2.	Water erosion - Sheet - Severe	2324.94
Total		4874.82

स्त्रोत:- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

- मार्ग संरचना बफर

मार्ग संरचना निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत भावी विकास के क्षेत्रों को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है। राज्य मार्ग क्र. 26 खण्डवा-बडौदा मार्ग जो कि नगर के मध्य से गुजरता है। इसके अतिरिक्त अलीराजपुर - झाबुआ, अलीराजपुर- इन्दौर व्हाया राजगढ़ (धार), अलीराजपुर-इन्दौर व्हाया (बडवानी), अलीराजपुर - दाहोद आदि द्वारा नगरों से जुड़ा हुआ है। नगरीय भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण करने हेतु मार्गों को सम्मिलित किया गया है एवं बफर ज़ोन, मार्ग के दोनों ओर निर्धारित किए गये हैं। ज़ोन के अन्तर्गत बफर मार्ग संरचना की जानकारी उपरोक्त सारणी 2-सा-12 में दर्शायी गयी है।

मार्ग संरचना बफर

सारणी 2-सा-12

क्र.	मार्ग बफर (मीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	100	2102.68
2.	200	1864.30
3.	500	4883.40
Total		8850.37

स्त्रोत:- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित करना है कि किस भूमि का विकास किया जाए एवं किस प्रकार किया जाए। इस कारण भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक विशेषताएँ, नैसर्गिक अवरोध, एवं सामाजिक तथा आर्थिक समानताएँ महत्वपूर्ण हैं। मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अंतर्गत भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है। भूमि उपयुक्तता का निर्धारण भूमि की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक क्षमता पर निर्भर है। भूमि का मूला मुख्यतः तीन आधार पर निर्भर होता है:-

1. भूमि का बाज़ार मूल्य जो पूर्ण विक्रय के आधार पर होता है।
2. प्राकृतिक संरचना का गुणात्मक मूल्यांकन।
3. संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य।

भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए जा सकते हैं। निवेश क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है एवं इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं। भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है, अपितु इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। उक्त दोनों मापदण्डों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करता है, एवं भूमि का विस्तृत वर्गीकरण विभिन्न विकास हेतु करना संभव होता है। इसके अतिरिक्त भूमि उपयोग उपयुक्तता निर्धारण हेतु भूमि की वर्तमान स्थिति जैसे भूमि पर दबाव का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा, उस दशा में उक्त भूमि जो उपयुक्तता के आधार पर विकास हेतु ग्राह्य नहीं है, का भी विकास होगा। यह स्पष्ट है कि मापदण्डों की श्रेणियाँ अधिक होंगी तो बाज़ार के संदर्भ से उपयुक्तता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त संदर्भ में उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया जो इस अध्याय में उल्लेखित है, को वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारित करने की दृष्टि से देखा गया है।

इस अध्ययन में बहु प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण, स्थल की वास्तविकता, पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन इमेजरी के द्वारा) किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि उपयुक्तता विश्लेषण संभव हुआ। अलीराजपुर नगर के संदर्भ में एकीकृत भूमि उपयुक्तता विश्लेषण (Composite Land Suitability Analysis) अपनाई गई। इस प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि विकास/भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है एवं किस भूमि विकास हेतु प्रतिबंधित/संरक्षित रखा जाना चाहिए। भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित श्रेणी घटकों पर विचार किया गया है।

1. वर्तमान भूमि उपयोग
2. मिट्टी का प्रकार
3. ढलान का प्रतिशत
4. बाढ़ आपदा
5. जलाशय
6. मार्ग संरचना
7. जियोमॉर्फोलॉजी
8. भूमि का मूल्य (वार्ड अनुसार)

उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा निर्धारित होती है। सीमा की अवधारणा भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से है। उदाहरण स्वरूप यदि ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है कि अधिक ढलान वाले क्षेत्र को

विकसित करने हेतु व्यापक स्रोत (वित्तीय एवं जनशक्ति) आवश्यक होंगे। अतः उक्त भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी। उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है।

उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दुओं को नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के विश्लेषण तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है। इन घटकों के विश्लेषण की जानकारी का भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर संकेतक प्राप्त किए गए हैं।

2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प

निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व भूमि/नगरीय भूमि उपयुक्तता के घटकों के विश्लेषण के आधार पर विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं। इन विकल्पों में प्रत्येक घटक का क्रम दूसरे घटक के परस्पर संबंधों पर निर्धारित किया गया है। भूमि उपयुक्तता के विकल्पों का वर्णन सारणी 2-सा-13 में दिया गया है।

Weighted Index For Composite Land Suitability [Model-1]

2-सा-13

[Model 1] Weighted Index For Composite Land Suitability for Urban Development [Model-1]			
THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
LANDUSE	20	Agriculture	9
		Vacant Land	9
		Builtup	1
		Wasteland	8
		Waterbody	0
GEOMORPHOLOGY	5	Pediment Pediplain Complex	8
		Water Body	0
GROUNDWATER PROSPECTS	15	Good	9
		Good To Moderate	6
		Moderate to Poor	5
		Poor to Nill	2
		Water Body Mask	0
SOIL TEXTURE	5	Sandy loam Lomy skeletal	5
		Clay	4
		Builtup	2
		River & WB	0
		100 m	9
ROAD BUFFER	20	200 m	8
		500 m	5
		>500 m	3
		15 m	0

WATER BODIES BUFFER	15	30 m	1
		45 m	5
		60 m	7
		> 60 m	9
SLOPE	5	0-2%	9
		2-4%	8
		4-7 %	7
		7-10%	5
LAND VALUE	15	1400 - 2000	9
		2001 - 7000	8
		7001 - 12000	7
		12001 - 18000	6
		180001 -25000	5

Weighted Index For Composite Land Suitability [Model-2]
[Model 2]

2-सा-13

Weighted Index For Composite Land Suitability for Economic [Model-2]			
THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
LANDUSE	15	Agriculture	9
		Vacant Land	9
		Builtup	1
		Wasteland	8
		Water body	0
GEOMORPHOLOGY	10	Pediment Pediplain Complex	8
		Water Body	0
GROUNDWATER PROSPECTS	10	Good	9
		Good To Moderate	6
		Moderate to Poor	5
		Poor to Nil	2
		Water Body Mask	0
		Sandy loam Lomy skeletal Clay	5
		Builtup	4
		River & WB	2
ROAD BUFFER	15	100 m	9
		200 m	8
		500 m	5
		>500 m	3

WATER BODIES BUFFER	10	15 m	0
		30 m	1
		45 m	5
		60 m	7
		> 60 m	9
SLOPE	10	0-2%	9
		2-4%	8
		4-7 %	7
		7-10%	5
LAND VALUE	20	1400 - 2000	9
		2001 - 7000	8
		7001 - 12000	7
		12001 - 18000	6
		180001 -25000	5

Weighted Index For Composite Land Suitability [Model-3]

2-सा-13

[Model 3]

Weighted Index For Composite Land Suitability for Environmental Protection [Model-3]			
THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
LANDUSE	10	Agriculture	9
		Vacant Land	9
		Builtup	1
		Wasteland	8
		Waterbody	0
GEOMORPHOLOGY	15	Pediment Pediplain Complex	8
		Water Body	0
GROUNDWATER PROSPECTS	20	Good	9
		Good To Moderate	6
		Moderate to Poor	5
		Poor to Nill	2
		Water Body Mask	0
SOIL TEXTURE	15	Sandy loam Lomy skeletal	5
		Clay	4
		Builtup	2
		River & WB	0
ROAD BUFFER	5	100 m	9
		200 m	8
		500 m	5

		>500 m	3
WATER BODIES BUFFER	20	15 m	0
		30 m	1
		45 m	5
		60 m	7
		> 60 m	9
SLOPE	10	0-2%	9
		2-4%	8
		4-7 %	7
		7-10%	5
LAND VALUE	5	1400 - 2000	9
		2001 - 7000	8
		7001 - 12000	7
		12001 - 18000	6
		180001 -25000	5

स्रोत:- भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण

टीप- भूमि उपयोग, जियोमॉर्फोलॉजी एवं जलाशय बफर को मूल्यांकन वरीयता प्रदान की गई है।

घटकों को नगरीय उपयुक्तता के आधार पर मूल्यांकन के बाद श्रेणी प्रदान की गई है, जो 08 मानचित्रों के एकीकरण परिणाम है। 08 मानचित्रों के संयुक्त परिणाम के कारण कई उपयुक्त पॉलीगन निर्मित हुए। उक्त पॉलीगन को संस्पर्शी पॉलीगन में विसर्जित किया गया, जिसका आधार स्थल संदर्भित स्थिति एवं न्यूनतम मानचित्र खंड (Minimum Mappable Unit) है। एकजाई आकृति में संयुक्त भूमि उपयुक्तता श्रेणी है एवं प्रत्येक श्रेणी में सभी घटकों के चरित्र विद्यमान है, जो भूमि उपयुक्तता हेतु आवश्यक हैं। प्रत्येक श्रेणी की मूल्यांकन वरीयता उक्त घटक के महत्व के आधार पर एवं एक दूसरे से तुलना के आधार पर की गई है।

संयुक्त उपयोगिता संकेतक (Composite Suitability Index) की गणना 08 घटकों के मूल्यांकन को उनकी श्रेणी से गुणा कर प्राप्त किया गया। सी.एस.आय. को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया। इस प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी इस बात का सूचक है कि सक्षमता की सीमा प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में कितनी है, अर्थात् न्यूनतम, अधिकतम सी.एस.आय. का औसत एवं स्तरीय डेविएशन (Standard Deviation) का उपयोग वर्गीकरण हेतु किया गया है।

सी.एस.आय. मूल्यांकन का अधिक होना नगरीय विकास हेतु उच्च वरीयता का द्योतक होगा। कम सी.एस.आय. मूल्यांकन का संदर्भ नगर विकास हेतु कम मूल्यांकन परंतु संरक्षण हेतु उच्च वरीयता से है।

Land Suitability Area [Model-1]

2-सा-14

Suitability Class	Area (Ha)	%
1	2	3
Not Suitable	433.03	10.9
Less Suitable	352.48	8.9
Moderately Suitable	596.34	569.34
Highly Suitable	2594.10	2594.10
Grand Total	3975.95	100.0

स्रोत:- भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण

Land Suitability Area [Model-2]

2-सा-15

Suitability Class	Area (Ha)	%
1	2	3
Not Suitable	433.25	10.9
Less Suitable	448.44	11.3
Moderately Suitable	1097.50	27.6
Highly Suitable	1995.77	50.2
Grand Total	3975.96	100.0

स्रोत:- भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण


Land Suitability Area [Model-3]


2-सा-16


Suitability Class	Area (Ha)	%
1	2	3
Not Suitable	444.31	10.9
Less Suitable	290.01	11.2
Moderately Suitable	665.71	16.7
Highly Suitable	2575.93	64.8
Grand Total	3975.95	100.0

स्रोत:- भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता हेतु [Model-1], [Model-2], [Model-3] तैयार किये गये हैं, जिसकी जानकारी मानचित्र क्रमांक 2.14, 2.15 एवं 2.16 में दर्शायी गई है। भूमि उपयुक्तता के संदर्भ में [Model-3] का चयन अंतिम रूप से अलीराजपुर विकास योजना तैयार करने हेतु किया गया है, क्योंकि इसका मुख्य आधार Highly Suitable तथा Moderately Suitable भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक आता है।







2.5 भूमि उपयोग का आवंटन

नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात् भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा प्रसारित Urban and Regional Development Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाईड लाईन एवं राज्य के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया।

इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं इसमें अंगीकृत कार्यप्रणाली विस्तार से प्रस्तुत है। पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की तुलना में उपरोक्त कार्य प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है। इसके अंतर्गत उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात् भूमि उपयोग मानचित्र वस्तुस्थिति के अनुरूप तैयार करना एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है। इसी कार्यप्रणाली के आधार पर अलीराजपुर निवेश क्षेत्र का विश्लेषण तथा विकास हेतु भूमि के वैकल्पिक प्रस्ताव का चयन कर प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारित की गई, जो विभिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर है।

अध्याय-3

विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण

3.1 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

अलीराजपुर विकास योजना 2021 शासन द्वारा 04.10.2008 द्वारा अंगीकृत की गई है। उक्त विकास योजना को जी.आई.एस. आधारित गाईड लाईन में दिये गये मानकों का समावेश करते हुये, अलीराजपुर विकास योजना 2035 तैयार की गई है। नगर का विकास निम्नलिखित कारणों से प्रभावित हुआ है :-

विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

सारणी 3-सा- 1

क्र.	भूमि उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र 2021 (हेक्टेयर में)			विकसित क्षेत्रफल 2022 (हेक्टेयर में)		विकास के लिए उपलब्ध भूमि (3-6)
		क्षेत्र	प्रतिशत	भूमि उपयोगिता दर	क्षेत्र	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	474.55	47.28	4.73	180.12	37.05%	294.43
2	वाणिज्यिक	40	3.99	0.41	17.48	3.60%	22.52
3	औद्योगिक	70	6.97	0.70	14.72	3.03%	55.28
4	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक/ सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं	129.25	12.78	1.28	100.49	20.67%	28.76
					10.31	8.62%	-10.31
5	आमोद-प्रमोद	90	9.05	0.91	15.07	16.15%	74.93
6	यातायात एवं परिवहन	200	19.93	2.0	163.99	33.73%	36.01
योग		1003.6	100.00	10.03	486.17	100.00	517.63

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण

अलीराजपुर विकास योजना 2021 के अध्याय 4 की सारणी क्रमांक 4-सा-4 भूमि आवंटन 2021 के अनुसार क्रियान्वयन का मूल्यांकन।

विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार)


सारणी 3-सा-2

क्र.	भूमि उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र 2021 (हेक्टेयर में)			विकसित क्षेत्रफल 2022 (हेक्टेयर में)		क्रियान्वयन का प्रतिशत (6/3)	विकास के लिए उपलब्ध भूमि (3-6)
		क्षेत्र	प्रतिशत	भूमि उपयोगिता दर	क्षेत्र	प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आवासीय	564.2607	47.04%	5.64	180.12	37.05%	45.61%	306.89
2	वाणिज्यिक	79.8897	6.66%	0.80	17.48	3.60%	28.97%	56.74
3	औद्योगिक	62.38069	5.20%	0.62	14.72	3.03%	1.15%	61.66
4	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	149.7641	12.48%	1.50	100.49	20.67%	60.45%	59.23
5	सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं	3.175157	0.26%	0.03	10.31	8.62%	325.12%	-7.14
6	आमोद-प्रमोद	141.3275	11.78%	1.41	15.07	16.15%	10.67%	126.25
7	यातायात एवं परिवहन	198.8476	16.58%	1.99	163.99	33.73%	44.77%	109.81
	योग	1199.645	100.00	12.00	486.17	100	40.53	713.44

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण

अलीराजपुर विकास योजना 2035 के मूल्यांकन के लिए विकास योजना (पुस्तक) एवं विकास योजना (मानचित्र) दोनों के प्रस्तावित क्षेत्रों में भिन्नतायें मिलती हैं। उपरोक्त सारणी में विकास योजना (मानचित्र) से प्राप्त क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया है, क्योंकि विकास योजना का मुख्य आधार मानचित्र होता है एवं मानचित्र के आधार पर ही योजना का क्रियान्वयन होता है।

अतः विकास योजना 2035 की गणनायें करने हेतु विकास योजना 2021 के प्रस्तावित मानचित्र में दर्शित क्षेत्रों को आधार मानते हुए विकास योजना तैयार की गई है। विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत क्रियान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है :-



• 3.1.1 आवासीय

अलीराजपुर विकास योजना 2021 में सम्पूर्ण निवेश क्षेत्र में 474.55 हेक्टेयर भूमि आवासीय उपयोग हेतु विकसित करना प्रस्तावित थी, जिसमें से 167.84 हेक्टेयर भूमि विकसित हुई है। आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत क्रियान्वयन का प्रतिशत 35% है। नगर के लिए विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु नगर पालिका अलीराजपुर क्रियान्वयन संस्था है। निवेश क्षेत्र में निजी तथा शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं जैसे म.प्र.गृह निर्माण मंडल, नगर पालिका परिषद् द्वारा आवासीय विकास किया गया है।

• 3.1.2 वाणिज्यिक

अलीराजपुर विकास योजना 2021 में सम्पूर्ण निवेश क्षेत्र में 40.00 हेक्टेयर भूमि वाणिज्यिक उपयोग हेतु विकसित करना प्रस्तावित थी, जिसमें से 49.82 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। वाणिज्यिक क्षेत्र के अंतर्गत क्रियान्वयन का 124% प्रतिशत है। वाणिज्यिक क्षेत्रों का विकास प्रमुखतः नगर में एम.जी रोड, बस स्टेण्ड, प्रतापगंज मार्ग, रणछोड़ राय मार्ग, हाट गली, तिलक मार्ग, चन्द्रशेखर आजाद मार्ग, छोटा उदयपुर मार्ग तथा झाबुआ मार्ग, कुक्षी मार्ग पर कृषि उपज मंडी, प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र मध्य क्षेत्र में हुआ है।

• 3.1.3 औद्योगिक

अलीराजपुर विकास योजना 2021 में सम्पूर्ण निवेश क्षेत्र में 70.00 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक उपयोग हेतु विकसित करना प्रस्तावित थी, जिसमें से 13.78 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत क्रियान्वयन का प्रतिशत 19.68 है। औद्योगिक क्षेत्रों का विकास प्रमुखतः झाबुआ मार्ग एवं कुक्षी मार्ग पर हुआ है।

• 3.1.4 सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक

अलीराजपुर विकास योजना 2021 में सम्पूर्ण निवेश क्षेत्र में 128.25 हेक्टेयर भूमि सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक हेतु विकसित करना प्रस्तावित थी, जिसमें से 117.50 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हुआ है। सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत क्रियान्वयन का प्रतिशत 91.61 है। झाबुआ मार्ग पर एवं नवीन कलेक्ट्रेट एवं अन्य प्रशासनिक कार्यालयों का विकास हुआ है।

• 3.1.5 सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें

अलीराजपुर विकास योजना 2021 में सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें के अंतर्गत 6.96 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 8.61 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हुआ है। सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें क्षेत्र के अंतर्गत क्रियान्वयन है।

● 3.1.5 आमोद-प्रमोद

अलीराजपुर विकास योजना 2021 में आमोद-प्रमोद के अंतर्गत 90.80 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 15.29 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हुआ है। आमोद-प्रमोद क्षेत्र के अंतर्गत क्रियान्वयन का प्रतिशत 16.83 है।

● 3.1.6 यातायात एवं परिवहन

अलीराजपुर विकास योजना 2021 में यातायात एवं परिवहन के अंतर्गत 200.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 162.38 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हुआ है। यातायात एवं परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत क्रियान्वयन का प्रतिशत 81.19 है। शहर में नवीन ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित किया गया था।

3.2 विकास योजना में उपान्तरण

अलीराजपुर विकास योजना 2021 प्रभावशील होने के उपरांत राज्य शासन द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम 1973 की धारा 23(क) के विकास योजना में निम्न भूमि उपयोग उपान्तरित किये हैं, जिनका समावेश अलीराजपुर विकास योजना 2035 में किया गया है, जिसका विवरण सारणी 3-सा-3 में दर्शाया गया है।

भूमि उपयोग उपांतरण

सारणी 3-सा-3

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना 2021 में प्रस्तावित भूमि उपयोग	उपान्तरित भू-उपयोग	विकास की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	राक्सा	201/2/2/2	1.6190	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक एवं प्रस्तावित 24.00 मीटर मार्ग	मिश्रित एवं प्रस्तावित 24.00 मीटर मार्ग	अक्रियान्वित
योग:-			1.6190			

स्रोत:-मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचन क्रमांक-एफ-3-38 /2021/18-5 भोपाल दिनांक 04.03.2020

नोट:- अलीराजपुर विकास योजना 2021 में उपांतरित उपयोग विकास योजना 2035 का एकीकृत भाग होगा एवं अन्य उपांतरित उपयोग सम्मिलित माने जावेंगे।

3.3 असंगत भूमि उपयोग का क्रियान्वयन

अलीराजपुर विकास योजना-2021 में असंगत भूमि उपयोग को वर्तमान स्थल से अन्यत्र प्रस्तावित किया था। जिसके क्रियान्वयन की स्थिति सारणी 3-सा-4 में दर्शायी गयी है।

असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना एवं क्रियान्वयन स्थिति

सारणी 3-सा-4

अलीराजपुर : भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग

क्रं.	उपयोग का विवरण	वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित स्थल	भूमि के रिक्त होने पर भूमि का उपयोग
1	2	3	4	5
(अ)	असंगत भूमि उपयोग			
1	थोक सब्जी मंडी	एम.जी.रोड राजमहल परिसर	निवेश इकाई कं.1 में ग्राम रामसिंह की चौकी में आर.आर.2 से लगकर झाबुआ रोड पर प्रस्तावित स्थल पर	उद्यान आमोद-प्रमोद
2	खेरची सब्जी बाजार	एम.जी.रोड	-तदैव-	यातायात एवं परिवहन
3	लोहा एवं इंजीनियरिंग वर्क्स दुकानें	झाबुआ रोड बोरखड	निवेश इकाई कं. 1 प्रस्तावित बस स्टेण्ड के पास तथा प्रस्तावित यातायात नगर	यातायात एवं परिवहन, वाणिज्यिक उपयोग
4	साबुन फेक्ट्री	झाबुआ रोड विद्युत मंडल कार्यालय के पास	निवेश इकाई 4 में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र ग्राम गढात	आवासीय सह वाणिज्यिक
5	साप्ताहिक बाजार	एम.जी.रोड राजमहल के पास	निवेश इकाई कं. 3 मण्डी परिसर ग्राम लखनकोट	यातायात एवं परिवहन
6	ईट-भट्टे	झाबुआ रोड पर, बोरखड नाले, सुक्कड नदी के किनारे तथा पंचेश्वर नाले के किनारे	निवेश इकाई 4 ग्राम गढात में कृषि उपयोग के अन्तर्गत	आमोद-प्रमोद (पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण)
7	बस स्टेण्ड	एम.जी. रोड चौराह	निवेश इकाई कं. 1	पिकअप स्टेशन एवं

			खण्डवा-बडौदा मार्ग	वाहन विराम हेतु
8	मटन दुकाने	मध्यक्षेत्र	नगरपालिका एवं राजस्व विभाग द्वारा स्थल का चयन किया जाना प्रस्तावित है।	यातायात एवं परिवहन मार्ग विस्तार/आवासीय
9	श्मशान घाट	बोरखड नाले के किनारे	निवेश इकाई क्रं. 1 एवं 2	आवासीय /पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण
10	आवासीय	आवासीय	विकास योजना के आवासीय भूमि उपयोग के अन्तर्गत	आमोद-प्रमोद/उद्यान
11	डोलोमाइट पावडर	औद्योगिक	समस्त प्रदूषण कारी उद्योगो को निवेश क्षेत्र के बाहर किया जाना प्रस्तावित है।	आर.आर.1 के अन्तर्गत मिश्रित उपयोग एवं शेष उद्योग कृषि हेतु प्रस्तावित
(ब)	अकार्यक्षम भूमि उपयोग			
1.	आवासीय	आवासीय	तालाब	उद्यान
3	एम.पी.ई.बी. कार्यालय	झाबुआ रोड	निवेश इकाई क्र. 2 प्रस्तावित प्रशासनिक क्षेत्र	सार्वजनिक/अर्द्ध सार्व. उपयोग
4	जेल	झाबुआ रोड	निवेश इकाई क्र. 4 सोरवा रो	सार्व./अर्द्ध सार्वजनिक थाना कोतवाली
5	पी.एच.ई कार्यालय	उमराली रोड	निवेश इकाई क्र. 2 प्रस्तावित प्रशासनिक क्षेत्र	आमोद-प्रमोद रॉक गार्डन विस्तार

स्रोत: नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा सर्वेक्षण

3.4 जनसांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण

• 3.4.1 जनसंख्या विश्लेषण


अलीराजपुर निवेश क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य में अलीराजपुर जिले के अन्तर्गत होने से अलीराजपुर परिक्षेत्र के संस्पर्शी चार अन्य जिलों के जनसंख्या का विवरण, इस परिक्षेत्र के नियोजन हेतु महत्वपूर्ण है। विवरण सारणी 3-सा-5 में दर्शाया गया है।

संभाग में जनसंख्या विवरण एवं लिंग अनुपात (जिला वार)

3-सा-5

क्र	प्रदेश/जिला	जनसंख्या 2011	पुरुष	महिला	लिंग अनुपात
1	2	3	4	5	6
1.	मध्यप्रदेश	7,26,26,809	3,76,12,306	3,50,14,503	931
1	अलीराजपुर जिला	728999	362542	363657	1011
2	झाबुआ जिला	1025048	515023	510025	990
3	बडवानी जिला	1385881	699340	686541	982
4	धार जिला	2185793	1112785	1073068	964

स्रोत :- भारत की जनगणना 2011



वार्ड वार जनसंख्या विश्लेषण**सारणी 3-सा-6**

स्रोत :- भारत की जनगणना 2011


उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि, मध्यप्रदेश राज्य के महिला एवं पुरुष लिंग उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि, मध्यप्रदेश राज्य के महिला एवं पुरुष लिंगा अनुपात 1000 से कम है। उक्त सारणी में सबसे कम लिंगानुपात धार जिला में है सबसे अधिक अलीराजपुर में है।


3.4.2 जनसंख्या लिंगानुपात

अलीराजपुर नगर पालिका क्षेत्र में जनसंख्या लिंगानुपात की जानकारी सारणी

Ward No.	Population			Child_pop(06)			SC_Pop.			ST_Pop.			Literates		
	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F
1	2004	1107	897	276	143	133	115	55	60	1594	882	712	1213	764	449
2	1841	930	911	276	137	139	23	11	12	292	143	149	1363	738	625
3	1458	783	675	166	90	76	83	43	40	411	253	158	1141	654	487
4	1436	712	724	176	86	90	0	0	0	101	46	55	1115	585	530
5	2073	1077	996	392	195	197	870	428	442	843	467	376	1202	729	473
6	1838	997	841	251	119	132	50	23	27	749	430	319	1165	669	496
7	1109	577	532	137	74	63	0	0	0	70	33	37	870	472	398
8	1282	602	680	143	76	67	53	28	25	594	253	341	954	468	486
9	2191	1143	1048	344	177	167	31	17	14	1648	853	795	1271	740	531
10	1380	679	701	166	92	74	63	36	27	554	266	288	1065	548	517
11	1890	939	951	260	125	135	46	29	17	389	173	216	1511	792	719
12	1233	617	616	145	74	71	22	10	12	92	41	51	934	512	422
13	1171	583	588	155	76	79	0	0	0	48	26	22	926	486	440
14	1398	683	715	185	96	89	10	6	4	24	8	16	1128	563	565
15	1226	615	611	152	77	75	1	0	1	39	18	21	1010	521	489
16	1438	701	737	213	100	113	16	9	7	187	89	98	1017	554	463
17	1160	591	569	153	70	83	46	23	23	134	69	65	896	490	406
18	2370	1154	1216	408	222	186	397	194	203	1334	643	691	1479	793	686

क्रमांक 3-सा-6 दर्शायी गई है :-





वाडों में जनसंख्या लिंगानुपात

3-सा-7

(न्यूनतम 766 तथा अधिकतम 1035)			कुल वाडों की संख्या
क्र.	जनसंख्या लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिला)	वाडों की संख्या	
1	2	3	4
1	810 - 900	1, 3, 6	3
2	900 - 1000	2, 5, 7, 9, 12, 15, 17	7
3	1000 - 1129	4, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18	8
	कुल योग	18	18

स्रोत :- भारत की जनगणना 2011

3.4.3 शिशु जनसंख्या

अलीराजपुर नगर में शिशु जनसंख्या प्रतिशत की जानकारी सारणी क्रमांक 3-सा-8 दर्शाई गई है।

शिशु जनसंख्या

3-सा-8

(न्यूनतम 08 तथा अधिकतम 16)			कुल वाडों की संख्या
क्र.	शिशु जनसंख्या (0-6)	वाडों की संख्या	
1	2	3	
1	11 - 13	3, 4, 7, 8, 10, 12, 15	07
2	13 - 16	1, 2, 6, 9, 11, 13, 14, 16, 17	09
3	16 - 19	5, 8	02
	कुल योग	18	18

स्रोत :- भारत की जनगणना 2011

3.4.5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सारणी क्रमांक 3-सा-9 में दर्शाई गई है।


अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या


3-सा-9


(न्यूनतम 02 तथा अधिकतम 68)			कुल वाडों की संख्या
क्र.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	वाडों की संख्या	


1	2	3	4
1	2 - 30	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	10
2	30 60	3, 6, 8, 10	4
3	60 - 90	1, 5, 9, 18	4
कुल योग		18	18

स्रोत :- भारत की जनगणना 2011









3.4.6 साक्षरता

अलीराजपुर नगर पालिका क्षेत्र में साक्षरता दर 71.80 प्रतिशत है। साक्षरता जनसंख्या सारणी क्रमांक 3-सा-10 में दर्शायी गई है।

साक्षरता प्रतिशत**3-सा-10**

(न्यूनतम 87 तथा अधिकतम 87)			
क्र.	साक्षरता	कुल वार्डों की संख्या	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1	57 वृ 67	1, 5, 6, 9, 18	5
2	67 - 77	2, 8, 12, 16	4
3	77 - 87	3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 17	9
कुल योग		18	18

स्रोत :- भारत की जनगणना 2011

3.4.7 कार्यशील जनसंख्या

किसी भी नगर की आत्म-निर्भरता एवं आर्थिक स्थिति का अनुमान वहां के व्यवसायिक ढाँचे एवं सहभागिता दर से आँकी जा सकती है. नगर में उपलब्ध रोजगार एवं उसमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या का सर्वेक्षण करने पर पाया गया कि नगर में प्राथमिक क्षेत्र (कृषि एवं खनन), तृतीय क्षेत्र (व्यापार, यातायात एवं संचार) में कार्यरत श्रमिकों की संख्या से अधिक पायी गयी है. इससे स्पष्ट होता है कि नगर में द्वितीयक क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों की संभावनाएं कम हैं. वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर की व्यावसायिक संरचना सारणी क्रमांक 3-सा-11 में दर्शाया गई है :-

अलीराजपुर : कार्यशील जनसंख्या (सहभागिता) प्रतिशत**3-सा-11**

(न्यूनतम तथा अधिकतम)			
क्र.	कार्य सहभागिता	कुल वार्डों की संख्या	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1	28 - 34	1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 17	11
2	34 - 38	6, 7, 10, 11, 16, 18	6
3	38 - 42	9	1
कुल योग		18	18

स्रोत :- भारत की जनगणना 2011


3.4.8 जनसंख्या घनत्व

अलीराजपुर आवासीय घनत्व के अध्ययन से नगरीय भूमि के अधिक उपयोग, उच्च अधिवासी दर के कारण बढ़ रही संकुलता की समस्या, खुले स्थानों एवं सुविधाओं की आवश्यकता के अंकलन में सहायता मिलती है। जिसके अनुसार वार्ड क्रमांक 1 ठक्कर बप्पा वार्ड आवासीय घनता 04 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर एवं वार्ड क्रमांक 12 नरसिंह वार्ड की आवासीय घनता 487 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। नगर की वार्ड अनुसार आवासीय घनता निम्नसारणी में दी गई है।

अलीराजपुर : वार्ड अनुसार आवासीय घनत्व**3-सा-12**

क्रं.	वार्ड का नाम	आवासीय क्षेत्र हेक्टर में	जनसंख्या 2011	आवासीय घनत्व
1	2	3	4	5
1	ठक्कर बप्पा वार्ड	525	2004	4
2	लक्ष्मीबाई वार्ड	17.9	1841	103
3	पंचेश्वर वार्ड	21.73	1458	67
4	प्रताप वार्ड	3.45	1436	416
5	डॉ. अम्बेडकर वार्ड	267.61	2073	8
6	जवाहर वार्ड	105.16	1838	18
7	रणछोडराय वार्ड	3.34	1109	332
8	शास्त्री वार्ड	9.38	1282	137
9	गोंधी वार्ड	442.62	2191	5
10	शिवाजी वार्ड	4.21	1380	328
11	सुभाष वार्ड	4.05	1890	467
12	नरसिंह वार्ड	2.53	1233	487
13	मौलाना आजाद वार्ड	3.05	1171	384
14	महावीर वार्ड	3.67	1398	381
15	पशुपति वार्ड	7.96	1226	154
16	प्रजापति वार्ड	5.63	1438	255
17	रामदेव वार्ड	3.81	1160	304
18	चंद्रशेखर आजाद वार्ड	106.01	2370	22
	योग	1536.4	29332	3867

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011 एवं नगरपालिक परिषद् अलीराजपुर (म.प्र.)



वार्डवार तुलनात्मक जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी 3-सा-13 में दर्शाया गया है।

जनसंख्या घनत्व

सारणी 3-सा-13

क्र.	जनसंख्या घनत्व (प्रति हेक्टेयर)	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	26.75	1,3,4,10,11,13	6
2.	75.200	2,6,8,9,12,14,17,19,22	9
3.	200.466	5,7,15,16,18,20,21	7
योग			22

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि अलीराजपुर नगर भिन्न-भिन्न जनसंख्या घनत्व से युक्त होने के कारण नियोजन योजना ठोस एवं परिणामकारक हो, जिससे अत्याधिक घनत्व के क्षेत्रों का विकेन्द्रीकरण किया जा सके तथा आवश्यक सेवायें एवं अधोसंरचना उपलब्ध हो कम घनत्व के क्षेत्र आगामी विकास हेतु उपलब्ध हो सके।

3.4.9 जनसंख्या परिवर्तन

● अलीराजपुर निवेश क्षेत्र

अलीराजपुर निवेश क्षेत्र में अलीराजपुर नगर पालिका परिषद् क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित हैं। अलीराजपुर निवेश क्षेत्र की जनसंख्या आंकलन हेतु नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या का आंकलन पृथक रूप से किया गया है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि के मापदण्ड भिन्न होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की वृद्धि दर में भी असमानता होती है।

● नगरीय जनसंख्या परिवर्तन

नगर में जनसंख्या परिवर्तन भिन्न-भिन्न कारणों से होती है। किसी भी नगर की विकास योजना तैयार करने हेतु नगर की जनसंख्या का अध्ययन अत्यावश्यक होता है, ताकि वर्तमान जनसंख्या के आधार पर भावी जनसंख्या का आंकलन कर भविष्य की आवश्यकताओं हेतु विभिन्न भूमि उपयोग की आवश्यकताओं के प्रस्तावों का निर्धारण किया जा सके।

नगर जनसंख्या परिवर्तन

भारत की जनगणना अनुसार अलीराजपुर नगर की वर्ष 1991 में जनसंख्या 21900 थी, जिसकी दशकीय वृद्धि दर 22.48 प्रतिशत रही। वर्ष 2001 में जनसंख्या 25161 तथा दशकीय वृद्धि दर 14.89 प्रतिशत एवं वर्ष 2011 में जनसंख्या 34905 तथा दशकीय वृद्धि दर 38.73 प्रतिशत रही। उपरोक्त से परिलक्षित हो रहा है कि, पिछले 4 दशकों में निवेश क्षेत्र की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर वर्ष 2001 में अधिकतम रही। नगर की जनसंख्या एवं दशकीय वृद्धि निम्न सारणी में दर्शायी गई है :-

अलीराजपुर : दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर


3-सा-14

क्र	वर्ष	जनसंख्या	दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4
1	1961	10161	31.30
2	1971	13342	31.31
3	1981	17880	34.01
4	1991	21900	21.48
5	2001	25161	14.89
6	2011	34905	38.73

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि अलीराजपुर नगर की वर्ष 1981 से 1991 के दशक की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, जबकि यह वृद्धि दर वर्ष 2001 से 2011 के मध्य न्यूनतम रही है।

3.5 नगर के मुख्य कार्यकलाप

अलीराजपुर जिला मुख्यालय होने के कारण नगर के सर्वांगीण विकास एवं सुनियोजित विकास के लिए यह आवश्यक है कि उस नगर में उपलब्ध वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन नगर में प्रचलित गतिविधियों एवं क्रियाकलापों के संदर्भ में किया जावे। वर्तमान में अलीराजपुर में स्थित वाणिज्यिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र जिला स्तरीय प्रशासन केंद्र तथा तकनीकी एवं गैर तकनीकी शैक्षणिक गतिविधियों संबंधी प्रमुख कार्यकलाप पाए जाते हैं। नगर में कृषि उपज मंडी तथा सब्जी मंडी भी कार्यरत है। डोलोमाइट पावडर, लोहे का सामान, दवाईयां, महुआ, मूंगफली, उड़द, आम, ताड़ी तथा कपास एवं आदिवासी महिलाओं के परिधान आदि का थोक व्यापार है।



3.6 अनुमानित जनसंख्या

3.6.1 नगर पालिका क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

अलीराजपुर नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में दशकीय वृद्धि के आधार पर वर्ष 2021, 2031 एवं 2035 की जनसंख्या का आकलन निम्नानुसार गणितीय पद्धतियों से किया गया है, जिसे सारणी 3-सा-15 में दर्शाया गया है।

अलीराजपुर नगरपालिक परिषद् क्षेत्र में जनसंख्या का आकलन

जनसंख्या की अनुमानित पद्धति

3-सा-15

क्र.	जनसंख्या अनुमानित पद्धति	2021	2031	2035	औसत (Avg)
1	2	3	4	5	6
1.	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method)	40897	48354	51746	46999
2.	अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method))	39433	43960	45771	43055
3.	ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method)	44502	56738	62528	54589
4.	घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Increase Method)	48422.52	67174.92	76572.18	64057

अलीराजपुर विकास योजना 2035 की कुल जनसंख्या का आकलन सभी चारों गणितीय पद्धति अनुसार किया गया है। इसमें से घातांकीय वृद्धि पद्धति आंकलन अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या 76572.18 अनुमानित की गई है। जबकि अंकगणितीय वृद्धि पद्धति से सबसे कम जनसंख्या 45771 अनुमानित की गई है।

अनुमोदित अलीराजपुर विकास योजना 2021, 1.00 लाख अनुमानित आबादी के लिये तैयार की गई थी। अलीराजपुर नगर पश्चिम निमाड परिक्षेत्र का जिला स्तरीय कार्यकेन्द्र है। रेलवे लाइन की स्थापना एवं नगर में बढ़ती शैक्षणिक गतिविधियों से नगर में जनसंख्या का स्थाई निवास के रूप में प्राथमिकता बढ़ने की संभावना है। तदापि पिछले दशक 2011 से 2021 में नगर में विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना को भी प्रोत्साहन मिला है, जिससे नगर के आसपास के क्षेत्रों में जनसंख्या का आगमन होने की संभावना है। निवेश क्षेत्र में अलीराजपुर नगर पालिका क्षेत्र के अतिरिक्त वृहद् ग्रामीण क्षेत्र भी सम्मिलित है। नगर में

नवीन रेल मार्ग निवेश क्षेत्र के विकास में वृद्धि एवं जनसंख्या वृद्धि की अधिक दर से संभावना है। अतः अलीराजपुर निवेश क्षेत्र की जनसंख्या वर्ष 2035 हेतु घांताकीय वृद्धि पद्धति के आधार पर 76572 अनुमानित की गई है।

3.7 गंदी बस्तियाँ

गंदी बस्तियाँ

3-सा-16

क्रं.	वार्ड का नाम	निवासित जनसंख्या
1	3	5
1.	ठक्कर वार्ड	2041
2.	पंचेश्वर वार्ड	1611
3.	डॉ.अम्बेडकर वार्ड	1536
4.	जवाहर वार्ड	1738
5.	शास्त्री वार्ड	1240
6.	गाँधी वार्ड	1556
7	शिवाजी वार्ड	1456
8	चंद्रशेखर वार्ड	1690
9	अन्य बस्तियां जो अधिसूचित नहीं है।	931
	योग	13799

3.8 आवास आवश्यकता

अलीराजपुर नगरीय क्षेत्र में रहवासी मकानों की कमी निरन्तर ज्वलंत समस्या का रूप धारण कर रही है। आवास के संवर्धन के सम्बन्ध में क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं को दृष्टि डालने पर भी अधिकांश नगरीय केन्द्रों की जनसंख्या के साथ संतुलन संभव नहीं हो सका है। इसके साथ ही नगरों में प्रव्रजन की दर भी अधिक है। उपलब्ध आकड़ों से स्पष्ट होता है कि जहाँ एक आवासीय इकाई में एक परिवार अर्थात् 5 व्यक्तियों का निवास होना चाहिए वहाँ सन् 2001 की जनगणना अनुसार 4500 आवासों में 4498 परिवार निवासरत है जिसके आधार पर औसत 5.6 व्यक्ति निवास करते पाये गये हैं।

आवासगृहों की कमी का आकलन 2011 तक की शेष पूर्ति तथा उसमें ऐसे जनगणना आवासीय निवास गृहों की संख्या जोड़कर जो भग्नावस्था में है तथा जिनका पुनर्स्थापन किया जाना है के आधार पर कम से कम एक परिवार हेतु जो आवासगृह हों, जिसमें औसत 4.8 व्यक्ति निवास करें किया जा सकता है।

नगर में आवासगृहों की जर्जर अवस्था को देखते हुए 10 प्रतिशत आवासगृहों का पुनर्निर्माण आवश्यक समझते हुए आवासगृहों की कमी में शामिल किया है।

उपरोक्त आकलन के अनुसार अलीराजपुर नगर में 2011 में लगभग कुल 7803 आवासों की कमी अनुमानित है। वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के लिए आवासों की आवश्यकता एवं अतिरिक्त परिवारों का विवरण सारणी 3-सा-17 में दर्शाया गया है।

अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता

सारणी 3-सा-17

क्रमांक	विवरण	वर्ष	
		2011	2035
1	जनसंख्या (लाख में)	34905	100000
2	औसत परिवार का आकार	5.03	4.8
3	वर्तमान परिवारों की संख्या	6939	—
4	आवास आवश्यकता	—	20833
योग	2035 के लिए कुल आवास आवश्यकता	—	13894

स्त्रोत : नगरपालिका परिषद / जी.आई.एस. सर्वेक्षण।

वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार परिवार का औसत आकार 5.03 है। अनुमानित है कि वर्ष 2035 में यह 4.8 व्यक्ति तक पहुँच जायेगा। उक्त अध्ययन के आधार पर वर्ष 2011 में आवासों की कमी को सम्मिलित कर एवं वर्तमान में निर्मित अतिरिक्त आवासों की संख्या घटाकर अनुमानित जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2035 तक 13894 नवीन आवासों की आवश्यकता होगी। आवासीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतिगत पहल आवश्यक हैं, जो निम्नानुसार हैं:

1. भूमि विकास को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक अभिकरणों को गतिशील एवं समन्वित करना आवश्यक होगा। भूमि विकास के लिए राज्य शासन की नीतियों पर आधारित भू-स्वामियों, भूमि विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं हितग्राहियों की भागीदारी आवश्यक है।
2. नगर स्तर के अधोसंरचना एवं सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए भूमि तथा अन्य संसाधनों का राज्य शासन की नीति के तहत निर्धारण हो।
3. निजी एवं सामुदायिक संस्थाओं द्वारा भूमि के विकास हेतु किए जा रहे प्रयासों को बढ़ावा देना।
4. भूमि के पुनर्उपयोग को सम्मिलित करते हुए आवास हेतु भूमि की सरल/सतत आपूर्ति बनाए रखने हेतु नीतियों को बढ़ावा देना।
5. रहवास हेतु नियोजन एवं विकास के मापदण्डों का पुनर्विलोकन (घनत्व, आच्छादित क्षेत्र, सीमांत खुला क्षेत्र, फर्शी क्षेत्रानुपात, भूमि विभाजन मापदण्ड), जिससे भूमि उपयोग एवं रहवास निर्माण के समय ऊर्जा उपयोग में कमी, तथा भूमि की उपयोग क्षमता एवं लागत अनुकूल लक्ष्य की प्राप्ति हो।

3.9 भौतिक अधोसंरचना

वर्ष 2035 तक अलीराजपुर निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 1.00 लाख तक पहुंचना अनुमानित है। नगर अधोसंरचना के घटकों का विकास जैसे जल प्रदाय, निकासी नालियां तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को इस प्रकार प्रस्तावित किया जाना है, जिससे नगरवासियों को स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराया जा सके। इसके अतिरिक्त नगर विकास योजना, वृहद् पर्यावरणीय प्रबंध योजना तथा नगरीय जल प्रदाय एवं पर्यावरणीय सुधार योजना के प्रस्ताव भी यथा आवश्यक उचित सुधारों के साथ इस विकास योजना में समाविष्ट किया जाना है।

3.10 जलप्रदाय

अलीराजपुर नगर का मुख्य जलस्रोत फाटा डेम जलाशय है। जहां से प्रतिदिन 2.7 एम.एल डी. जल पाईप लाईन द्वारा ग्राम बोरखड़ में स्थित जल शोधन संयंत्र में लाया जाकर शुद्धिकरण पश्चात् नगर में प्रदाय किया जाता है। उक्त स्रोत के अलावा नगर में 5 ट्यूबवेल, 53 कुएं तथा 90 हेण्डपम्प से भी जल प्रदाय किया जाता है। गर्मी का मौसम आने पर उपरोक्त जलप्रदाय स्रोतों में पानी की कमी हो जाती है जिससे नगर की पेयजल पूर्ति प्रभावित होती है।

3.10.1 नालियां तथा मल उपचार

घरेलू मल निकासी हेतु सेनेटिरी नालियां तथा वर्षा जल की निकासी हेतु वर्षा जल प्रवाह नालियां, इस प्रकार पृथक-पृथक नालियां उपलब्ध कराई जाएगी। शहर में निकासी व्यवस्था हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण बनाए गए हैं:-

1. शतप्रतिशत नगर को सम्मिलित करती हुई नाली व्यवस्था।
2. जल निकासी व्यवस्था का निर्धारण तथा सेवाओं पर निगरानी।
3. अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु उपचारण, पुनर्चक्रीकरण व पुनः उपयोग।
4. वाणिज्यिक स्थानों, बगीचों तथा लोक स्थानों पर सुव्यवस्थित सशुल्क शौचालय।
5. पर्यटकों की सुविधा हेतु चलित-शौचालय अथवा स्वच्छ आधुनिक (मॉड्यूलर)/जैविक शौचालय की व्यवस्था।
6. जन सामान्य हेतु उक्त सभी व्यवस्थाएँ आर्थिक रूप से वहन किए जाने योग्य होगी।

• 3.10.2 अपशिष्ट जल प्रवाह

अपशिष्ट जल प्रवाह की दर जनसामान्य को प्रदाय की गई जल की दर तथा भू-जल रिसावों की दर पर निर्भर करती है। सामान्य व्यवहार के अनुसार अनुमानतः जल उपभोग का 80 प्रतिशत अपशिष्ट जल प्रवाह में परिवर्तित होता है। सामान्यतः अधिकांश क्षेत्र में पाईप लाईनों का स्तर भूमि जल स्तर के ऊपर होना प्रस्तावित है और इसलिए भूमि जल रिसाव को अनदेखा कर दिया जाता है। भूमि जल रिसाव के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट वैज्ञानिक

तथा तकनीकी अध्ययन अनुसार तैयार किया जाना प्रस्तावित है, जिससे जल संसाधन का अधिकतम संरक्षण किया जा सके।

- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

अलीराजपुर नगर में अपशिष्ट जल प्रबंधन/उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 1.00 लाख के लिए फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2035 की प्रस्तावित जनसंख्या 1.00 लाख अनुसार 15.12 एम.एल.डी. अपशिष्ट जल उपचार हेतु शोधन संयंत्र की आवश्यकता है।

3.10.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

कुक्षी मार्ग पर अलीराजपुर शहर से निकलने वाले कचरों को नगर पालिका के कचरा संग्रहण वाहन (Door To Door Collection) के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। ठोस अपशिष्ट के मुख्य स्रोत घरेलू, व्यवसायिक, अस्पताल/नर्सिंग होम, फल एवं सब्जी बाजार एवं औद्योगिक क्षेत्र आदि होते हैं, जिसकी मात्रा का आंकलन नगर में निवास करने वाली जनसंख्या, व्यवसायिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक क्षेत्र आदि के साथ-साथ नगर के आर्थिक एवं सामाजिक स्वरूप के आधार पर निर्धारित किया जाना आवश्यक होगा। औसतन विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन निकलने वाली मात्रा के आधार पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन किया जाना आवश्यक है। इस हेतु ट्रेचिंग ग्राउण्ड के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त भूमि का निर्धारण गैर नगरीय क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा, जो कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत अनुज्ञेय होगा। वर्तमान में कुक्षी मार्ग पर ट्रेचिंग ग्राउण्ड निर्मित है। यहाँ पर कचरे का विसर्जन तुरन्त बन्द कर इसे शहर के बाहर ग्राम सोम कुआ में जो पूर्व से ही विकास योजना में प्रस्तावित किया गया है।

प्रत्येक तंत्र/प्रणाली के अंतर्गत पुनर्चक्रीकरण की प्रणाली अपनाई जा सकती है, जो स्थानीय संस्थाओं के संबंध में होने वाले व्यय की पूर्ति कर आय का स्रोत एवं भविष्य में एक उपलब्धि सिद्ध होगी। इससे छोटे उद्योगों की स्थापनाओं की संभावना सुदृढ़ होगी। साथ ही इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। ठोस अपशिष्ट का उपयोग ऊर्जा एवं भौतिक खाद उत्पादों में किया जा सकता है, जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि कार्य के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मानकों के अनुसार नगर में कूड़े कचरे की उत्पत्ति की मात्रा 0.2 से 0.6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति होती है। अलीराजपुर के लिए यह अनुमानतः 0.25 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है

अलीराजपुर नगर के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निम्नलिखित योजना प्रस्तावित है—

- शहर में व्यापारियों, व्यावसायियों द्वारा गंदगी एवं कचरा एकत्रित करने की व्यवस्था की जाना चाहिये।

- तालाबों एवं मार्गों के किनारों पर नागरिकों द्वारा गंदगी फैलने वाले, गंदगी के स्थानों का चिह्नित करने के उपरांत उन जगहों पर कचरा पेटी लगाई जाना चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया का बेहतर प्रबंधन नगरीय निकायों द्वारा किया जाना चाहिये।

3.10.4 विद्युत प्रदाय

वर्तमान में नगर में म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा 132/33/11 के.व्ही. सब स्टेशन द्वारा विद्युत प्रदाय किया जाता है। नगर का भावी विकास के अनुरूप विद्युत कम्पनी द्वारा व्यवस्था की जावेगी।

3.11 सामाजिक अधोसंरचना

3.11.1 शैक्षणिक

अलीराजपुर नगर में 4 नर्सरी, 28 प्राथमिक शाला, 11 माध्यमिक शाला 5 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा 2 हाई स्कूल स्थित है। इस प्रकार नगर में शैक्षणिक संस्थाएँ संचालित है। नगर में झाबुआ मार्ग पर ग्राम बोरखड में तकनीकी शिक्षा हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं शिक्षा में गुणवत्ता की दृष्टि से डाईट जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान संचालित है। उपरोक्त के अतिरिक्त नगर में एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय है जो 14.5 हे. क्षेत्र में स्थित है। इसके अतिरिक्त भी निवेश क्षेत्र के बाहर पोलिटेक्निक कॉलेज भी संचालित हो रहा ।

3.11.2 स्वास्थ्य


अलीराजपुर नगर में 100 चिकित्सा बिस्तर वाला एक शासकीय चिकित्सालय है, जिसमें सामान्य रोगों के अतिरिक्त, मेटरनिटी, नेत्र चिकित्सा तथा टी.बी. जैसे संक्रामक रोगों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। साथ ही नगर में एक शासकीय डिस्पेन्सरी भी संचालित है। नगर में निजी क्षेत्र अस्पताल 04 एवं नर्सिंग होम है।


3.11.3 अग्निशमन केन्द्र

नगर में नगर पालिका द्वारा अग्निशमन सेवाओं का संचालन किया जाता है, परन्तु इस सेवा के लिए अलग से स्थल नियत नहीं है। अतः नगर के आसपास के क्षेत्र की वर्तमान एवं भावी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त अग्निशमन केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

3.11.4 पुलिस कार्यालय

अलीराजपुर नगर में 01 पुलिस थाना हैं। नगर में 01 महिला थाना, 01 अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति थाना, 01 यातायात पुलिस कार्यालय, 01 कोतवाली थाना एवं 02 पुलिस चौकी स्थित है।





3.11.5 इलेक्ट्रिक चार्जिंग/बेटरी चार्जिंग स्टेशन

अलीराजपुर नगर में वर्तमान में विद्युत से चलने वाले वाहन ई-रिक्शा लोक वाहन के लिए प्रस्ताव विकास योजना दिया गया। इनके लिए किसी भी प्रकार के चार्जिंग स्टेशन स्थापित नहीं है। वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर शहर में बस स्थानक, पार्किंग क्षेत्रों एवं पेट्रोल पम्प क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग/बेटरी चार्जिंग स्टेशन लगाये जाना प्रस्तावित है।

3.11.6 श्मशान घाट/कब्रिस्तान

नगर में वर्तमान में जो भी श्मशान/कब्रिस्तान विद्यमान हैं। वह तब तक उपयोग में रहेंगे, जब तक ये पर्यावरण की दृष्टि से अनुपयुक्त न हो जावे। नगर के भावी विकास को देखते हुए नये कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट आमोद-प्रमोद एवं मार्ग उपयोग को छोड़कर अन्य समस्त उपयोगों के अन्तर्गत अनुज्ञेय होंगे, किन्तु इनके स्थल का चयन जन सामान्य की मांग पर कलेक्टर, स्थानीय संस्था एवं नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति पश्चात् किया जावेगा।

3.11.7 सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं

सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं वर्तमान में ए.टी.एम. एवं वर्तमान सार्वजनिक शौचालयों की जानकारी मानचित्र में दर्शायी गयी है।

3.11.8 सामाजिक एवं सांस्कृतिक

नगर में सामाजिक व सांस्कृतिक सुविधाओं का अभाव है। विकास योजना में सामाजिक एवं सांस्कृति सुविधाएं सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई हैं। इस उपयोग अंतर्गत सभागृह, कलावीथिका, पुस्तकालय सह वाचनालय इत्यादि स्थापित हो सकेंगे। विकास योजना में निवेश इकाई एवं खण्ड स्तर पर ऐसी गतिविधियां स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय-4

विकास योजना 2035 के प्रस्ताव

4.1 विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन

अलीराजपुर विकास योजना 2021 प्रस्तावित जनसंख्या 1.00 लाख हेतु दिनांक 04.10.2008 से प्रभावशील की गई थी। नगर के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन किया जाकर वर्ष 2035 के लिए अनुमानित जनसंख्या 1.00 लाख हेतु तैयार की गई है। जिसमें वर्तमान विकसित क्षेत्र को समाहित कर नवीन प्रस्ताव दिये गये हैं, जो नगर के विकास के साथ नगरीय जीवन स्तर के उन्नयन एवं आर्थिक विकास हेतु उपयोगी होंगे।

4.2 योजना अवधारणा

नगर के मध्य से पंचेश्वर तथा बोरखड़ नाले का बहाव होने से संरचना प्रभावित हुई है। नगर की बसाहट पुरानी पद्धति की होने के कारण नगर में खुले स्थानों का सर्वथा अभाव है। नगर की बसाहट मुख्य रूप से जोबट, कुक्षी तथा छोटा उदयपुर मार्ग पर हुई है। तहसील स्तर के अधिकांश कार्यालय जोबट, कुक्षी मार्ग एवं उसके आस-पास स्थित है।

नगरीय आबादी का विकास इस प्रकार से सुनियोजित किया गया है कि प्रमुख कार्य केन्द्रों तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आपसी तालमेल विकल्पों के साथ बना रहे। नगर के भिन्न-भिन्न कार्यकलापों को नये क्षेत्रों में प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि नगर की जनसंख्या में वृद्धि होने के पश्चात भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार की जा सके। नगर में जोबट, कुक्षी तथा छोटा उदयपुर मार्ग पर नगरीय विकास प्रभावित होने के कारण सुनियोजित विकास हेतु प्रस्ताव दिये गये हैं। विभिन्न क्षेत्रीय मार्गों की श्रृंखलाओं का आपस में समन्वय करते हुए विकसित किया जाना आवश्यक है, ताकि क्षेत्रीय एवं अन्तर्राज्यीय यातायात का नगर की आबादी वाले क्षेत्र में आवागमन प्रतिबंधित किया जा सके। नगर बसाहट को सभी क्षेत्रीय मार्गों से जोड़ने के लिए वृत्तीय मार्ग प्रस्तावित किया गया है।

पंचेश्वर नाला, बोरखड़ नाला तथा सुक्कड़ नदी के आसपास का क्षेत्र भूमिक्षरण से उत्पन्न कटाव युक्त तथा ऊंचा-नीचा होने के कारण विकसित नहीं हो सका है तथा आगे भी उसके विकास की संभावना नहीं है। अतः इनके किनारे की भूमि को हरित क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न भूमि उपयोगों जैसे वृक्षारोपण, सब्जी तथा फलों के बगीचे, वाटर पार्क, उद्यान तथा नर्सरी के लिए विकसित किया जाना होगा। नगर के दक्षिणी क्षेत्र में भूरिया तथा गढात तालाब स्थित होने के कारण उक्त तालाबों के संरक्षण हेतु तालाब के किनारों को 60.00 मीटर पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से हरित क्षेत्र रखा गया है, एवं उसकी मुख्य शाखाओं के दोनों ओर 15.00 मीटर की हरित क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। अतः इस क्षेत्र को

जलग्रहण पर्यावरण संरक्षण वन रोपण वाटिका, पार्क, मनोरंजन स्थल तथा उद्यान आदि के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।


4.3 भूमि उपयोग 2035


अलीराजपुर विकास योजना 2035 में नगर के संतुलित एवं नियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित क्षेत्र में 11.19 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति की भू-उपयोग दर से नगरीय विकास प्रस्तावित है। विकास योजना 2021 में 12.00 हेक्टेयर प्रति हजार भू-उपयोग दर प्रस्तावित की गई थी।

प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

सारणी 4-सा- 1

क्र.	भू-उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र 2021 (हेक्टेयर में)		विकसित क्षेत्रफल 2022'	विकसित प्रतिशत	उच्चावच न/ निम्नावन	प्रस्तावित क्षेत्र 2035		
		क्षेत्रफल	उपयोगिता दर				क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत	उपयोगिता दर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आवासीय	564.26	5.64	167.84	31.41%	306.71	533.00	47.65%	3.81
2.	वाणिज्यिक	79.88	0.80	49.82	9.32%	9.82	42.39	3.79%	0.31
3.	मिश्रित	0	0	0.00		0.00	91.10	8.15%	0.65
4.	औद्योगिक	62.38	0.62	13.78	2.57%	56.22	35.83	3.21%	0.26
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	149.76	1.50	117.50	21.86%	10.75	157.43	14.08%	1.13
6.	सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ	3.17	0.03	8.61	1.61%	1.61	8.61	0.77%	0.05
7.	आमोद-प्रमोद	141.32	1.41	15.29	2.84%	75.51	18.77	1.68%	1.56
8.	यातायात एवं परिवहन	198.84	1.99	162.38	30.39%	37.62	231.57	20.70%	1.24
योग		1199.61	12.00	12.00	100%	498.24	1118.74	100.00	11.19





नोट:-

1. विकास योजना 2021 में भू-उपयोग प्रस्ताव वर्ष 1976 द्वारा गठित निवेश क्षेत्र हेतु दिया गया था।
2. कॉलम 5 में दर्शित वर्तमान विकसित क्षेत्र, पुनर्गठित निवेश क्षेत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।
3. कॉलम 8 में क्षेत्र मानचित्र क्रमांक 4.2 में दर्शाये गए क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि उपयोगों का कुल क्षेत्रफल है।

4.3.1 आवासीय

आवासीय उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान आवासीय को समाहित करते हुये नगर के चारों दिशाओं में आवासीय उपयोग के प्रस्ताव दिये गये हैं, ताकि नगर का संतुलित विकास हो सके। आवासीय उपयोग के अंतर्गत वर्तमान आवासीय सहित 533 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 47.65 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में वर्तमान ग्रामीण आबादी क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया गया है, जिसे प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाया गया है।

4.3.2 वाणिज्यिक

वाणिज्यिक उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान वाणिज्यिक को यथावत् रखते हुये मुख्य मार्गों पर वाणिज्यिक क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं, ताकि नगर में वाणिज्यिक गतिविधियों की सुविधा प्राप्त हो सके। वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान वाणिज्यिक सहित 42.39 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि प्रस्तावित क्षेत्र का 3.79 प्रतिशत है। वाणिज्यिक भूमि उपयोग के अंतर्गत निम्न गतिविधियां विशेषीकृत रूप से प्रस्तावित की गई है।

• 4.3.2.1 मण्डी

नगर में वर्तमान में मण्डी राजवाडा क्षेत्र एवं कुक्षी मार्ग में स्थित है, जो की नगर की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए झाबुआ मार्ग पर ग्राम रामसिंग की चौकी में मण्डी प्रस्तावित की गई है।

4.3.3 मिश्रित

नगर में मिश्रित उपयोग हेतु कुक्षी मार्ग, झाबुआ मार्ग, छोटा उदयपुर मार्ग, सोरवा मार्ग, उमराली मार्ग, रौधाडा मार्ग, बडौदा मार्ग पर कुल 91.10 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित उपयोग का 8.15 प्रतिशत है। मिश्रित भूमि उपयोग का प्रस्ताव मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई के दोगुना गहराई तक प्रस्तावित किया गया है।

4.3.4 औद्योगिक

नगर में औद्योगिक उपयोग हेतु उमराली मार्ग के पश्चिम दिशा में ग्राम गढात में 35.83 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल प्रस्तावित उपयोग का 2.21 प्रतिशत है। प्रस्तावित औद्योगिक उपयोग से नगर के औद्योगिक विकास की पूर्ति हो सकेगी। इसके

अतिरिक्त गैर प्रदूषणकारी उद्योग कृषि एवं सार्वजनिक-अर्द्ध सार्वजनिक भूमि उपयोग में स्वीकार्य प्रयोजन के रूप में रखे गए हैं। प्रस्तावित औद्योगिक भूमि उपयोग के अंतर्गत समस्त औद्योगिक परिक्षेत्र को चारों ओर सघन वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।

4.3.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान सहित 157.43 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 14.08 प्रतिशत है। इसके अंतर्गत सामान्य सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियों हेतु प्रस्तावित उपयोगों की पूर्ति हो सकेगी।

● 4.3.5.1 शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य परिसर

नगर की भावी आवश्यकताओं के आधार पर अलीराजपुर विकास योजना में शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियों हेतु झाबुआ मार्ग पर सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग प्रस्तावित किया गया है।

● 4.3.5.2 प्रशासकीय परिसर

अलीराजपुर नगर जिला मुख्यालय होने से विभिन्न विभागों के कार्यालय नगर में स्थित हैं। झाबुआ मार्ग पर संयुक्त कार्यालय, कलेक्ट्रेट के रूप में विकसित है। नगर की भावी आवश्यकताओं के आधार पर संयुक्त कार्यालय, कलेक्ट्रेट के आस-पास प्रशासकीय परिसर विकास हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है।

4.3.6 सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं

सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं उपयोग के वर्तमान उपयोग के अंतर्गत 8.61 हेक्टेयर भूमि है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 0.77 प्रतिशत है।

4.3.7 आमोद-प्रमोद

आमोद-प्रमोद उपयोग के अंतर्गत वर्तमान सहित 18.77 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 1.68 प्रतिशत है। आमोद-प्रमोद मानव जीवन का अभिन्न अंग है, खुले स्थान, उद्यान एवं बगीचे खेल मैदान आदि नगरीय जीवन के लिए आवश्यक हैं, जिसके कारण नगर में स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण होता है। नगर के जल स्रोतों का संरक्षण करते हुए उनके किनारे भी वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

● 4.3.7.1 नगर उद्यान

वर्तमान में विकसित नगर उद्यानों को संरक्षित करते हुए नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में नगर उद्यान के प्रस्ताव दिए गए हैं।

• 4.3.7.2 खेल मैदान

वर्तमान में ग्राम राक्सा में खेल विभाग का स्टेडियम निर्मित होने के साथ खेल संबंधित गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं एवं स्नाकोत्तर महाविद्यालय में स्टेडियम संचालित है। साथ ही नगर अलीराजपुर में फतेह क्लब में वर्तमान में खेल गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं, एवं उमराली मार्ग पर शिक्षा विभाग की भूमि पर भी खेल गतिविधियाँ संचालित हैं।

• 4.3.7.3 मेला मैदान

नगर में वर्तमान में विभिन्न उत्सवों पर मेला का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में मेला आयोजन होने वाले स्थलों को संरक्षित किया जाना प्रस्तावित है। जिला प्रशासन द्वारा मेला मैदान हेतु भूमि चयनित की जाने पर मेला मैदान समस्त भूमि उपयोगों में स्वीकार्य होगा।

• 4.3.7.4 पर्यावरण वानिकी

निवेश क्षेत्र में स्थित तालाबों के किनारे से 60.00 मीटर तक पर्यावरण संरक्षण हेतु भुरिया कुआ तालाब एवं बोरखड तालाब के किनारों पर वानिकी क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। तालाबों की शाखाओं से 15 मीटर तक पर्यावरण वानिकी क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। सुक्कड नदी के दोनों किनारों से 30.00 मीटर एवं शाखाओं से 9.00 मीटर तक पर्यावरण वानिकी क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। अन्य जल स्रोतों से लगी भूमि, भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण वानिकी हेतु प्रस्तावित है।

• 4.3.7.5 खुला स्थल प्रणाली


विकास योजना ऐसे खुले स्थलों की प्रणाली को प्रस्तावित करती है, जो वर्तमान प्राकृतिक संरचनाओं के भू-दृश्यीकरण विकास के साथ-साथ आमोद-प्रमोद एवं पर्यावरणीय कार्यकलापों को पूर्ण करने में विशिष्टता रखती है। आवासीय परिक्षेत्रों एवं गतिविधि कॉरिडोरों के विस्तृत अभिन्यास रूपांकन में औपचारिक एवं अन्य भवनों से संलग्न खुले क्षेत्रों का प्रावधान मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार रखा जावेगा जो की स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त रूप से उपलब्ध हो सकेंगे।


4.3.8 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना में यातायात क्षेत्र के अन्तर्गत 231.57 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, यह भूमि विकास के लिए प्रस्तावित भूमि का 20.70 प्रतिशत है। यातायात एवं परिवहन उपयोग के अन्तर्गत नगरीय मार्गों के विस्तार के साथ प्रस्तावित मार्ग के निर्माण तथा स्थानीय मार्गों की यातायात संरचना पदानुक्रम में विकास के लिए प्रस्तावित की गई है। नगर में यातायात की वर्तमान स्थिति के अनुरूप पार्किंग हेतु स्थल प्रस्तावित किए गए हैं।

4.4 निवेश इकाईयाँ

अलीराजपुर विकास योजना 2021 में निवेश क्षेत्र को 5 निवेश इकाईयाँ में विभक्त किया गया था। वृद्धित निवेश क्षेत्र के आधार पर विकास योजना 2035 के प्रस्तावों को 5 निवेश इकाईयाँ में वर्गीकृत किया गया है। निवेश इकाई का विवरण सारणी 4-सा-2 में दर्शाया गया है।





निवेश इकाईयाँ

सारणी 4-सा- 2

क्र.	निवेश इकाईयाँ	
	निवेश इकाईयाँ	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1	निवेश इकाई क्रमांक 1	778.70
2	निवेश इकाई क्रमांक 2	643.56
3	निवेश इकाई क्रमांक 3	619.90
4	निवेश इकाई क्रमांक 4	1902.12
5	निवेश इकाई क्रमांक 5	31.64
योग		3975.94

- निवेश इकाई क्रमांक-1

इस निवेश इकाई की सीमा उत्तर में निवेश क्षेत्र सीमा, दक्षिण में छोटा उदयपुर चौराहा एवं पश्चिम में खण्डवा-बडौदा मार्ग की सीमा तक है। इस निवेश इकाई में शासकीय महाविद्यालय, नवोदय विद्यालय, आई.टी.आई. बी.टी.आई., बोरखड हायर सेकेण्डरी विद्यालय, वेयर हाऊस, औद्योगिक इकाईयाँ आवासीय बस्तियाँ जैसे तलाव फलियाँ, छोटा उदयपुर रोड़ के किनारे की बसाहट सम्मिलित है। इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्र 778.70 हेक्टेयर है, जिसमें से 51.04 हेक्टेयर वर्तमान विकसित है तथा शेष 772.66 हेक्टेयर भावी विकास के लिए प्रस्तावित है।

- निवेश इकाई क्रमांक-2

इस निवेश इकाई की सीमा उत्तर में निवेश क्षेत्र सीमा, दक्षिण में छोटा उदयपुर चौराहा एवं पूर्व में निवेश क्षेत्र की सीमा तथा पश्चिम में सिनेमा चौक तहसील के सामने से अलीराजपुर-झाबुआ मार्ग तक है। इस निवेश इकाई में नवीन कलेक्ट्रोरेट परिसर, जिला पंचायत, कृषि विभाग कार्यालय नगरपालिका परिषद कार्यालय परिसर, जनपद पंचायत, मत्स्य विभाग, पशु चिकित्सालय, आदिवासी विकास कार्यालय निर्माण विभाग, दूरसंचार, मंडी. एन. डी. डी.ए. दूरदर्शन केन्द्र पी.एच.ई. कार्यालय ग्रामीण कार्यालय, म. प्र. विद्युत मण्डल, कन्या हाई स्कूल बालक हायर सेकेण्डरी स्कूल, जल शोधन संयंत्र सिविल अस्पताल, पेट्रोल पम्प सुरेन्द्र गार्डन रॉक गार्डन तथा आवासीय बस्तियाँ जैसे लखन कोट, टेलीफोन एक्सचेंज के पास की बस्ती बोरखड बस्ती, अस्पताल कालोनी आदि सम्मिलित है। इस निवेश का कुल क्षेत्रफल 643.56 हेक्टेयर है। जिसमें से 73.48

हेक्टर वर्तमान विकसित क्षेत्र तथा 570.08 हेक्टर भावी विकास के लिए प्रस्तावित किया गया है।

• निवेश इकाई क्रमांक-3

इस निवेश इकाई की सीमा पूर्व दिशा में ग्राम लखनकोट निवेश क्षेत्र की सीमा अलीराजपुर-कुशी मार्ग तक पश्चिम दिशा में सिनेमा चौका दक्षिण में उमराली मार्ग की सीमा ग्राम भुरिया कुआ की सीमा तक है। इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्र 619.90 हेक्टर है जिसमें से 36.54 वर्तमान विकसित क्षेत्र तथा 583.36 हेक्टर भावी विकास हेतु प्रस्तावित है। इस निवेश इकाई के अन्तर्गत बस स्टैंड, कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल, न्यायालय भवन, जेल, लोक निर्माण कार्यालय, कृषि एवं बागवानी फ्लोरो कार्यालय, जल संसाधन कार्यालय, मार्केटिंग फेडरेशन, पेट्रोल पम्प, बैंक, पी.एच.ई. फ्लोरो सिस तथा सुरेन्द्र हाऊस तथा लखनकोट की बस्ती, रोधड़ा रोड़ बस्ती, शासकीय क्याटर्स तथा उमराली रोड़ बसाहट, बस स्टैंड के पीछे की बसाहट, सुभाष मार्ग स्थित बसाहट सम्मिलित है।

• निवेश इकाई क्रमांक-4

इस निवेश इकाई की सीमा दक्षिण में ग्राम गड़ात में निवेश क्षेत्र सीमा उमराली मार्ग तक, मध्य क्षेत्र से खण्डवा-बडौदा मार्ग के पश्चिम दिशा ग्राम चिचलगुड़ा की निवेश क्षेत्र सीमा तक है। इस निवेश इकाई के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग वर्क शाप, विश्राम गृह, प्राईमरी पाठशाला, एस.एफ. लाईन्स पोस्ट आफिस, पुलिस कोतवाली, श्री सरस्वती हायर सेकेण्डरी स्कूल, पटेल स्कूल, डी.एफ.ओ.आफिस, डी.आर.पी.लाईन, कब्रिस्तान, बैंक तथा आवासीय क्षेत्र हरि अर्जुन कालोनी बोहरा मोहल्ला, एम.जी. रोड़ तथा चन्द्रशेखर आजाद मार्ग तथा छोटा उदयपुर मार्ग की बसाहट असाड़पुरा तथा सोरवा मार्ग, बेडहवा मार्ग, उमराली मार्ग की बसाहट सम्मिलित है। इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 1902.12 हेक्टर है जिसमें से 89.37 हेक्टर वर्तमान विकसित क्षेत्र तथा 1812.75 हेक्टर भावी विकास हेतु प्रस्तावित है।

• निवेश इकाई क्रमांक-5

इस निवेश इकाई को मध्य क्षेत्र भी माना गया है। इसकी सीमा उत्तर में झाबुआ मार्ग एवं एम.जी. रोड़, दक्षिण में सुभाष मार्ग पूर्व में कुशी मार्ग तथा पश्चिम में सोरवा मार्ग तक है। इसके अन्तर्गत राजमहल, फतेह क्लब, पोस्ट आफिस, बालक हायर सेकेण्डरी स्कूल, बैंक, वर्तमान आवासीय, रणछोड़ राय वार्ड, तिलक वार्ड, प्रतापगंज मार्ग हाट गली सब्जी मंडी तथा एम.जी. रोड़ स्थित वाणिज्यिक क्षेत्र सम्मिलित है। इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 31.64 हेक्टर है जिसमें से 23.28 हेक्टर वर्तमान विकसित क्षेत्र तथा 8.36 हेक्टर भावी विकास हेतु प्रस्तावित है।

4.5 मध्यक्षेत्र

नगर का पुराना आबादी क्षेत्र अत्यन्त सघन एवं संकीर्ण मार्गों पर बसा हुआ है जिसमें नगर का मुख्य वाणिज्यिक क्षेत्र स्थित है। अन्य बड़े नगरों की भांति अलीराजपुर नगर में स्थित पुरानी बस्तियों की अपनी अलग समस्याएँ एवं आवश्यकताएँ हैं। अतः कार्य संपादन एवं गतिविधियों में एकरूपता को दृष्टिगत रखते हुए अलीराजपुर नगर के इसकी सीमा उत्तर में झाबुआ मार्ग एवं एम.जी. रोड, दक्षिण में सुभाष मार्ग पूर्व में कुक्षी मार्ग तथा पश्चिम में बस स्टैण्ड तक है। इसके अन्तर्गत राजमहल, फतेह क्लब, बस स्टैण्ड, बालक हायर सेकेण्डरी स्कूल, बैंक, वर्तमान आवासीय, रणछोड़ राय वार्ड, तिलक वार्ड, प्रतापगंज मार्ग हाट गली सब्जी मंडी तथा एम.जी. रोड स्थित वाणिज्यिक क्षेत्र सम्मिलित है।

4.6 अनौपचारिक सेक्टर

बेरोजगार एवं सीमित रूप से रोजगार से जुड़े कर्मी जो रोजगार की तलाश में हैं, अथवा आर्थिक उन्नति के लिए आशान्वित हैं, अनौपचारिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यह वर्ग शहर की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है तथा आवासीय क्षेत्र के लिए सेवा जनसंख्या के रूप में भी कार्य करते हैं।

अनौपचारिक गतिविधियां मुख्य रूप से कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बाहर, यातायात केन्द्रों एवं बड़े आवासीय समूहों के आसपास स्थापित हो जाती है। चूंकि आर्थिक गतिविधियों में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए औपचारिक वर्ग के साथ-साथ अनौपचारिक गतिविधियों के लिए भी विकास योजना में प्रस्ताव रखे गये हैं।

अनौपचारिक गतिविधि क्षेत्रों की योजना, व्यापार एवं विभिन्न प्रकार के उपयोग परिक्षेत्र के नियंत्रित विकास में समाहित एवं सम्मिलित कर निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावित है :-

- सामान्य वाणिज्यिक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने हेतु फुटकर दुकानों का प्रावधान करना जैसे-नगर केन्द्र, खण्ड स्तरीय दुकानें व सुविधा दुकान क्षेत्र।
- थोक व्यापार एवं यातायात नगर क्षेत्र में सेवा प्रदान करना।
- संस्थागत क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद, औद्योगिक क्षेत्रों एवं अवसान केन्द्रों पर खाद्य सेवा प्रदान करने वाली सेवा दुकानें उपलब्ध कराना।
- आवासीय क्षेत्रों के निकट सेवा दुकानें।
- निर्माण स्थलों के समीप अस्थाई रहवास की व्यवस्था करना।

अनौपचारिक सेक्टर को नियोजित आवासीय विकास क्षेत्र में निम्नानुसार समाहित किया जाना प्रस्तावित है :-

- परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय अनौपचारिक सेक्टर के लिए प्रस्तावित आवासीय विकास हेतु भूमि सुरक्षित रखना।
- अभिन्यास स्वीकृति के समय अनौपचारिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रावधान भी समय-समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है।
- अनौपचारिक सेक्टर ईकाई का विकास, क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जावे।

4.7 पुनर्विकास क्षेत्र

शहर की विकास प्रक्रिया के कारण, नगर के आंतरिक क्षेत्र विकास की दृष्टि से केन्द्रीय स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, जिससे इनका भू-मूल्य अधिक हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों की पुनर्विकास क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है। ऐसे क्षेत्रों की विकास नीति निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा संचालित की जाएगी।

- उच्च मूल्य वाली अकार्यक्षम भूमि उपयोग अंतर्गत भूमि/क्षेत्र जिस भूमि की अन्य सक्षम उपयोग हेतु माँग अधिक है, उन्हें पुनर्घनत्विकरण पुनर्विकास क्षेत्रों के रूप में चयनित किया जाये।
- पुनर्विकास परियोजना को विशेष परियोजना के रूप में माना जावेगा। इन परियोजनाओं का रुपांकन, नगरीय रुपांकन के दृष्टिकोण के आधार पर करने के पश्चात् प्रस्ताव तैयार किए जायें।
- उपयोग एवं गतिविधि का निर्धारण, निष्पादन स्तर एवं अनुकूलता स्तर जिन्हें आसपास के उपयोग द्वारा प्रभावित किया गया है, निर्धारित होगा। जिसकी परियोजना को परिक्षेत्र की योजना के रूप में तैयार किया जाना प्रस्तावित है।
- स्वीकार्य विकास का घनत्व, उपयोगिता एवं अधोसंरचना का, यातायात दबाव की वहन क्षमता और इसका समीकरण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा निर्धारित होगा।

4.8 ग्राम आबादी विस्तार

अलीराजपुर निवेश क्षेत्र में स्थित ग्राम आबादी जो विकास योजना के कृषि क्षेत्र में स्थित है, उनका विस्तार (जिसमें सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना का विकास भी सम्मिलित है) वर्तमान ग्राम आबादी क्षेत्र के आसपास 200 मीटर की परिधि में सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा से किया जा सकेगा।

4.9 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान

भावी आवासीय ईकाईयों की आवश्यकता का अनुमान नगर के सभी आर्थिक वर्गों हेतु किया गया है। समाज के विभिन्न आर्थिक वर्ग जैसे उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग हेतु आवास गृहों की आवश्यकताओं को अनुमानित किया जाना आवश्यक है।

4.10 कार्यकेन्द्र

वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा प्रशासनिक गतिविधियां, नगर की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को प्रतिबिंबित करती है। यह गतिविधियां यातायात के मुख्य उदित केन्द्र होने से इनका नियोजन इस प्रकार किया गया है, जिससे आवासीय क्षेत्र से इनके मध्य न्यूनतम यात्रा समय द्वारा सुविधाजनक सुरक्षित एवं तीव्र गति द्वारा पहुँच सुनिश्चित हो सकें।

4.10.1 व्यापार एवं वाणिज्यिक

वाणिज्यिक गतिविधि केन्द्रों का वर्गीकरण निवेश इकाई के स्तर पर किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रमुख चयनित मार्गों को गतिविधियों को चिन्हित किया गया है। इनमें आवासीय उपयोग के साथ-साथ स्थल, विशेष एवं भविष्य की आवश्यकता अनुसार अन्य व्यवसायिक गतिविधियाँ जैसे-शैक्षणिक, संस्थागत, वाणिज्यिक एवं सेवा उद्योग आदि स्वीकार्य होंगी।

4.10.2 नगर स्तरीय वाणिज्यिक केन्द्र

नगर स्तर की वाणिज्यिक गतिविधियां वर्तमान में मध्य क्षेत्र एवं उससे संलग्न क्षेत्र में केन्द्रित हैं। मध्य क्षेत्र में भीड़-भाड़ के कारण नगर स्तर की गतिविधियां नवीन नगरीय/उपनगरीय केन्द्रों एवं सामुदायिक केन्द्रों में प्रस्तावित की गई है। साथ ही नगर की भावी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नगर के प्रत्येक मुख्य मार्गों पर मिश्रित उपयोग का प्रस्ताव विकास योजना में दिया गया है।

अध्याय-5
प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय
अधोसंरचना

5.1 यातायात की वर्तमान स्थिति

नगर का भौतिक विकास का स्वरूप मुख्यतः परिवहन संरचना पर निर्भर करता है। भूमि उपयोग एवं यातायात आवश्यकताओं का आपस में घनिष्ठ संबंध रहा है। आटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा नगर में यातायात के प्रमुख साधन हैं जो नगर के यातायात संचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अन्य प्रचलित हल्के वाहनों में कार, मोटर साइकिल, स्कूटर आदि हैं।

वर्तमान में नगर में सार्वजनिक यात्री परिवहन हेतु आटो रिक्शा वाहन एवं माल परिवहन हेतु मुख्यतः आटो रिक्शा का उपयोग प्रचलन में है। दक्ष सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का अभाव नागरिकों द्वारा अनुभव किया जाता है, जिसके कारण नागरिकों को अपने कार्यकेन्द्रों पर एवं अन्य कालोनियों/रहवासी क्षेत्रों एवं गतिविधि स्थलों तक पहुँचने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः नगर में एक प्रभावी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की आवश्यकता है।

5.2 प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना

प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना, नगर के भावी आकार एवं स्वरूप का निर्धारण करती है। इसके अतिरिक्त नगर का भौतिक विकास, मार्गों के उचित विकास पर निर्भर करता है। अलीराजपुर नगर हेतु परिभ्रमण संरचना प्रस्तावित करते समय निम्न बिन्दुओं को आधार माना गया है।

1. क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का प्रथक्करण।
2. नगर केन्द्रों एवं अन्य केन्द्रों को सक्षम रूप से जोड़ना।

5.3 परिभ्रमण संरचना की अवधारणा

अलीराजपुर नगर क्षेत्रीय मार्ग झाबुआ एवं कुशी से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त नगर मुख्य मार्गों से क्रमशः कुशी, जोबट, दाहोद, बडौदा, एवं कैवडिया आदि नगरों से जुड़ा है। लेकिन वर्तमान संरचना में प्रत्येक मार्ग सिर्फ शहर से जुड़ा हुआ है तथा प्रमुख मार्गों के बीच आपस में सीधा संबंध नहीं है। परिभ्रमण संरचना की अवधारणा में प्रमुख मार्गों के मध्य सह-संबंध, वर्तमान तथा प्रस्तावित कार्य केन्द्रों के मध्य उचित सम्पर्क एवं आंतरिक यातायात के लिये प्रभावी एवं सुलभ मार्ग संरचना विकसित करना है।

5.4 क्षेत्रीय परिभ्रमण संरचना

इस क्षेत्र में सड़क मार्ग द्वारा अधिकतम यातायात कुशी, झाबुआ, बडोदा, दाहोद एवं केवडिया मार्ग दिशा में होता है। कुशी मार्ग को झाबुआ से जोड़ने हेतु आर.आर. रोड क्रमांक 1 प्रस्तावित है एवं बडोदा मार्ग से उमराली मार्ग से जोड़ने हेतु आर.आर. रोड क्रमांक 2 प्रस्तावित है।

5.5 नगरीय परिभ्रमण संरचना

प्रस्तावित नगरीय परिभ्रमण संरचना का मुख्य आधार प्रमुख कार्य केन्द्रों के मध्य उचित एवं प्रभावी संबंध स्थापित करना है। नगरीय यातायात को क्षेत्रीय यातायात से जोड़ने के लिये वृत्त खंड स्तरीय मार्गों को प्रमुख मार्गों से जोड़ना प्रस्तावित है। इस प्रकार विकसित होने वाले नवीन क्षेत्रों का प्रमुख मार्गों एवं नगर के कार्य केन्द्रों से उचित सामंजस्य हो सकेगा। कार्य सम्पादन के अनुसार मार्गों का श्रेणी क्रम विकास योजना की प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना में मार्गों को कुल पांच प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

1. क्षेत्रीय मार्ग
2. वृत्तीय मार्ग
3. वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग
4. उपवृत्त खण्ड स्तरीय मार्ग
5. स्थानीय मार्ग

5.6 अंतर्नगरीय यातायात

5.6.1 रेल यातायात

अलीराजपुर नगर रेलवे मार्ग से जुड़ा है। रेलवे यातायात के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन सेजा ग्राम अलीराजपुर नगर से लगभग 3 कि.मी. दूरी पर स्थित है जो कि निवेश क्षेत्र सीमा से बाहर है।

5.6.2 सड़क मार्ग

नगर से गुजरने वाले खण्डवा-बडौदा राज्य मार्ग क्रमांक-26 है, जो कि नगर की परिभ्रमण संरचना निर्धारित करता है। नगर में यातायात के प्रमुख साधनों के रूप में सड़क मार्ग उपलब्ध है। राज्य मार्ग क्र. 26 बडौदा-खण्डवा मार्ग नगर के मध्य से गुजरता है। इसके अतिरिक्त अलीराजपुर-झाबुआ मार्ग, अलीराजपुर-इन्दौर व्हाया राजगढ़ (धार), अलीराजपुर-इन्दौर व्हाया (कुशी), अलीराजपुर - दाहोद मार्ग आदि द्वारा नगरों से जुड़ा हुआ है।

5.6.3 हवाई मार्ग

हवाई यातायात के लिए इन्दौर हवाई अड्डा नगर से 210 कि.मी. की एवं बडौदा हवाई अड्डा नगर से 151 कि.मी. दूरी पर स्थित है।

5.7 प्रस्तावित यातायात प्रणाली

नगर के मध्य से गुजरने वाले क्षेत्रीय मार्गों की अन्तर्संबद्धता स्थापित करने हेतु अलीराजपुर विकास योजना 2021 में जितने भी क्षेत्रीय/नगरीय मार्ग प्रस्तावित किये गए थे, इन मार्गों का विकास योजना में प्रस्तावित अन्य प्रस्तावित मार्गों का क्रियान्वयन नहीं हो सका है। इस कारण से प्रस्तावित मार्ग संरचना को वर्तमान स्थिति के अनुरूप अथवा संशोधन के साथ प्रस्तावित करने का प्रयास किया गया है।

• क्षेत्रीय मार्ग

राज्य मार्ग क्र. 26 (खण्डवा –बडौदा) शहर के मध्य से गुजरता है। यह मार्ग नगर का मुख्य मार्ग भी है, जिस पर नगरीय यातायात का अधिकतम दबाव रहता है। यह मार्ग नगर के आंतरिक यातायात को वहन करता है, तथा क्षेत्रीय यातायात का मिश्रण भी इसी मार्ग पर होता है। इस सम्पूर्ण मार्ग की चौड़ाई विकास योजना 2035 में 36.0 मीटर प्रस्तावित की गई है। क्षेत्रीय मार्ग नगर के बाहर स्थित नगरों एवं ग्रामों से संबंध स्थापित करते हैं। विकास योजना 2021 में नगर में छः क्षेत्रीय मार्ग हैं। इन मार्गों की वर्तमान आबादी क्षेत्र के बाहर 30 मीटर चौड़ाई प्रस्तावित है, इन सभी मार्गों को मिलाते हुए 30 मीटर चौड़ा वृत्तीय मार्ग तीन भागों में प्रस्तावित किया गया है, इसके अतिरिक्त कुक्षी मार्ग से परिवर्तित बडौदा मार्ग (बायपास) भी प्रस्तावित है।

• वृत्तीय मार्ग

नगर से झाबुआ-कुक्षी-उमराली-बडौदा मार्ग का क्षेत्रीय यातायात एवं स्थानीय यातायात नगर के मध्य से गुजरता है, जिसके कारण इन मार्गों पर यातायात का अधिक दबाव रहता है। अलीराजपुर विकास योजना 2035 में इन मार्गों पर यातायात के दबाव को कम करने, नगर से बाहर परिवर्तित करने एवं नगर के अन्य मार्गों को जोड़ने हेतु 02 वृत्तीय मार्ग प्रस्तावित किये गये थे। वृत्तीय मार्ग की चौड़ाई 24.00 मीटर प्रस्तावित की गई थी।

• मुख्य नगरीय मार्ग

प्रमुख नगरीय मार्ग अंतर्नगरीय यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। विकास योजना 2021 में प्रस्तावित मुख्य मार्गों का विकास न हो पाने के कारण नगर से गुजरने वाले क्षेत्रीय मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ा है। इस कारण से नगर के विभिन्न क्षेत्रों से सम्पर्क प्रभावित होता है। उक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए विकास योजना 2021 में प्रस्तावित मार्गों को विकास योजना 2035 में यथावत रखते हुए अतिरिक्त नवीन मुख्य मार्गों का भी प्रस्ताव दिया गया है।

● खण्ड स्तरीय मार्ग

खण्ड स्तरीय मार्गों का प्रावधान आवासीय खण्डों को गतिविधि केन्द्रों से जोड़ने तथा निवेश इकाई के तीव्रगामी यातायात को वहन करने हेतु किया जाता है, इन मार्गों की चौड़ाई 18.00 मीटर प्रस्तावित है. 18.00 मीटर चौड़े मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन के अन्तर्गत नगर बस सेवा भी प्रारंभ की जा सकती है तथा मार्गों के किनारे जल प्रदाय एवं विद्युत् प्रदाय से संबंधित वितरण व्यवस्था भी की जा सकेगी।

● उपखण्ड स्तरीय मार्ग

यह मार्ग मुख्य रूप से आवासीय खण्डों की आंतरिक यातायात के लिए होने से वृत्त खण्ड स्तरीय मार्ग को जोड़ेंगे तथा इनकी चौड़ाई 12.00 मीटर प्रस्तावित की गई है।

● स्थानीय मार्ग

स्थानीय मार्ग आवासीय वृत्त खण्डों के आंतरिक यातायात के लिए होते हैं तथा इनके द्वारा भवन तक पहुँच उपलब्ध की जाती है। इन मार्गों पर जलप्रदाय, मल निकासी, विद्युत प्रदाय आदि की लाईनें स्थित होगी। प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना में इन मार्गों को नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि यह आवासीय अभिन्यास के अंग होते हैं। इन मार्गों की चौड़ाई 7.50 से 12.0 मीटर तक प्रस्तावित है।

5.8 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

विभिन्न मार्गों की चौड़ाई मार्ग के कार्यकलापों, दीर्घकालीन यातायात, यातायात सघनता, स्वरूप विशिष्टता को दृष्टिगत रखते हुए निम्न सारणी अनुसार प्रस्तावित है:-


5-सा-1


क्रं.	मार्ग	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3
1.	क्षेत्रीय मार्ग	
	1. खण्डवा-बडौदा मार्ग	36
	2. अलीराजपुर- झाबुआ मार्ग	30
	3. अलीराजपुर - उमराली मार्ग	30
	4. अलीराजपुर- सोरवा मार्ग	24
	5. रोघडा मार्ग	30
	6. हरसवाट मार्ग	18
	7. बेडहवा मार्ग	24
	8. नवोदय विद्यालय मार्ग	30
2	वृत्तीय मार्ग क्रं. (1,2)	24
3	मुख्य नगरीय मार्ग	
	1. एम.आर.1	24

	2. एम.आर.2	24
	3. एम.आर.3	24
	4. एम.आर.4	24
4	1. एस.आर.1	24
	2. एस.आर.2	24
	3. एस.आर.3	24
	4. एस.आर.4	24
	5. एस.आर.5	24
	6. एस.आर.6	24
	7. एस.आर.7	24
	8. एस.आर.8	18
	9. एस.आर.9	18
	10. एस.आर.10	18
	11. एस.आर.11	18
5	1. एस.एस.आर.1	12
6	अन्य मार्ग :	
	1. खण्डवा- बडौदा मार्ग (मंडी पुलिया से वन विभाग डिपो तक)	30
	2. अलीराजपुर-झाबुआ मार्ग	30
	3. चन्द्रशेखर आजाद मार्ग	12-18
	4. रोघडा रोड (एम.आर.4 मार्ग संगम तक)	12
	5. कब्रस्तान मार्ग	12
	6. सुभाष मार्ग / तहसील मार्ग	12
	7. एम.जी. रोड	12
	8. प्रताप मार्ग	7.5
	9. तिलक मार्ग	7.5
	10. रणछोडराय मार्ग	9.0
	11. फतेह क्लब मार्ग	9
	12. शिवाजी मार्ग	8
	13. व्यंकटेश मार्ग	7.5
	14. मौलाना आजाद मार्ग	7.5
	15. विश्वकर्मा मार्ग	7.5-9

नोट :-

- जिस स्थान पर मार्ग की वर्तमान चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक उपलब्ध है, वहां वर्तमान चौड़ाई यथावत रहेगी।
- उपरोक्त सारणी में दर्शायी गयी मार्ग की जानकारी नगर पालिका परिषद् एवं पूर्व विकास योजना से ली गयी है।





5.9 यातायात पद्धति में सुधार

यातायात के वर्तमान लक्षणों से यह ज्ञात होता है कि नगर में यातायात यांत्रिकी के सुधार की बहुत संभावना है, जिससे वर्तमान मार्ग पद्धति की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। यह क्षमता बढ़ाने हेतु मार्गों को चौड़ा बनाना, फुटपाथों का निर्माण करना, ट्रेफिक आयलैण्ड का निर्माण करना आदि शामिल है।

5.9.1 मार्ग संगमों का सुधार

पूर्व अंगीकृत विकास योजना में निम्नलिखित चौराहों के विकास/सुधार के प्रस्ताव दिये गए थे लेकिन योजना काल में इनका विकास नहीं हो सका, अतः पुनर्विलोकित विकास योजना में इनका विकास/सुधार किया जाना यथावत प्रस्तावित किया गया है :-

1. वर्तमान बस स्टैण्ड चौराहा।
2. तहसील चौराहा।
3. डाकघर मार्ग संगम।
4. बोरखड मे पेट्रोल पम्प एवं छोटा उदयपुर मार्ग संगम।
5. जेल मार्ग संगम।

5.9.2 ओव्हर ब्रिज

अलीराजपुर नगर के दक्षिण दिशा में रेलवे लाइन होने के कारण भविष्य में आवागमन को ध्यान में रखते हुए विकास अवरुद्ध होने की संभावना है, वर्तमान में इस मार्ग पर अण्डर ब्रिज है किन्तु आने वाले समय में रेलवे लाइन पर नगरीय/क्षेत्रीय यातायात सुचारु रूप से संचालित करने के लिये ओव्हर ब्रिज का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है विकास योजना में रेलवे लाइन एवं नदी से मार्ग अवरुद्ध ना हो इस हेतु वहा पर ओव्हर ब्रिज प्रस्तावित किया गया है।

5.9.3 मार्गों तथा फुटपाथ का विकास

पैदल यात्रियों की सुविधा को दृष्टिगत

रखते हुए आई.आर.सी द्वारा गाइडलाइन IRC: 103.2012 जारी की गई है। मार्गों के सौंदर्यीकरण तथा यातायात की सुगमता/सुरक्षा हेतु सामग्री एवं डिजाइन IRC: 103.2012 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है।

5.9.4 नगरीय क्षेत्र में वृक्षारोपण

आई.आर.सी द्वारा भू-दृश्यीकरण (लेण्डस्केपिंग) तथा वृक्षारोपण किये जाने हेतु IRC: SP: 21.2009 से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, जिनका नगर में वृक्षारोपण हेतु पालन किया जाना उचित होगा। इन निर्देशों में वृक्षारोपण के उद्देश्य, प्रकार, प्रजाति, चयन, भूमि को प्राकृति, यातायात सुरक्षा तथा वृक्षों के चयन के संबंध में निर्देश समाहित है।

5.10 यातायात अवसान केन्द्र

5.10.1 वाहन विराम स्थल

वर्तमान में नगर के मुख्य मार्गों के किनारे अस्त-व्यस्त रूप से वाहन खड़े किये जाते हैं इस व्यवस्था में सुधार हेतु नगर के अन्दर विकसित क्षेत्रों में निम्नलिखित स्थानों पर वाहन विराम स्थल विकसित किये जाना प्रस्तावित है।

1. बस स्टैण्ड चौराहा।
2. नीम चौक।
3. चन्द्रशेखर आजाद मार्ग पर कोतवाली मार्ग संगम।
4. तहसील कार्यालय के सामने।
5. बोरखड पेट्रोल पम्प तिराहा।
6. सिविल अस्पताल।
7. प्रस्तावित स्टेडियम क्षेत्र।

विद्यमान कृषि उपज मंडी में ट्रकों के विराम हेतु पर्याप्त व्यवस्था एवं अधिक गतिविधि वाले क्षेत्रों में सडकों से हट कर वाहन विराम हेतु स्थल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

5.10.2 बस स्टैण्ड एवं पिकअप स्टेशन

वर्तमान बस स्थानक बड़े हुए यात्री यातायात एवं स्थान की कमी तथा यातायात संकुचन से ग्रसित है। अतः सुगम यातायात संचालन हेतु नवीन बस स्टैण्ड प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान बस स्टैण्ड का उपयोग वाहन विराम स्थल के साथ ही पिकअप स्टेशन के रूप में किया जायेगा।

5.10.3 यातायात नगर

वर्तमान में नगर में कोई यातायात नगर नहीं है। भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए जिसके अंतर्गत यातायात नगर स्वीकार्य गतिविधि है। झाबुआ मार्ग पर ग्राम रामसिंह की चौकी पर प्रस्तावित यातायात नगर प्रस्तावित दिया गया है। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा पर यातायात नगर का प्रावधान सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् अन्य भूमि उपयोगों में स्वीकार्य किया जा सकेगा।

अध्याय- 6 विकास नियमन

6.1 प्रवृत्तशीलता

इन नियमनों का उद्देश्य निवेश क्षेत्र के नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। यह नियमन निम्न गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे :-

- निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास।
- भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उप विभाजन, संयुक्तिकरण, संविलियन, उपांतरण एवं भूमि का उपयोग सम्मिलित है।
- समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास।
- किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊँचाई सम्मिलित हो।
- ऐसे क्षेत्र में, जो निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर हैं, भूमि का विकास, भवनों का निर्माण/परिवर्तन एवं तोड़ना।

6.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है, वह म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों एवं शासन द्वारा नियमों में किये जाने वाले संशोधन के अनुरूप लागू होंगे।
2. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत स्वीकृत गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने हेतु सक्षम हैं।
3. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है। यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करना पड़े। ऐसे संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। यदि किसी विवाद/विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है, तो उस दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा, जो कि योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग माना जावेगा।
4. विकास योजना पुस्तक के मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं, तथा उक्त प्रस्ताव नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किए गए हैं। उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल, तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के

- रूप में सम्मिलित हैं। इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाए गए हैं।
5. वर्तमान भूमि उपयोग को अंगीकृत विकास योजना में दर्शाये अनुसार खसरा मानचित्र पर वास्तविक उपयोग अनुसार हस्तांतरित किया जावेगा।
 6. आस-पास विद्यमान/निर्मित एवं धारा-30 में स्वीकृत मार्गों का समन्वय कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम 1973 की धारा-27, 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग, जो मौके पर विद्यमान हैं, परन्तु जिनके प्रस्ताव विकास योजना में उप-दर्शित नहीं है अथवा उप-दर्शित है, परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है, ऐसे मार्गों की उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जावेगी।
 7. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदाय विकास अनुज्ञा, स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान अधिभोग हेतु क्रियान्वित होने पर यथावत रहेंगे।
 8. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होगी।
 9. संचालक द्वारा अनुमोदित अभिन्यास की समयावधि, यदि विकास योजना प्रकाशन की तिथि पर वैध है तो उस दशा में स्वीकृत अभिन्यास का व्यापक भूमि उपयोग मान्य किया जावेगा।
 10. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में, राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य अथवा नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है भले ही वह विकास योजना में उल्लेखित न हो।
 11. ऐसे क्षेत्र जहां जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो, उसके लिये आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगा।
 12. विकास अनुज्ञा के लिये प्रस्तुत मानचित्र में अगर कोई सुधार आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा मानचित्र सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जायेगा।
 13. विभिन्न उपयोग परिसरों की पार्किंग की आवश्यकताएं, उसी उपयोग परिसर के अन्दर ही आवश्यक रूप से करना होगी। उक्त पार्किंग की व्यवस्था यदि समस्त भूखण्डों को प्रगणित करते हुये एकीकृत अथवा समूह में अभिन्यास स्तर पर की गई हो तो परिसर के अंदर पृथक से पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी।
 14. नगर में निर्मित होने वाले फ्लाय ओवर/स्काय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग एवं अन्य जनहित उपयोगी गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये दी जायेगी, परंतु ऐसी गतिविधि हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

15. विकास योजना में नदी/नालों के दोनों ओर दर्शाया गया वृक्षारोपण सांकेतिक स्वरूप का है। नदी के दोनों किनारों पर उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम 30 मीटर तक एवं नालों की स्थिति में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम 50(ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा, इस भूमि पर खुला क्षेत्र, मार्ग तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा का निर्माण स्वीकार्य होगा।
16. झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं। राज्य शासन की कमजोर, निम्न आय वर्ग के लिए विशेषीकृत योजना एवं झुग्गी-झोपड़ी का किसी स्थान पर विस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में जल स्रोतों के क्षेत्र, आमोद-प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी का विकास/निर्माण ग्राह्य होगा।
17. विकास योजना मानचित्र जो पुस्तक के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा/बड़ा किया गया मानचित्र है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई-चौड़ाई नापी जाये, न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाये। लंबाई-चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने तथा भू-उपयोग की जानकारी की कार्यवाही हेतु सर्वे मानचित्र जो 1:4000 की माप पर तैयार किया गया है, उसके आधार पर किया जाये। विकास योजना में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोग, स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही खसरा मानचित्र पर अंकित किए जाये तथा इस संबंध में स्थल निरीक्षण/अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।
18. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है। विकास के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विकास नियमन-परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जायेगी।
19. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमायें, स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जावेगा।
20. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होंगे। उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग ही अधिमान्य होंगे।
21. विकास योजना में विभिन्न भूमि उपयोगों के विकास हेतु नियमन दिये गये हैं। नियमनों में यदि किसी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है अथवा किसी व्याख्या की आवश्यकता होती है तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

22. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर, खसरो के आधार पर ही किया जायेगा।
23. नियमन में वर्णित गतिविधि के समानार्थी गतिविधि जिसका उल्लेख नियमनों में नहीं है, समानता के आधार पर मान्य किये जा सकेंगे।
24. विकास योजना मानचित्र में निर्दिष्ट भू उपयोग व पुस्तक में वर्णित किसी लेख में विरोधाभास की स्थिति पर पुस्तक में वर्णित लेख मान्य होंगे।

6.3 परिभाषायें

उपयोग परिक्षेत्र

मुख्य भू-उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र।

उपयोग परिसर

उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो एवं जिसे कि अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो।

अभिन्यास

अभिन्यास से तात्पर्य उप विभाजित योजना से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हो।

भूमि उपयोग मानचित्र

सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र भूमि उपयोग मानचित्र कहलायेगा।

परिक्षेत्रिक योजना

निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार, सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधानित हो।

नगरीय ग्राम

भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण आबादी, नगरीय ग्राम कहलायेंगे।

नगरीय विरासत का क्षेत्र

नगरीय विरासत से तात्पर्य है, ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो।

विकसित क्षेत्र

विकसित क्षेत्र से तात्पर्य विकास योजना के रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान उपयोग।

एकल/संयुक्त परिवार हेतु

अपने सभी समानान्तर एवं ज्यामितीय बदलाव के

भूखण्डीय विकास

साथ भूखंडीय विकास से तात्पर्य, परिवार हेतु भूखंडीय विकास (अभिन्यास) का भूखंडों में उप-विभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार, संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो।

मिश्रित उपयोग

मिश्रित उपयोग से तात्पर्य ऐसे उपयोग परिक्षेत्र से है जो कि इस विकास योजना में उल्लेखित किया गया है। इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनमें स्वीकार्य गतिविधियां मान्य होंगी।

ऊँचे भवनों का विकास

ऊँचे भवनों का विकास, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 के उपनियम (38) सहपठित नियम 42 के अनुसार नियंत्रित होगा।

फर्शी क्षेत्र अनुपात

फर्शी क्षेत्र अनुपात से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (30) के अनुसार।

भवन की ऊँचाई

अन्यथा उल्लेखित न हो तो भवन की ऊँचाई से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (9) के अनुसार।

संवेदनशील क्षेत्र

परिस्थितिजन्य पर्यावरणीय, ईकोलॉजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र कहलाएगा। इसके अंतर्गत नदी, तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे।

6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

निवेश क्षेत्र को निम्नलिखित तालिका में दर्शाये अनुसार उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित किये गये हैं। प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग, गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी। ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, का नियंत्रण विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना के भू-उपयोग/प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा। निर्धारित मुख्य भू-उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, आमोद-प्रमोद, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, विशेष प्रयोजन, यातायात एवं परिवहन, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएं, जलाशय एवं कृषि। उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 6-सा-1 में दिया गया है।

भू-उपयोग परिक्षेत्र

सारणी 6-सा- 1

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उप-परिक्षेत्र	नाम पद्धति
1	2	3	4
1	आवासीय	आवासीय	(आर 1)
		भू-तल पर दुकानों की कतारों सहित आवासीय	(आर 2)
		मध्यम घनत्व	(आर 3)
		निम्न घनत्व	(आर 4)
2	वाणिज्यिक	शहर केन्द्र	(सी 1)
		उपनगर केन्द्र	(सी 2)
		सामुदायिक केन्द्र	(सी 3)
		स्थानीय व्यावसायिक केन्द्र	(सी 4)
		सुविधा व्यावसायिक केन्द्र	(सी 5)
		मण्डी	(सी 6)
		वर्गीकृत बाजार	(सी 7)
		लॉजिस्टिक हब	(सी 8)
3	मिश्रित	आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	(एम 1)
4	औद्योगिक	सेवा उद्योग	(आई 1)
		सामान्य उद्योग	(आई 2)
		विशेष उद्योग	(आई 3)
5	मनोरंजन	उद्यान	(जी 1)
		वृक्षारोपण क्षेत्र या उपरोक्त वर्णित क्षेत्र	(जी 2)
		क्षेत्रीय उद्यान (प्राणी शास्त्र या वनस्पति शास्त्र उद्यान)	(जी 3)
		प्राकृतिक क्षेत्रों या भू-दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण	(जी 4)
		नगर उद्यान	(जी 5)
		स्टेडियम	(जी 6)
		झील के सामने का विकास	(जी 7)
		प्रदर्शनी मैदान	(जी 8)
6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों / शिक्षा और अनुसंधान / स्वास्थ्य / सामाजिक / सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियां	(पी)
7	विशेष प्रयोजन	पर्यटन प्रबर्धन परिक्षेत्र	(एस पी 1)
		संरक्षित परिक्षेत्र	(एस पी 2)
		शुष्क पत्तन या कंटेनर डिपो	(एस पी 3)

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उप-परिक्षेत्र	नाम पद्धति
1	2	3	4
		तेल डिपो या ज्वलनशील पदार्थ डिपो	(एस पी 4)
		भवन निर्माण सामग्री यार्ड	(एस पी 5)
		प्रदूषणकारी उद्योग	(एस पी 6)
		सेज (एस.ई.जेड)	(एस पी 7)
		खनन क्षेत्र	(एस पी 8)
		आरक्षित वन या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य	(एस पी 9)
		अन्य	(एस पी 10)
8	परिवहन	बस स्टैण्ड या टर्मिनस	(टी 1)
		बस पिकअप स्टेशन	(टी 2)
		सड़कें	(टी 3)
		रेल्वे स्टेशन	(टी 4)
		रेल्वे लाइन	(टी 5)
		बस डिपो	(टी 6)
9	सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं	जल शोधन संयंत्र	(पीयूएफ 1)
		मल शोधन संयंत्र/आक्सीकरण ताल	(पीयूएफ 2)
		विद्युत सब स्टेशन	(पीयूएफ 3)
		ट्रेचिंग ग्राउण्ड	(पीयूएफ 4)
		ट्रंकलाइन कॉरीडोर, जल/मल/अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत लाइनें/ गैस या तेल पाइप लाइनें और संबंधित संरचनाएं	(पीयूएफ 5)
		रेडियो/टी.वी. स्टेशन	(पीयूएफ 6)
		दूरसंचार केन्द्र	(पीयूएफ 7)
		अग्नि नियंत्रण स्टेशन	(पीयूएफ 8)
		ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र/अपघटन संयंत्र	(पीयूएफ 9)
		कब्रिस्तान/श्मशान घाट	(पीयूएफ 10)
10	जल निकाय	नदियां	(डब्ल्यू 1)
		झील/तालाब/जलाशय	(डब्ल्यू 2)
		नाला/नहर	(डब्ल्यू 3)
		बाढ़ प्रभावित क्षेत्र	(डब्ल्यू 4)
11	कृषि	कृषि भूमि	(ए 1)
		ग्राम आबादी विस्तार	(ए 2)

टीप :- उपरोक्त सारणी में भूमि विकास नियम, 2012 में दर्शित समस्त भू-उपयोग परिक्षेत्र एवं उप-परिक्षेत्र वर्णित है, जिनमें से अलीराजपुर नगर की आवश्यकता के अनुसार लिये गये हैं।

6.4.1 आवासीय

6.4.1.1 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के मापदण्डों के अनुसार नियंत्रित होंगे। आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारणी 6-सा-2 में दिए गए हैं।

1. इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है। इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित हैं। ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनायें, जल प्रदाय, जल-मल निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरूप होंगे।
2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1:1.5 से 1:3 होना चाहिए, किन्तु स्थल की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का निर्णय लिया जायेगा।
3. भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भू-तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है। नीचे दी गई सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित है एवं सारणी में दर्शाये भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है।
4. म.प्र. नगरपालिका कॉलोनी का विकास नियम, 2021 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों विकास) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप निम्न आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु प्रावधान किये जाएँगे।
5. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट-अ) में निहित प्रावधानों (समय-समय पर संशोधन) के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये।
6. पहुँच मार्ग की चौड़ाई 18 मीटर से अधिक होने पर उससे लगी भूमि पर मार्ग चौड़ाई से दो गुनी गहराई तक मिश्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। ऐसे मिश्रित उपयोग भवनों के पुनर्निर्माण में भी अनुज्ञात किए जा सकेंगे।

आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

सारणी 6-सा- 2

क्र.	भूखण्ड का आकार (मी. में)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) न्यूनतम	विकास का प्रकार	भू-आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत में	एफ.ए. आर. अधिकतम	एम.ओ.एस. (मी.) में				भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मी. में)	अधिकतम उँचाई (मी. में)
						अग्र	पार्श्व	आजू	बाजू		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4.0X8.0	32	पंक्ति	60	1.25	3.0	0.0	0.0	0.0	7.5	12.5
2	4.0X12.0	48	पंक्ति	60	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	7.5	12.5
3	5.0X15.0	75	पंक्ति	60	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	7.5	12.5
4	7.0X15.0	105	पंक्ति	50	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	7.5	12.5
5	9.0X15.0	135	अर्द्धपृथक्कृत	50	1.25	3.0	1.5	2.5	0.0	7.5	12.5
6	11.10X18.0	200	अर्द्धपृथक्कृत	50	1.25	3.0	2.5	2.5	0.0	9.0	12.5
7	12.0X18.0	216	अर्द्धपृथक्कृत	42	1.25	3.5	2.5	3.0	0.0	9.0	12.5
8	12.0X24.0	288	पृथक्कृत	40	1.25	4.5	2.5	3.5	1.5	9.0	12.5
9	15.0X27.0	405	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	3.0	3.5	3.0	12.0	12.5
10	18.0X30.0	540	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.0	3.0	12.0	12.5
11	20.0X30.0	600	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.5	3.0	12.0	12.5
12	25.0X30.0	750	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5
13	30.0X33.0	990	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5

नोट:-

- उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरूप की हैं जिसे मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।
- सारणी 6-सा-1 के उप परिक्षेत्रों के अंतर्गत ऐसे भूखण्ड जिसमें न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल की अर्हता पूर्ण होती है, उनमें भी उपरोक्त मापदण्ड लागू होंगे (आवासीय इकाई छोड़कर)।

3. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 13 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है।
4. ऐसे भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शायी श्रेणियों के मध्य के आकार के हों, को इसके पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस. आच्छादन, एफ.ए.आर. के अनुसार अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए। ऐसे आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. (MOS) में निर्धारित करते समय यदि कतिपय भिन्नता आती है तो आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जायेगी। किन्तु ऐसे प्रकरणों में भवन रेखा निर्धारित कर ही स्वीकृति दी जायेगी।
5. घनत्विय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में 5.00 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में 2.4 व्यक्ति का रहवास माना जावेगा।
6. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जाएगी।
7. झुग्गियों की पुनर्स्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे।
8. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है, तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी। स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार/क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा।

6.4.1.1 आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन

1. आवासीय अभिन्यास में न्यूनतम खुला क्षेत्रफल 10 प्रतिशत।
2. सेवाओं हेतु न्यूनतम आरक्षित क्षेत्र 1.00 प्रतिशत।
3. सुविधाजनक दुकानों हेतु 1.00-3.00 प्रतिशत।

6.4.1.2 वर्तमान आवासीय क्षेत्र

वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास सारणी 6-सा-3 में दर्शित मापदण्डों से नियंत्रित होगा:

आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

सारणी 6-सा-3

भूखण्ड का क्षेत्र	आच्छादित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रनुपात
1.	2.	3.
90 वर्गमीटर से कम	75	1.25
90 से 180 वर्गमीटर तक	66	1.00
180 वर्गमीटर से	60	1.00

टीप: मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर से अधिक होने की दशा में 90 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र वाले भूखण्डों के लिए फर्शी क्षेत्रानुपात 1.25 तक अनुज्ञेय होगा।

6.4.1.3 आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड

जिन कॉलोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गए हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जाएगा। ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाए गए मापदण्ड लागू होंगे, जबकि कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास/निर्माण के लिए नवीन आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र

वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड

सारणी 6-सा- 4

क्र.	भूखण्ड का आकार (मीटर में)	क्षेत्र (वर्गमीटर में)	मार्ग की चौड़ाई (मीटर में)	सम्मुख सीमान्त खुला क्षेत्र	भू-आच्छादन	F.A.R
1	2	3	4	5	6	7
1.	6.0 X 9.0	54	12 या अधिक	4.50	50	1.50
2.	9.0 X 15.0	135	12 या अधिक	4.50	50	1.50
3.	12.0 X 18.0	216	12 या अधिक	4.50	50	1.50
4.	18.0 X 24.0	432	12 या अधिक	4.50	50	1.50

टीप :-

1. मार्ग की चौड़ाई 12.00 मीटर से अधिक होने पर भवन रेखा तदानुसार परिवर्तित मानी जावेगी।
2. 500 वर्गमीटर से अधिक के भू-खण्ड पर सीमान्त खुला क्षेत्र म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुरूप होंगे। भू-खण्ड अनियमित आकार का होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीमान्त खुला क्षेत्र निर्धारित किया जा सकेगा।
3. 18 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार एफ.ए.आर. देय होगा।
 - 18 मीटर एवं उससे अधिक 1.75
 - 24 मीटर एवं उससे अधिक 2.00

4. यह मापदण्ड सभी वाणिज्यिक परिक्षेत्रों में लागू होंगे। सारणी में दर्शाये गये क्षेत्रफल से कम होने की स्थिति में उसके पूर्व सरल क्रमांक के मानक लागू होंगे।
5. भू-खण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर तक होने पर कम से कम 4.50 मीटर अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम हेतु छोड़ना होगा।
6. भू-खण्ड का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर तक होने पर अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम क्षेत्र हेतु गणना में सम्मिलित किया जा सकेगा।
7. वाहन विराम क्षेत्र की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार की जावेगी।
8. सामान्य एवं विशेषीकृत वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक सारणी 6-सा-5 में वर्णित हैं।

वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

सारणी 6-सा-5

क्र.	वर्ग	कुल क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3
1.	भूखण्डों का क्षेत्र	अधिकतम 50 प्रतिशत
2.	परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र	अधिकतम 40 प्रतिशत
3.	खुले स्थानों को सम्मिलित कर सुविधाओं का क्षेत्र	न्यूनतम 11 प्रतिशत (10+1)
4.	मार्गों की चौड़ाई - बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई - दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े एवं मुड़ने के लिये न्यूनतम चौड़ाई - दुकानों के सामने पदचारी की न्यूनतम चौड़ाई (मार्ग के अतिरिक्त)	12 मीटर 12 मीटर 6 मीटर
5.	दुकानों के आकार	मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के आधार पर
6.	विराम स्थल	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

टीप:- सामान्य वाणिज्यिक अभिन्यास के मानक सरल क्रमांक 1,2 एवं 3 के अनुसार होंगे।

6.4.2.1 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र एवं मध्य क्षेत्र

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों एवं मध्य क्षेत्र में पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

1. मार्गों की चौड़ाई, विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप होगी।
2. फर्शी क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुये फर्शी क्षेत्र निर्धारित किया जा सकेगा, परन्तु यह सारणी 6-सा-6 की सीमा में होगा।

3. वाणिज्यिक विकास की गहराई, भवन जिस मार्ग पर हो, उस मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई के 1.50 गुना या 30 मीटर, जो भी अधिक हो, मान्य होगी।
वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक परिसरों के लिये अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा।

- 25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड 100 प्रतिशत
- 25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड 80 प्रतिशत
- फर्शी क्षेत्र अनुपात

टीप :-

1. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जायेगी एवं निर्मित क्षेत्र को आधार मानते हुए अनुज्ञा दी जा सकेगी।
2. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू-खण्डों में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भू-खण्ड का निर्माण किये जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गयी भूमि के क्षेत्र का दुगुना क्षेत्रफल निर्मित क्षेत्र के रूप में (फर्शी क्षेत्र अनुपात के अतिरिक्त) स्वीकार्य होगा। इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।
3. भू-खण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर तक होने पर कम से कम 4.50 मीटर अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम हेतु छोड़ना होगा।
4. भू-खण्ड का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर तक होने पर अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम क्षेत्र हेतु गणना में सम्मिलित किया जा सकेगा।
5. मध्य क्षेत्र हेतु वर्तमान परिक्षेत्र के नियमन के अतिरिक्त पार्किंग हेतु नगर पालिक परिषद् को उचित शुल्क के भुगतान पर नगरपालिका द्वारा 500 मीटर की परिधि में सामूहिक पार्किंग का प्रावधान किए जाने पर पार्किंग में छूट दी जा सकेगी।
6. नगर पालिक परिषद् द्वारा 200 वर्गमीटर के भूखण्ड पर दो पहिया वाहन/कार पार्किंग हेतु मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण किया जा सकेगा।

6.4.2.2 वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियां

वर्तमान विकसित क्षेत्र में अधिकतर वाणिज्यिक गतिविधियां मार्गों पर संचालित हैं।
अतः इन मार्गों को उनके उपयोग के अनुसार निम्न दो श्रेणियों में रखा गया है :-

- (1) वाणिज्यिक मार्ग (सी)
- (2) वाणिज्यिक-सह-आवासीय मार्ग (सी.आर.)

इन उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत मार्ग चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात सारणी 6-सा-6 में दर्शाए गए हैं।

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र का वर्गीकरण एवं फर्शी क्षेत्रानुपात

सारणी 6-सा- 6

क्र	वर्ग	स्थिति	निर्मित क्षेत्र		फर्शी क्षेत्र अनुपात
			भूखण्डीय विकास (प्रतिशत में)	निगमित विकास (प्रतिशत में)	
1	2	3	4	5	6
1	नगर केन्द्र	मध्य क्षेत्र	80	50	2.00
2	निवेश ईकाई केन्द्र	सभी निवेश ईकाई केन्द्र स्तर केवाणिज्यिक क्षेत्र	80	50	2.00
3	खण्ड स्तरीय केन्द्र	परिक्षेत्रिक योजना प्रस्तावों के अनुरूप	80	50	1.50
4	स्थानीय दुकानें	तदैव	80	50	1.25
5	सुविधाजनक दुकानें	तदैव	80	50	1.00
6	गोदाम एवं भण्डार	—	70	50	1.50
7	थोक बाजार	—	70	50	1.50

- उपरोक्त मार्ग खण्डों के वर्तमान उपयोग के आधार पर कॉलम 3 अनुसार मार्गों का वर्गीकरण किया गया है। अतः निर्धारित मापदण्ड अथवा वाणिज्यिक सह-आवासीय उपयोग अन्तर्गत वर्तमान मार्ग खण्ड के लिये ही लागू होंगे।
 - भू-खण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर तक होने पर कम से कम 4.50 मीटर अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम हेतु छोड़ना होगा।
 - भू-खण्ड का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर तक होने पर अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम क्षेत्र हेतु गणना में सम्मिलित किया जा सकेगा।
 - वाहन विराम क्षेत्र की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुसारकी जावेगी।
 - वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक-सह-आवासीय मार्गों एवं वाणिज्यिक उपयोग, प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई से 1.50 या 30 मीटर गहराई तक, जो भी अधिक हो स्वीकार्य होगा।
- निर्मित क्षेत्र :-** वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू-तल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र की गणना निम्नानुसार की जायेगी।

क्र.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	भू-तल पर निर्मित क्षेत्र अधिकतम
1	2	3
1.	अधिकतम 200 वर्ग मीटर तक	66 प्रतिशत
2.	200 वर्ग मीटर से अधिक 400 वर्गमीटर तक	60 प्रतिशत
3.	400 वर्गमीटर से अधिक	50 प्रतिशत

6.4.3 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र

औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होंगे।

6.4.4 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र

6.4.4.1 मिश्रित उपयोग

आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र में क्रमशः गैर आवासीय/गैर वाणिज्यिक/गैर सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियां।

6.4.4.2 मिश्रित उपयोग नियमन

मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है। बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। इसी प्रकार वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास हुआ है। आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग बढ़ने के कारण वास्तविकता को नियोजन की दृष्टि से अनदेखा नहीं किया जा सकता। अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता, सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे।

6.4.4.3 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

1. पहुँच मार्ग की चौड़ाई 18 मीटर से अधिक होने पर उससे लगी भूमि पर मार्ग चौड़ाई से दो गुनी गहराई तक मिश्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। ऐसे मिश्रित उपयोग भवनों के पुनर्निर्माण में भी अनुज्ञात किए जा सकेंगे।
2. मिश्रित उपयोग के अंतर्गत आवासीय/वाणिज्यिक/ सार्वजनिक-अर्द्धसार्वजनिक परिक्षेत्र की स्वीकृत गतिविधियां सम्मिलित व स्वीकार्य होंगी।
3. बिन्दू क्रमांक 1 में वर्णित मिश्रित उपयोग क्षेत्रों हेतु विकास नियंत्रण, उपयोग परिक्षेत्र में लागू मापदण्ड (एफ.ए. आर. ग्राउण्ड कवरेज इत्यादि), मिश्रित उपयोग के लिये भी लागू रहेंगे।
4. मिश्रित उपयोग में यह नियमन पूर्व से विकसित क्षेत्र एवं नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगे, तथा पार्किंग हेतु परिसर उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे। विकसित क्षेत्र में पुनर्विकास की दशा में भी मिश्रित उपयोग स्वीकार्य किए जा सकेंगे।

5. ऐसे कार्य कलापों की सामाजिक, आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाये रखना आवश्यक है।
6. मिश्रित उपयोग से, अलग-अलग मोहल्लों में निकटतम क्षेत्र में व्यावसायिक सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कमी आयेगी किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में भीड़-भाड़ बढ़ने, पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी पड़ना संभावित है। प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा।

6.4.4.4 मिश्रित भूमि उपयोग की सामान्य शर्तें

1. मिश्रित भूमि उपयोग के क्षेत्रों हेतु विकास नियमन, सामान्यतः वाणिज्यिक परिक्षेत्र में लागू विकास मापदण्ड (एफ.ए. आर., ग्राउण्ड कवरेज, एम.ओ.एस इत्यादि), मिश्रित भूमि उपयोग के क्षेत्रों के लिये भी लागू रहेंगे। किन्तु प्रयोजन एवं स्थल के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा मापदण्डों का निर्णय लिया जा सकेगा।
2. मिश्रित उपयोग में यह नियमन पूर्व से विकसित क्षेत्र एवं नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगे, तथा पार्किंग हेतु परिसर उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे। विकसित क्षेत्र में पुनर्विकास की दशा में भी मिश्रित उपयोग स्वीकार्य किए जा सकेंगे।

6.4.5 सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन निम्नानुसार है:-

1. शैक्षणिक स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा।
2. आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकतायें म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 19 के परिशिष्ट-अ में दिए गए अनुसार होगी।
3. विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित घनत्व को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारण किया गया है। अतः घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्यास स्तर पर न किया जावे।
4. उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 49 की परिशिष्ट-छ: में दिए अनुसार विहित प्रारूप में कोई आवेदन किया जा सकता है।

सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड सारणी 6-सा-7 में दर्शाए गए हैं।

सामुदायिक सुविधाओं/सेवाओं हेतु नियमन

सारणी 6-सा-7

क्र.	श्रेणी	अधिकतम निर्मित क्षेत्र	एफ. ए. आर.	न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)	अग्र सीमान्त खुला क्षेत्र (मी. में)	अन्य तीन ओर (मी. में)
1	2	3	4	5	6	7
1	शैक्षणिक भवन					
	1. नर्सरी/पूर्व प्राथमिक शाला	40 प्रतिशत	1.00	12.0		
	2. प्राथमिक विद्यालय	33 प्रतिशत	1.00	12.0		
	3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	30 प्रतिशत	1.00	18.0		
	4. महाविद्यालय	25 प्रतिशत	1.00	24.0		
2	स्वास्थ्य					
	हॉस्पिटल - 100 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.00	24.00	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 एवं नियम 42 के अनुसार मान्य होंगे।	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 एवं नियम 42 के अनुसार मान्य होंगे।
	हॉस्पिटल - 30 से 100 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.00	24.00		
	हॉस्पिटल - 0 से 30 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.00	18.00		
	नेच्रोपेथी सेन्टर	30 प्रतिशत	1.00	18.00		
	हेल्थ सेन्टर	30 प्रतिशत	1.00	18.00		
	नर्सिंग होम	30 प्रतिशत	1.00	12.00		
	क्लीनिक	30 प्रतिशत	1.00	12.00		
	पेट क्लीनिक	30 प्रतिशत	1.00	12.00		
ब्लड बैंक/पैथालाजी सेन्टर इत्यादि	30 प्रतिशत	1.00	12.00			
फिजियोथेरेपी सेन्टर	30 प्रतिशत	1.00	12.00			

क्र.	श्रेणी	अधिकतम निर्मित क्षेत्र	एफ. ए. आर.	न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)	अग्र सीमान्त खुला क्षेत्र (मी. में)	अन्य तीन ओर (मी. में)
1	2	3	4	5	6	7
3	सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा	35 प्रतिशत	1.00	—		
	पुलिस चौकी	25 प्रतिशत	1.00	12.0		
	पुलिस स्टेशन आवास गृह सहित	35 प्रतिशत	1.00	12.0		
	सामुदायिक भवन	35 प्रतिशत	1.00	12.0		
	उप अग्निशमन केन्द्र	35 प्रतिशत	1.00	12.0		
	अग्निशमन केन्द्र	35 प्रतिशत	1.00	12.0		
	डाक एवं तार विद्युत सब स्टेशन	—	—	—		
4	धार्मिक भवन	30 प्रतिशत	1.00	12.0		
5	शासकीय/अर्द्ध-शासकीय कार्यालय	35 प्रतिशत	1.00	12.0		

नोट — 1. उपरोक्त गतिविधियों का क्षेत्रफल संबंधित संस्थान एवं मध्यप्रदेश शासन के प्रशासकीय विभाग/स्थानीय कार्यालय द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल के अनुरूप मान्य होंगे, एवं सीमान्त खुले क्षेत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जा सकेंगे।

2. उपरोक्त सारणी में जो सुविधाएं सम्मिलित नहीं हैं, उनके भू-आच्छादित क्षेत्र 30 प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.0 से अधिक नहीं होंगे। ऐसी सुविधाएं जिनका पुनर्विकास किया गया है उनके लिए आच्छादित क्षेत्र कॉलम 3 के अनुसार रहेगा।

6.5 अन्य नियमन

6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे।

6.5.2 बहुविध बहुमंजिला इकाई निर्माण

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे।

6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधायें हेतु मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होंगे।

6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ टेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए सारणी 6-सा-8 में दिए गए मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

सारणी 6-सा- 8

क्रमांक	विवरण	मानक
1	2	3
1.	फुटपाथ व्यापार - वृत्त खण्ड केन्द्र - उपवृत्त खण्ड केन्द्र - सुलभ शॉपिंग	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
2.	शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय	1 से 2 इकाई प्रति 100 कर्मकार
3.	थोक व्यापार एवं मालभाड़ा कॉम्पलेक्स	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
4.	चिकित्सालय	3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तर

क्रमांक	विवरण	मानक
1	2	3
5.	विद्यालय – प्राथमिक – माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक	3 से 4 इकाई 5 से 6 इकाई
6.	उद्यान – नगर उद्यान – स्थानीय उद्यान	8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार 2 से 3 इकाई
7.	आवासीय	1 इकाई प्रति 500 जनसंख्या
8.	बस स्थानक/रेल्वे स्टेशन	परियोजना तैयार करते समय किये गये सर्वेक्षण पर निर्भर होगा।

टीप:- प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी।

6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र के मानक

ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र हेतु मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3)(चार) के अनुरूप होंगे। ई-वाहन/बैटरी चार्जिंग स्टेशन के मानक शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होंगे।

6.5.6 शॉपिंग मॉल/खुला मॉल

शॉपिंग मॉल हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे।

6.5.7 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन

- वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन की ऊँचाई, भू-आच्छादन, फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड, नगरीय निकाय द्वारा जोनल प्लान तैयार कर निर्धारित मापदण्डों एवं भवन रेखा के निर्धारण अनुसार लागू होंगे। जब तक जोनल प्लान लागू नहीं होगा तब तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे।
- विकसित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण की अनुमति सीधे स्थानीय निकाय द्वारा दी जावेगी।

3. भवन की ऊँचाई, अहाते की दीवार की ऊँचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेंगे।

6.5.8 होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लॉजिंग/बोर्डिंग

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर अधिकतम एफ.ए.आर.1 : 1.0

अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज) 33 प्रतिशत अधिकतम ऊँचाई 12.50 मीटर

सीमांत खुला क्षेत्र -

(अ) सम्मुख 6.00 मीटर

(ब) अन्य तीन ओर 4.50 मीटर

अन्य नियंत्रण -

भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.00 मीटर पार्किंग म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 प्रावधान अनुसार।

6.5.9 मैरिज गार्डन

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुरूप होंगे।

6.5.10 बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डप/कम्युनिटी हाल

बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डप/कम्युनिटी हाल के विकास के नियमन निम्नानुसार होंगे :-

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	500 वर्गमीटर
अधिकतम एफ.ए.आर.	1 : 0.5
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)	30 प्रतिशत

सीमांत खुला क्षेत्र -

सम्मुख	6.0 मीटर
अन्य तीन ओर	4.50 मीटर

अन्य नियंत्रण :-

- भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.00 मीटर।
- भूखण्ड के सम्मुख खुले क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग सार्वजनिक पार्किंग हेतु आरक्षित रहेगा।
- इस गतिविधि से जनित होने वाली पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था परिसर के अंदर ही सुनिश्चित की जायेगी।

टीप- शासकीय भूमि अथवा मार्ग पर एवं परिसर के बाहर पार्किंग गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी।

6.5.11 शीतकेन्द्र/वेयर हाउस/गोदाम/अन्य भण्डारण

- अधिकतम तल क्षेत्र का अनुपात- 1:0.40
- अधिकतम निर्मित क्षेत्र- 40 प्रतिशत
- भू-खण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई- 12.0 मीटर
- सीमांत खुला क्षेत्र -

(अ) सम्मुख	6.00 मीटर
(ब) अन्य तीन ओर	4.50 मीटर

6.5.12 छविगृहों के लिए मापदण्ड

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53(3) के विकास नियमन के प्रावधान लागू होंगे।

6.5.13 मल्टीप्लेक्स

मल्टीप्लेक्स के विकास हेतु विकास नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 95 के प्रावधान के अनुसार लागू होंगे। फर्शी क्षेत्रानुपात उस भू-उपयोग के अनुरूप होगा जिसमें उक्त गतिविधि मान्य की गई हो।

6.5.14 उद्यान

1. समस्त प्रकार के आमोद-प्रमोद क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान में 05 प्रतिशत आनुषांगिक दुकानें स्वीकार्य होगी।
2. स्टेडियम के निर्माण हेतु मापदण्ड खेल विभाग के अनुसार होंगे, एवं बैठक कॉरिडोर के नीचे दुकानें स्वीकार्य की जा सकेंगी।

6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियां निम्नानुसार प्रावधानित हैं :-

1. सुक्कड नदी के किनारे न्यूनतम 30 मीटर क्षेत्र खुला रखा जाएगा एवं तालाबों की शाखाओं के किनारे न्यूनतम 15 मीटर क्षेत्र खुला रखा जाएगा।
2. तालाबों के किनारे न्यूनतम 60 मीटर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा। परन्तु इस क्षेत्र में भौतिक अवरोध, जैसे:- मार्ग होने की स्थिति में यह क्षेत्र तालाबों की सीमा से मुख्य भौतिक अवरोध तक मान्य होगा।

3. निवेश क्षेत्र में स्थित डैम/तालाब के जल संग्रहण क्षेत्र एवं जल संग्रहण क्षेत्र के विपरित क्षेत्र में जल स्तर से 60 मीटर तक की दूरी का क्षेत्र विकास कार्य से मुक्त रखा जाएगा।
4. अन्य नदी-नाले, शाखा, नहर एवं अन्य जल स्रोतों के किनारे छोड़ा जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियमों के अनुसार होगा।
5. नहर की स्थिति सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई भूमियों में कम से कम 3.0-3.0 मीटर दोनों ओर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा।
6. प्रदूषित जल/मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जावेगा।
7. उक्त क्षेत्रों में अपने भवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक को ग्रिड मल लाईन, जब उसका निर्माण हो जाए से जोड़ना होगा।
8. नदियों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के सुधार एवं संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे।
9. नगर में स्थित मंदिरों एवं ऐतिहासिक भवनों को संरक्षित किया जाना प्रस्तावित है।
10. नगर में स्थित मंदिरों एवं ऐतिहासिक भवनों के परिक्षेत्र से 200 मीटर की परिधि में बहुमंजिला विकास पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
11. संवदेनशील क्षेत्रों में निम्न श्रेणी के रख-रखाव के विस्तार संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे।

ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र :-

- नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन।
- प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी अधिपत्य में हो, तो भी।
- समय-समय पर उत्खनित/खोजे गए विरासतीय भवन

6.7 उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां

उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां

सारणी 6-सा-9

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
1	आवासीय	आवासीय भूखण्डीय विकास, अपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेट्स, अतिथि गृह, रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हाल, बारात घर, मांगलिक भवन, कल्याण मंडपम, कम्युनिटी हॉल, मेरिज गार्डन, बाल सुधार गृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक, औषधालय, खेल का मैदान, नेवरहुड पार्क, झूलाघर/डे-केयर सेंटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला,

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हाल/छविगृह, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, सामान्य चिकित्सालय, शैक्षणिक महाविद्यालय/ संस्थान, समस्त विद्यालय, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत / नृत्य / नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्द्धशासकीय/ शासकीय कार्यालय, व्यवसायिक कार्यालय, सार्वजनिक सेवायें एवं सुविधायें, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल / वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र गृह, मनोरंजन क्लब, खेल मैदान / स्टेडियम, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट, तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर, शॉपिंग मॉल, खुला मॉल, मल्टीप्लेक्स, मिश्रित उपयोग।
	वाणिज्यिक	
	(अ) सामान्य वाणिज्यिक	आवासीय में स्वीकार्य समस्त गतिविधियां (आवासीय भूखण्डीय विकास को छोड़कर), फुटकर दुकानें, शो-रूम, विशिष्ट चिकित्सालय, प्रिंटिंग प्रेस, कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, फिटनेस क्लब, मिश्रित उपयोग।
2	(ब) पर्यटन प्रोत्साहन क्षेत्र	अतिथि गृह, रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, रिसोर्ट, होटल, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, क्लब, फिटनेस क्लब, शॉपिंग मॉल, खुला मॉल, मल्टीप्लेक्स, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, शासकीय/अर्द्ध-शासकीय कार्यालय, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, बस स्टैण्ड, होस्टल, वृद्धाश्रम, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, झूला घर/डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र।

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
	औद्योगिक	
3.	सामान्य औद्योगिक	<p>औद्योगिक भूखण्डीय विकास, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल मैदान, बालगृह, डे-केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, प्रिंटिंग प्रेस, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डेरी प्लांट, स्लाटर हाउस, फेलैटेड फैक्ट्री, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्द्धशासकीय/ शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, दूर संचार, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर , बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, बस स्टैण्ड, यातायात नगर, पोहा फैक्ट्री, दाल मिल, राईस मिल, फ्लोर मिल, ऑयल मिल, प्लास्टिक फैक्ट्री, फिल्टर प्लांट, सुविधाएं।</p>
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	<p>सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक भू-खण्डीय विकास, अतिथि गृह, रेस्ट हाउस, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, झूला घर/डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग-ध्यान-अध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, निजी व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील), सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, विशिष्ट शैक्षणिक संस्थाएं, चिकित्सा/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक, नर्सिंग एवं</p>

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		पैरामेडिकल संस्थान, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, नर्सरी, प्ले स्कूल, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता, ब-शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, संगीत/नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर/शासकीय आवास, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र, मिश्रित उपयोग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग
5.	मिश्रित	आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत स्वीकार्य समस्त गतिविधियां।
6.	सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं	अग्निशमन स्टेशन, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर/स्टेशन, विद्युत सब स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, रख रखाव कार्यालय, यातायात सुविधाएं, संचार सुविधाएं, अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी कार्य।
7.	यातायात एवं परिवहन	रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे लाईन/रेल्वे साइडिंग/यार्ड /आपरेशनल एरिया, बस स्टैण्ड, बस डिपो, ट्रान्सपोर्ट नगर, माल गोदाम, पार्किंग, सर्विस स्टेशन, रिपेयर वर्कशॉप।
8.	आमोद-प्रमोद नगर उद्यान	खेल का मैदान, पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, मनोरंजन साइट, मेला मैदान, घुड़सवारी, जिम्नेजियम मय वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाइंग क्लब, क्लब, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		उद्यान, मत्स्यालय, कैम्पिंग साईट, वाटर पार्क, वाटर पार्क मय राइडर, कियोस्क, पर्यटक/कुटीर, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, संग्रहालय, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, पम्प हाउस, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र ।
9.	कृषि	ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "कृषि" शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में वर्णित है। श्मशान घाट/कब्रिस्तान, ईट भट्टे, फ्लाय ऐश ब्रिक्स, दुग्ध डेयरी, तेल डिपो, फार्म हाउस, वेयर हाऊस, गोडाउन, विस्फोटक सामग्री संग्रहण, शासकीय/ अर्द्ध-शासकीय/ पंजीकृत संस्थाओं का कार्यालय एवं उनके द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य/शैक्षणिक/संचार गतिविधियाँ, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, ग्राम विकास संबंधी गतिविधियाँ (क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हाल, मैरिज गार्डन, बालगृह, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान व आध्यात्मिक केन्द्र, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता ब-शारीरिक विकलांगता), पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, नर्सरी, लाइब्रेरी, सेवाओं/सुविधाओं संबंधी, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट), ग्राम आबादी विस्तार, भवन सामग्री यार्ड, टिम्बर यार्ड, शीत संग्रहागार, दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, डेरी प्लांट, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, समस्त खेल गतिविधियाँ, बस स्टैण्ड, यातायात नगर सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग', कृषि पर्यटन

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		सुविधाएँ "" समस्त प्रकार के भण्डारण, सौर ऊर्जा, खुला मॉल।

नोट :-

- (1) 'सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।
- (2) "गैर-प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।
- (3) ""कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 (क) के अनुसार मान्य होगा।

6.8 विकास अनुज्ञा की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

विकास योजना प्रस्तावों के अंतर्गत आवेदनकर्ता को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानानुसार निम्न दस्तावेज/जानकारी संलग्न की जाना आवश्यक है :-

1. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 14, परिशिष्ट क-(1) में निर्धारित प्रपत्र पर अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें नियमानुसार समस्त जानकारी का समावेश होना चाहिए।
2. स्वामित्व संबंधी प्रमाण, खसरा पंचशाला, खसरा खतौनी, पंजीयननामा, प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण।
3. मध्यप्रदेश नगर पालिका कालोनी का विकास नियम, 2021 तथा मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनी का विकास) नियम, 2014 के अंतर्गत जानकारी।
4. भूमि का विवरण (स्थान के साथ सड़क/सड़कों के नाम जिस पर या जिसके सामने सम्पदा स्थित हो एवं भू-सीमायें)।
5. मूल खसरा मानचित्र जिसमें प्रश्नाधीन भूमि के क्रमांक अंकित हों, साथ ही प्रश्नाधीन भूमि की बाहरी सीमा से 200 मीटर के अंतर्गत निहित पास के खसरा क्रमांक दर्शाये हो, प्रश्नाधीन भूमि खसरा मानचित्र पर लाल रंग से चिन्हित की जायें।
6. विकसित क्षेत्र के प्रकरण में भूखण्ड क्रमांक तथा स्वीकृत अभिन्यास के विस्तृत विवरण सहित।
7. स्थल मानचित्र जिसमें प्रश्नाधीन भूमि चिन्हित हो, साथ ही मुख्य पहुँच मार्ग, भूमि के आसपास वर्तमान भू-उपयोग एवं महत्वपूर्ण स्थान।
8. 1:500/1000/2000 के स्केल पर सर्वे प्लान जिसमें प्रश्नाधीन भूमि की सीमा, प्राकृतिक स्वरूप जैसे नाले, गड्ढे, पहाड़ियाँ, वृक्ष, यदि भूमि समतल न हो तो कंटूर

- प्लान, प्रश्नाधीन भूमि में से या 200 मीटर तक की समीपस्थ भूमि से जा रही उच्च दाब विद्युत् लाईन, राईट ऑफ वे को दर्शाते हुए वर्तमान मार्ग।
9. सामान्य प्रतिवेदन के साथ प्रश्नाधीन भूमि चिन्हित हों, साथ ही मुख्य पहुँच मार्ग, भूमि के आसपास वर्तमान भू-उपयोग एवं महत्वपूर्ण भवन।
 10. प्रस्तावों के यथोचित परीक्षण हेतु प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित सभी विकासीय प्रस्ताव दर्शाता प्लान/मानचित्र।
 11. विकास प्रस्ताव के प्रकार जैसे-आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि पर एक प्रतिवेदन।
 12. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुरूप विकास/निवेश अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा। अनुज्ञा आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष में जमा शुल्क का चालान संलग्न होना चाहिए।
 13. अधिनियम के अंतर्गत आवश्यकप्रमाण/जानकारी या अधिनियम के अंतर्गत शासन द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूपप्रमाण/जानकारी एवं प्रश्नाधीन भूमि के विकास प्रस्ताव आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए।
 14. अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत सामान्य मानचित्रों के अतिरिक्त अपने प्राधिकृत वास्तुविद/यंत्री/नियोजक द्वारा हस्ताक्षरित याथोचित भू-दृश्यीकरण प्लान, जहां आवश्यक हो, वहां का परिवहन प्लान जिसमें वाहन एवं नगरीय रूपांकन योजना दर्शायी गई हो, को आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होंगे।

टीप :-

1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत योजना प्रस्ताव के परीक्षण करते समय राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रसारित निर्देशों एवं मार्गदर्शन का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
2. भूमि विकास/विकास अनुज्ञा संबंधी, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

6.9 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

(प्रस्तावित भू-उपयोग)

विकास योजना प्राप्ति हेतु निम्न की आवश्यकता होगी :-

- म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र।
- प्रश्नाधीन भूमि का मूल खसरा मानचित्र जिसमें इस भूमि तथा 200 मीटर तक के समीपस्थ खसरा क्रमांक दर्शित हों।
- अद्यतन खसरा पंचशाला एवं खसरा खतौनी।

अध्याय-7

विकास योजना क्रियान्वयन

विकास योजना प्रस्तावों को यथा संभव प्रयासों द्वारा निर्धारित समयावधि में क्रियान्वित किया जावे, तभी इसके तैयार करने की सार्थकता सिद्ध होगी। यह अपेक्षित है कि, इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण, पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि विकास करके योगदान देना होगा। इसलिए यह आवश्यक होगा कि, ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन, तकनीकी सलाह देकर किया जावे, जिससे कि विकास एवं निर्माण विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना के उपबंधों के अनुरूप हो सके। विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा, जब म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी विकास कार्य चाहे वह शासकीय/अर्धशासकीय स्थानीय संस्थायें या निजी अथवा व्यक्तिगत हो, उसकी अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त कर किया जावे। भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 एवं म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में निहित है।

विकास योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 38 (1) के अंतर्गत गठित नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी अलीराजपुर द्वारा किया जावेगा। जब तक विकास प्राधिकारी का गठन नहीं होता तब तक क्रियान्वयन का दायित्व नगर पालिका परिषद् अलीराजपुर द्वारा वहन किया जावेगा। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश गृह निर्माण, अधोसंरचना विकास मंडल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, नगर पालिकापरिषद् आदि द्वारा भी अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाता है, उससे विकास योजना के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। इसलिए यह अपेक्षित होगा कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु शासकीय/अर्धशासकीय निकाय, विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें तथा उसके अनुरूप बजट में भी प्रावधान किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति के अंतर्गत निम्नानुसार प्राथमिकता निर्धारित है :-

- भूमि का कुशलतम उपयोग।
- विकसित भूखण्ड एवं निर्मित आवास उपलब्ध कराना।
- अधोसंरचना और सेवाओं का संवर्धन एवं विकास।
- सहभागिता आधारित भूमि प्रदाय तथा अधोसंरचना विकास प्रस्ताव।
- प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन।
- सांस्कृतिक धरोहर क्षेत्रों का संरक्षण एवं संवर्धन।

7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव वर्ष 2035 तक की कालावधि के लिए है। वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में लगभग 49972.75 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है। इसमें विभिन्न भूमि उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं 60 प्रतिशत भूमि के विकास पर व्यय, नये मार्गों एवं ओव्हर ब्रिज का निर्माण आदि शामिल है। भूमि अर्जन की औसत दर 50.00 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर मानी गई है।

विकास योजना में दर्शित प्रथम चरण के घटक प्राथमिकता के आधार पर विकसित किये जायेंगे, जिसमें होने वाले व्यय हेतु शासन एवं अनुदान/जिला प्रशासन के बजट से विकलनीय होगा।

योजनाक्रियान्वयन की लागत 2035

7-सा-1

क्र	भूमि उपयोग विवरण	क्षेत्र (हेक्टेयर में)		भू-अर्जन लागत (रु. 50 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से)	उपलब्ध भूमि का 60 प्रतिशत विकास			कुल लागत (रु. लाख में)
		विकास हेतु उपलब्ध भूमि	भूमि के अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र		क्षेत्र (हेक्टेयर में)	विकास दर प्रति हेक्टेयर (रु. लाख में)	लागत (रु. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आवासीय	275.63	55.15	2757.50	165.38	100	16537.50	19295.00
2	वाणिज्यिक	19.25	5.80	290.00	11.55	100	1155.00	1445.00
3	मिश्रित	91.10	27.35	1367.50	54.66	100	5466.00	6833.50
4	औद्योगिक	35.11	17.55	877.50	21.07	100	2107.00	2984.50
5	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक	66.90	26.75	1337.50	40.14	100	4014.00	5351.50
6	सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00
7	आमोद-प्रमोद	3.70	1.10	55.00	2.22	50	110.75	165.75
8	यातायात एवं परिवहन	142.54	106.90	5345.00	85.53	100	8552.50	13897.50
कुल		634.23	240.60	12030.00	380.54		37942.75	49972.75

नोट:- उपरोक्त सारणी में वर्णित आंकड़ें सांकेतिक स्वरूप की है।

7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है। विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु नगर पालिका परिषद् अलीराजपुर मुख्य क्रियान्वयनकारी संस्था है। इसके अतिरिक्त अन्य विकास कार्यों से संबंधित विभाग तथा निजी भू-स्वामी/संस्था/फर्म/कंपनी आदि भी विकास योजना का क्रियान्वयन करेंगे। निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारित की जाएगी:-

- प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू-स्वरूप।
- भूमि का कुशलतम उपयोग।
- अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/संधारण।
- भूमि प्रदाय तथा अधोसंरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव।
- समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना।
- उपरोक्त उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है :-
 - (अ) पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम।
 - (ब) नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम।
 - (स) राज्य आवास एवं पर्यावास नीति 2007 के अंतर्गत भूमि विकास।
- मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू-उपयोग के विकास हेतु अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जायेगा कि, मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय संस्था को विकास हेतु उपलब्ध हो सके।
- आवासीय परिक्षेत्रों में चिकित्सा एवं इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय से संबंधित उपक्रम विद्युत शक्ति की सीमा से मुक्त होंगे।
- आवासीय परिक्षेत्र में भू-खण्ड का आकार, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56 के अनुसार जहां कहीं विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो, नियंत्रित होगा।

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण से तात्पर्य उन चरम पर्यावरण संबंधी समस्याओं से है, जो जल स्रोतों के संरक्षण, इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्ट भू-स्वरूप तथा जल स्रोतों के जलग्रहण क्षेत्रों से संबंधित कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित है।

अन्य पर्यावरण समस्याएँ, जैसे नगरीय अपशिष्ट के उपचार, निराकरण, इसके पुनर्चक्रीकरण/पुनः उपयोग एवं नगर विस्तार के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या के व्यवस्थापन से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित हैं।

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व

उपरोक्त संवेदनशील बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय हैं :-

1. जल स्रोतों में जल-मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम।
2. जल फैलाव क्षेत्रों में "स्टॉपडेम" द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक उपयोग निषेध।
3. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण।
4. सभी जल स्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था।
5. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में रुफ टॉप वॉटर हार्वेस्टिंग के प्रावधान किये गये हैं। स्थानीय प्राधिकारी द्वारा इन प्रावधानों को सुनिश्चित कराने हेतु ठोस कदम उठाने होंगे।

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा :-

- संस्था का गठन।
- विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन।
- भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रुपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग।
- नगरवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान।

नगर अधोसंरचना और सेवा कार्यक्रम के प्रमुख तत्व

- नियंत्रित विकास।
- अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन।
- एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना।
- विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण।
- समयबद्ध विकास अनुज्ञा प्रक्रिया हेतु तंत्र उपलब्ध कराना।

• 7.4.1 नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भू-स्वामी/विकासकर्ता/सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जाएगा। यहां समन्वयक संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी। सार्वजनिक संस्थायें, प्रमुख सेवायें, क्षेत्र के एकीकृत नियोजन एवं रुपांकन हेतु उत्तरदायी होंगी।

● 7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से अनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है। नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है।

● 7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढांचे के अनुरूप क्रियान्वित एवं तैयार किया जा सकेगा। वार्षिक योजना/वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जायेगा, जिससे पांच वर्षीय नगर विकास कार्यक्रम सामने आ सकेगा। मूलतः यह कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम होगा।

नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वय प्राधिकारी द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जायेगा। यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण, लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्त खण्ड एवं उपवृत्त खण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथाशासकीय एवं अर्ध शासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शायेगा। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किये जाने वाले नगर मार्ग तंत्र तथा मुख्य सेवा-सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा। इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका सुविधादायक के रूप में होगी।

योजना क्रियान्वयन हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना उपयुक्त होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य क्षेत्रों से एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा।

एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढांचे के अंतर्गत किया जाकर लक्ष्य की पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है :-

- एकीकृत नगरीय विकास योजना के तत्वों की पहचान।
- कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान।
- विकास योजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण।
- एकीकृत नगरीय विकास योजना तैयार करना।

- निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना जो सहभागिता का उपयोग करते हुए, विकास में समन्वित विकास का दृष्टिकोण रखते हों।
- समन्वय अधिकारियों और अन्य वृत्त खण्डीय/एजेंसियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना।

7.5 योजना एवं कार्यक्रम

(अ) आलोच्य क्षेत्रों के विकास हेतु इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए दो चरणों में प्रावधान है, प्रथम चरण वर्ष 2028 तक की आवश्यकताओं, द्वितीय चरण 2035 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा।

(ब) योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से संसाधन गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है।

(स) योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिए नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास क्रियान्वित किया जायेगा :-

- भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना।
- मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारण करना, जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी कार्यरूप दे सके।
- भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं को साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी भूमि विकास कार्यक्रम की नीतियां तैयार करना।
- परिसीमन अधोसंरचना के प्रावधान के साथ-साथ लगभग 5 से 10 हेक्टेयर आकार के अर्धविकसित भू-खण्डों को सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने हेतु भूमि विकास कार्यक्रम को मूर्त रूप देना।
- योजना के दोनों चरणों में आवश्यक जलापूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्रोतका विकास।
- नगरीय विकास के प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु अधोसंरचना, पावर ग्रिड एवं जल निकास व्यवस्था का विकास।

- भूमि विकास कार्यक्रम, नगरीय विकास परियोजनायें साथ ही लक्षित समूह आवासों के विकास के क्रियान्वयन हेतु एक विशेष नियोजन एवं विकास अनुज्ञा प्रणाली तैयार करना चाहिए।
- एक विशेष परिणाम मूलक भूमि निष्पादन नीति तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि निवेश ईकाईयों के विकास तथा सभी सहभागियों के संसाधनों में गतिशीलता लाई जा सके।
- मुख्य जल स्रोत में वृद्धि एवं ऊर्जा वितरण केन्द्रों की स्थापना।

संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशक सिद्धांत निम्नानुसार है :-

- यह सुनिश्चित करना कि, उपलब्धता में कमी तथा उपयुक्त अधोसंरचना में कमी के कारण विकास अवरुद्ध न हो।
- उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना।
- बिखरे हुए, नगरीय विकास के लिए पहुँच मार्ग उपलब्ध करना।
- अर्ध विकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन।
- भू-स्वामियों, सामाजिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना।

7.6 प्रथम चरण कार्यक्रम

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. आवासीय | — | गंदी बस्ती क्षेत्र की बसाहट की पुनर्स्थापना। |
| 2. वाणिज्यिक | — | यातायात नगर, एवं उससे संलग्न विशिष्ट वाणिज्यिक क्षेत्रों का विकास। |
| 3. औद्योगिक | — | नवीन औद्योगिक क्षेत्र का विकास। |
| 4. आमोद-प्रमोद | — | वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित उद्यान आदि का विकास। |
| 5. यातायात एवं परिवहन | — | बस स्थानक एवं मार्गों का विकास। |

● 7.6.1 प्रथम चरण लागत

विकास योजना के प्रथम चरण में चयनित घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि उपयोग के अंतर्गत लगभग 20: भूमि अधिग्रहित कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत

सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 17491.05 लाख होगी।

विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण आगामी सारणी में दिया गया है :-

प्रथम चरण क्रियान्वयन लागत

7-सा-2

क्र	भूमि उपयोग विवरण	भू-अर्जन हेतु भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)	भू-अर्जन की लागत (रु. 50 लाख प्रति हेक्टेयर के मान से)	विकसित की जाने वाली भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	विकास दर प्रति हेक्टेयर (रु. लाख में)	लागत (रु. लाख में)	कुल लागत (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	25.90	1295.00	73.30	100	7330.35	8625.35
2	मिश्रित	5.66	283.00	6.84	100	683.55	966.55
3	वाणिज्यिक	3.15	157.50	23.34	100	2334.15	2491.65
4	औद्योगिक	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
5	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक	1.66	83.00	14.58	100	1457.85	1540.85
6	सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
7	आमोद-प्रमोद	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
8	यातायात एवं परिवहन	13.55	677.50	31.89	100	3189.15	3866.65
	कुल	49.92	2496.00	149.95		14995.05	17491.05

नोट:- उपरोक्त सारणी में वर्णित आंकड़े सांकेतिक स्वरूप की है।

● 7.6.2 संसाधन गतिशीलता

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है। वर्तमान में नगर विकास निवेश हेतु अलग-अलग प्रयास किये गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप संसाधन का अपव्यय होता है। नियोजन में निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती थी। नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्तमान में भूमि का उपयोग कर नगर विकास में निवेश के प्रयास तदर्थ एवं पृथक-पृथक रहे हैं, जिसमें उपलब्ध बहुल अवसरों एवं क्षमता को नगर के लिए नगरीय वृद्धि एवं नगरीकरण के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत भूमि बाजार को नियंत्रित करते हुए गतिशीलता दी जा सकती है।

स्थानीय राजस्व को सृजित करने के लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है जो कि, नगर में कार्यरत नगर भूमि बाजार को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। इस संसाधन गतिशीलता के लिए संभावित उपाय बैटरमेंट शुल्क, भूमि उपयोग व्यपवर्तन शुल्क, स्वीकार्य गतिविधियों की अनुमति हेतु शुल्क (आवासीय के अलावा), हस्तांतरण शुल्क, लीज शुल्क, खुले क्षेत्रों के उपयोग का शुल्क आदि हो सकते हैं। इस तरह से संकलित की गई राशि का उपयोग आलोच्य क्षेत्रों में अधोसंरचना में निवेश के लिए ही केवल उपयोग किया जाना चाहिए।

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिन्हित किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगा।

7.7 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित है :-

- पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना।
- आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण।
- प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत नगर विकास हेतु चिन्हित कार्यक्रम से संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना।
- वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं आलोच्य अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश कर निर्धारण।
- आलोच्य क्षेत्रों की सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका का निर्धारण।

- समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना।
- वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण।
- सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करते हुए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम का परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना।

योजना पर्यवेक्षण के लक्ष्य पूर्ति निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है :-

- (अ)स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति।
- (ब)नगर विकास प्राधिकरण/नगर पालिकापरिषद् द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना।
- (स)नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन।
- (द)समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- (इ)वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन।

विकास योजना की सफलता, विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रमों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संसाधनों की गतिशीलता पर निर्भर करता है। यह योजना क्रियान्वयन एवं पुनर्विलोकन के साथ-साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरांत तदानुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करता है।

7.8 नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति का गठन

विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का दायित्व मुख्यतः नगर पालिका परिषद् का होगा। अपितु इसके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएँ एवं विभाग भी सहभागी होंगे। अतः अन्य क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-3130/32/2097 दिनांक 20.01.1998 एवं संशोधन आदेश क्रमांक एफ-3/55/32/98 दिनांक 12.08.1998 द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 2876 दिनांक 15.05.1998 में उल्लेखित कार्य पद्धति को अपनाते हुए नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी। नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के गठन होने तक यह दायित्व नगर पालिका परिषद् अलीराजपुर वहन करेगा।

• 7.8.1 वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

नगर पालिका परिषद् द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

7.9 योजना की व्याख्या

अलीराजपुर विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है। विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं, अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं :-

- विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना प्रतिवेदन में उल्लेखित विषय वस्तु के साथ-साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है।
- परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग, सारणी एवं विकास नियमन के अध्याय 6 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार होगा। नेबरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित है। अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है।
- ऐसे भूमि उपयोग, गतिविधियां जो प्रमुख भू-उपयोग वर्ग (मेजर लेण्ड यूज जोन) में परिभाषित नहीं हैं, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी, किन्तु जो स्वीकार्य भूमि उपयोग/स्वीकृत भूमि उपयोग सूची में शामिल है, वे भू-उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आयेंगे।
- विकास प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक बदलाव अपरिहार्य होता है। स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकी आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा। इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय, स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जायेगा।

7.10 योजना कालावधि

नगरीय विकास एक सतत् प्रक्रिया है, इसमें अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सभी घटकों के कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है। इसलिये नियोजन प्रक्रिया में कालावधि के आधार का निर्धारण किया जाता है। कालावधि के आधार पर ही नगर की भावी जनसंख्या, आवश्यकताओं आदि को अनुमानित मानकर भावी नगर का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। अलीराजपुर नगर के वर्तमान एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना हेतु वर्ष 2035 तक की कालावधि नियत की गई है। अतः नगर की भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण उपरोक्त कालावधि हेतु किया गया है। इसके अलावा दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव केवल विकास योजना कालावधि तक सीमित नहीं रखे जा सकते, क्योंकि नगर का विकास एक सतत् प्रक्रिया है एवं यह विकास योजना कालावधि के बाद के नगरीय विकास के लिये भी आधारभूत संरचना के रूप में उपयोगी सिद्ध होगी। अतः सागर विकास योजना के प्रस्ताव योजना कालावधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी विकास योजना पुनर्वलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा प्रस्तुत विकास योजना प्रस्तावों के संतुष्ट होने तक प्रभावशील रहेंगे।

परिभाषाएं

- **आवासीय भूखण्ड**
आवास, मिश्रित भू-उपयोग गतिविधियां।
- **आवासीय भूखण्ड-समूह आवास**
आवासीय प्लेट, कन्फेक्शनरी की फुटकर दुकान, किराना एवं सामान्य व्यापार, पुस्तकें एवं स्टेशनरी, दवाई दुकान, नाई, धोबी-लाण्ड्री, टेलर, सब्जी, दुकान (भूतल पर प्रत्येक हेतु 15 वर्गमीटर क्षेत्रफल के साथ)।
- **झुलाघर एवं डे-केयर सेंटर**
भू-तल पर 50 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल के साथ।
- **आवासीय प्लेट**
आवासीय, व्यवसायिक गतिविधि (आवासीय भूखण्ड अनुसार)।
- **आवास सहकार्य भूखण्ड**
आवास, भू-तल को फुटकर दुकानों के कार्यक्षेत्र के रूप में उपयोग लिया जा सकता है, गृह उद्योग एवं व्यक्तिगत दुकान।
- **छात्रावास, अतिथिगृह, बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह**
छात्रावास, अतिथिगृह, बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह, निगरानी कर्मियों के आवास (20 वर्गमीटर), व्यक्तिगत सेवा दुकान एवं नाई, धोबी, शीतल पेय एवं स्नेक्स (खाद्य) स्टॉल (15 वर्गमीटर)।
- **धर्मशाला**
धर्मशाला, धोबी, नाई की व्यक्तिगत सेवा दुकान, शीतल पेय एवं स्नेक्स (खाद्य) बार (15 वर्गमीटर तक)।
- **बारात घर**
बारात घर, शीतल पेय एवं स्नेक्स बार (15 वर्गमीटर तक)।
- **रात्रि आश्रय**
रात्रि आश्रय।
- **फुटकर मरम्मत एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान**
फुटकर दुकान, मरम्मत दुकान, व्यक्तिगत सेवा दुकान।
- **वेन्डिंग बूथ**
वितरण बूथ (वेन्डिंग बूथ)।
- **सुविधाजनक दुकानें**
फुटकर मरम्मत एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान, उपाहार गृह, क्लीनिक।
- **स्थानीय दुकानें**
फुटकर, दुरुस्ती एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान, वाणिज्यिक कार्यालय, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के परिशिष्ट में उल्लेखित वाणिज्यिक क्षेत्र में उल्लेखित उद्योग,

उपचार प्रयोगशाला, क्लीनिक एवं पॉली क्लीनिक, उपाहार गृह, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, डाकघर एवं बैंक विस्तार काउण्टर, नर्सिंग होम्स एवं अतिथिगृह।

- **साप्ताहिक बाजार**
साप्ताहिक बाजार, अनौपचारिक फुटकर व्यवसाय, शीतल पेय, स्नेक्स स्टॉल (सभी संरचनायें गतीयमान या अस्थायी स्वरूप होगी एवं सप्ताह में केवल एक दिवस)।
- **थोक व्यापार**
थोक दुकान, गोदाम एवं भण्डारण, वाणिज्यिक, कार्यालय (कुल तलीय क्षेत्र के 25 प्रतिशत तक प्रतिबंधित)।
- **भण्डारण, गोदाम एवं भण्डारगृह**
भण्डारण, गोदाम एवं भण्डारगृह, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), प्रशासकीय एवं विक्रय कार्यालय।
- **शीतगृह**
शीतगृह, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), प्रशासकीय कार्यालय।
- **गैस गोदाम**
गैस गोदाम, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), देख-रेख कार्यालय।
- **तेल डिपो**
तेल एवं गैस डिपो, आवासीय ईकाई (निगरानी एवं रख-रखाव कर्मचारियों हेतु), प्रशासकीय कार्यालय।
- **कबाड़खाना**
कबाड़खाना, निगरानी आवास, विक्रय कार्यालय।
- **वाणिज्यिक कार्यालय**
वाणिज्यिक कार्यालय, फुटकर एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान, उपाहार गृह, बैंक, डाक एवं तार घर।
- **बैंक**
बैंक, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), वाणिज्यिक कार्यालय, अल्पाहार गृह।
- **मोटर गैरेज एवं कर्मशाला**
मोटर गैरेज एवं कर्मशाला, फुटकर दुकान (कलपुर्जे) शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल।
- **छबिगृह**
छबिगृह, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), प्रशासकीय कार्यालय, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, फुटकर दुकान एवं वाणिज्यिक कार्यालय (कुल तलीय क्षेत्र के 20 प्रतिशत तक)।
- **पेट्रोल पम्प**
पेट्रोल पम्प, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, ऑटो मोबाईल मरम्मत दुकान।
- **रेस्टोरेंट/उपाहार गृह**
रेस्टोरेंट/उपाहार गृह।

- **होटल**
होटल, फुटकर एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान एवं वाणिज्यिक कार्यालय (कुल तलीय क्षेत्र के 5 प्रतिशत तक प्रतिबंधित)।
- **मोटल**
मोटल।
- **सेवा केन्द्र**
फुटकर, दुरुस्ती एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान, सेवा केन्द्रों में मान्य उद्योग जैसा कि पृथक से दिया गया है, गैस गोदाम, वाणिज्यिक कार्यालय।
- **हल्के औद्योगिक भूखण्ड**
हल्की उद्योग ईकाई भूमि विकास निगम 2012 की सूची अनुसार, प्रशासकीय कार्यालय, विक्रय केन्द्र, निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु तलीय क्षेत्र के 5 प्रतिशत या 50 वर्गमीटर से जो भी कम हो, तक के आवासीय प्लेट (निगरानी हेतु)।
- **पार्क**
पार्क, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल (एक हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल के पार्क हेतु)।
- **खेल मैदान**
खेल मैदान।
- **आउटडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम एवं शूटिंग रेंज**
स्टेडियम, स्थानीय शासन कार्यालय (रख-रखाव), निगरानी आवास (20 वर्ग मीटर), आवासीय प्लेट (रख-रखाव कर्मचारियों हेतु), फुटकर दुकान, उपाहार गृह।
- **आंतरिक खेल हॉल**
आंतरिक खेल हॉल, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल।
- **तरण पुष्कर**
तरण पुष्कर, निगरानी/रख-रखाव कर्मचारी आवास, उपाहार गृह।
- **आमोद-प्रमोद क्लब**
आमोद-प्रमोद क्लब, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), आवासीय ईकाई(रख-रखाव कर्मचारियों हेतु), तरण पुष्कर, आंतरिक एवं बाह्य खेल सुविधायें।
- **ऐतिहासिक स्मारक**
ऐतिहासिक स्मारक एवं उसकी सीमा के अंतर्गत का क्षेत्र।
- **वनस्पति उद्यान, पक्षी अभ्यारण एवं जीव उद्यान**
वनस्पति एवं जीव उद्यान, पक्षी अभ्यारण, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), आवासीय ईकाई (रख-रखाव कर्मचारियों हेतु), फुटकर, उपाहार गृह।
- **पिकनिक हट**
पिकनिक हंट।
- **मॉल एवं बुकिंग कार्यालय**
मॉल एवं बुकिंग कार्यालय, निगरानी आवास (20 वर्ग मीटर तक)।

- **रेल मॉल गोदाम**
रेल मॉल गोदाम, देख-रेख कार्यालय, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक)।
- **रेल बुकिंग कार्यालय एवं सड़क परिवहन बुकिंग कार्यालय**
रेल तथा सड़क परिवहन बुकिंग कार्यालय भण्डारण।
- **पार्किंग/वाहन विराम**
पार्किंग/वाहन विराम।
- **टैक्सी एवं तीन पहियां वाहन स्टैण्ड**
टैक्सी एवं तीन पहियां वाहन स्टैण्ड।
- **बस टर्मिनल**
बस डिपो, कार्यालय, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) हल्के पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, प्रशासकीय कार्यालय।
- **बस डिपो**
बस डिपो, कार्यशाला, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), हल्के पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, प्रशासकीय कार्यालय।
- **सार्वजनिक सुविधा परिसर**
ओव्हर हेड टैंक, भू-गर्भीय टैंक, ऑक्सीडेशन पॉण्ड्स, सेप्टिक टैंक, मल पंपिंग स्टेशन, सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय, विद्युत उपकेन्द्र, ढलाव एवं कचरादानी, धोबीघाट।
- **केन्द्रीय एवं स्थानीय शासकीय कार्यालय एवं सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय**
केन्द्रीय एवं स्थानीय शासकीय कार्यालय एवं सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), औषधि की फुटकर दुकानें, पुस्तकें एवं स्टेशनरी, कन्ज्यूमर स्टोर, (भूतल पर 15 वर्गमीटर तक प्रत्येक दुकान हेतु), अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर, डाकघर विस्तार काउण्टर।
- **न्यायालय**
न्यायालय, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), अल्पाहार गृह, स्टेशनरी एवं औषधि की फुटकर दुकानें (प्रत्येक 15 वर्गमीटर तक), ग्रंथालय, प्रशासकीय कार्यालय, बैंक डाक व तार घर, पुलिस चौकी, अधिवक्ताओं के चेम्बर।
- **चिकित्सालय**
चिकित्सालय, आवासीय ईकाई (कर्मचारियों एवं सेवा व्यक्तियों हेतु), संस्थागत होस्टल, चिकित्सा महाविद्यालय, फुटकर दुकान, कन्फेक्शनरी, किराना एवं सामान्य व्यवसाय, पुस्तकें एवं स्टेशनरी, औषधि, नाई, धोबी, सब्जी।
- **स्वास्थ्य केन्द्र एवं नर्सिंग होम**
स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, निगरानी आवास (प्रत्येक 20 वर्गमीटर तक), औषधि दुकान (प्रत्येक 15 वर्गमीटर तक)।
- **औषधालय**
औषधालय, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल।

- **क्लीनिक**

क्लीनिक।

- **उपचार प्रयोगशाला**

उपचारप्रयोगशाला, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल।

- **स्वयंसेवी स्वास्थ्य सेवा**

स्वयंसेवी स्वास्थ्य सेवा निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), प्रशासकीय कार्यालय, औषधालय, अल्पाहार गृह।

- **क्रेच एवं डे-केयर केन्द्र**

क्रेच एवं डे-केयर केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक)।

- **पूर्व प्राथमिक एवं किंडर गार्डन विद्यालय**

पूर्व प्राथमिक एवं किंडर गार्डन विद्यालय, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक)।

- **प्राथमिक विद्यालय**

प्राथमिक विद्यालय, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), पुस्तकें एवं स्टेशनरी दुकान (15 वर्गमीटर तक), शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल।

- **उच्चतर माध्यमिक, वरिष्ठ उच्चतर माध्यमिक एवं एकीकृत विद्यालय**

उच्चतर माध्यमिक, वरिष्ठ उच्चतर माध्यमिक एवं एकीकृत विद्यालय, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), पुस्तकें एवं स्टेशनरी, औषधि दुकान (15 वर्गमीटर तक), शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर, सभागृह, आंतरिक खेल हॉल, तरण पुष्कर, डाकघर काउण्टर सुविधा।

- **एकीकृत आवासीय विद्यालय एवं महाविद्यालय (व्यावसायिक महाविद्यालय समेत)**

विद्यालय एवं महाविद्यालय, आवासीय फ्लेट (रख-रखाव कर्मचारियों हेतु), संस्थागत होस्टल, 15 वर्गमीटर प्रत्येक तक की फुटकर दुकानें, कन्फेक्शनरी, किराना एवं सामान्य व्यवसाय, पुस्तकें एवं स्टेशनरी, औषधि, नाई, धोबी, सब्जी, अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर, सभागृह, आंतरिक खेल हॉल, तरण पुष्कर, खेल मैदान, काउण्टर सुविधा)।

- **व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान**

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) (होस्टल), केवल शासकीय केन्द्रों के प्रकरणों में, पुस्तकें एवं स्टेशनरी दुकानें (15 वर्गमीटर तक), अल्पाहार गृह, ग्रंथालय।

- **सामाजिक कल्याण केन्द्र**

सामाजिक कल्याण केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), अल्पाहार गृह, प्रदर्शनी-सह-विक्रय काउण्टर।

- **अनुसंधान एवं विकास केन्द्र**

अनुसंधान एवं विकास केन्द्र निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), आवासीय फ्लेट (रख-रखाव कर्मचारियों के लिए), होस्टल, अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर, ग्रंथालय, डाकघर, काउण्टर सुविधा।

- **ग्रंथालय**

ग्रंथालय, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), अल्पाहार गृह, प्रदर्शनी एवं कला वीथिका, सभागृह।

- **तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र**
तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय ईकाई (रख-रखाव कर्मचारियों हेतु), पुस्तकें एवं स्टेशनरी तथा औषधि दुकान (प्रत्येक 15 वर्गमीटर तक), अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर, सभागृह काउण्टर सुविधा।
- **खेल प्रशिक्षण केन्द्र**
खेल प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय फ्लेट (रख-रखाव कर्मचारियों हेतु) फुटकर दुकानें (कन्फेक्शनरी, किराना एवं सामान्य व्यवसाय), छात्रावास, बैंक, डाकघर, अल्पाहार गृह एवं आउटडोर स्टेडियम, तरण पुष्कर, खेल मैदान।
- **मोटर चालन प्रशिक्षण केन्द्र**
मोटर चालन प्रशिक्षण केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल।
- **बाल यातायात उद्यान**
बाल यातायात उद्यान, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, संग्रहालय, सभागृह।
- **संग्रहालय, प्रदर्शनी केन्द्र एवं कला वीथिका, सभागृह एवं खुला रंग मंच**
संग्रहालय, प्रदर्शनी केन्द्र एवं कला वीथिका, सभागृह एवं खुला रंग-मंच, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), अल्पाहार गृह।
- **सामुदायिक हॉल**
सामुदायिक हॉल, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल।
- **मेला मैदान**
मेला मैदान, आवासीय ईकाई (रख-रखाव कर्मचारियों हेतु), प्रदर्शनी केन्द्र (अस्थाई स्वरूप में), उपाहारगृह, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, पुलिस पोस्ट, अग्निशमन केन्द्र, बैंक विस्तार काउण्टर सुविधा, डाकघर काउण्टर सुविधा।
- **सांस्कृतिक एवं प्रसार केन्द्र**
सांस्कृतिक एवं प्रसार केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), छात्रावास, अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर सुविधा, सभागृह (500 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता तक), ग्रंथालय, प्रदर्शनी एवं कला वीथिका।
- **सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान**
सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, उपाहार गृह, अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर सुविधा, सभागृह, ग्रंथालय, नृत्य, संगीत एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, संग्रहालय, प्रदर्शनी केन्द्र तथा कला वीथिका।
- **सुधारगृह एवं अनाथालय**
सुधारगृह एवं अनाथालय, आवासीय फ्लेट (रख-रखाव कर्मचारियों हेतु), छात्रावास, व्यक्तिगत सेवा दुकान (15 वर्गमीटर तक)।
- **धार्मिक परिसर/भवन**
1. मंदिर, 2. मस्जिद, 3 चर्च, 4. गुरुद्वारा, 5. यहूदियों का देवालय, 6. आश्रम, 7. स्नानघाट, 8. गौशाला, 9 दरगाह, 10. धर्मार्थ औषधालय एवं ग्रंथालय।

- **एकाग्रता/योग केन्द्र, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र**
योग/एकाग्रता केन्द्र, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), छात्रावास, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल।
- **पुलिस चौकी**
पुलिस चौकी, आवश्यक कर्मचारी आवास।
- **फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला**
फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला।
- **जेल**
जेल एवं आवश्यक आवास (कर्मचारियों के लिए)।
- **अग्निशमन केन्द्र**
अग्निशमन केन्द्र, आवासीय ईकाई (रख-रखाव कर्मचारियों हेतु), छात्रावास (कर्मचारियों हेतु), सेवा कार्यशाला।
- **डाकघर, डाक व तार कार्यालय एवं सामान्य डाकघर**
डाकघर, डाक व तार कार्यालय एवं सामान्य डाक घर, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), अल्पाहार गृह।
- **दूरभाष केन्द्र**
दूरभाष केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), छात्रावास, अल्पाहार गृह, ग्रंथालय।
- **दूरसंचार टॉवर**
दूरसंचारटॉवर, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक)।
- **दूरसंचार केन्द्र तथा वेधशाला एवं जलवायु कार्यालय**
दूरसंचार एवं उपग्रह केन्द्र तथा वेधशाला एवं जलवायु कार्यालय, आवासीय प्लेट (रख-रखाव कर्मचारियों हेतु) अल्पाहार गृह, अनुसंधान प्रयोगशाला।
- **आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्र**
आकाशवाणी एवंदूरदर्शन केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), अल्पाहार गृह, छात्रावास, पुस्तकालय।
- **कब्रिस्तान, शवदाह गृह, सिमेंट्री एवं विद्युत दाहगृह**
कब्रिस्तान, शवदाह गृह, सिमेंट्री एवं विद्युत दाहगृह, लकड़ी, फूल एवं संबंधित सामग्री की फुटकर दुकानें, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक)।
- **नर्सरी/पौधशाला**
पौधशाला, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), सभी संरचनायें अस्थाई स्वरूप की होंगी।
- **वन**
वन
- **डेयरी फार्म**
डेयरी फार्म, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) सभी संरचनायें अस्थायी स्वरूप की होंगी।
- **मुर्गी पालन फार्म**
मुर्गी पालन फार्म, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) सभी संरचनायें अस्थायी स्वरूप की होंगी।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(नियम 14 देखिए)

नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 16 या 29(1) के अधीन विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रारूप

प्रति,

.....

महोदय,

में नगरतहसीलजिला
 के कॉलोनीया मोहल्ला या बाजारग्राममें
 स्थित खसरा क्रमांक भू-खण्ड क्रमांकक्षेत्र
 हेक्टेयर/वर्ग मीटर(विकास के प्रयोजन का उल्लेख करें) में तथा
 मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 16 के अनुसार विकास करना चाहता हूँ
 और मैं इसके साथ मेरे तथावास्तुविद् या संरचना इंजीनियर या इंजीनियर
 नगर निवेशक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) अनुज्ञप्ति क्रमांक.....जो इसके
 विकास का पर्यवेक्षण करेगा द्वारा सम्यक् हस्ताक्षरित तथा प्राधिकृत निम्नलिखित रेखांक
 दस्तावेज तथा विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अग्रेषित करता हूँ :-

1. मुख्य रेखांक (नियम 16(3)अनुसार) :
2. स्थल रेखांक (नियम 16(4)अनुसार) :
3. उपविभाग/अभिन्यास योजना (नियम 16(5)अनुसार) :
 (सबडिवीजन/ले-आउट प्लान)
4. सेवा आयोजना रेखांक (नियम 16(7)अनुसार) :
5. प्रस्तावित विकास कार्य को दर्शाते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट :
6. स्थल के संबंध में भूमि स्वामित्व अथवा कोई विधिक अधिकार के सबूत दर्शाने
 वाले दस्तावेज (नियम 16(11)अनुसार) :
7. नजूल अनापत्ति की कापी (नियम 16(11)अनुसार) :
8. आवेदन शुल्क की पावती की प्रति (नियम 21 (2) (झ)अनुसार) :
9. इस आवेदन के साथ स्वामी द्वारा अधिकृत किये गये आवेदन के सबूत प्रस्तुत
 करें (जहां आवेदन स्वामी से भिन्न हो) :

10. पार्किंग संगणना के साथ पार्किंग प्लान :
11. ऊपर दिए गए अनुक्रमांक 1 से 10 की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी :

मैं निवेदन करता हूँ कि, प्रस्तावित विकास कार्यो को अनुमोदित किया जाए और मुझे/हमें कार्य निष्पादित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

आवेदक का पता

ई-मेल पता

दूरभाष/मोबाइल न.

दिनांक

परिशिष्ट-2

(नियम 49 टिप्पणी 4 देखिए)

विकास अथवा क्षेत्रीय आयोजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने का प्रारूप

प्रति,

प्रधिकारी

.....

.....

मध्यप्रदेश

महोदय,

मैं एतद् द्वारा शहर/जिला
 मौहल्ला/बाजार/तहसील कॉलोनी/गली/ग्राममें
 भूखण्ड क्रमांक खसरा क्रमांक भूमि के विकास/पुनर्विकास करने
 का इच्छुक हूँ। क्षेत्र से संबंधित विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना से संबंधित प्रस्ताव
 ऊपर निर्दिष्ट भूमि के लिए उपखण्ड योजनाएं तैयार करने के लिये आवश्यक भुगतान
 किया जा चुका है और रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है :-

आवेदक अथवा स्वामी के हस्ताक्षर

आवेदक अथवा स्वामी का नाम

(स्पष्ट अक्षरों में)

आवेदक अथवा स्वामी का पता

दिनांक :-

परिशिष्ट-3

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं (पर्यावरण शाखा) पर्यावरण विभाग
दिनांक 05 नवम्बर 2005

क्रमांक एफ. 3-86-2005-बत्तीस-मध्यप्रदेश नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत में राज्य सरकारी एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4463-5667-32, दिनांक 8 दिसम्बर 1976 से गठित अलीराजपुर निवेश क्षेत्र की सीमाये निम्न अनुसूची में दर्शाये अनुसार संशोधित करती है :-

:: अनुसूची ::**अलीराजपुर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमायें**

- उत्तर में — ग्राम रामसिंह की चौकी की उत्तरी सीमा तक ।
- पश्चिम में — ग्राम दीपा की चौकी तथा चिचलगुडा की पश्चिमी सीमा तक ।
- दक्षिण में — ग्राम गडात, भूरीया कुआँ तथा ग्राम लखनकोट की दक्षिणी सीमा तक ।
- पूर्व में — ग्राम लखनकोट, राक्सा, बोरखड तथा रामसिंह की चौकी पूर्व सीमा तक ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एन. त्रिपाठी, उपसचिव.

परिशिष्ट-4

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्रामीण नियोजन इन्दौर

सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) में अनुसरण में सर्व साधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग इन्दौर द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट अलीराजपुर निवेश क्षेत्र में की भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदनुसार सम्यकरूप से अंगीकृत किया जाता है इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15(4) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है

:: अनुसूची ::

अलीराजपुर निवेश क्षेत्र की सीमायें

- उत्तर में – अलीराजपुर नगर की उत्तरी सीमा तक।
- पश्चिम में – अलीराजपुर नगर की पश्चिम सीमा तक।
- दक्षिण में – ग्राम भूरिया कुआँ तथा लखनकोट ग्राम की दक्षिण सीमा तक।
- पूर्व में – ग्राम लखनकोट तथा अलीराजपुर नगर पूर्वी सीमा तक।

उक्त अंगीकृत मानचित्र दिनांक 13 अप्रैल, 1978 से 19 अप्रैल 1978 तक नगर पालिका अलीराजपुर के चन्द्रशेखर आजाद भवन में सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर खुला रहेगा।

हस्ता./-

(व्ही.के. जैन)

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्रामीण नियोजन इन्दौर

परिशिष्ट-5

मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 3(1) पृष्ठ क्रमांक 436

दिनांक 24 मार्च 2006 में प्रकाशित

कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला

कार्यालय, झाबुआ

अधिसूचना

क्रमांक 139/दि. 8 मार्च, 2006 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में अलीराजपुर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किए गए अतिरिक्त ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग सम्बन्धी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन कर सर्वसाधारण से उनकी आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए गए तथा प्राप्त आपत्ति/सुझावों की उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अनुसरण में ऐसे व्यक्तियों का जिन्होंने की आपत्ति तथा सुझाव प्रस्तुत किए हैं। सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर ऐसे उपान्तरण कर लिए गए हैं जिन्हे वांछनीय समझा गया है।

अतः एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 (3) अधीन अलीराजपुर निवेश क्षेत्र के उक्त ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग सम्बन्धी मानचित्र एवं रजिस्ट्रों का तदानुसार सम्यक रूप से दिनांक 8 मार्च 2006 को अंगीकृत किया जाता है तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 (3) के अनुसरण में इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजा जा रहा है। जो इस बात का साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार कर लिया गया है।

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर की प्रति दिनांक 14 मार्च 2006 से दिनांक 28 मार्च 2006 तक कार्यालय मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद अलीराजपुर में कार्यालयीन समय में सर्व-साधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेंगे।

अनिता कुरेठे
सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
झाबुआ

परिशिष्ट-6

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 1998

क्रमांक-एफ 3/130/32/97- राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश के जिन नगरों की विकास योजनाएँ अनुमोदित हैं, की विकास योजनाओं क्रियान्वयन हेतु की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए निम्नानुसार 'नियोजन एवं पर्यवेक्षण' समिति का गठन करता है।

- | | |
|---|------------|
| 1. संभागी मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर। | अध्यक्ष |
| 2. नगर तथा ग्राम निवेश का संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी। | सदस्य |
| 3. मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल का उपायुक्त/कार्यपालन यंत्री। | सदस्य |
| 4. संबंधित आयुक्त, नगरपालिका निगम/मुख्य कार्यापालन अधिकारी नगरपालिका। | सदस्य |
| 5. लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री। | सदस्य |
| 6. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री। | सदस्य |
| 7. मध्यप्रदेश विधुत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री। | सदस्य |
| 8 (अ) संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित है) | सदस्य-सचिव |
| (ब) संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित नहीं है) | सदस्य-सचिव |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जी. व्ही. उपाध्याय, उपसचिव.

परिशिष्ट -7

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल
 क्रमांक 2876 /नग्रानि /वि.यो./98 भोपाल, दिनांक 15 मई 1998
 प्रति

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
2. आयुक्त / मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर निगम नगरपालिका

विषय :- विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति की कार्यवाही हेतु रूपरेखा ।

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 3ध130ध32ध97. दिनांक 20 जनवरी, 1998 द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी गठित कि गई नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति की कार्य पद्धति की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानुसार है:-

1. पर्यवेक्षण समिति निम्न क्षेत्रों में क्रियान्वयन स्थिति का पर्यवेक्षण करेगी
 - (अ) नगरीय अधोसंरचना का विकास
 - (ब) आवासीय एवं आश्रय योजनाओं का विकास
 - (स) सार्वजनिक सुविधाओं एवं नगरीय केन्द्रों / उप केन्द्रों का विकास
 - (द) आमोद-प्रमोद क्षेत्रों का विकास
2. समिति निम्नलिखित कार्यों के प्रगति की समीक्षा हेतु 3 माह में एक बार बैठक करेगी-
 - (अ) कार्यक्रम का चयन
 - (ब) परियोजना तैयारीकरण
 - (स) परियोजना क्रियान्वयन एवं वित्तीय व्यवस्था
 - (द) कार्यक्रम क्रियान्वयन के मूल्यांकन के फलस्वरूप वांछित सुधार
3. समिति निम्नलिखित व्यवस्था अनुसार वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी-
 विकास प्राधिकरण / स्थानीय निकाय द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वर्षी विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें नियोजन / क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुसंशित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश म. प्र. के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तथा संचालक द्वारा प्रतिवेदन का अनुमोदन कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

हस्ता.

(के. के. सिंह)
 संचालक,
 नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल,
 मध्यप्रदेश

परिशिष्ट -8

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विकास
मंत्रालय
संशोधन

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त, 1998

क्रमांक एफ 3/55/32/ 98- राज्य शासन एतद्वारा नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन एवं क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं के समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3/130/32/97, दिनांक 20 जनवरी 1998 द्वारा संभागायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित "नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति" आंशिक संशोधन करता है (1) समिति में निम्नलिखित भी सदस्य के रूप में शामिल किये जा सकते हैं:-

1. सांसद, संबंधित क्षेत्र
2. अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण
3. अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत
4. महापौर, संबंधित नगरपालिका निगम
5. अध्यक्ष, संबंधित नगरपालिका
6. अध्यक्ष, संबंधित नगर पंचायत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल
के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

विधि और विधायी कार्य विभाग

Bhopal the 14th May 2023

F.No. 2134/XXI-B(One)/2023 - In supersession of all previous notifications issued on the subject Indian Law Reports by the High Court of Madhya Pradesh, prior to this date, the Governor of Madhya Pradesh, in consultation with the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh is pleased to make the following rules in respect to publication of the Indian Law Reports, Madhya Pradesh series, namely :-

1. The Editorial staff of the Indian Law Reports, Madhya Pradesh Series, shall consist of one Chief Editor (part-time), three Editors (part-time). One Assistant Editor and eight Reporters (part-time).
2. (1) The Chief Editor, Editors, Assistant Editor and Reporters shall work under the control and supervision of a Committee to be constituted as follows :-
 - (i) One Puisne Judge of the High Court of Madhya Pradesh to be nominated by the Chief Justice;
 - (ii) The Advocate General (ex-officio);
 - (iii) Three Advocates practicing in the High Court to be nominated by the Chief Justice;
 - (iv) The Chief Editor (ex-officio);
 - (v) The Principal Registrar;
 - (vi) The Principal Registrar (Judicial) (ex-officio).

- (2) The Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh shall be the Parton-in-Chief of the Indian Law Report (Madhya Pradesh) Committee.
 - (3) The Puisne Judge, nominated by the Chief Justice, shall be the Chairman of the Committee.
 - (4) The Secretary of the Committee shall be nominated by the Chief Justice.
3. (1) The Chief Editor, the Editors and the Reporters shall be appointed by the Governor on the recommendation of the Chief Justice.
- (2) The Chief Editor and the Editors may be appointed on part-time basis. The term of office of the Chief Editor/Editors shall be five years, however, he shall be eligible for re-employment for successive terms of five years by the Chief Justice. Ordinarily no person shall be appointed as a Chief Editor/Editor after the age of sixty years.
 - (3) The Reporters shall be appointed on part-time basis for a period of three years but shall be eligible for re-appointment for successive periods of three years by the Chief Justice. Ordinarily no person shall be appointed as Reporter after the age of sixty.
 - (4) The Chief Editor/Editors and the Reporters shall be entitled to such pay as may from time to time be fixed by

the Governor on the recommendation of Chief Justice. The Chief Justice may at any time dispense with the services of the Chief Editor/Editor(s) and the Reporter(s) after giving one month's notice.

- (5) In case the Chief Editor, any Editor or any Reporter is unwilling to continue with ILR, he/she shall tender his/her resignation in writing to the Chief Justice, with one month's prior notice.
4. The strength of Editor, Assistant Editor and Reporters may be revised by the Committee from time to time and if required may enhance the strength with the approval of the State Government.
 5. The Committee may, with the previous approval of the Chief Justice, make/amend Rules to conduct the business of the Committee.
 6. The reports shall be published under the authority of the State Government and the Committee is hereby empowered to publish them under such authority.
 7. The Committee is hereby empowered to authorize the incumbent Principal Registrar, ILR to publish his name as the Publisher of ILR, Madhya Pradesh Series, in its issues for the purpose of registration with the Registrar of Newspapers for India, New Delhi.
 8. The Registrar General of the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, shall have the power to enter into an agreement with any private Printing Press and shall have the power to incur the necessary expenses and make payment of printing bills within the limits prescribed by the Chief Justice/Revenue Department of Government of Madhya Pradesh, Bhopal, as the case may be.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. K. DWIVEDI, Principal Secy.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मई 2023

शुद्धि-पत्र

क्रमांक-यूडीएच/3/0063/2022/18-5 :- नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक-यूडीएच/3/0063/2022/18-5 दिनांक 09/05/2023 को जारी सूचना के कण्डिका-1 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. आयुक्त, इंदौर संभाग इन्दौर म0प्र0 ।
 2. कलेक्टर, जिला इन्दौर म0प्र0 ।
 3. कलेक्टर, जिला-धार, म0प्र0 ।
 4. संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इंदौर म0प्र0 ।
 5. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद पीथमपुर जिला-धारा म0प्र0
 6. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद् बेटमा, तहसील देपालपुर जिला इन्दौर म0प्र0 ।
- 2/- शेष कण्डिकाये यथावत रहेगी ।

CORRIGENDUM

No. UDH-3/0063/2022/18-5: Amendment is made in point 1 of the notification issued by Urban Development and Housing Department notification number UDH-3/0063/2022/18-5 dated 09/05/2023 as follows :-

1. Commissioner, Indore division Indore M.P.
 2. Collector, District Indore , MP
 3. Collector, District Dhar , MP
 4. Joint Director, Town & Country Planning, District Office Indore,MP
 5. Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Pithampur Distt. Dhar M.P.
 6. Chief Municipal Officer, Nagar Parishad, Betma Teh. Depalpur Distt. Indore M.P.
- 2/ The rest of the points shall remain the same.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्र. B-3010-एक-7-3-2023-(भाग-एक).—राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा शनिवार दिनांक 13 मई 2023, 9 सितम्बर 2023 एवं 9 दिसम्बर 2023 को नेशनल लोक अदालत आयोजित किये जाने के फलस्वरूप रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक ए-4818-एक-7-3-2022, भाग-1, जबलपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2022 में आंशिक संशोधन करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/खण्डपीठ ग्वालियर की

रजिस्ट्री हेतु शनिवार दिनांक 13 मई 2023, 9 सितम्बर 2023 एवं 9 दिसम्बर 2023 को कार्यदिवस घोषित किया जाता है।

उक्त घोषित कार्यदिवस के एवज में शनिवार दिनांक 27 मई 2023, 23 सितम्बर 2023 एवं शनिवार दिनांक 23 दिसम्बर 2023 को उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/खण्डपीठ ग्वालियर की रजिस्ट्री हेतु अवकाश घोषित किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
रामकुमार चौबे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2023

क्र. A-2087-तीन-10-42-75.—एतद्वारा, यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित न्यायाधीशगण अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त स्तम्भ क्रमांक-2 में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में स्तम्भ क्रमांक-4 में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे। यह अधिसूचना तालिका के स्तम्भ क्रमांक-2 में वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं, यदि कोई हों, को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है।

Jabalpur, the 22nd April, 2023

No.A-2087-III-10-42-75.—The Judges named in the column No. 3 of the following table are hereby directed to hold sitting at places mentioned in the column No. 2 of the table in addition to their place of posting for the period mentioned in column No. 4 for holding Link Court. This notification is being issued in supersession of all the earlier notifications issued in respect of Link Court for the places mentioned in Column No. 2 of the table, if any.—

HJS Cadre

S. No.	Places, where Link Court is to be held (District)	Name of the Officer and designation	Period in a month for which Link Court is to be held
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sanwer (Indore)	Shri Shivlal Kewat IX District & Additional Sessions Judge, Indore.	10 days
2.	Sanawad (Mandleshwar)	Shri Kaushlendra Sing Bhadauriya, III District & Additional Sessions Judge, Barwah.	20 days

Civil Judge Cadre

1.	Bakaswaha (Chhatarpur)	Shri Abhishek Dixit, I Civil Judge Junior Division, Badamalhara.	15 days
----	----------------------------------	---	---------

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Bichhua (Chhindwara)	Shri Shubham Neema, I Civil Judge Junior, Division Sausar.	Last week of the month
3.	Mandhata (Khandwa)	Shri Priyank Bhardwaj, Civil Judge Senior Division Punasa.	10 days
4.	Jaitpur (Shahdol)	Sushri Akansha Tekam, I Civil Judge Junior, Division Burhar.	15 days

जबलपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2023

क्र. ए-2132-तीन-10-42-75.—एतद्वारा, यह निदेशित किया जाता है कि निम्न तालिका के स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त स्तम्भ क्रमांक-2 में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में स्तम्भ क्रमांक-4 में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे. यह अधिसूचना तालिका के स्तम्भ क्रमांक-2 में वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं, यदि कोई हों, को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है.

Jabalpur, the 25 April, 2023

No.A-2132-III-10-42-75.—The Civil Judge, Senior Division named in the column No. 3 of the following table are hereby directed to hold sitting at place mentioned in the column No. 2 of the table in addition to their place of posting for the period mentioned in column No. 4 for holding Link Court. This notification is being issued in supersession of all the earlier notifications issued in respect of Link Court for the place mentioned in Column No. 2 of the table, if any .—

Civil Judge Cadre

S. No.	Places, where Link Court is to be held (District)	Name of the Officer and designation	Period in a month for which Link Court is to be held
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pachmarhi (Narmadapuram)	Shri Dev Kumar, II Civil Judge Senior Division, Pipariya.	03 days

By order of Hon'ble the Chief Justice,
SANTOSH PRASAD SHUKLA, Registrar (District Establishment).

जबलपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2023

क्र. A-2116-दो-2-58-2017.—श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 25 अप्रैल से 3 मई 2023 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्राणेश कुमार प्राण, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-2118-दो-2-50-2018.—डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 10 से 19 मई 2023 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 मई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-2120-दो-2-25-2020.—श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 17 से 21 अप्रैल 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2023 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 एवं 23 अप्रैल 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-2122-दो-2-51-2018.—श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)-19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 8 सितम्बर 2020 से 7 सितम्बर 2022 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B-3063-दो-3-21-2021.—श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को दिनांक 8 से 13 अप्रैल 2023 तक छह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-1983-दो-3-21-2021.—श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को दिनांक 15 से 19 मई 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 मई 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 मई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-1985-दो-3-21-2021.—श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को दिनांक 24 मई से 3 जून 2023 तक, कुल ग्यारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 4 से 9 जून 2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 3 मई 2023

क्र. A-2273-दो-2-26-2023.—श्रीमती माया विश्वलाल, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 10 से 20 अप्रैल 2023 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 अप्रैल 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती माया विश्वलाल, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती माया विश्वलाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-2387-दो-2-15-2023.—श्री शेख सलीम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर को दिनांक 20 से 23 फरवरी 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री शेख सलीम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शेख सलीम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2371-दो-2-37-2020.—श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 13 मार्च से 20 अप्रैल 2023 तक, उनचालीस दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विवेक कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2373-दो-2-9-2022.—श्री अजीत सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को दिनांक 26 से 29 अप्रैल 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश की पश्चात् में दिनांक 30 अप्रैल 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अजीत सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजीत सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2375-दो-2-35-2020.—श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 26 से 29 अप्रैल 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 अप्रैल 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2377-दो-2-42-2020.—श्री एच. के. कौशिक, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)-19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3440-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक अठारह माह की अवधि के लिए तेईस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-2379-दो-2-58-2017.—श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 25 अप्रैल से 3 मई 2023 तक, नौ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में, दिनांक 4 मई 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्राणेश कुमार प्राण, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2381-दो-2-114-2017.—श्री राजीव म. आपटे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को दिनांक 11 से 13 अप्रैल 2023 तक, तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश की पश्चात् में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव म. आपटे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव म. आपटे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2383-दो-2-75-2017.—श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 17 से 21 अप्रैल 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 एवं 23 अप्रैल 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2385-दो-2-14-2015.—श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :—

1. दिनांक 17 से 21 अप्रैल 2023 तक, पाँच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।

2. दिनांक 24 अप्रैल से 4 मई 2023 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 अप्रैल 2023 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 मई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-2389-दो-2-17-2016.—श्री एन. पी. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को दिनांक 17 मार्च से 13 अप्रैल 2023 तक, अटार्डिस दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एन. पी. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2391-दो-2-41-2015.—श्री सनत कुमार कश्यप, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 20 से 21 मार्च 2023 तक, दो दिन के आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)-19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब (एक), 2011 दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. B-2393-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री डी. के. नागले, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्री डी. के. नागले, को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2023

को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. अर्जित अवकाश | . . . 105 |
| अर्द्धवेतन अवकाश | . . . 195 |

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 105 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

- (ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश
के एवज में नगद = $\frac{\text{भुगतान}}{30} \times 195$
भुगतान. 30

क्र. D-2395-दो-3-420-80-भाग-बारह.— श्री नवीन कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्री सक्सेना को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. अर्जित अवकाश | . . . 240 |
| अर्द्धवेतन अवकाश | . . . 60 |

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 240 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

- (ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश
के एवज में नगद = $\frac{\text{भुगतान}}{30} \times 60$
भुगतान. 30

क्र. D-2397-दो-2-62-2016.— श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)-19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-2399-दो-3-420-80-भाग-बारह.— श्री राजवर्धन गुप्ता, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) कुटुंब न्यायालय, सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018,

दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्री गुप्ता को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. अर्जित अवकाश | . . . 240 |
| अर्द्धवेतन अवकाश | . . . 60 |

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 240 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

- (ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश
के एवज में नगद = $\frac{\text{भुगतान}}{30} \times 60$
भुगतान. 30

क्र. D-2401-दो-3-420-80-भाग-बारह.— श्री देव नारायण शुक्ल, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्री शुक्ल को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. अर्जित अवकाश | . . . 210 |
| अर्द्धवेतन अवकाश | . . . 90 |

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 210 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

- (ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश
के एवज में नगद = $\frac{\text{भुगतान}}{30} \times 90$
भुगतान. 30

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. चौबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.